उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका

अक्तूबर-दिसंबर, 2016

निर्णय-सूची

	पृष्ठ संख्या
अनिल गोवाला **बनाम** असम राज्य	181
उत्तर प्रदेश राज्य **मार्फत** जिला मजिस्ट्रेट, एटा **बनाम** डा. राजीव कुलश्रेष्ठ	151
करनैल सिंह **बनाम** जम्मू-कश्मीर राज्य	194
रवीन्द्रन नायर **बनाम** केरल राज्य	171

संसद् के अधिनियम

दंड प्रकिया संहिता, 1973 का हिन्दी में प्राधिकृत पाठ 111 – 155

अक्तूबर-दिसंबर, 2016 (संयुक्तांक)

उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका

प्रधान संपादक **संपादक**
डा. मिथिलेश चन्द्र पांडेय विनोद कुमार आर्य

महत्वपूर्ण निर्णय

जम्मू-कश्मीर राज्य रणवीर दंड संहिता, 1989 संवत् (1932 ईस्वी) – धारा 302/120(ख)/109 – षड्यंत्र – हत्या – अभियुक्त-अपीलार्थियों द्वारा मृतक की हत्या किए जाने का अभिकथन किया जाना – यदि साक्षियों के परिसाक्ष्य में विरोधाभास है तो अभियुक्त-अपीलार्थियों की दोषमुक्ति उचित है ।

करनैल सिंह बनाम **जम्मू-कश्मीर राज्य** 194

संसद् के अधिनियम

दंड प्रकिया संहिता, 1973 का हिन्दी में प्राधिकृत पाठ (111) – (155) क्रमशः

पृष्ठ संख्या 151 – 297 **(2016) 2 दा. नि. प.**

विधि साहित्य प्रकाशन
विधायी विभाग
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार

उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका – अक्तूबर-दिसंबर, **2016** (संयुक्तांक) (पृष्ठ संख्या **151 – 297**)

संपादक-मंडल

डा. जी. नारायण राजू,
सचिव, विधायी विभाग

डा. रीटा वशिष्ठ, अपर सचिव,
विधायी विभाग

डा. बी. एन. मणि,
सेवानिवृत्त अपर विधि सलाहकार,
विधि मंत्रालय

डा. सुरेन्द्र कुमार शर्मा, प्रिन्सिपल,
विधि विभाग, डी आई आर डी, गुरु गोविंद सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय

डा. ऋषिपाल सिंह,
सेवानिवृत्त संयुक्त सचिव एवं विधायी परामर्शी, राजभाषा खंड

श्री कृष्ण गोपाल अग्रवाल,
सेवानिवृत्त संपादक, वि.सा.प्र.

डा. अनुराग दीप,
एसोसिएट प्रोफेसर,
भारतीय विधि संस्थान

डा. मिथिलेश चन्द्र पांडेय,
प्रधान संपादक

श्री विनोद कुमार आर्य,
संपादक

श्री कमला कान्त,
संपादक

सहायक संपादक : सर्वश्री अविनाश शुक्ला, असलम खान और पुण्डरीक शर्मा
उप-संपादक : सर्वश्री महीपाल सिंह और जसवन्त सिंह

कीमत : डाक-व्यय सहित

एक प्रति : ₹ 36

वार्षिक : ₹ 135

© 2016 भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय

प्रकाशन और विक्रय प्रबंधक, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग), भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001 द्वारा प्रकाशित तथा.................................. द्वारा मुद्रित ।

भारत के समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रीकृत रजि. सं. 47259/88

सादर

विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा तीन मासिक निर्णय पत्रिकाओं – उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका, उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका और उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका में उच्चतम न्यायालय के चयनित निर्णयों को और उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका तथा उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिकाओं में देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों के क्रमशः चयनित सिविल और दांडिक निर्णयों को हिन्दी में प्रकाशित किया जाता है । इन पत्रिकाओं को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए इनमें जनवरी, 2010 के अंक से महत्वपूर्ण केन्द्रीय अधिनियमों का प्राधिकृत हिन्दी पाठ पाठकों की सुविधा के लिए शृंखलाबद्ध रूप से प्रकाशित किया जा रहा है । तीनों निर्णय पत्रिकाओं की वार्षिक कीमत केवल ₹ 495/- है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका की वार्षिक कीमत ₹ 225/- है, उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका की वार्षिक कीमत ₹ 135/- है और उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका की वार्षिक कीमत ₹ 135/- है । तीनों मासिक निर्णय पत्रिकाओं के नियमित ग्राहक बनकर हिन्दी के प्रचार-प्रसार के इस महान यज्ञ के भागी बन कर अनुगृहीत करें ।

विधि साहित्य प्रकाशन
(विधायी विभाग)
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार
भारतीय विधि संस्थान भवन,
भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली-110001
दूरभाष : 011-23387589, 23385259, 23382105

विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा प्रकाशित और विक्रय के लिए उपलब्ध विधि पाठ्य पुस्तकों की सूची

	पुस्तक का नाम	लेखक	पृष्ठ सं.	कीमत (₹)
1.	भारत का विधिक इतिहास	श्री सुरेन्द्र मधुकर	410	30.00
2.	माल विक्रय और परक्राम्य लिखत विधि	डा. एन. पी. परांजपे	371	40.00
3.	वाणिज्य विधि	डा. आर. एल. भट्ट	630	108.00
4.	अपकृत्य विधि के सिद्धान्त (तृतीय संस्करण)	श्री शर्मन लाल अग्रवाल	357	40.00
5.	अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रमुख निर्णय (द्वितीय संस्करण)	डा. एस. सी. खरे	273	115.00
6.	मानव अधिकार	डा. शिवदत्त शर्मा	340	120.00
7.	दण्ड प्रक्रिया संहिता	न्या. महावीर सिंह	840	200.00

पुस्तकों की सूची जिन पर छूट देने की स्वीकृति प्राप्त की गई है ।

	पुस्तक का नाम	लेखक	पृष्ठ सं.	मूल दर (₹)	संशोधित दर (₹)
1.	संविदा विधि (द्वितीय संस्करण)	डा. रामगोपाल चतुर्वेदी	552	275.00	137.00
2.	श्रम विधि (तृतीय संस्करण)	श्री गोपी कृष्ण अरोड़ा	658	452.00	226.00
3.	चिकित्सा न्यायशास्त्र और विष विज्ञान (तृतीय संस्करण)	डा. सी. के. पारिख अनुवादक डा. एन. के. पटौरिया	969	293.00	146.00
4.	आधुनिक पारिवारिक विधि	श्री राम शरण माथुर	767	429.00	214.00
5.	भारतीय स्वातंत्र्य संग्राम (कालजयी निर्णय)	संकलन संपादन – ब्रह्मदेव चौबे	209	225.00	112.00
6.	हिन्दू विधि (द्वितीय संस्करण)	डा. रवीन्द्र नाथ	617	425.00	212.00
7.	भारतीय दंड संहिता	डा. रवीन्द्र नाथ	696	741.00	370.00
8.	भारतीय भागीदारी अधिनियम (द्वितीय संस्करण)	श्री माधव प्रसाद वशिष्ठ	272	165.00	82.00
9.	प्रशासनिक विधि (तृतीय संस्करण)	डा. कैलाश चन्द्र जोशी	635	200.00	100.00
10.	विधिक उपचार (द्वितीय संस्करण)	डा. एस. के. कपूर	414	311.00	155.00
11.	विधि शास्त्र	डा. शिवदत्त शर्मा	501	580.00	377.00

विधि साहित्य प्रकाशन

(विधायी विभाग)

विधि और न्याय मंत्रालय

भारत सरकार

भारतीय विधि संस्थान भवन,

भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली-110001

विषय-सूची

पृष्ठ संख्या

जम्मू-कश्मीर राज्य रणवीर दंड संहिता, 1989 संवत् (1932 ईस्वी)

– धारा 302/120(ख)/109 – षड्यंत्र – हत्या – अभियुक्त-अपीलार्थियों द्वारा मृतक की हत्या किए जाने का अभिकथन किया जाना – यदि साक्षियों के परिसाक्ष्य में विरोधाभास है तो अभियुक्त-अपीलार्थियों की दोषमुक्ति उचित है ।

करनैल सिंह बनाम **जम्मू-कश्मीर राज्य** 194

– धारा 302/120(ख)/109 – हत्या – व्यपहरण – सफेद रंग की एम्बेसडर कार में मृतक का व्यपहरण किए जाने का अभिकथन किया जाना – व्यपहरण की कार्यवाही को किसी भी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी द्वारा साबित न किया जाना – अतः अभियुक्त-अपीलार्थियों की दोषमुक्ति न्यायोचित है ।

करनैल सिंह बनाम **जम्मू-कश्मीर राज्य** 194

– धारा 302/120(ख)/109 – मृतक के पास टेलीफोन होने का औचित्य – मृतक के पास जिस टेलीफोन होने की बात कही गई है, उसका रजिस्ट्रेशन नम्बर अभियुक्त के नाम दर्ज होना – उस टेलीफोन का अंतरण मृतक को किए जाने का साबित न होना भी अभियुक्त-अपीलार्थियों की दोषमुक्ति के लिए उचित है ।

करनैल सिंह बनाम **जम्मू-कश्मीर राज्य** 194

– धारा 302/120(ख)/109 – पारिस्थितिक साक्ष्य – जहां अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए पारिस्थितिक साक्ष्य से यह निष्कर्ष निकलता है कि इन परिस्थितियों से अभियुक्त-अपीलार्थियों की दोषिता प्रकट नहीं होती है और न्यायोचित ठहराने के लिए पारिस्थितिक साक्ष्य की शृंखला पूरी नहीं होती है तो दोषसिद्धि का निष्कर्ष अनुचित है और अभियुक्त-अपीलार्थियों को दोषमुक्त किया जाना न्यायसंगत है ।

करनैल सिंह बनाम **जम्मू-कश्मीर राज्य** 194

पृष्ठ संख्या

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)

– धारा 457 [सपठित भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 420, 417, 418 और 423 तथा मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम, 1994 की धारा 18] – एक चिकित्सक द्वारा विधिमान्य अनुज्ञप्ति के अधीन एक नर्सिंग होम चलाया जाना – चिकित्सक और उसके नर्सिंग होम के विरुद्ध कतिपय अभिकथन करते हुए प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराना – जिसके आधार पर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जांच कराने के पश्चात् नर्सिंग होम सील करना – इस आधार पर सील खुलवाने के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन करना कि जिला मजिस्ट्रेट ने राजनैतिक दबाव और दुर्भावना में आदेश पारित किया है – जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा वाद ग्रहण करने की अधिकारिता को चुनौती देना – चुनौती मंजूर करना – यदि कोई जिला मजिस्ट्रेट एक आदेश द्वारा किसी नर्सिंग होम को सील करने का आदेश पारित करता है तो उसका आदेश प्रशासनिक प्रकृति का होता है न कि न्यायिक, इसलिए, ऐसे आदेश के विरुद्ध न्यायिक वाद ग्रहण नहीं किया जा सकता है क्योंकि प्रशासनिक आदेश के विरुद्ध विधि में अन्य समुचित उपचार उपलब्ध हैं जिनका अवलम्ब लिया जा सकता है परन्तु यदि ऐसे आदेश के विरुद्ध न्यायिक आदेश पारित किया जाता है तो वह अविधिमान्य और अभिखंडित किए जाने योग्य होता है ।

उत्तर प्रदेश राज्य मार्फत **जिला मजिस्ट्रेट, एटा** बनाम **डा. राजीव कुलश्रेष्ठ** 151

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45)

– धारा 300 – हत्या – जहां अभियुक्त पति द्वारा साशय और जानकारी से अपनी पत्नी पर गंडासे से घातक क्षतियां पहुंचाए जाने पर उसकी मृत्यु हो गई हो और उसकी पुत्री तथा अन्य प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के साक्ष्य से यह

पृष्ठ संख्या

सिद्ध होता हो कि अभियुक्त ने हत्या कारित की, वहां अभियुक्त को हत्या के अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जाना उचित और युक्तिसंगत है ।

रवीन्द्रन नायर बनाम **केरल राज्य** 171

– धारा 302 [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 24] – हत्या – न्यायिकेतर संस्वीकृति – अभियोजन साक्षियों द्वारा घटना के कथित वृत्तांत और अभियुक्त द्वारा की गई न्यायिकेतर संस्वीकृति से यह स्पष्ट होता है कि अभियुक्त ने बदला लेने के लिए धारदार हथियार से मृतक पर गंभीर वार किया जिसके परिणामस्वरूप मृतक की मृत्यु हो गई, अतः अभियुक्त की न्यायिकेतर संस्वीकृति के आधार पर उसे दोषसिद्ध और दंडादिष्ट करना उचित है ।

अनिल गोवाला बनाम **असम राज्य** 181

उत्तर प्रदेश राज्य मार्फत **जिला मजिस्ट्रेट, एटा**

बनाम

डा. राजीव कुलश्रेष्ठ

तारीख 3 नवम्बर, 2015

न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) – धारा 457 [सपठित भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 420, 417, 418 और 423 तथा मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम, 1994 की धारा 18] – एक चिकित्सक द्वारा विधिमान्य अनुज्ञप्ति के अधीन एक नर्सिंग होम चलाया जाना – चिकित्सक और उसके नर्सिंग होम के विरुद्ध कतिपय अभिकथन करते हुए प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराना – जिसके आधार पर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जांच कराने के पश्चात् नर्सिंग होम सील करना – इस आधार पर सील खुलवाने के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन करना कि जिला मजिस्ट्रेट ने राजनैतिक दबाव और दुर्भावना में आदेश पारित किया है – जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा वाद ग्रहण करने की अधिकारिता को चुनौती देना – चुनौती मंजूर करना – यदि कोई जिला मजिस्ट्रेट एक आदेश द्वारा किसी नर्सिंग होम को सील करने का आदेश पारित करता है तो उसका आदेश प्रशासनिक प्रकृति का होता है न कि न्यायिक, इसलिए, ऐसे आदेश के विरुद्ध न्यायिक वाद ग्रहण नहीं किया जा सकता है क्योंकि प्रशासनिक आदेश के विरुद्ध विधि में अन्य समुचित उपचार उपलब्ध हैं जिनका अवलम्ब लिया जा सकता है परन्तु यदि ऐसे आदेश के विरुद्ध न्यायिक आदेश पारित किया जाता है तो वह अविधिमान्य और अभिखंडित किए जाने योग्य होता है ।

वर्तमान मामले में, मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि जिला मजिस्ट्रेट, एटा ने चन्द्रपाल पुत्र हरिकेश से तारीख 19 मई, 2015 को एक शिकायत प्राप्त की जिसमें यह कथन किया गया था कि उसने अपनी पत्नी श्रीमती मीरा को एटा शल्य-चिकित्सा केन्द्र, एटा में भर्ती किया था जिसके

स्वत्वधारी डा. राजीव कुलश्रेष्ठ हैं और उसने अपनी पत्नी के उपचार के लिए 26,000/- रुपए में समझौता किया था । चन्द्रपाल एक गरीब और विकलांग व्यक्ति है और उसने गांव वालों से धन एकत्र किया था और उसने उसे कुल 30,000/- रुपए संदत्त किया था किन्तु इस तथ्य के बावजूद डा. राजीव कुलश्रेष्ठ द्वारा 8,000/- रुपए की और मांग की गई थी और जब वह इसे संदाय करने में अपनी असमर्थता दर्शित की तो उसने यह धमकी दी कि उसके पत्नी को कुछ जहरीले इंजेक्शन लगाकर हत्या कर देगा और उसे नर्सिंग होम से बाहर फेंक देगा । उसने उक्त तथ्य के बारे में सूचित करते हुए, पुलिस थाना कोतवाली नगर, जिला एटा में एक शिकायत भी दर्ज कराई थी । उसने यह भी कथन किया था कि डा. राजीव कुलश्रेष्ठ ने सादे कागज पर उसके अंगूठे का निशान भी ले लिया था और उसे उसके जीवन को गंभीर परिणाम भुगतने की भी धमकी दी थी । उक्त शिकायत, जिला मजिस्ट्रेट को भी की गई थी और उसे अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा.) एटा को अग्रेषित की गई थी जिन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी, एटा से उसकी जांच कराने का भी आदेश दिया था और इसके लिए 3 सदस्यों की एक समिति गठित की, जिसमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उप-जिला मजिस्ट्रेट और सर्किल अधिकारी, एटा सम्मिलित थे । इसी प्रकार, उसी दिन अर्थात् तारीख 19 मई, 2015 को एक अन्य शिकायत, जसवंत सिंह यादव, रिपोर्टर, स्वतंत्र भारत समाचारपत्र द्वारा उक्त नर्सिंग होम में कारित कतिपय अनियमितताओं के बारे में कथन करते हुए दर्ज कराई गई थी और उक्त शिकायत को भी अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा.) को अग्रेषित की गई थी । मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने तारीख 26 मई, 2015 को उक्त नर्सिंग होम को एक नोटिस यह भेजा कि एक निरीक्षक दल उक्त नर्सिंग होम की जांच करने के लिए तारीख 27 मई, 2015 को अपराह्न 12.30 बजे जाएगा और उक्त नर्सिंग होम के स्टाफ को जांच में सहयोग करने के लिए तैयार रहना होगा । तारीख 27 मई, 2015 को अपराह्न 12.40 बजे एक निरीक्षक दल उक्त नर्सिंग होम में गया और डा. राजीव कुलश्रेष्ठ को एक नोटिस जारी किया, यह कथन करते हुए कि जब निरीक्षक दल, तारीख 27 मई, 2015 को उक्त नर्सिंग होम में गया तो न तो वह न ही उसके स्टाफ ने अन्वेषण में सहयोग किया और यह निवेदन किया कि वे शिकायत में अपना उत्तर प्रस्तुत करें जिसके लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी, एटा द्वारा 2 दिन का समय दिया गया और निरीक्षक दल की अगुवाई मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा की गई थी । तारीख 27 मई, 2015 को डा. राजीव कुलश्रेष्ठ और उसकी पत्नी डा. मंजू वर्मा, जो

उक्त नर्सिंग होम में स्त्री रोग विशेषज्ञ थी, द्वारा अपना उत्तर मुख्य चिकित्सा अधिकारी को दिया गया था । चन्द्रपाल द्वारा शिकायत करने के पूर्व डा. राजीव कुलश्रेष्ठ द्वारा तारीख 20 मई, 2015 को जिला मजिस्ट्रेट, एटा, सुश्री निधि केशरवानी के विरुद्ध एक शिकायत, माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से की कि किस प्रकार जिला मजिस्ट्रेट कुछ स्थानीय एम. एल. ए. और एम. एल. सी. के कहने पर, जो सत्ताधारी पार्टी के हैं, उस पर यह दबाव डाल सकता है कि वह शिकायतकर्ता की पत्नी श्रीमती मीरा के उपचार के लिए शुल्क प्रभारित नहीं करें जो कि नर्सिंग होम में उपचार के दौरान उस पर प्रभारित की गई थी और जब चिकित्सीय उपचार तथा उसका जीवन बचाने के लिए उससे शुल्क की मांग की गई तो उस पर उससे धन नहीं लेने के लिए जिला मजिस्ट्रेट और स्थानीय एम. एल. सी. द्वारा दबाव डाला गया और प्रभाव में लिया गया और जब उसने चिकित्सीय उपचार के लिए शुल्क और अन्य खर्चों की मांग की तो उसके और उसके नर्सिंग होम के विरुद्ध जिला मजिस्ट्रेट, एटा द्वारा वर्तमान अवैध और मनमाना कार्रवाई की गई । तारीख 30 मई, 2015 को मुख्य चिकित्सा अधिकारी, एटा की अध्यक्षता में निरीक्षक दल ने जिला मजिस्ट्रेट, एटा को अपनी रिपोर्ट सौंपी । उसी दिन भारसाधक जिला मजिस्ट्रेट, एटा ने निरीक्षक दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर और लोक अभियोजक, एटा की सलाह के अनुसार एक आदेश पारित किया, यह अभिकथन करते हुए कि डा. राजीव कुलश्रेष्ठ के उक्त शल्य-चिकित्सा केन्द्र में शल्य-चिकित्सा करने के पश्चात् कूड़ा करकट के निपटारे के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण विभिन्न बीमारियों के फैलने का खतरा बना हुआ है जिससे बड़े पैमाने पर लोग प्रभावित हो रहे हैं । यह भी निवेदन किया गया कि शल्य-चिकित्सा करने के पूर्व बेहोशी का इंजेक्शन देने के लिए सक्षम चिकित्सक के बिना शल्य-चिकित्सा किया जाता है और बेहोशी का कोई विशेषज्ञ चिकित्सक नहीं है, यद्यपि, डा. प्रतीक कुलश्रेष्ठ का नाम शल्य-चिकित्सा केन्द्र में उल्लिखित है किन्तु वह वहां उपलब्ध नहीं है और शल्य-चिकित्सा, जो प्रतिदिन किया जा रहा है, एक अपराध है । यद्यपि, एक अल्ट्रा-साउंड मशीन है किन्तु, इस अल्ट्रा-साउंड मशीन को चलाने के लिए कोई विशेषज्ञ नहीं है । डा. मंजू वर्मा के अतिरिक्त नर्सिंग होम में कोई अन्य पैरा-मेडिकल स्टाफ नहीं है । तारीख 9 मई, 2015 को मीरा देवी, पत्नी चन्द्रपाल को भर्ती किया गया था और उसकी शल्य-चिकित्सा की गई थी और 6 बोतल रक्त चढ़ाया गया था और उक्त रक्त, मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम, 1994 के अधीन प्राधिकृत किसी रक्त बैंक से नहीं

लिया गया था, जो भी एक अपराध है । अतएव, जिला मजिस्ट्रेट ने ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, एटा को डा. राजीव कुलश्रेष्ठ के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 420, 417, 418, 423 के अधीन तथा मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम, 1994 की धारा 18 के अधीन प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने का निर्देश दिया और उसके नर्सिंग होम को लोक हित में सील करने का भी निर्देश दिया । जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुसरण में, विरोधी पक्षकार डा. राजीव कुलश्रेष्ठ के विरुद्ध पुलिस थाना, कोतवाली नगर, जिला एटा में भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 420, 417, 418, 423 के अधीन तथा मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम, 1994 की धारा 18 के अधीन एक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट, 2015 की वाद अपराध सं. 782 दर्ज की गई । तारीख 30 मई, 2015 को विरोधी पक्षकार – डा. राजीव कुलश्रेष्ठ ने दांडिक प्रकीर्ण में उक्त प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को चुनौती दी । इस न्यायालय के समक्ष 2015 की रिट याचिका सं. 14015, डा. राजीव कुलश्रेष्ठ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और तीन अन्य वाले मामले में तारीख 4 जून, 2015 को एक अन्तरिम आदेश पारित किया गया, यह कथन करते हुए कि डा. राजीव कुलश्रेष्ठ की गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया जाए । तारीख 30 मई, 2015 को पुलिस द्वारा जिला मजिस्ट्रेट, एटा के आदेश के अनुसरण में, डा. राजीव कुलश्रेष्ठ के नर्सिंग होम को भी सील किया गया था, जिसके विरुद्ध विरोधी पक्षकार ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, एटा के समक्ष एक आवेदन फाइल किया था, जो प्रकीर्ण वाद के रूप में रजिस्ट्रीकृत हुआ था और तारीख 11 जून, 2015 के आदेश द्वारा विरोधी पक्षकार के नर्सिंग होम को खोलने का आदेश दिया गया था और आवेदन सं. 3-ए को मंजूर कर लिया गया था और संबंधित पुलिस अधिकारी को 24 घंटे के भीतर उक्त नर्सिंग होम का सील खोलने का निर्देश दिया गया था । मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित तारीख 11 जून, 2015 के आदेश से व्यथित होकर, राज्य ने सेशन न्यायाधीश, एटा के समक्ष एक दांडिक पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत किया जिसे तारीख 18 जून, 2015 को सेशन न्यायाधीश, एटा द्वारा खारिज कर दिया गया था और यह निर्देश दिया था कि उक्त नर्सिंग होम का सील भी खोला जाए और उसका कब्जा डा. राजीव कुलश्रेष्ठ को सौंपा जाए और डा. राजीव कुलश्रेष्ठ के उक्त कब्जे में हस्तक्षेप करने से किसी भी व्यक्ति को अवरुद्ध किया जाता है और यह भी आदेश किया जाता है कि उक्त आदेश का पालन इसी दिन सायंकाल अपराह्न 5.00 बजे के भीतर होना चाहिए जिसमें असफल रहने पर व्यतिक्रमी के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 345 के

अधीन कार्यवाहियां आरम्भ की जाएं और दोषी व्यक्तियों को दंडित करने के लिए भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 175 के अधीन नोटिस भी दिया जाए । दोनों निचले न्यायालयों अर्थात् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और सेशन न्यायाधीश, एटा द्वारा पारित आदेशों से व्यथित होकर, राज्य ने इन्हें अभिखंडित करने के लिए इस न्यायालय के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के अधीन वर्तमान आवेदन फाइल किया । न्यायालय द्वारा आवेदन मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – अभिलेखों से यह प्रतीत होता है कि श्रीमती मीरा देवी, पत्नी चन्द्रपाल, विरोधी पक्षकार के उक्त नर्सिंग होम में भर्ती हुई थी, जिसे गंभीर दशा में लाया गया था और उन्होंने उसके जीवन को बचाया था और उसके पति ने जिला एटा के कुछ राजनैतिक व्यक्तियों जिन्होंने राजीव कुलश्रेष्ठ पर श्रीमती मीरा देवी के उपचार के लिए प्रभार नहीं लेने का दबाव डाला था, के जोर देने पर नर्सिंग होम के खर्चे का संदाय करने में स्वयं को असमर्थ बताया था और जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उसने उनके जीवन के बारे में गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी और शासक दल के स्थानीय राजनैतिक व्यक्तियों के हस्तक्षेप करने पर चिकित्सक ने उससे कोई प्रभार लिए बिना अपने नर्सिंग होम से उक्त मरीज को उन्मुक्त कर दिया था । एकमात्र विरोधी पक्षकार ही विधिमान्य अनुज्ञप्ति के अधीन 'एटा सर्जिकल सेन्टर' के नाम और रीति में अपना नर्सिंग होम चला रहा था जिसे मुख्य चिकित्सा अधिकारी, एटा द्वारा तारीख 4 जून, 2016 तक नवीकरण किया गया था और इस नवीकरण के ठीक पश्चात् ही उक्त घटना घटित होनी प्रतीत होती है और इसके पूर्व किसी भी व्यक्ति द्वारा उक्त नर्सिंग होम की किसी अनियमितता या अव्यवहारिकता के बारे में कोई शिकायत नहीं की गई थी जिससे यह दर्शित होता है कि कुछ राजनैतिक प्रभाव विरोधी पक्षकार पर डाला गया था कि वह मरीज से शुल्क प्रभारित नहीं करे और जिला प्रशासन की दुरभिसंधि में राजनैतिक दबाव के कारण चिकित्सक ने उपचार के लिए कोई शुल्क प्रभारित किए बिना मरीज को उन्मुक्त कर दिया था । जहां तक जिला मजिस्ट्रेट के तारीख 30 मई, 2015 के आदेशों के अधीन नर्सिंग होम को सील करने का संबंध है, जिसके अनुसरण में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट भी दर्ज की गई थी और विरोधी पक्षकार द्वारा सील खोलने के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, एटा के समक्ष एक आवेदन फाइल किया गया था, इस आधार पर कि उक्त आवेदन, जिला मजिस्ट्रेट के प्रशासनिक आदेश के विरुद्ध कायम रखे जाने योग्य नहीं था, में कुछ सार प्रतीत होता

है, क्योंकि आवेदक ने वर्तमान मामले की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को चुनौती दी थी जिसे जिला मजिस्ट्रेट के आदेशों के अधीन दर्ज किया गया था किन्तु उसने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को चुनौती देते हुए, इस न्यायालय के समक्ष उसके द्वारा फाइल रिट याचिका में उक्त नर्सिंग होम की सील खोलने के लिए कोई प्रार्थना नहीं की गई थी और उसकी और मात्र उसकी गिरफ्तारी पर ही रोक लगाई गई थी । यह भी प्रतीत होता है कि कुछ राजनैतिक व्यक्तियों की दुरभिसंधि में जिला प्रशासन की ओर से कुछ बाह्य कार्य और उच्च अनियमितताएं बरती गई थीं साथ ही विरोधी पक्षकार की ओर से भी कुछ बाह्य कार्य और उच्च अनियमितताएं बरती गई थीं जिसने अपने नर्सिंग होम की सील खुलवाने के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, एटा के समक्ष एक आवेदन भी फाइल किया था, जो कायम रखे जाने योग्य नहीं था और जिसे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा मंजूर कर लिया गया था और निचले पुनरीक्षण न्यायालय ने भी राज्य के पुनरीक्षण आवेदन को खारिज कर दिया था जो विधि की दृष्टि में कायम नहीं रखे जा सकते थे, क्योंकि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित यह न्यायिक आदेश नहीं था । विरोधी पक्षकार के विद्वान् काउंसेल का यह तर्क कि उक्त आदेश, मजिस्ट्रेट द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 457 के अधीन पारित किया गया था, न ही यह विरोधी पक्षकार डा. राजीव कुलश्रेष्ठ के आवेदन से सही प्रतीत नहीं होता है अथवा न ही मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश से यह प्रतीत होता है कि तारीख 18 जून, 2015 का आदेश दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के किन्हीं उपबंधों के अधीन पारित किया गया था । इसके अतिरिक्त, विद्वान् निचले पुनरीक्षण न्यायालय ने भी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश के विरुद्ध फाइल राज्य के पुनरीक्षण आवेदन को तकनीकी तौर पर खारिज कर दिया था और इससे यह भी प्रतीत होता है कि दोनों निचले न्यायालयों ने आक्षेपित आदेशों को पारित करने में अपनी अधिकारिता से बाहर कार्य किया है । जिला मजिस्ट्रेट द्वारा लोक हित में उक्त नर्सिंग होम को सील करने का आदेश, एक प्रशासनिक आदेश था क्योंकि तारीख 28 जनवरी, 2008 की अवमान याचिका में इस न्यायालय के एकल न्यायपीठ द्वारा एक आदेश पारित किया गया था जिसके अनुसरण में राज्य सरकार ने नर्सिंग होमों और प्राइवेट अस्पतालों के कार्यों को विनियमित करने के लिए एक परिपत्र भी जारी किया था । यद्यपि, जिला मजिस्ट्रेट, एटा द्वारा पारित तारीख 30 मई, 2015 का आदेश कुछ राजनैतिक दबाव और अपनी शक्तियों के दुरुपयोग में पारित किया गया प्रतीत होता है किन्तु, मुख्य न्यायिक

मजिस्ट्रेट, एटा द्वारा विरोधी पक्षकार का आवेदन ग्रहण करने और नर्सिंग होम की सील खोलने, जिसे जिला मजिस्ट्रेट, एटा द्वारा तारीख 30 मई, 2015 के प्रशासनिक आदेश के अनुसरण में सील किया गया था, का आदेश किसी भी प्रकार से न्यायानुमत नहीं था, जिसके लिए विरोधी पक्षकार को समुचित उपचार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, एटा के समक्ष आवेदन फाइल करने के अलावा विधि के अधीन उसे उपलब्ध था, अतएव, तद्द्वारा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, एटा और सेशन न्यायाधीश, एटा द्वारा पारित उक्त आदेश अभिखंडित किए जाते हैं, किन्तु दुर्भावना जो राजनैतिक प्रभाव के अधीन जिला मजिस्ट्रेट, एटा द्वारा उसके नर्सिंग होम को सील करने में विरोधी पक्षकार द्वारा अभिकथित किया गया है, को ध्यान में रखते हुए, उसे उसके नर्सिंग होम को सील करने के लिए तारीख 30 मई, 2015 को जिला मजिस्ट्रेट, एटा द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध समुचित विधिक उपचार प्राप्त करने के लिए एक माह का समय मंजूर किया जाता है । (पैरा 33, 34, 35 और 36)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2000]	(2000) 5 एस. सी. सी. 80 : **डी. के. जोशी** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य ;**	17
[1980]	ए. आई. आर. 1980 केरल 18 : **माम्मू** बनाम **केरल राज्य और एक अन्य ;**	19
[1964]	ए. आई. आर. 1964 मद्रास 185 : **सुब्रमणियम** बनाम **पुलिस आयुक्त ;**	20
[1962]	ए. आई. आर. 1962 एस. सी. 574 : **दरगाह समिति, अजमेर** बनाम **राजस्थान राज्य ।**	21

प्रकीर्ण (दांडिक) आवेदन : 2015 का आवेदन सं. 26289.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के अधीन आवेदन ।

आवेदक की ओर से सर्वश्री विमलेन्दू त्रिपाठी और इमरान उल्लाह, अधिवक्ता

विरोधी पक्षकार की ओर से श्री नितिनजय पांडे, अधिवक्ता

न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा – दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482

के अधीन वर्तमान आवेदन, सेशन न्यायाधीश, एटा द्वारा 2015 की दांडिक पुनरीक्षण सं. शून्य में पारित तारीख 18 जून, 2015 के आक्षेपित निर्णय और आदेश तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, एटा द्वारा 2015 की प्रकीर्ण आवेदन सं. 250 में पारित तारीख 11 जून, 2015 के आदेश, जो भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 420, 417, 418, 423 के अधीन 2015 की वाद अपराध सं. 782 और मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम, 1994 (1994 का 42) की धारा 18 के अधीन, पुलिस थाना, कोतवाली नगर, जिला एटा से उद्‌भूत हुआ था, को अभिखंडित करने के लिए फाइल किया गया है ।

2. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि जिला मजिस्ट्रेट, एटा ने चन्द्रपाल पुत्र हरिकेश से तारीख 19 मई, 2015 को एक शिकायत प्राप्त की जिसमें यह कथन किया गया था कि उसने अपनी पत्नी श्रीमती मीरा को एटा शल्य-चिकित्सा केन्द्र, एटा में भर्ती किया था जिसके स्वत्वधारी डा. राजीव कुलश्रेष्ठ हैं और उसने अपनी पत्नी के उपचार के लिए 26,000/- रुपए में समझौता किया था । चन्द्रपाल एक गरीब और विकलांग व्यक्ति है और उसने गांव वालों से धन एकत्र किया था और उसने उसे कुल 30,000/- रुपए संदत्त किया था किन्तु इस तथ्य के बावजूद डा. राजीव कुलश्रेष्ठ द्वारा 8,000/- रुपए की और मांग की गई थी और जब वह इसे संदाय करने में अपनी असमर्थता दर्शित की तो उसने यह धमकी दी कि उसकी पत्नी को कुछ जहरीले इंजेक्शन लगाकर हत्या कर देगा और उसे नर्सिंग होम से बाहर फेंक देगा । उसने उक्त तथ्य के बारे में सूचित करते हुए, पुलिस थाना कोतवाली नगर, जिला एटा में एक शिकायत भी दर्ज कराई थी । उसने यह भी कथन किया था कि डा. राजीव कुलश्रेष्ठ ने सादे कागज पर उसके अंगूठे का निशान भी ले लिया था और उसे उसके जीवन को गंभीर परिणाम भुगतने की भी धमकी दी थी ।

3. उक्त शिकायत, जिला मजिस्ट्रेट को भी की गई थी और उसे अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा.) एटा को अग्रेषित की गई थी जिन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी, एटा से उसकी जांच कराने का भी आदेश दिया था और इसके लिए, 3 सदस्यों की एक समिति गठित की, जिसमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उप-जिला मजिस्ट्रेट और सर्किल अधिकारी, एटा सम्मिलित थे ।

4. इसी प्रकार, उसी दिन अर्थात् तारीख 19 मई, 2015 को एक अन्य शिकायत, जसवंत सिंह यादव, रिपोर्टर, स्वतंत्र भारत समाचारपत्र द्वारा उक्त नर्सिंग होम में कारित कतिपय अनियमितताओं के बारे में कथन करते

हुए दर्ज कराई गई थी और उक्त शिकायत को भी अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा.) को अग्रेषित की गई थी । मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने तारीख 26 मई, 2015 को उक्त नर्सिंग होम को एक नोटिस यह भेजा कि एक निरीक्षक दल उक्त नर्सिंग होम की जांच करने के लिए तारीख 27 मई, 2015 को अपराह्न 12.30 बजे जाएगा और उक्त नर्सिंग होम के स्टाफ को जांच में सहयोग करने के लिए तैयार रहना होगा ।

5. तारीख 27 मई, 2015 को अपराह्न 12.40 बजे एक निरीक्षक दल उक्त नर्सिंग होम में गया और डा. राजीव कुलश्रेष्ठ को एक नोटिस जारी किया, यह कथन करते हुए कि जब निरीक्षक दल, तारीख 27 मई, 2015 को उक्त नर्सिंग होम में गया तो न तो वह न ही उसके स्टाफ ने अन्वेषण में सहयोग किया और यह निवेदन किया कि वे शिकायत में अपना उत्तर प्रस्तुत करें जिसके लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी, एटा द्वारा 2 दिन का समय दिया गया और निरीक्षक दल की अगुवाई मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा की गई थी । तारीख 27 मई, 2015 को डा. राजीव कुलश्रेष्ठ और उसकी पत्नी डा. मंजू वर्मा, जो उक्त नर्सिंग होम में स्त्री रोग विशेषज्ञ थी, द्वारा अपना उत्तर मुख्य चिकित्सा अधिकारी को दिया गया था ।

6. चन्द्रपाल द्वारा शिकायत करने के पूर्व डा. राजीव कुलश्रेष्ठ द्वारा तारीख 20 मई, 2015 को जिला मजिस्ट्रेट, एटा, सुश्री निधि केशरवानी के विरुद्ध एक शिकायत, माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से की कि किस प्रकार जिला मजिस्ट्रेट कुछ स्थानीय एम. एल. ए. और एम. एल. सी. के कहने पर, जो सत्ताधारी पार्टी के हैं, उस पर यह दबाव डाल सकता है कि वह शिकायतकर्ता की पत्नी श्रीमती मीरा के उपचार के लिए शुल्क प्रभारित नहीं करें जो कि नर्सिंग होम में उपचार के दौरान उस पर प्रभारित की गई थी और जब चिकित्सीय उपचार तथा उसका जीवन बचाने के लिए उससे शुल्क की मांग की गई तो उस पर उससे धन नहीं लेने के लिए जिला मजिस्ट्रेट और स्थानीय एम. एल. सी. द्वारा दबाव डाला गया और प्रभाव में लिया गया और जब उसने चिकित्सीय उपचार के लिए शुल्क और अन्य खर्चों की मांग की तो उसके और उसके नर्सिंग होम के विरुद्ध जिला मजिस्ट्रेट, एटा द्वारा वर्तमान अवैध और मनमाना कार्रवाई की गई ।

7. तारीख 30 मई, 2015 को मुख्य चिकित्सा अधिकारी, एटा की अध्यक्षता में निरीक्षक दल ने जिला मजिस्ट्रेट, एटा को अपनी रिपोर्ट सौंपी । उसी दिन भारसाधक जिला मजिस्ट्रेट, एटा ने निरीक्षक दल द्वारा प्रस्तुत

रिपोर्ट के आधार पर और लोक अभियोजक, एटा की सलाह के अनुसार एक आदेश पारित किया, यह अभिकथन करते हुए कि डा. राजीव कुलश्रेष्ठ के उक्त शल्य-चिकित्सा केन्द्र में शल्य-चिकित्सा करने के पश्चात् कूड़ा करकट के निपटारे के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण विभिन्न बीमारियों के फैलने का खतरा बना हुआ है जिससे बड़े पैमाने पर लोग प्रभावित हो रहे हैं । यह भी निवेदन किया गया कि शल्य-चिकित्सा करने के पूर्व बेहोशी का इंजेक्शन देने के लिए सक्षम चिकित्सक के बिना शल्य-चिकित्सा किया जाता है और बेहोशी का कोई विशेषज्ञ चिकित्सक नहीं है, यद्यपि, डा. प्रतीक कुलश्रेष्ठ का नाम शल्य-चिकित्सा केन्द्र में उल्लिखित है किन्तु वह वहां उपलब्ध नहीं है और शल्य-चिकित्सा, जो प्रतिदिन किया जा रहा है, एक अपराध है । यद्यपि, एक अल्ट्रा-साउंड मशीन है किन्तु, इस अल्ट्रा-साउंड मशीन को चलाने के लिए कोई विशेषज्ञ नहीं है । डा. मंजू वर्मा के अतिरिक्त नर्सिंग होम में कोई अन्य पैरा-मेडिकल स्टाफ नहीं है । तारीख 9 मई, 2015 को मीरा देवी, पत्नी चन्द्रपाल को भर्ती किया गया था और उसकी शल्य-चिकित्सा की गई थी और 6 बोतल रक्त चढ़ाया गया था और उक्त रक्त, मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम, 1994 के अधीन प्राधिकृत किसी रक्त बैंक से नहीं लिया गया था, जो भी एक अपराध है । अतएव, जिला मजिस्ट्रेट ने ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, एटा को डा. राजीव कुलश्रेष्ठ के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 420, 417, 418, 423 के अधीन तथा मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम, 1994 की धारा 18 के अधीन प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने का निर्देश दिया और उसके नर्सिंग होम को लोक हित में सील करने का भी निर्देश दिया ।

8. जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुसरण में, विरोधी पक्षकार डा. राजीव कुलश्रेष्ठ के विरुद्ध पुलिस थाना, कोतवाली नगर, जिला एटा में भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 420, 417, 418, 423 के अधीन तथा मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम, 1994 की धारा 18 के अधीन एक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट, 2015 की वाद अपराध सं. 782 दर्ज की गई । तारीख 30 मई, 2015 को विरोधी पक्षकार – डा. राजीव कुलश्रेष्ठ ने दांडिक प्रकीर्ण में उक्त प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को चुनौती दी । इस न्यायालय के समक्ष 2015 की रिट याचिका सं. 14015, डा. राजीव कुलश्रेष्ठ **बनाम** उत्तर प्रदेश राज्य और तीन अन्य वाले मामले में तारीख 4 जून, 2015 को एक अन्तरिम आदेश पारित किया गया, यह कथन करते हुए कि डा. राजीव कुलश्रेष्ठ की गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया जाए । तारीख 30 मई, 2015 को पुलिस द्वारा जिला मजिस्ट्रेट, एटा के आदेश के अनुसरण में,

डा. राजीव कुलश्रेष्ठ के नर्सिंग होम को भी सील किया गया था, जिसके विरुद्ध विरोधी पक्षकार ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, एटा के समक्ष एक आवेदन फाइल किया था, जो प्रकीर्ण वाद के रूप में रजिस्ट्रीकृत हुआ था और तारीख 11 जून, 2015 के आदेश द्वारा विरोधी पक्षकार के नर्सिंग होम को खोलने का आदेश दिया गया था और आवेदन सं. 3-ए को मंजूर कर लिया गया था और संबंधित पुलिस अधिकारी को 24 घंटे के भीतर उक्त नर्सिंग होम की सील खोलने का निर्देश दिया गया था ।

9. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित तारीख 11 जून, 2015 के आदेश से व्यथित होकर, राज्य ने सेशन न्यायाधीश, एटा के समक्ष एक दांडिक पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत किया जिसे तारीख 18 जून, 2015 को सेशन न्यायाधीश, एटा द्वारा खारिज कर दिया गया था और यह निर्देश दिया था कि उक्त नर्सिंग होम का सील भी खोला जाए और उसका कब्जा डा. राजीव कुलश्रेष्ठ को सौंपा जाए और डा. राजीव कुलश्रेष्ठ के उक्त कब्जे में हस्तक्षेप करने से किसी भी व्यक्ति को अवरुद्ध किया जाता है और यह भी आदेश किया जाता है कि उक्त आदेश का पालन इसी दिन सायंकाल अपराह्न 5.00 बजे के भीतर होना चाहिए जिसमें असफल रहने पर व्यतिक्रमी के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 345 के अधीन कार्यवाहियां आरम्भ की जाएं और दोषी व्यक्तियों को दंडित करने के लिए भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 175 के अधीन नोटिस भी दिया जाए ।

10. दोनों निचले न्यायालयों अर्थात् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और सेशन न्यायाधीश, एटा द्वारा पारित आदेशों से व्यथित होकर, राज्य ने इन्हें अभिखंडित करने के लिए इस न्यायालय के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के अधीन वर्तमान आवेदन फाइल किया ।

11. आवेदक के विद्वान् अपर महाधिवक्ता श्री इमरान उल्लाह, जिनकी सहायता विद्वान् काउंसेल श्री विमलेन्दू त्रिपाठी द्वारा की गई तथा एकमात्र विरोधी पक्षकार के विद्वान् ज्येष्ठ अधिवक्ता एच. एन. सिंह, जिनकी सहायता श्री नितिनजय पांडे द्वारा की गई, को सुना ।

12. पक्षकारों के बीच प्रति दावे और प्रत्युत्तर शपथपत्रों का आदान-प्रदान किया गया ।

13. राज्य के विद्वान् महाधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि जिला मजिस्ट्रेट, एटा द्वारा पारित तारीख 30 मई, 2015 का आदेश, एक

प्रशासनिक आदेश है और विरोधी पक्षकार द्वारा नर्सिंग होम खोलने और सील हटाने के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष फाइल आवेदन कायम रखे जाने योग्य नहीं है । उन्होंने यह तर्क दिया कि उक्त नर्सिंग होम को लोक हित में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा एक प्रशासनिक आदेश के अधीन सील किया गया था और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को ऐसे आवेदन को ग्रहण करने की अधिकारिता नहीं है । इसके अतिरिक्त, विद्वान् सेशन न्यायाधीश, एटा द्वारा भी राज्य की अपील खारिज करते हुए, तारीख 18 जून, 2015 को एक आदेश पारित किया गया था जिसमें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश को चुनौती दी गई थी । उन्होंने यह तर्क दिया कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और सेशन न्यायाधीश, एटा द्वारा पारित आक्षेपित आदेश बिना अधिकारिता के हैं और इस न्यायालय द्वारा अपास्त किए जाने योग्य हैं क्योंकि तारीख 30 मई, 2015 को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश संहिता के अधीन किसी न्यायिक प्रक्रिया के अधीन पारित नहीं किया गया था ।

14. उन्होंने यह भी निवेदन किया कि जिला मजिस्ट्रेट ने उक्त नर्सिंग होम में कारित कतिपय अनियमितताओं और अवैध क्रियाकलापों के बारे में चन्द्रपाल से शिकायत प्राप्त होने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, एटा की अध्यक्षता में एक जांच करवाई थी और जिला मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर, लोक हित में उक्त नर्सिंग होम के विरुद्ध प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने और उसे सील करने का आदेश पारित किया गया था ।

15. उन्होंने कतिपय प्राइवेट अस्पतालों/नर्सिंग होमों/पालिक्लीनिकों इत्यादि के माध्यम से प्राइवेट चिकित्सा व्यवसाय में लगे चिकित्सकों द्वारा कारित होने वाले अत्यधिक अनियमितताओं और कदाचारों के बारे में संज्ञान लेते हुए, इस न्यायालय के एकल न्यायालय द्वारा पारित एक आदेश और 2002 की सिविल प्रकीर्ण अवमान याचिका सं. 802 में पारित तारीख 28 जनवरी, 2004 के आदेश में नियंत्रण और संतुलन को ध्यान में रखते हुए, जिसमें चिकित्सीय सुविधाओं को देने वाले ऐसे प्राइवेट स्थापनों के रजिस्ट्रीकरण के लिए कतिपय निर्देश जारी किए गए थे, को इंगित किया । रजिस्ट्रीकरण का प्राधिकार संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को न्यस्त किए गए हैं, जहां ऐसे स्थापन स्थित हैं ।

16. तारीख 28 जनवरी, 2004 के उपर्युक्त आदेश को भारतीय चिकित्सा संघ द्वारा 2004 की विशेष अपील सं. 439 में चुनौती दी गई थी जिसे तारीख 29 अप्रैल, 2004 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था ।

उसे पुनः भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा 2004 की विशेष इजाजत याचिका (सिविल) सं. 11452 में चुनौती दी गई जिसे भी माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा तारीख 30 अप्रैल, 2013 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था ।

17. उन्होंने अनर्ह और अरजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायियों द्वारा चिकित्सा व्यवसायों में करने वाले अनियमितताओं और कदाचारों के विरुद्ध फाइल एक लोक हित वाद की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **डी. के. जोशी** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य**[1] वाले मामले में कतिपय निदेश जारी किए गए हैं । उन्होंने यह भी तर्क दिया कि पूर्वोक्त मामले में जारी निर्देश के साथ ही राज्य सरकार में निहित कार्यपालक शक्तियों में यह नितान्त स्पष्ट है कि कार्यपालक प्राधिकारी, चिकित्सीय सुविधाओं को देखने के लिए प्राइवेट स्थापनों में विधिपूर्ण जांच-पड़ताल और निरीक्षण कर सकते हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही कर सकते हैं कि ऐसे प्राइवेट स्थापन अपने क्रियाकलाप, लोक साधारण के हित के विरुद्ध नहीं कर सकते हैं और वे अपेक्षित सुविधाओं, उन्मुक्तियों, अर्ह स्टाफों/तकनीकी सहायकों के बिना चिकित्सीय व्यवसाय नहीं कर सकते हैं ।

18. उन्होंने यह निवेदन किया कि इस न्यायालय के एकल न्यायपीठ द्वारा पारित तारीख 28 जनवरी, 2004 के आदेश के अनुसरण में, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ने भी तारीख 13 फरवरी, 2004 को एक परिपत्र जारी किया, उस तरीके के बारे में जिनमें नर्सिंग होम और प्राइवेट अस्पताल रजिस्ट्रीकृत किए जाएंगे, यह सुनिश्चित करते हुए कि लोगों को अच्छे स्वास्थ्य और सेवाएं प्रदान की जाएं, जिसकी प्रति प्रत्युत्तर शपथपत्र के उपाबंध सं. आर. ए-3 के रूप में उपाबंध किए गए हैं ।

19. अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल श्री इमरान उल्लाह ने **माम्मू** बनाम **केरल राज्य और एक अन्य**[2] वाले मामले में, केरल उच्च न्यायालय के पूर्ण न्यायपीठ द्वारा दिए गए निर्णय का भी अवलंब लिया, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां प्रशासनिक हैं न कि न्यायिक प्रकृति की हैं और सेशन न्यायाधीश के समक्ष उक्त आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण कायम रखे जाने

---

[1] (2000) 5 एस. सी. सी. 80.

[2] ए. आई. आर. 1980 केरल 18.

योग्य नहीं हैं । दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 3(4) या 7 के अधीन कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए कार्य आवश्यक रूप से कार्यपालक प्रकृति के ही नहीं होते हैं । उनमें संहिता के अधीन न्यायिक कार्य भी निहित होते हैं । संहिता के अधीन उसके कार्य कार्यपालक, प्रशासनिक या न्यायिक हो सकते हैं । किन्तु, जब दंड प्रक्रिया संहिता, के अलावा किसी अन्य विधि के अधीन वे कार्य करते हैं तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट मात्र कार्यपालक या प्रशासनिक कार्य ही कर सकते हैं ।

20. मद्रास उच्च न्यायालय ने **सुब्रमणियम** बनाम **पुलिस आयुक्त**[1] वाले मामले में निर्णय के पैरा 7 में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है :–

> "एक दंड न्यायालय गठित करने के लिए यह पर्याप्त नहीं है कि यह दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 6 में उल्लिखित न्यायालयों में से एक हो । इसे दंड न्यायालय के रूप में कार्य करना चाहिए । मजिस्ट्रेट अपनी कार्यपालक या प्रशासनिक क्षमता अथवा कुछ अन्य विधियों द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों के अधीन कार्य कर सकता है । ये कार्यवाहियां एक न्यायालय की नहीं होती हैं और वे पुनरीक्षण योग्य नहीं होती हैं । मजिस्ट्रेट को एक न्यायालय के रूप में कार्य करना चाहिए और उसकी कार्यवाहियां, न्यायिक कार्यवाहियां होने के नाते पुनरीक्षण किए जाने की ईप्सा होती है । संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट न्यायिक कार्य के साथ ही अपनी प्रशासनिक क्षमता के अधीन कार्य करने के लिए सशक्त होता है । वे आदेश, जो न्यायिक कार्यवाहियों में पारित किए जाते हैं, उनका पुनरीक्षण किया जा सकता है यदि वे दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 4(ड) के अधीन परिभाषित 'न्यायिक कार्यवाहियों' के अधीन आते हैं, क्योंकि इसमें ऐसी कोई भी कार्यवाही सम्मिलित होती है जिसके दौरान साक्ष्य लिया जाता है या शपथ पर विधिमान्य तौर पर लिया जाता है । यह परिभाषा अनन्य है । 'न्यायिक कार्यवाहियों' के अधीन न्यायालय के कार्य न्यायिक तौर पर पारित किए जाते हैं जो पक्षकारों की सुनवाई करने के पश्चात् पारित होते हैं और जिसमें पक्षकारों के अधिकार प्रभावित होना सम्मिलित होता है ।"

21. इस संविवाद पर विचार करते हुए, माननीय उच्चतम न्यायालय ने **दरगाह समिति अजमेर** बनाम **राजस्थान राज्य**[2] वाले मामले में, निर्णय के

---

[1] ए. आई. आर. 1964 मद्रास 185.

[2] ए. आई. आर. 1962 एस. सी. 574.

पैरा 6 में निम्नलिखित मत व्यक्त किया है :–

> "किसी भी दशा में, यह अभिनिर्धारित करना कठिन है कि मजिस्ट्रेट जो अवर दंड न्यायालय में आवेदन ग्रहण करता है, जिसमें कर की वसूली के लिए उसके समक्ष दावा किया जाता है और व्यतिक्रमी के अचल संपत्ति की कुर्की और विक्रय द्वारा कर वसूली के लिए प्रार्थना में आदेश दिया जाता है । यद्यपि, यह सभी प्रकार से सिविल प्रकृति की कार्यवाहियों में बेहतर होता न कि दांडिक कार्यवाहियों में । हमारा विचार यह है कि कार्यवाहियों की प्रकृति जो भी हो, चाहे यह शुद्धतः मंत्रीपदीय या न्यायिक या कल्प-न्यायिक हो, मजिस्ट्रेट जो आवेदन ग्रहण करता है और जांच करने का आदेश देता है, क्योंकि वह उस एवज में पद नामित होता है और इसलिए, उसे पद नामित व्यक्ति के रूप में समझा जाना चाहिए और न कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन अपने प्राधिकार में मजिस्ट्रेट के रूप में कृत्य और कार्य करते हुए समझा जाना चाहिए । इसलिए, उसे अवर दंड न्यायालय के रूप में नहीं समझा जा सकता है । ऐसा मत उच्च न्यायालय द्वारा अपनाया गया है और हम इससे भिन्न मत अपनाने का कोई कारण नहीं पाते हैं ।"

22. इस प्रकार, उन्होंने यह निवेदन किया कि दोनों निचले न्यायालयों द्वारा पारित आक्षेपित आदेश अवैध और बिना अधिकारिता के हैं और इस न्यायालय द्वारा अभिखंडित किए जाने योग्य हैं ।

23. एकमात्र विरोधी पक्षकार के विद्वान् ज्येष्ठ अधिवक्ता श्री एच. एन. सिंह ने विद्वान् अपर महाधिवक्ता के तर्कों का जोरदार विरोध किया और यह निवेदन किया कि विरोधी पक्षकार डा. राजीव कुलश्रेष्ठ, एटा में लम्बे समय से शल्य-चिकित्सा से संबंधित व्यवसाय कर रहे हैं और गांधी मार्किट, एटा में एक नर्सिंग होम चला रहे हैं, जहां उनकी पत्नी भी स्त्री रोग विशेषज्ञ के रूप में कार्य कर रही थी । डा. राजीव कुलश्रेष्ठ ने वर्ष 1998 में सरकारी चिकित्सा सेवा से त्यागपत्र दे दिया था और एटा के लोगों के लिए स्वयं अपना व्यवसाय आरम्भ किया था जहां वे दुरुह शल्य-चिकित्सा और स्त्री रोग विशेषज्ञ की सेवाएं पूर्व में दे रहे थे और उन्होंने अपनी सेवाएं देते हुए एटा के लोगों से अपार स्नेह और प्रेम प्राप्त कर लिया था । जिला प्रशासन ने भी डा. कुलश्रेष्ठ को कतिपय उच्च जिला अधिकारियों और उनके कुटुम्ब सदस्यों की शल्य-चिकित्सा करने पर भी प्रोत्साहित किया और उनकी सेवाओं के लिए आदर किया जिससे उनमें

गहरा भरोसा और विश्वास दर्शित होता है ।

24. उन्होंने यह निवेदन किया कि तारीख 5 मई, 2015 को एक मरीज मीरा देवी, पत्नी चन्द्रपाल, निवासी ग्राम बरथार, एटा से गंभीर दशा में कुछ व्यक्तियों द्वारा उसके क्लीनिक में लाया गया । उसकी पत्नी डा. मंजू वर्मा ने उसकी परीक्षा की और यह पाया कि पिछले कई दिनों से उसके गुप्तांग से रक्त निकल रहा है । व्यक्ति, जिन्होंने मरीज को लाया था, उसे यह सूचना दी कि उसे जिला अस्पताल ले जाया गया था और कतिपय अन्य चिकित्सकों को भी दिखाया गया था किन्तु उन्होंने उसे उच्च चिकित्सा केन्द्र में ले जाने की सलाह दी थी । डा. कुलश्रेष्ठ और उसकी पत्नी ने भी उसकी खराब दशा को देखते हुए मरीज को रेफर करने का विनिश्चय किया किन्तु वह इस दशा में जाने की स्थिति में नहीं थी और यदि वे उसे रेफर करते तो रास्ते में ही उसके बचने की संभावना नहीं रह जाती और सम्पूर्ण विचार-विमर्श करने के पश्चात् उन्होंने स्वयं मरीज का जीवन बचाने का विनिश्चय किया और रक्त परीक्षा करने के पश्चात् यह पाया था कि मरीज का एच. बी. लगभग 4 ग्राम प्रतिशत था और वह तत्काल किसी शल्य-चिकित्सा करने के योग्य नहीं थी । इसके पश्चात्, उसे समुचित तौर पर पुनर्जीवित किया गया और तारीख 10 मई, 2015 को सफलतापूर्वक उसकी शल्य-चिकित्सा की गई और वह तीन दिनों तक गंभीर दशा में बनी रही और उसके पश्चात् वह बेहतर महसूस करने लगी थी ।

25. उसने यह इंगित किया कि उसे तारीख 17 मई, 2015 को नर्सिंग होम से छुट्टी दे दी गई थी । एक स्थानीय एम. एल. सी. श्री रमेश यादव ने एक व्यक्ति को उसके पास भेजा जिसने चिकित्सक को सम्पूर्ण शल्य-चिकित्सा शुल्क और अन्य नर्सिंग होम प्रभारों को छोड़ने पर जोर दिया और अगले दिन तारीख 18 मई, 2015 को उसने पुनः उसी व्यक्ति को चिकित्सक को धमकाने के लिए भेजा कि यदि वह मरीज से कोई धन प्रभारित करेगा तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे ।

26. इस प्रकार, पक्षकारों के बीच विवाद उद्भूत हुआ । जिला मजिस्ट्रेट, एटा ने भी इस एम. एल. सी. के प्रभाव में आते हुए, तारीख 18 मई, 2015 को कुछ व्यक्तियों को भेजा और तथाकथित फोटोग्राफर-पत्रकारों ने क्लीनिक में न्यूसेंस कारित किया । विरोधी पक्षकार पर जिला मजिस्ट्रेट और अन्य राजनैतिक व्यक्तियों द्वारा इतना अधिक दबाव डाला गया कि डा. कुलश्रेष्ठ ने अपना शुल्क इत्यादि का उद्ग्रहण किए बिना

मरीज को नर्सिंग होम से छुट्टी दे दी । इन सब के बावजूद, जिला मजिस्ट्रेट, एटा ने डा. राजीव कुलश्रेष्ठ की ख्याति को हानि पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग किया । उसने यह निवेदन किया कि जिला मजिस्ट्रेट, एटा, सुश्री निधि केसरवानी, जो शासित दल की एम. एल. सी. के प्रभाव में थी, की प्रेरणा पर विरोधी पक्षकार की ख्याति और उसके नर्सिंग होम को बदनाम करने के लिए पिछली तारीखों में मिथ्या शिकायत दर्ज कराई गई और उन्होंने उनके विरुद्ध अवैध तौर पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई और उसके नर्सिंग होम को सील कर दिया ।

27. तंग और अत्याचार करने के बारे में, जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा कारित की गई थी, अपीलार्थी ने तारीख 20 मई, 2015 को माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश और अन्य उच्चतर प्राधिकारियों के पास एक शिकायतपत्र भेजा और मानव अधिकार आयोग द्वारा भी विरोधी पक्षकार की शिकायत ग्रहण की गई और एक जांच भी गठित की गई जो तारीख 28 अगस्त, 2015 के पत्र से प्रकट होता है और जांच अधिकारी, प्रभागीय आयुक्त, अलीगढ़ बनाए गए थे और तारीख 1 सितम्बर, 2015 को प्रभागीय आयुक्त द्वारा डा. राजीव कुलश्रेष्ठ के कथन पहले ही अभिलिखित कर लिए गए थे ।

28. श्री एच. एन. सिंह ने यह भी तर्क दिया कि वर्तमान मामले में दर्ज प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को इस न्यायालय के समक्ष आवेदक द्वारा चुनौती दी गई थी जिसमें उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई थी और उन अभिकथनों जो सम्पूर्णतः मिथ्या, तुच्छ और आधारहीन तौर पर किए गए थे और उक्त परिवाद, आवेदक द्वारा माननीय मुख्यमंत्री और उच्च प्राधिकारियों को भेजे गए तारीख 20 मई, 2015 की शिकायत के पूर्व दिनांकित थे ।

29. उन्होंने यह निवेदन किया कि स्वयं प्रथम इत्तिला के अनुसार, भी मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम, 1994 की धारा 18 के अधीन कोई अपराध नहीं किया है जो विरोधी पक्षकार डा. राजीव कुलश्रेष्ठ के विरुद्ध अभिकथित किए गए हैं और रक्त आधान के अभिकथन अपराध नहीं हैं जो प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में अभिकथित किए गए हैं । उन्होंने यह निवेदन किया कि पुलिस द्वारा तैयार अभिग्रहण ज्ञापन, मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा विरोधी पक्षकार के विरुद्ध रजिस्ट्रीकृत प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के अनुसरण में थी जिसे तारीख 30 मई, 2015 के सी. ए-1 के रूप में उपाबंध किया गया है ।

30. उन्होंने यह तर्क दिया कि आवेदक की यह दलील कि विरोधी पक्षकार का नर्सिंग होम, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित प्रशासनिक आदेश के अधीन सील किया गया था, में कोई सार नहीं है क्योंकि उक्त आदेश के अनुसरण में, डा. राजीव कुलश्रेष्ठ के विरुद्ध प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई थी और उक्त प्रथम इत्तिला रिपोर्ट जो दर्ज की गई थी, के अनुसरण में नर्सिंग होम सील किया गया था और आवेदक ने नर्सिंग होम की सील खुलवाने के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, एटा के समक्ष एक आवेदन फाइल किया था जिसे मंजूर कर लिया गया था और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 457 को ध्यान में रखते हुए नर्सिंग होम की सील खोलने का निर्देश दिया था ।

31. इसके अतिरिक्त, राज्य ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश से व्यथित होकर इसे पुनरीक्षण के माध्यम से सेशन न्यायाधीश, एटा के समक्ष चुनौती दी थी जिसे खारिज कर दिया गया था और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश को निचले पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा कायम रखा गया था । अतएव, यह कहना कि निचले न्यायालयों ने विरोधी पक्षकार द्वारा नर्सिंग होम की सील खोलने के लिए किए गए आवेदन को ग्रहण करने में त्रुटि कारित की थी, पूर्णतया निराधार है । यह निवेदन किया कि निर्णयज विधि, जिसे आवेदक द्वारा उद्धृत किया गया है, वर्तमान मामले के तथ्यों से विभेदनीय है और यह निवेदन किया कि उसी वर्तमान आवेदन को ध्यान में रखते हुए, यह गुणागुण रहित है और खारिज किए जाने योग्य है । उन्होंने यह भी इंगित किया कि जिला मजिस्ट्रेट, एटा सुश्री निधि केसरवानी जानबूझकर घटना के पश्चात् तारीख 30 मई, 2015 को छुट्टी पर चली गई थीं और कार्यकारी जिला मजिस्ट्रेट, जो सी. डी. ओ. हैं, ने उक्त आदेश पारित किया था, यह दर्शित करते हुए कि जिला मजिस्ट्रेट घटना के पश्चात् स्वयं अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने से बचा नहीं सकती थीं ।

32. पक्षकारों के विद्वान् काउंसेल द्वारा दिए गए निवेदनों पर विचार किया और अभिलेखों का परिशीलन किया ।

33. अभिलेखों से यह प्रतीत होता है कि श्रीमती मीरा देवी, पत्नी चन्द्र पाल, विरोधी पक्षकार के उक्त नर्सिंग होम में भर्ती हुई थीं, जिसे गंभीर दशा में लाया गया था और उन्होंने उसके जीवन को बचाया था और उसके पति ने जिला एटा के कुछ राजनैतिक व्यक्तियों जिन्होंने राजीव कुलश्रेष्ठ पर श्रीमती मीरा देवी के उपचार के लिए प्रभार नहीं लेने का दबाव डाला था, के जोर देने पर नर्सिंग होम के खर्चे का संदाय करने में

स्वयं को असमर्थ बताया था और जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उसने उनके जीवन के बारे में गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी और शासक दल के स्थानीय राजनैतिक व्यक्तियों के हस्तक्षेप करने पर चिकित्सक ने उससे कोई प्रभार लिए बिना अपने नर्सिंग होम से उक्त मरीज को उन्मुक्त कर दिया था ।

34. एकमात्र विरोधी पक्षकार ही विधिमान्य अनुज्ञप्ति के अधीन "एटा सर्जिकल सेन्टर" के नाम और रीति में अपना नर्सिंग होम चला रहा था जिसे मुख्य चिकित्सा अधिकारी, एटा द्वारा तारीख 4 जून, 2016 तक नवीकरण किया गया था और इस नवीकरण के ठीक पश्चात् ही उक्त घटना घटित होनी प्रतीत होती है और इसके पूर्व किसी भी व्यक्ति द्वारा उक्त नर्सिंग होम की किसी अनियमितता या अव्यवहारिकता के बारे में कोई शिकायत नहीं की गई थी जिससे यह दर्शित होता है कि कुछ राजनैतिक प्रभाव विरोधी पक्षकार पर डाला गया था कि वह मरीज से शुल्क प्रभारित नहीं करे और जिला प्रशासन की दुरभिसंधि में राजनैतिक दबाव के कारण चिकित्सक ने उपचार के लिए कोई शुल्क प्रभारित किए बिना मरीज को उन्मुक्त कर दिया था । जहां तक जिला मजिस्ट्रेट के तारीख 30 मई, 2015 के आदेशों के अधीन नर्सिंग होम को सील करने का संबंध है, जिसके अनुसरण में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट भी दर्ज की गई थी और विरोधी पक्षकार द्वारा सील खोलने के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, एटा के समक्ष एक आवेदन फाइल किया गया था, इस आधार पर कि उक्त आवेदन, जिला मजिस्ट्रेट के प्रशासनिक आदेश के विरुद्ध कायम रखे जाने योग्य नहीं था, में कुछ सार प्रतीत होता है, क्योंकि आवेदक ने वर्तमान मामले की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को चुनौती दी थी जिसे जिला मजिस्ट्रेट के आदेशों के अधीन दर्ज किया गया था किन्तु उसने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को चुनौती देते हुए, इस न्यायालय के समक्ष उसके द्वारा फाइल रिट याचिका में उक्त नर्सिंग होम की सील खोलने के लिए कोई प्रार्थना नहीं की गई थी और उसकी और मात्र उसकी गिरफ्तारी पर ही रोक लगाई गई थी ।

35. यह भी प्रतीत होता है कि कुछ राजनैतिक व्यक्तियों की दुरभिसंधि में जिला प्रशासन की ओर से कुछ बाह्य कार्य और उच्च अनियमितताएं बरती गई थीं साथ ही विरोधी पक्षकार की ओर से भी कुछ बाह्य कार्य और उच्च अनियमितताएं बरती गई थीं जिसने अपने नर्सिंग होम की सील खुलवाने के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, एटा के समक्ष एक आवेदन भी फाइल किया था, जो कायम रखे जाने योग्य नहीं था और

जिसे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा मंजूर कर लिया गया था और निचले पुनरीक्षण न्यायालय ने भी राज्य के पुनरीक्षण आवेदन को खारिज कर दिया था जो विधि की दृष्टि में कायम नहीं रखे जा सकते थे, क्योंकि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित यह न्यायिक आदेश नहीं था । विरोधी पक्षकार के विद्वान् काउंसेल का यह तर्क कि उक्त आदेश, मजिस्ट्रेट द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 457 के अधीन पारित किया गया था, न ही यह विरोधी पक्षकार डा. राजीव कुलश्रेष्ठ के आवेदन से सही प्रतीत नहीं होता है अथवा न ही मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश से यह प्रतीत होता है कि तारीख 18 जून, 2015 का आदेश दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के किन्हीं उपबंधों के अधीन पारित किया गया था । इसके अतिरिक्त, विद्वान् निचले पुनरीक्षण न्यायालय ने भी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश के विरुद्ध फाइल राज्य के पुनरीक्षण आवेदन को तकनीकी तौर पर खारिज कर दिया था और इससे यह भी प्रतीत होता है कि दोनों निचले न्यायालयों ने आक्षेपित आदेशों को पारित करने में अपनी अधिकारिता से बाहर कार्य किया है । जिला मजिस्ट्रेट द्वारा लोक हित में उक्त नर्सिंग होम को सील करने का आदेश, एक प्रशासनिक आदेश था क्योंकि तारीख 28 जनवरी, 2008 की अवमान याचिका में इस न्यायालय के एकल न्यायपीठ द्वारा एक आदेश पारित किया गया था जिसके अनुसरण में राज्य सरकार ने नर्सिंग होमों और प्राइवेट अस्पतालों के कार्यों को विनियमित करने के लिए एक परिपत्र भी जारी किया था ।

36. यद्यपि, जिला मजिस्ट्रेट, एटा द्वारा पारित तारीख 30 मई, 2015 का आदेश कुछ राजनैतिक दबाव और अपनी शक्तियों के दुरुपयोग में पारित किया गया प्रतीत होता है किन्तु, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, एटा द्वारा विरोधी पक्षकार का आवेदन ग्रहण करने और नर्सिंग होम की सील खोलने, जिसे जिला मजिस्ट्रेट, एटा द्वारा तारीख 30 मई, 2015 के प्रशासनिक आदेश के अनुसरण में सील किया गया था, का आदेश किसी भी प्रकार से न्यायानुमत नहीं था, जिसके लिए विरोधी पक्षकार को समुचित उपचार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, एटा के समक्ष आवेदन फाइल करने के अलावा विधि के अधीन उसे उपलब्ध था, अतएव, तद्द्वारा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, एटा और सेशन न्यायाधीश, एटा द्वारा पारित उक्त आदेश अभिखंडित किए जाते हैं, किन्तु दुर्भावना जो राजनैतिक प्रभाव के अधीन जिला मजिस्ट्रेट, एटा द्वारा उसके नर्सिंग होम को सील करने में विरोधी

पक्षकार द्वारा अभिकथित किया गया है, को ध्यान में रखते हुए, उसे उसके नर्सिंग होम को सील करने के लिए तारीख 30 मई, 2015 को जिला मजिस्ट्रेट, एटा द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध समुचित विधिक उपचार प्राप्त करने के लिए एक माह का समय मंजूर किया जाता है ।

37. आज से एक माह की अवधि के लिए, जिला मजिस्ट्रेट, एटा और उसके अधिकारियों को विरोधी पक्षकार डा. राजीव कुलश्रेष्ठ के नर्सिंग होम को शांतिपूर्ण तरीके से चलाने में हस्तक्षेप करने से अवरुद्ध किया जाता है ।

38. पूर्वोक्त मताभिव्यक्तियों के साथ, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के अधीन आवेदन को निपटाया जाता है ।

तद्नुसार, आवेदन मंजूर किया गया ।

क.

(2016) 2 दा. नि. प. 171 **केरल**

रवीन्द्रन नायर

बनाम

केरल राज्य

तारीख 15 जनवरी, 2015

न्यायमूर्ति के. टी. शंकरन और न्यायमूर्ति बाबू मैथ्यू पी. जोसेफ

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 300 – हत्या – जहां अभियुक्त पति द्वारा साशय और जानकारी से अपनी पत्नी पर गंडासे से घातक क्षतियां पहुंचाए जाने पर उसकी मृत्यु हो गई हो और उसकी पुत्री तथा अन्य प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के साक्ष्य से यह सिद्ध होता हो कि अभियुक्त ने हत्या कारित की, वहां अभियुक्त को हत्या के अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जाना उचित और युक्तिसंगत है ।

अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार है कि तारीख 19 दिसंबर, 2007 को 2.00 बजे अपराह्न में अपीलार्थी/अभियुक्त ने अपनी पत्नी राधामणि को साशय और जानते हुए गंडासे से क्षति कारित की और आहत की अस्पताल जाते समय रास्ते में ही इन क्षतियों के कारण मृत्यु हो गई और एतद्द्वारा अपीलार्थी ने दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध कारित किया ।

अभियुक्त, मृतका और उसकी दो पुत्रियां तथा अभियुक्त का पिता सभी एक साथ थन्नितोडू ग्राम में स्थित अभियुक्त के मकान में रहते थे । अभियुक्त रबड़ बनाने का काम करता है । वह जॉर्ज नाम के एक व्यक्ति के पेड़ों से रबड़ निकालता था । जॉर्ज भी अभियुक्त का पड़ोसी है । अभियोजन पक्षकथन के अनुसार, अभियुक्त को अपनी पत्नी राधामणि के चरित्र पर संदेह था और उसे यह विश्वास था कि किसी व्यक्ति के साथ उसके अवैध संबंध हैं । अभियुक्त और उसकी पत्नी के बीच प्रायः लड़ाई होती थी । तारीख 19 दिसंबर, 2007 को अभियुक्त ने मृतका पर धारदार वस्तु से वार किया । पहली बार हमला किए जाने में उसके चेहरे पर क्षतियां पहुंची और वह नीचे बैठ गई । उस समय अभियुक्त ने उसकी गर्दन पर पीछे से वार किया । इस घटना को पड़ोसियों ने देखा था । अभियुक्त ने पड़ोसियों को धमकाया कि कोई भी व्यक्ति अभियुक्त के निकट न आए अन्यथा वह उसकी भी हत्या कर देगा । आहत को अस्पताल के लिए रवाना किया गया और अस्पताल जाते समय रास्ते में ही आहत की मृत्यु हो गई । हरि ने, जो अभियुक्त का पड़ोसी है और समाज सेवक है पुलिस को सूचित किया और अपना कथन अभिलिखित कराया जिसके आधार पर पुलिस उपनिरीक्षक ने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की । इस मामले का अन्वेषण पुलिस सर्कल निरीक्षक द्वारा किया गया । अन्वेषण अधिकारी ने मृत्यु समीक्षा की और इस संबंध में मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तैयार की । मृतका के शव का शवपरीक्षण जिला पुलिस शल्य-चिकित्सक द्वारा कराया गया जिसने शवपरीक्षण प्रमाणपत्र जारी किया । तथ्यों और साक्षियों की परीक्षा करने के पश्चात् सेशन न्यायाधीश ने अभियुक्त को दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया । सेशन न्यायालय के दंडादेश के विरुद्ध अभियुक्त ने उच्च न्यायालय में अपील की । उच्च न्यायालय द्वारा अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – इस मामले में के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी अभि. सा. 2 और अभि. सा. 3 तथा अभि. सा. 4, अभि. सा. 5, अभि. सा. 6 एवं अभि. सा. 8 के साक्ष्य की सावधानीपूर्वक संवीक्षा करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि इस मामले में ऐसा प्रत्यक्ष साक्ष्य है जिससे यह दर्शित होता है कि अभियुक्त ने तारीख 19 दिसंबर, 2007 को 2.00 बजे अपराह्न में अपने मकान के आंगन में गंडासे से मृतका को घातक क्षतियां पहुंचाई हैं । इस मामले में के प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के साक्ष्य को अविश्वसनीय ठहराने का कोई कारण दिखाई नहीं देता है । अभि. सा. 5, अभि. सा. 6 और अभि. सा. 8 के साक्ष्य से यह दर्शित होता है कि अभियुक्त ने अपनी पत्नी राधामणि को जान से मारने की धमकी दी थी । अभियुक्त और मृतका के बीच प्रायः

लड़ाई-झगड़ा होता था । साक्ष्य से यह प्रकट होता है कि मृतका अपने पति के घर पर जो जीवन व्यतीत कर रही थी वह अधिक सुखमय नहीं था । मृतका अपने मायके भी गई थी किंतु उसके भाइयों ने उसे समझा-बुझाकर वापस उसके पति के घर भेज दिया था । दोनों के बीच स्थिति में कोई अधिक सुधार नहीं आया और साक्षियों के साक्ष्य से यह प्रकट होता है कि अभियुक्त मृतका को पुनः तंग करने लगा था । अभि. सा. 2 और अभि. सा. 3 को अभियुक्त द्वारा जो सुझाव दिए गए हैं वे पूर्णतया भिन्न हैं । अभि. सा. 2 को दिए गए सुझाव से यह प्रकट होता है कि मृतका और जॉर्ज के बीच कोई भी अवैध संबंध नहीं थे जबकि अभि. सा. 3 को दिए गए सुझाव से यह दर्शित होता है कि मृतका जॉर्ज द्वारा डाले गए दबाव से विवश होकर समर्पण कर चुकी थी । दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के अधीन अभियुक्त ने यह कथन किया है कि घटना के दिन लगभग 2.00 बजे अपराह्न में वह अपने घर आया और जब वह अपने मकान में घुसने ही वाला था, जॉर्ज उसके मकान से बाहर निकल कर गया था । जब उसने मकान में प्रवेश किया तब उसने अपनी पत्नी को खून से लथपथ पाया । अभियुक्त चिल्लाया और पड़ोसी वहां पहुंचे । आहत राधामणि को अभियुक्त द्वारा अस्पताल ले जाया गया । जब अभियुक्त अस्पताल में था, पुलिस ने तभी उसे गिरफ्तार कर लिया । अभियुक्त ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन दिए गए कथन तथा अभि. सा. 2 और अभि. सा. 3 को दिए गए इस सुझाव की बुनियाद पर अभियुक्त ने यह पक्षकथन रखा कि मृतका की हत्या जॉर्ज द्वारा की गई है । इस पक्षकथन के विरोध में अभियोजन पक्ष ने दो प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के साक्ष्य का अवलंब लिया और ये दोनों प्रत्यक्षदर्शी साक्षी अभियुक्त के पड़ोसी हैं । अभि. सा. 3 अभियुक्त की भाभी है । ऐसा कोई भी सुझाव नहीं दिया गया है कि अभि. सा. 2 और अभि. सा. 3 ने अभियुक्त के विरुद्ध यह अभिसाक्ष्य दुश्मनी के कारण या अन्य किसी विशेष आशय से दिया है । अभि. सा. 2 और अभि. सा. 3 नैसर्गिक साक्षी हैं । अभि. सा. 5 और अभि. सा. 6 के साक्ष्य से यह प्रकट होता है कि यह घटना मृतका के वैवाहिक गृह पर घटित हुई है । अभि. सा. 6 ने यह भी कथन किया है कि अभियुक्त राधामणि को जान से मारने की धमकी दिया करता था । अभि. सा. 5 और अभि. सा. 6 के साक्ष्य को अविश्वसनीय ठहराने का कोई कारण दिखाई नहीं देता है । अभि. सा. 8 और नहीं अपितु अभियुक्त की अपनी पुत्री है । इस साक्षी ने भी अभियुक्त और मृतका के बीच होने वाले झगड़े तथा अभियुक्त द्वारा मृतका के चरित्र पर संदेह किए जाने के संबंध में साक्ष्य दिया है । अभि. सा. 8 के साक्ष्य से यह भी प्रकट होता है कि

अभियुक्त और मृतका के बीच झगड़ा शांत कराया गया था और मृतका को अभियुक्त के मकान पर वापस भेजा गया था । अभि. सा. 8 ने विशेष रूप से यह कथन किया है कि उसका पिता अर्थात् अभियुक्त उसकी माता राधामणि की हत्या करने की धमकी दिया करता था । अभियुक्त की पुत्री द्वारा अभियुक्त के प्रति मिथ्या अभिकथन किए जाने का कोई भी कारण दिखाई नहीं देता है । अभि. सा. 8, "अभि. सा. 2 और अभि. सा. 3 या मृतका" के किसी नातेदार के साथ नहीं रहती है । अभि. सा. 8 मठाअमृतनंदामयी के आश्रम में रहती है । यह विश्वास नहीं किया जा सकता है कि इस साक्षी को सिखाया-पढ़ाया गया है । निचले न्यायालय ने अभियोजन पक्षकथन पर ठीक ही विश्वास किया है और अभियुक्त को दोषी पाया है । हमारा यह मत है कि निचले न्यायालय ने उक्त निष्कर्ष ठीक ही निकाला है । इस मामले में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है । (पैरा 13, 14 और 15)

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2010 की दांडिक अपील संख्या 1120.

2009 के सेशन विचारण मामला सं. 254 में सेशन न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से श्री बिन्दु श्रीकुमार

प्रत्यर्थियों की ओर से श्रीमती प्रेसी जोसेफ (लोक अभियोजक)

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति के. टी. शंकरन ने दिया ।

न्या. शंकरन – अपीलार्थी ने 2009 के सेशन विचारण मामला सं. 254 में सेशन न्यायालय, पटनमठिट्टा द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860 (जिसे संक्षेप में "दंड संहिता" कहा गया है) की धारा 302 के अधीन अपने विरुद्ध की गई दोषसिद्धि और दंडादेश को चुनौती दी है । अपीलार्थी को आजीवन कारावास भोगने तथा 10,000/- रुपए जुर्माने का संदाय करने जिसका व्यतिक्रम किए जाने पर एक वर्ष का साधारण कारावास भोगने का दंडादेश दिया गया ।

2. अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार है कि तारीख 19 दिसंबर, 2007 को 2.00 बजे अपराह्न में अपीलार्थी/अभियुक्त ने अपनी पत्नी राधामणि को साशय और जानते हुए गंडासे (तात्विक वस्तु-1) से क्षति कारित की और आहत की अस्पताल जाते समय रास्ते में ही इन क्षतियों के कारण मृत्यु हो

गई और एतद्द्वारा अपीलार्थी ने दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध कारित किया ।

3. अभियुक्त, मृतका और उसकी दो पुत्रियां तथा अभियुक्त का पिता सभी एक साथ थन्नितोडू ग्राम में स्थित अभियुक्त के मकान में रहते थे । अभियुक्त रबड़ बनाने का काम करता है । वह जॉर्ज नाम के एक व्यक्ति के पेड़ों से रबड़ निकालता था । जॉर्ज भी अभियुक्त का पड़ोसी है ।

4. अभियोजन पक्षकथन के अनुसार, अभियुक्त को अपनी पत्नी राधामणि के चरित्र पर संदेह था और उसे यह विश्वास था कि किसी व्यक्ति के साथ उसके अवैध संबंध हैं । अभियुक्त और उसकी पत्नी के बीच प्रायः लड़ाई होती थी । तारीख 19 दिसंबर, 2007 को अभियुक्त ने मृतका पर धारदार वस्तु से वार किया । पहली बार हमला किए जाने में उसके चेहरे पर क्षतियां पहुंची और वह नीचे बैठ गई । उस समय अभियुक्त ने उसकी गर्दन पर पीछे से वार किया । इस घटना को पड़ोसियों ने देखा था । अभियुक्त ने पड़ोसियों को धमकाया कि कोई भी व्यक्ति अभियुक्त के निकट न आए अन्यथा वह उसकी भी हत्या कर देगा । आहत को अस्पताल के लिए रवाना किया गया और अस्पताल जाते समय रास्ते में ही आहत की मृत्यु हो गई । हरि (अभि. सा. 1) ने, जो अभियुक्त का पड़ोसी है और समाज सेवक है पुलिस को सूचित किया और अपना कथन (प्रदर्श पी-1) अभिलिखित कराया जिसके आधार पर पुलिस उपनिरीक्षक ने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श पी-1/ए) दर्ज की । इस मामले का अन्वेषण पुलिस सर्कल निरीक्षक द्वारा किया गया । अन्वेषण अधिकारी ने मृत्यु समीक्षा की और इस संबंध में मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट (प्रदर्श पी-3) तैयार की । मृतका के शव का शवपरीक्षण जिला पुलिस शल्य-चिकित्सक (अभि. सा. 7) द्वारा कराया गया जिसने शवपरीक्षण प्रमाणपत्र (प्रदर्श पी-2) जारी किया । शवपरीक्षण प्रमाणपत्र के अनुसार मृत्यु पूर्व की निम्न क्षतियां पाई गईं :–

> "**मरणोत्तर पूर्व की क्षतियां**
>
> (1) गहरा छिन्न घाव (काटकर कारित किया गया घाव) गर्दन के पीछे 11 सें.मी. × 3 सें.मी. माप का घाव जिसकी गहराई 4.5 सें.मी. है । इस घाव में मांस-पेशियां, वाहिनियां और तंत्रिकाएं गर्दन के पीछे कटी हुई हैं । गर्दन की छठी और सातवीं कशेरुक के बीच से कशेरुक दंड कटी हुई है । इस घाव में कशेरुक दंड का पत्रदल कटा हुआ है और मेरुरज्जु भी कटी हुई है । मेरुरज्जु के घाव की माप 1 सें.मी. × 0.2 सें.मी. है तथा उसकी गहराई 0.5 सें.मी. है ।

(2) गर्दन के दाईं ओर गहरा छिन्न घाव है जिसकी माप 3.5 सें.मी. × 1.0 सें.मी. है तथा गहराई 2 सें.मी. है जो बाहरी मध्यरेखा से 8 सें.मी. की दूरी पर है । हंसुली के ठीक ऊपर है । गर्दन की ऊपरी शिराओं में कटी हुई .... क्षतियां हैं और हंसुली के मध्य में भी क्षतियां हैं । हंसुली आंशिक रूप से कटी हुई है जिसकी गहराई 0.8 सें.मी. है ।

(3) दाईं ऊपरी बाहु में रेखीय उपरिष्ठ छिन्न घाव है जिसकी लंबाई 5 सें.मी. जो कंधे की चोटी से 12 सें.मी. की दूरी पर है ।

(4) दाईं कोहनी के भीतर की ओर उपरिष्ठ छिन्न घाव है जिसकी माप 6 सें.मी. × 1.8 सें.मी. है और गहराई 0.5 सें.मी. है ।

(5) ऊपरी ओष्ठ के दाईं ओर 2.5 सें.मी. × 0.5 सें.मी. माप का छिन्न घाव जिसकी गहराई 2 सें.मी. है और दिशा उर्ध्वाधर है । ऊपरी जबड़े का मसूड़ा कटा हुआ है किंतु दांत अक्षत पाए गए ।

(6) दाएं अग्रबाहु पर 6 सें.मी. × 0.2 सें.मी. माप का उपरिष्ठ छिन्न घाव है जिसकी गहराई 0.3 सें.मी. और स्थिति कलाई के निकट है ।

(7) दाईं हथेली में मध्यिका के आधार के निकट 3 सें.मी. × 0.5 सें.मी. माप का छिन्न घाव जिसकी गहराई 0.5 सें.मी. है ।

(8) दाएं करतल के निकट अनामिका पर 3 सें.मी. × 0.5 सें.मी. का छिन्न घाव है जिसकी गहराई 0.5 सें.मी. है ।

(9) बाईं तर्जनी के आधार पर हथेली में 2.5 सें.मी. × 0.5 सें.मी. माप का छिन्न घाव है जिसकी गहराई 0.5 सें.मी. है ।

(10) बाईं मध्यिका के निकट हथेली में ऊर्ध्वाधर एक छिन्न घाव है जिसकी लंबाई 4 सें.मी. है ।"

5. प्रदर्श पी-2 में मृत्यु का यह कारण व्यक्त किया गया है कि मृतका की मृत्यु क्षति सं. 1 जो गर्दन पर कारित की गई थी, से हुई है । अभियुक्त को तारीख 20 दिसंबर, 2007 को गिरफ्तार किया गया ।

6. अभियोजन पक्ष की ओर से, अभि. सा. 1 से अभि. सा. 14 तक कुल 14 साक्षियों की परीक्षा कराई गई । प्रदर्श पी-1 से प्रदर्श पी-8 दस्तावेज चिह्नांकित किए गए और तात्विक वस्तु-1 से 8 तक की शनाख्त

की गई । अभि. सा. 2 और अभि. सा. 3 प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हैं । अभियोजन पक्ष के अनुसार, अभि. सा. 4, अभि. सा. 5, अभि. सा. 6 और अभि. सा. 8 के साक्ष्यों की अन्य साक्ष्य से संपुष्टि होती है ।

7. जय कुमारी (अभि. सा. 2) इस घटना की प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है । वह अभियुक्त की पड़ोसन है और उसका मकान अभियुक्त के मकान से 50 फुट की दूरी पर है । इस साक्षी ने यह कथन किया है कि घटना के दिन लगभग 2.00 बजे अपराह्न में जब वह रसोई में थी, तब उसने जोर से चीखने की आवाज सुनी कि कोई उसकी हत्या कर रहा है । अभि. सा. 2 अपने मकान से बाहर आई और उसने अभियुक्त को गड़ासे से मृतका पर हमला करते हुए देखा । इस साक्षी ने यह अभिकथन किया है कि अभियुक्त ने कई जगह पर मृतका को काटकर क्षतियां पहुंचाईं । इस साक्षी ने चिल्लाकर अभियुक्त से ऐसा न करने को कहा । अभि. सा. 2 के अनुसार, जब राधामणि अर्थात् मृतका को उसके चेहरे पर क्षति पहुंची, तब मृतका नीचे बैठ गई और उस समय अभियुक्त ने उसकी गर्दन के पीछे गंडासे से वार किया । मृतका नीचे गिर गई । इस साक्षी ने गंडासे (तात्विक वस्तु-1) की शनाख्त की है । सरस्वती (अभि. सा. 3) और अन्य व्यक्ति घटनास्थल पर आए । अभियुक्त ने उन्हें अपने निकट न आने की धमकी दी कि यदि किसी ने ऐसा किया तो वह उसकी भी हत्या कर देगा । यह साक्षी और अन्य व्यक्ति अभियुक्त या आहत के निकट अभियुक्त द्वारा दी गई धमकी के भय से नहीं गए । अभि. सा. 2 ने यह कथन किया है कि अभियुक्त को राधामणि के चरित्र पर संदेह था और उनके बीच प्रायः लड़ाई होती थी । अभि. सा. 2 की प्रतिपरीक्षा में अभियुक्त द्वारा यह सुझाव दिया गया कि पड़ोसी जॉर्ज ने मृतका राधामणि की हत्या इसलिए की है कि कहीं मृतका अभियुक्त को यह प्रकट न कर दे कि जॉर्ज मृतका के साथ संबंध बनाए हुए है । इस सुझाव से यह भी प्रकट होता है कि राधामणि ने जॉर्ज के साथ अवैध संबंध बनाने के लिए जॉर्ज द्वारा डाले गए दबाव को स्वीकार नहीं किया था ।

8. अभियुक्त के बड़े भाई की पत्नी अर्थात् अभियुक्त की भाभी सरस्वती (अभि. सा. 3) पड़ोस में रहती है और उसका मकान अभियुक्त के मकान से केवल 60 फुट की दूरी पर है । इस साक्षी ने यह कथन किया है कि उसने यह घटना देखी थी और अभियुक्त ने मृतका राधामणि पर गंडासे (तात्विक वस्तु-1) से वार करके क्षतियां पहुंचाई थीं । अभि. सा. 3 उस समय अपनी रसोई में थी और वह चीख-पुकार की आवाज सुनकर बाहर आई । इस साक्षी ने घटना का उसी प्रकार वर्णन किया है जिस प्रकार

अभि. सा. 2 ने किया है । अभि. सा. 3 ने भी यह उल्लेख किया है कि अभियुक्त को मृतका के चरित्र पर संदेह था । अभि. सा. 3 की प्रतिपरीक्षा के दौरान उसे यह सुझाव दिया गया कि मृतका राधामणि जॉर्ज की यौन संबंधी इच्छा पूरी करती थी और यह सोचकर कि यह तथ्य अभियुक्त को पता चल सकता है, जॉर्ज ने राधामणि की हत्या कर दी ।

9. जीप टैक्सी के चालक संतोष (अभि. सा. 4) ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि वह आहत को अपनी जीप से अस्पताल ले गया था । इस साक्षी ने यह अभिकथन किया है कि अभियुक्त उसके साथ जीप में बैठकर अस्पताल नहीं गया था । इस साक्षी ने यह अभिकथन किया है कि उस जीप में सुलोचना, शिवान, शिवान की पत्नी और अन्य व्यक्ति भी बैठे हुए थे ।

10. मृतका के भाई शशिधरन नायर (अभि. सा. 5) ने यह कथन किया है कि अभियुक्त और मृतका के बीच इस संदेह को लेकर लड़ाई-झगड़ा होता था कि मृतका का चरित्र ठीक नहीं है । अभियुक्त ने कई बार मृतका के साथ हाथापाई की थी । इस घटना से एक सप्ताह पूर्व राधामणि अपने घर गई और उसने अपने पति द्वारा उसके मकान में हुई घटना के बारे में बताया । मृतका राधामणि ने अभि. सा. 5 अर्थात् अपने भाई को यह भी बताया कि अभियुक्त उसे जान से मारने की धमकी देता है और इसीलिए वह अभियुक्त के साथ नहीं रह सकती ।

11. मृतका राधामणि के एक अन्य भाई अर्थात् अभि. सा. 6 ने भी अभि. सा. 5 जैसा साक्ष्य दिया है । इस साक्षी ने यह कथन किया है कि अभियुक्त को मृतका राधामणि पर यह संदेह था कि राधामणि के अन्य किसी व्यक्ति के साथ अवैध संबंध हैं । राधामणि अपने मायके चली आई और इस साक्षी ने यह अभिकथन किया है कि उसने मृतका से कहा कि वह अपने पति के ही घर जाए । यह साक्षी मृतका को अभियुक्त के घर लेकर गया और स्थिति को शांत करने का प्रयास किया । उस समय पर अभियुक्त ने यह धमकी दी कि वह राधामणि को नहीं छोड़ेगा । अभि. सा. 6 ने यह अभिकथन किया है कि यद्यपि अभियुक्त ने ऐसा कहा था फिर भी उसे यह विश्वास नहीं था कि अभियुक्त वास्तव में ऐसा कर ही देगा । अगले दिन भी अभि. सा. 6 ने मृतका से फोन पर संपर्क किया और मृतका ने उसे बताया कि अब उसके यहां कोई समस्या नहीं है । इस साक्षी ने यह अभिकथन किया है कि इसके पश्चात् अभिकथित घटना घटित हो गई ।

12. अभियुक्त की पुत्री अभि. सा. 8 है । इस साक्षी ने यह

अभिकथन किया है कि अभियुक्त, मृतका और दोनों पुत्रियां तथा अभियुक्त के पिता जी एक ही मकान में रहते हैं । साक्ष्य दिए जाने के समय पर यह साक्षी मठाअमृतनंदामयी के आश्रम में रहती थी । इस साक्षी ने यह अभिकथन किया है कि उसकी छोटी बहिन भी उसी आश्रम रहती है । अभि. सा. 8 ने अपने साक्ष्य में इस प्रकार वर्णन किया है :–

(साक्ष्य के मूल पाठ का लोप किया गया है)

13. इस मामले में के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी अभि. सा. 2 और अभि. सा. 3 तथा अभि. सा. 4, अभि. सा. 5, अभि. सा. 6 एवं अभि. सा. 8 के साक्ष्य की सावधानीपूर्वक संवीक्षा करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि इस मामले में ऐसा प्रत्यक्ष साक्ष्य है जिससे यह दर्शित होता है कि अभियुक्त ने तारीख 19 दिसंबर, 2007 को 2.00 बजे अपराह्न में अपने मकान के आंगन में गंडासे (तात्विक वस्तु-1) से मृतका को घातक क्षतियां पहुंचाई हैं । इस मामले में के प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के साक्ष्य को अविश्वसनीय ठहराने का कोई कारण दिखाई नहीं देता है । अभि. सा. 5, अभि. सा. 6 और अभि. सा. 8 के साक्ष्य से यह दर्शित होता है कि अभियुक्त ने अपनी पत्नी राधामणि को जान से मारने की धमकी दी थी । अभियुक्त और मृतका के बीच प्रायः लड़ाई-झगड़ा होता था । साक्ष्य से यह प्रकट होता है कि मृतका अपने पति के घर पर जो जीवन व्यतीत कर रही थी वह अधिक सुखमय नहीं था । मृतका अपने मायके भी गई थी किंतु उसके भाइयों ने उसे समझा-बुझाकर वापस उसके पति के घर भेज दिया था । दोनों के बीच स्थिति में कोई अधिक सुधार नहीं आया और साक्षियों के साक्ष्य से यह प्रकट होता है कि अभियुक्त मृतका को पुनः तंग करने लगा था ।

14. अभि. सा. 2 और अभि. सा. 3 को अभियुक्त द्वारा जो सुझाव दिए गए हैं वे पूर्णतया भिन्न हैं । अभि. सा. 2 को दिए गए सुझाव से यह प्रकट होता है कि मृतका और जॉर्ज के बीच कोई भी अवैध संबंध नहीं थे जबकि अभि. सा. 3 को दिए गए सुझाव से यह दर्शित होता है कि मृतका जॉर्ज द्वारा डाले गए दबाव से विवश होकर समर्पण कर चुकी थी । दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के अधीन अभियुक्त ने यह कथन किया है कि घटना के दिन लगभग 2.00 बजे अपराह्न में वह अपने घर आया और जब वह अपने मकान में घुसने ही वाला था, जॉर्ज उसके मकान से बाहर निकल कर गया था । जब उसने मकान में प्रवेश किया तब उसने अपनी पत्नी को खून से लथपथ पाया । अभियुक्त चिल्लाया और पड़ोसी वहां पहुंचे । आहत राधामणि को अभियुक्त द्वारा अस्पताल ले जाया गया । जब अभियुक्त अस्पताल में था, पुलिस ने तभी उसे गिरफ्तार कर लिया ।

अभियुक्त ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन दिए गए कथन तथा अभि. सा. 2 और अभि. सा. 3 को दिए गए इस सुझाव की बुनियाद पर अभियुक्त ने यह पक्षकथन रखा कि मृतका की हत्या जॉर्ज द्वारा की गई है । इस पक्षकथन के विरोध में अभियोजन पक्ष ने दो प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के साक्ष्य का अवलंब लिया और ये दोनों प्रत्यक्षदर्शी साक्षी अभियुक्त के पड़ोसी हैं । अभि. सा. 3 अभियुक्त की भाभी है । ऐसा कोई भी सुझाव नहीं दिया गया है कि अभि. सा. 2 और अभि. सा. 3 ने अभियुक्त के विरुद्ध यह अभिसाक्ष्य दुश्मनी के कारण या अन्य किसी विशेष आशय से दिया है । अभि. सा. 2 और अभि. सा. 3 नैसर्गिक साक्षी हैं । अभि. सा. 5 और अभि. सा. 6 के साक्ष्य से यह प्रकट होता है कि यह घटना मृतका के वैवाहिक गृह पर घटित हुई है । अभि. सा. 6 ने यह भी कथन किया है कि अभियुक्त राधामणि को जान से मारने की धमकी दिया करता था । अभि. सा. 5 और अभि. सा. 6 के साक्ष्य को अविश्वसनीय ठहराने का कोई कारण दिखाई नहीं देता है । अभि. सा. 8 और नहीं अपितु अभियुक्त की अपनी पुत्री है । इस साक्षी ने भी अभियुक्त और मृतका के बीच होने वाले झगड़े तथा अभियुक्त द्वारा मृतका के चरित्र पर संदेह किए जाने के संबंध में साक्ष्य दिया है । अभि. सा. 8 के साक्ष्य से यह भी प्रकट होता है कि अभियुक्त और मृतका के बीच झगड़ा शांत कराया गया था और मृतका को अभियुक्त के मकान पर वापस भेजा गया था । अभि. सा. 8 ने विशेष रूप से यह कथन किया है कि उसका पिता अर्थात् अभियुक्त उसकी माता राधामणि की हत्या करने की धमकी दिया करता था । अभियुक्त की पुत्री द्वारा अभियुक्त के प्रति मिथ्या अभिकथन किए जाने का कोई भी कारण दिखाई नहीं देता है । अभि. सा. 8, "अभि. सा. 2 और अभि. सा. 3 या मृतका" के किसी नातेदार के साथ नहीं रहती है । अभि. सा. 8 मठाअमृतनंदामयी के आश्रम में रहती है । यह विश्वास नहीं किया जा सकता है कि इस साक्षी को सिखाया-पढ़ाया गया है ।

15. निचले न्यायालय ने अभियोजन पक्षकथन पर ठीक ही विश्वास किया है और अभियुक्त को दोषी पाया है । हमारा यह मत है कि निचले न्यायालय ने उक्त निष्कर्ष ठीक ही निकाला है । इस मामले में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है ।

तदनुसार, अपील खारिज की गई ।

अस.

अनिल गोवाला

बनाम

असम राज्य

तारीख 7 मई, 2015

न्यायमूर्ति पी. के. सैकिया और न्यायमूर्ति (श्रीमती) रूमी कुमारी फूकन

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 302 [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 24] – हत्या – न्यायिकेतर संस्वीकृति – अभियोजन साक्षियों द्वारा घटना के कथित वृत्तांत और अभियुक्त द्वारा की गई न्यायिकेतर संस्वीकृति से यह स्पष्ट होता है कि अभियुक्त ने बदला लेने के लिए धारदार हथियार से मृतक पर गंभीर वार किया जिसके परिणामस्वरूप मृतक की मृत्यु हो गई, अतः अभियुक्त की न्यायिकेतर संस्वीकृति के आधार पर उसे दोषसिद्ध और दंडादिष्ट करना उचित है ।

श्री चमरूगढ़ नाम के एक व्यक्ति ने भोरहाट पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के समक्ष यह शिकायत दर्ज कराई कि अपीलार्थी ने तारीख 15 सितंबर, 2008 को लगभग 9.00 बजे अपराह्न में साशय अनिल गढ़ की हत्या उस समय की है जब वह एक यान में चाय की हरी पत्तियों को लाद कर लखमी जान, टी गार्डन से होता हुआ घर वापस आ रहा था । उस दिन घटना घटित होने के पूर्व मृतक अनिल गढ़ और अभियुक्त गोवाला के बीच एक छोटी सी बात पर कहा-सुनी हो गई थी । अपीलार्थी ने अनिल गढ़ के उदर में तथा उसके शरीर के अन्य अंगों पर खुकरी से वार किए और इसके परिणामस्वरूप आहत की मृत्यु हो गई । इजाहर के आधार पर भोरहाट पुलिस थाने में दंड संहिता की धारा 302 के अधीन मामला सं. 5 कराया गया । अन्वेषण अधिकारी घटनास्थल पर गया और उसने अनिल गढ़ के शव की मृत्यु समीक्षा की और शव को शव परीक्षा के लिए शिवसागर सिविल अस्पताल भेज दिया । अन्वेषण अधिकारी ने साक्षियों के कथन अभिलिखित किए और अभियुक्त द्वारा अपराध में प्रयोग किए गए हथियार अर्थात् दाउ को अभिगृहीत किया जो उसने अभियुक्त ने अपने रिहायशी मकान में छिपा रखा था । घटनास्थल का आरेख तैयार किया गया । अन्वेषण पूरा होने के पश्चात्, अपीलार्थी के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अनिल गढ़ की मृत्यु कारित

करने के लिए आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया । इसके पश्चात्, मामला विचारण के लिए सेशन न्यायालय को सुपुर्द कर दिया गया था और दंड संहिता की धारा 302 के अधीन आरोप विरचित किया गया और वह अपीलार्थी को पढ़कर सुनाया गया जिस पर अपीलार्थी ने दोषी न होने का अभिवाक् किया और विचारण किए जाने की मांग की । अभियोजन पक्ष ने कुल मिलाकर 13 साक्षियों की परीक्षा कराई और जबकि प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से किसी भी साक्षी की परीक्षा नहीं कराई गई । प्रतिरक्षा पक्ष ने अपनी प्रतिरक्षा में केवल आरोपों से इनकार किया है । विचारण पूरा होने के पश्चात् विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने अभियुक्त को दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दोषी पाया और उपर्युक्त रूप में दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया । अपीलार्थी ने दोषसिद्धि के निर्णय और आदेश से व्यथित होकर वर्तमान अपील इस आधार पर प्रस्तुत की है कि विद्वान् न्यायालय अभिलेख पर प्रस्तुत सामग्री का मूल्यांकन विहित प्रक्रिया के अनुसार करने में असफल रहा है और अभियुक्त अपीलार्थी को अभियोजन पक्षकथन में अनेक कमियों के बावजूद दोषसिद्ध किया है । इस निर्णय को अपास्त किए जाने की प्रार्थना की गई है । उच्च न्यायालय द्वारा अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – इन दो महत्वपूर्ण साक्षियों के साक्ष्य का मूल्यांकन करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि उनका साक्ष्य एक-दूसरे से मेल नहीं खाता है । अभि. सा. 7 के अनुसार श्री भद्री घटना के समय उसके साथ था और उस समय एक अन्य व्यक्ति अर्थात् रोबिन गरीयक भी साथ था जब अभियुक्त ने घटना के बारे में संस्वीकृति कथन दिया था । किन्तु, उक्त रोबिन गरीयक ने घटना की जानकारी होने से इनकार किया है और उसने अभि. सा. 7 और अभि. सा. 13 के साथ मौजूद होने के संबंध में कोई बात नहीं कही है । उक्त साक्षी अर्थात् अभि. सा. 8 को अभियोजक पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित नहीं किया गया है जबकि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 161 के अधीन दिए गए कथन को दृष्टिगत करते हुए उसे पक्षद्रोही साक्षी घोषित करने की पूरी गुंजाइश थी । तथापि, मात्र इस कारण से न्यायालय अभि. सा. 7 के साक्ष्य को त्यक्त नहीं कर सकते । अब तथ्यों से यह प्रकट होता है कि अभि. सा. 7 ने घटना के समय अपने साथ अभि. सा. 13 के मौजूद होने तथा उसके समक्ष संस्वीकृति कथन देने की बात कही है और इस तथ्य को अभि. सा. 13 द्वारा भी स्वीकार किया गया है कि अभियुक्त को उसके समक्ष संस्वीकृति कथन अमित औरांग नाम के व्यक्ति की मौजूदगी में दिया था । किंतु, यह दर्शित करने के लिए

कोई सामग्री नहीं है कि अभि. सा. 7 और अमित औरांग एक ही व्यक्ति है । न तो अभियोजन पक्ष ने न ही प्रतिरक्षा पक्ष ने इसे स्पष्ट करने का कोई प्रयास किया है । दूसरी ओर, अभि. सा. 13 ने ऐसा ही कथन किया है कि अभियुक्त ने उस समय उसके समक्ष स्वेच्छया संस्वीकृति कथन दिया था जब वह उसे सड़क के निकट मिला था । अभि. सा. 7 या अभि. सा. 13 के साक्ष्य को अविश्वसनीय ठहराने की कोई सामग्री नहीं है और यदि उनके साक्ष्य को निजी रूप में स्वीकार किया जाए, तब यह स्पष्ट हो जाता है कि अभियुक्त ने इन दोनों साक्षियों के समक्ष संस्वीकृति कथन दिया था और यह कथन घटना के तत्काल पश्चात् दिया गया था । ऐसे अशिक्षित साक्षियों के साक्ष्य में ऊपर उल्लिखित विरोधाभास आ ही जाते हैं और उनकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी नहीं होती है । यह भी हो सकता है कि अभि. सा. 7 और अमित औरांग एक ही व्यक्ति हो । किंतु, उसे सिखाया-पढ़ाया नहीं गया है । तथापि, अभि. सा. 7 और अभि. सा. 13 के साक्ष्य का संचयी रूप से परिशीलन करने पर यह प्रतीत होता है कि दोनों साक्षियों ने यह दावा किया है कि अभियुक्त ने उनके समक्ष संस्वीकृति कथन दिया था और उनकी अभियुक्त के साथ कोई भी शत्रुता नहीं है कि वे उसे मिथ्या मामले में फंसाएं । मात्र यह तथ्य कि साक्ष्य में छोटे-मोटे विरोधाभास और असंगतताएं हैं, साक्ष्य की विश्वसनीयता के लिए हानिकर नहीं है । अभि. सा. 13 द्वारा यह साक्ष्य दिया गया है कि पुलिस ने घटना के पश्चात् अभियुक्त के मकान से दाउ अभिगृहीत किया था जिसे अभियुक्त ने अपने घर में रखा हुआ था और इस तथ्य का समर्थन अन्वेषण अधिकारी के साक्ष्य से भी होता है । इसके अतिरिक्त, अभियुक्त द्वारा दिए गए संस्वीकृति कथन, अभि. सा. 2, जिसने अभियुक्त और मृतक के बीच लड़ाई की घटना इस घटना के पूर्व देखी थी, के साक्ष्य से निश्चित रूप से यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियुक्त ने बदला लेने के लिए उस पर धारदार आयुध से वार किया है जिसके परिणामस्वरूप मृतक की मृत्यु हुई है । विद्वान् निचले न्यायालय ने भी दोषसिद्धि करने के लिए न्यायिकेतर संस्वीकृति के महत्व का मूल्यांकन किया है । ऐसा कोई निश्चित नियम नहीं है कि न्यायिकेतर संस्वीकृति कथन कभी भी दोषसिद्धि का आधार नहीं हो सकता और मात्र यह तथ्य कि न्यायालय को उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए उपर्युक्त सिद्धांतों का अनुपालन करना चाहिए । उपर्युक्त सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, यदि हम वर्तमान मामले पर विचार करें तब यह स्पष्ट होता है कि अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा अभि. सा. 3 और अभि. सा. 7

के समक्ष दिए गए संस्वीकृति कथन अभियुक्त के प्रति पक्षपाती नहीं हैं न ही इन साक्षियों के अभियुक्त के साथ कोई शत्रुता है कि वे अभियुक्त के विरुद्ध मिथ्या कथन दें । जैसाकि हमने यह निष्कर्ष निकाला है कि अभियुक्त ने इन साक्षियों के समक्ष स्वेच्छया कथन बिना किसी परिस्थिति से प्रकोपित हुए दिया है, इसलिए यह कहा जा सकता है कि अभियुक्त ने संस्वीकृति कथन ठीक हालत में दिया है । अन्य साक्षियों द्वारा ये तथ्य बताए गए हैं कि अनिल गढ़ का शव उस स्थान पर पाया गया था जहां अभियुक्त ने अभि. सा. 7 और अभि. सा. 13 के समक्ष अपराध कारित करना स्वीकार किया था, अभियुक्त के कहने पर अपराध में प्रयोग किए गए आयुध की बरामदगी एक अन्य पारिस्थितिक साक्ष्य है जिससे अभियुक्त का अपराध में आलिप्त होना उपदर्शित होता है । अभिलेख पर उपलब्ध ऐसी सामग्री को दृष्टिगत करने पर हमारा यह मत है कि न्यायिकेतर संस्वीकृति कथन, जिसका अभियोजन पक्ष द्वारा अवलंब लिया गया है, के आधार पर की गई अभियुक्त की दोषसिद्धि पूर्णतया न्यायोचित है और इस प्रकार दोषसिद्धि और दंडादेश चलने योग्य है । (पैरा 11, 12 और 16)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2012]	(2012) 6 एस. सी. सी. 403 = ए. आई. आर. 2012 एस. सी. 2435 : **सहदेवन और एक अन्य** बनाम **तमिलनाडु राज्य** ;	14
[2003]	(2003) 8 एस. सी. सी. 180 = ए. आई. आर. 2003 एस. सी. 3601 : **राजस्थान राज्य** बनाम **राजाराम** ।	15

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2012 की दांडिक अपील सं. 15 (जे).

2008 के सेशन मामला सं. 182 (एस. सी.) में विद्वान् सेशन न्यायाधीश, शिवसागर द्वारा तारीख 15 नवंबर, 2011 को पारित निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से श्री आर. एम. चौधरी (न्यायमित्र)

प्रत्यर्थी की ओर से श्री के. ए. मजूमदार

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति (श्रीमती) रूमी कुमारी फूकन ने दिया ।

न्या. (श्रीमती) फूकन – हमने अपीलार्थी की ओर से श्री आर. एम. चौधरी और राज्य की ओर से विद्वान् अपर लोक अभियोजक, असम श्री के. ए. मजूमदार को सुना है ।

2. यह अपील दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 (2) के अधीन 2008 के सेशन मामला सं. 182 (एस. सी.) में विद्वान् सेशन न्यायाधीश शिवसागर द्वारा तारीख 15 नवंबर, 2011 को पारित किए गए उस निर्णय और आदेश के विरुद्ध फाइल की गई है जिसके द्वारा अभियुक्त गोवाला को भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 302 के अधीन दोषसिद्ध किया गया और उसे आजीवन कारावास भोगने तथा 5,000/- रुपए जुर्माने का संदाय किए जाने, जिसका व्यतिक्रम किए जाने पर 6 मास का अतिरिक्त कठोर कारावास भोगने, के लिए दंडादिष्ट किया गया ।

3. अभियुक्त का विचारण उसके कारावास रहने के दौरान किया गया है और उसने जेल से ही अपील फाइल की है और तद्नुसार वह अपील रजिस्ट्रीकृत की गई है । संक्षेप में अभियोजक पक्षकथन इस प्रकार है कि श्री चमरूगढ़ नाम के एक व्यक्ति ने बोरहाट पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के समक्ष यह शिकायत दर्ज कराई कि अपीलार्थी ने तारीख 15 सितंबर, 2008 को लगभग 9.00 बजे अपराह्न में साशय अनिल गढ़ की हत्या उस समय की है जब वह एक यान में चाय की हरी पत्तियों को लाद कर लखीजान, टी गार्डन से होता हुआ घर वापस आ रहा था । उस दिन घटना घटित होने के पूर्व मृतक अनिल गढ़ और अभियुक्त गोवाला के बीच एक छोटी सी बात पर कहा-सुनी हो गई थी । अपीलार्थी ने अनिल गढ़ के उदर में तथा उसके शरीर के अन्य अंगों पर खुकरी से वार किए और इसके परिणामस्वरूप आहत की मृत्यु हो गई । इजाहर के आधार पर बोरहाट पुलिस थाने में दंड संहिता की धारा 302 के अधीन मामला सं. 5 कराया गया । अन्वेषण अधिकारी घटनास्थल पर गया और उसने अनिल गढ़ के शव की मृत्यु समीक्षा की और शव को शव परीक्षा के लिए शिवसागर सिविल अस्पताल भेज दिया । अन्वेषण अधिकारी ने साक्षियों के कथन अभिलिखित किए और अभियुक्त द्वारा अपराध में प्रयोग किए गए हथियार अर्थात् दाउ को अभिगृहीत किया जो उसने अभियुक्त को अपने रिहायशी मकान में छिपा रखा था । घटनास्थल का आरेख तैयार किया गया । अन्वेषण पूरा होने के पश्चात्, अपीलार्थी के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अनिल गढ़ की मृत्यु कारित करने के लिए आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया ।

4. इसके पश्चात्, मामला विचारण के लिए सेशन न्यायालय को सुपुर्द कर दिया गया था और दंड संहिता की धारा 302 के अधीन आरोप विरचित किया गया और वह अपीलार्थी को पढ़कर सुनाया गया जिस पर अपीलार्थी ने दोषी न होने का अभिवाक् किया और विचारण किए जाने की मांग की । अभियोजन पक्ष ने कुल मिलाकर 13 साक्षियों की परीक्षा कराई और जबकि प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से किसी भी साक्षी की परीक्षा नहीं कराई गई । प्रतिरक्षा पक्ष ने अपनी प्रतिरक्षा में केवल आरोपों से इनकार किया है । विचारण पूरा होने के पश्चात् विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने अभियुक्त को दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दोषी पाया और उपर्युक्त रूप में दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया ।

5. अपीलार्थी ने दोषसिद्धि के निर्णय और आदेश से व्यथित होकर वर्तमान अपील इस आधार पर प्रस्तुत की है कि विद्वान् न्यायालय अभिलेख पर प्रस्तुत सामग्री का मूल्यांकन विहित प्रक्रिया के अनुसार करने में असफल रहा है और अभियुक्त अपीलार्थी को अभियोजन पक्षकथन में अनेक कमियों के बावजूद दोषसिद्ध किया है । इस निर्णय को अपास्त किए जाने की प्रार्थना की गई है ।

6. हमने विद्वान् न्यायमित्र श्री आर. एम. चौधरी को सुना है जिन्होंने न्यायालय के समक्ष महत्वपूर्ण साक्षियों अर्थात् अभि. सा. 3, अभि. सा. 7 और अभि. सा. 13 के साक्ष्य को प्रस्तुत किया है और यह दलील दी है कि यद्यपि निचले न्यायालय ने दोषसिद्धि करने के लिए उनके साक्ष्य का अवलंब लिया है, किंतु इन साक्षियों के साक्ष्य में गंभीर विरोधाभास हैं, साथ ही यह तथ्य भी सामने आया है कि अभि. सा. 13 की परीक्षा नहीं कराई गई है । इसी प्रकार, अभि. सा. 7 के साक्ष्य का अवलंब नहीं लिया जा सकता जिसकी संपुष्टि अभि. सा. 13 के साक्ष्य से भी नहीं होती है । इस घटना के महत्वपूर्ण साक्षियों के साक्ष्य में गंभीर विरोधाभास को दृष्टिगत करते हुए यह दलील दी गई है कि इन साक्षियों का साक्ष्य बिल्कुल विश्वसनीय नहीं है । इसके अतिरिक्त विद्वान् न्यायमित्र द्वारा यह दलील दी गई है कि इस घटना का कोई भी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है और निर्दिष्ट की गई परिस्थितियां अभियुक्त को अपराध से सम्बद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है । अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त द्वारा अभि. सा. 7 और अभि. सा. 13 को दी गई तथाकथित न्यायिकेतर संस्वीकृति का अवलंब लिया है किंतु अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल के अनुसार ऐसी संस्वीकृति बिल्कुल भी तर्कसम्मत और विश्वसनीय नहीं है और इसकी संपुष्टि भी नहीं होती है । इस प्रकार, यह दलील दी गई है कि ऐसे ढुलमुल और असंगत साक्ष्य

के आधार पर की गई अभियुक्त की दोषसिद्धि विधि की दृष्टि से गलत है और यह अपास्त की जानी चाहिए ।

7. इसके प्रतिकूल, राज्य की ओर से विद्वान् काउंसेल श्री के. ए. मजूमदार ने न्यायालय के समक्ष अभि. सा. 7 और अभि. सा. 13 के साक्ष्य सहित अभि. सा. 2 का साक्ष्य प्रस्तुत किया है जिससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि अभियुक्त ने ही मृतक की हत्या की है क्योंकि घटना के पूर्व अभियुक्त का मृतक के साथ झगड़ा हुआ था । यह भी दलील दी गई है कि घटना के दिन घटना घटित होने के लगभग एक घंटा पूर्व अभियुक्त को मृतक के साथ झगड़ा करते हुए देखा गया था क्योंकि मृतक ने अभियुक्त को एक तुच्छ बात पर तंग किया था और उसके पश्चात् अभि. सा. 2 ने अभियुक्त और मृतक का बीचबचाव किया था और इसके बाद वह अपने घर चला गया और थोड़ी देर बाद उसे यह सूचना मिली कि किसी व्यक्ति ने लखीजान बागन रोड पर अनिल गढ़ की हत्या कर दी है । इसलिए, राज्य की ओर से विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी कि इस लड़ाई के कारण, अभियुक्त ने यह अपराध कारित किया है । यह भी दलील दी गई है कि अभि. सा. 7 और अभि. सा. 13 को अभियुक्त द्वारा वैयक्तिक रूप से दिया गया संस्वीकृति कथन विद्वान् काउंसेल द्वारा दिए गए आधार पर त्यक्त नहीं किया जा सकता ।

8. हमने दोनों पक्षकारों द्वारा दी गई परस्पर विरोधी दलीलों पर विचार किया है और अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य का परिशीलन भी किया है । यह उल्लेखनीय है कि अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त द्वारा दिए गए न्यायिकेतर संस्वीकृति कथन अन्य पारिस्थितिक साक्ष्य का अवलंब लिया है । स्वीकृततः, इस घटना का कोई भी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है । अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य का संक्षिप्त रूप से परिशीलन करने पर हमारा यह निष्कर्ष है कि अभि. सा. 2 वह व्यक्ति है जिसने यह बताया है कि घटना के दिन जब वह बाजार से वापस आ रहा था उसने अभियुक्त और मृतक को इस बात पर झगड़ा करते हुए देखा कि मृतक अभियुक्त को तंग करता है और इसके पश्चात् अभि. सा. 2 ने उन दोनों को अलग-अलग किया और वह घर वापस आ गया । उसी दिन अभि. सा. 2 ने कुछ घंटों के बाद यह सुना कि अनिल गढ़ की किसी व्यक्ति ने हत्या कर दी है । दूसरी ओर, रमेश गढ़ (अभि. सा. 3), कुल बहादुर थापा (अभि. सा. 4) ने मृतक अनिल गढ़ को लखीजान की ओर जाने वाली सड़क पर खून से लथपथ देखा । अभि. सा. 5 ने उक्त शव के पाए जाने के बारे में सुना था किंतु किसी ने भी

हमलावरों के बारे में नहीं बताया । घटना की सूचना प्राप्त करने के पश्चात्, मृतक के पिता श्री समरू गढ़ ने मृतक इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श 3) दर्ज कराई किंतु यह साक्षी स्वीकृत रूप से घटना प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है और यह साक्षी नहीं जानता है कि उसके पुत्र अनिल गढ़ की हत्या किसने की । इसी प्रकार, अभि. सा. 8 से अभि. सा. 11 भी इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं हैं और न ही उन्हें इस घटना के बारे में कोई जानकारी है । अभि. सा. 9 से अभि. सा. 11 ने अभिग्रहण सूची (प्रदर्श 4) पर हस्ताक्षर किए हैं और यह कार्य उस समय किया गया था जब पुलिस ने अभियुक्त अपीलार्थी के घर से खुकरी (प्रदर्श 1) अभिगृहीत की थी । अभि. सा. 12 अन्वेषण अधिकारी है जिसने इस मामले का अन्वेषण किया है और उसने लखीजान गार्डन रोड से की गई शव बरामदगी और अभियुक्त के घर से की गई दाउ जिसे अभियुक्त ने दिखाया था, की बरामदगी के संबंध में कथन किया है और अन्वेषण अधिकारी ने इस संबंध में अभिग्रहण सूची (प्रदर्श 4) तैयार की । तथापि, उसने अभिगृहीत वस्तुओं को रसायनिक परीक्षण के लिए नहीं भेजा क्योंकि उन पर रक्त लगा हुआ नहीं था ।

9. अब हमारे समक्ष अभि. सा. 7 और अभि. सा. 13 का साक्ष्य है जो अभियोजन पक्ष के महत्वपूर्ण साक्षी हैं । अभि. सा. 7 का साक्ष्य निम्न प्रकार है :–

> "यह घटना लगभग 8/9 मास पूर्व लगभग 9.00 बजे अपराह्न में घटित हुई थी । जब मैं श्री भदरिया गढ़ और रोबिन गरीयक सुन्दर पुर टी. ई. की लेबर लाइन की सड़क पर टहल रहे थे, तब अनिल गोवाला ने हमें बताया कि उसने लखीजान टी. ई. में एक व्यक्ति की हत्या कर दी है ।
>
> उस समय अभियुक्त के पास खुकरी जैसा तेज धार वाला हथियार था । हम सभी ने तुरन्त उसे पकड़ लिया था और उसे रस्सी से बांध दिया और उसे पुलिस थाना बोरहाट ले गए । हमने उसे पुलिस थाना बोरहाट की पुलिस के हवाले कर दिया । उस समय जब हमने अभियुक्त को पकड़ा था तब उसने अपनी बहिन को काटने वाली तेज धार की खुकरी दी जिसका प्रयोग उसने अपराध में किया था । मुझे अभियुक्त की छोटी बहिन का नाम याद नहीं है । अगले दिन पुलिस अभियुक्त के साथ उसके मकान पर आई और अपराध में प्रयोग किए गए आयुध को अभिगृहीत किया । उस समय, मैं सुन्दरपुर

टी. ई. में चल रहे कार्यस्थल पर मौजूद था । इसके पश्चात् मैंने यह सुना कि अभियुक्त ने अनिल गढ़ की हत्या कर दी है ।"

10. भदरिया गढ़ (अभि. सा. 13) के साक्ष्य (स्थानीय भाषा में दिए जाने के कारण उद्धृत नहीं किया जा रहा है) के अनुसार घटना के दिन लगभग 8.00 बजे अपराह्न में जब वह अमित औरांग नाम के व्यक्ति के साथ गार्डन लाइन वाली सड़क पर जा रहा था, तब अभियुक्त वहां आया और उसने अपने पैर नलकूप पर धोए और वह (अभि. सा. 13) भी नलकूप पर गया और तब उस समय अभियुक्त ने उसे बताया कि उसने लखीजान बागान में एक व्यक्ति की हत्या कर दी है और उस समय उसके हाथ में एक लंबा चाकू था तब उसने अमित और स्थानीय लोगों के साथ अभियुक्त को पकड़ लिया और उसे पुलिस थाने ले गया । पुलिस थाने जाते समय रास्ते में अभियुक्त ने आयुध अपने ही हाथ में रखा जिसे बाद में पुलिस ने प्रदर्श-4 के अनुसार अभिगृहीत कर लिया था । इसके पश्चात् उसे यह पता चला कि अभियुक्त ने अनिल गढ़ की हत्या की है ।

11. इन दो महत्वपूर्ण साक्षियों के साक्ष्य का मूल्यांकन करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि उनका साक्ष्य एक-दूसरे से मेल नहीं खाता है । अभि. सा. 7 के अनुसार श्री भद्री (अभि. सा. 13) घटना के समय उसके साथ था और उस समय एक अन्य व्यक्ति अर्थात् रोबिन गरीयक भी साथ था जब अभियुक्त ने घटना के बारे में संस्वीकृति कथन दिया था । किन्तु, उक्त रोबिन गरीयक (अभि. सा. 8) ने घटना की जानकारी होने से इनकार किया है और उसने अभि. सा. 7 और अभि. सा. 13 के साथ मौजूद होने के संबंध में कोई बात नहीं कही है । उक्त साक्षी अर्थात् अभि. सा. 8 को अभियोजक पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित नहीं किया गया है जबकि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 161 के अधीन दिए गए कथन को दृष्टिगत करते हुए उसे पक्षद्रोही साक्षी घोषित करने की पूरी गुंजाइश थी । तथापि, मात्र इस कारण से हम अभि. सा. 7 के साक्ष्य को त्यक्त नहीं कर सकते । अब तथ्यों से यह प्रकट होता है कि अभि. सा. 7 ने घटना के समय अपने साथ अभि. सा. 13 के मौजूद होने तथा उसके समक्ष संस्वीकृति कथन देने की बात कही है और इस तथ्य को अभि. सा. 13 द्वारा भी स्वीकार किया गया है कि अभियुक्त को उसके समक्ष संस्वीकृति कथन अमित औरांग नाम के व्यक्ति की मौजूदगी में दिया था । किंतु, यह दर्शित करने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि अभि. सा. 7 और अमित औरांग एक ही व्यक्ति है । न तो अभियोजन पक्ष ने न ही प्रतिरक्षा पक्ष ने इसे स्पष्ट करने का कोई

प्रयास किया है । दूसरी ओर, अभि. सा. 13 ने ऐसा ही कथन किया है कि अभियुक्त ने उस समय उसके समक्ष स्वेच्छया संस्वीकृति कथन दिया था जब वह उसे सड़क के निकट मिला था । अभि. सा. 7 या अभि. सा. 13 के साक्ष्य को अविश्वसनीय ठहराने की कोई सामग्री नहीं है और यदि उनके साक्ष्य को निजी रूप में स्वीकार किया जाए, तब यह स्पष्ट हो जाता है कि अभियुक्त ने इन दोनों साक्षियों के समक्ष संस्वीकृति कथन दिया था और यह कथन घटना के तत्काल पश्चात् दिया गया था । ऐसे अशिक्षित साक्षियों के साक्ष्य में ऊपर उल्लिखित विरोधाभास आ ही जाते हैं और उनकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी नहीं होती है । यह भी हो सकता है कि अभि. सा. 7 और अमित औरांग एक ही व्यक्ति हो । किंतु, उसे सिखाया-पढ़ाया नहीं गया है । तथापि, अभि. सा. 7 और अभि. सा. 13 के साक्ष्य का संचयी रूप से परिशीलन करने पर यह प्रतीत होता है कि दोनों साक्षियों ने यह दावा किया है कि अभियुक्त ने उनके समक्ष संस्वीकृति कथन दिया था और उनकी अभियुक्त के साथ कोई भी शत्रुता नहीं है कि वे उसे मिथ्या मामले में फंसाएं । मात्र यह तथ्य कि साक्ष्य में छोटे-मोटे विरोधाभास और असंगतताएं हैं, साक्ष्य की विश्वसनीयता के लिए हानिकर नहीं है ।

12. अभि. सा. 13 द्वारा यह साक्ष्य दिया गया है कि पुलिस ने घटना के पश्चात् अभियुक्त के मकान से दाउ अभिगृहीत किया था जिसे अभियुक्त ने अपने घर में रखा हुआ था और इस तथ्य का समर्थन अन्वेषण अधिकारी के साक्ष्य से भी होता है । इसके अतिरिक्त, अभियुक्त द्वारा दिए गए संस्वीकृति कथन, अभि. सा. 2, जिसने अभियुक्त और मृतक के बीच लड़ाई की घटना इस घटना के पूर्व देखी थी, के साक्ष्य से निश्चित रूप से यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियुक्त ने बदला लेने के लिए उस पर धारदार आयुध से वार किया है जिसके परिणामस्वरूप मृतक की मृत्यु हुई है । विद्वान् निचले न्यायालय ने भी दोषसिद्धि करने के लिए न्यायिकेतर संस्वीकृति के महत्व का मूल्यांकन किया है ।

13. जैसाकि हमने निष्कर्ष निकाला है कि चिकित्सा अधिकारी डा. निर्मल चुटिया ने मृतक के शरीर पर निम्नलिखित क्षतियां देखी थीं :–

"क्षतियां :

1. 3 सें. मी. × 2 सें. मी. माप का कटाव चिह्न जो दाएं

कान के नीचे गर्दन पर मौजूद है और इस घाव की गहराई अस्थि तक है ।

2. 4 सें. मी. × 3 सें. मी. गहरा कटाव चिह्न जो दाएं बाऊ की मासपेशियों वाहिनियों में मौजूद है ।

3. वक्ष के निचले भाग में कटाव युक्त क्षति है जिसकी लम्बाई 3 से. मी. और अन्तर्पर्शुका का विभाजन हो गया है ।

4. दोनों कोहनियों पर कटाव के गहरे चिह्न हैं ।

5. दाईं टांग के निचले भाग में गहरा कटाव है ।"

क्षतियों अथवा रोगों का और अधिक विस्तार से वर्णन इस प्रकार है :–

"जैसाकि ऊपर उल्लेख किया गया है, शव पर कई छिन्न घाव पाए गए हैं । घाव पर्याप्त रूप से गहरे हैं और रक्तवाहिनियां विभाजित पाई गईं हैं । घाव मृत्यु पूर्व प्रकृति के हैं ।

चिकित्सक की राय

चिकित्सक की राय में मृतक की मृत्यु का कारण उसे काट कर पहुंचाई गई क्षतियों के परिणामस्वरूप आघात और रक्तस्राव है । क्षतियां मानव वध प्रकृति की हैं और वे किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हैं और ये क्षतियां धारदार आयुध से कारित की जा सकती हैं ।"

14. न्यायिकेतर संस्वीकृति कथन के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि के सिद्धांत का भिन्न अर्थ लिया गया है और उनमें से अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य को समझने के लिए प्रयोग किया जा सकता है । **सहदेवन और एक अन्य** बनाम **तमिलनाडु राज्य**[1] वाले मामले में न्यायिकेतर संस्वीकृति के सिद्धांत में पैरा 16 में निम्न प्रकार दोहराया गया है :–

"16. इस न्यायालय के ऊपर निर्दिष्ट निर्णयों का समुचित रूप से विश्लेषण करने पर उन सिद्धांतों का उल्लेख करना उचित होगा जिनके आधार पर न्यायिकेतर संस्वीकृति कथन को एक स्वीकृत साक्ष्य माना गया है जिसके अनुसार अभियुक्त की दोषसिद्धि की जा सकती है । ऐसे मामलों में न्यायिक विवेकाधिकार का प्रयोग करते

---

[1] (2012) 6 एस. सी. सी. 403 = ए. आई. आर. 2012 एस. सी. 2435.

हुए सच्चाई का पता लगाया जा सकता है जिसमें अभियोजन पक्ष अभियुक्त द्वारा अभिकथित रूप से किए गए संस्वीकृति कथन के आधार पर न्यायिकेतर संस्वीकृति कथन का अवलंब दृढ़तापूर्वक ले सकता है –

(i) न्यायिकेतर संस्वीकृति कथन स्वयं में एक दुर्बल साक्ष्य है । इस पर कड़ी सतर्कता और सावधानी से विचार किया जाना चाहिए ।

(ii) न्यायिकेतर संस्वीकृति कथन स्वेच्छया और सत्यता के साथ दिया जाना चाहिए ।

(iii) यह विश्वासोत्पादक होना चाहिए ।

(iv) न्यायिकेतर संस्वीकृति कथन का विश्वसनीयता और साक्ष्य की दृष्टि से महत्व अधिक होता है यदि उसका समर्थन किसी तर्कसम्मत पारिस्थितिक साक्ष्य से हो जाए और उसकी संपुष्टि अभियोजन पक्ष के अन्य साक्ष्य से भी हो जाए ।

(v) न्यायिकेतर संस्वीकृति कथन के आधार पर दोषसिद्धि करने के लिए उसमें किसी भी प्रकार के कोई भी विरोधाभास और अन्तर्निहित असंभाव्यताएं नहीं होनी चाहिए ।

(vi) न्यायिकेतर संस्वीकृति कथन आवश्यक रूप से इस प्रकार साबित किया जाना चाहिए जैसे अन्य किसी तथ्य को विधि के अनुसरण में साबित किया जाता है ।"

15. न्यायिकेतर संस्वीकृति कथन के साक्ष्यात्मक महत्व की ग्राह्यता से संबंधित सिद्धांत की विमाओं को स्पष्ट करते समय माननीय उच्चतम न्यायालय ने **राजस्थान राज्य** बनाम **राजाराम**[1] वाले मामले के पैरा 19 में निम्न अभिनिर्धारित किया है :–

"19. न्यायिकेतर संस्वीकृति कथन, यदि स्वेच्छया से और सत्य दिया गया है तथा ठीक मानसिक स्थिति में दिया गया है तब न्यायालय इसका अवलंब ले सकता है । संस्वीकृति कथन को अन्य तथ्य की भांति साबित किया जाना चाहिए । संस्वीकृति कथन जैसे साक्ष्य का महत्व अन्य साक्ष्य की तरह होता है जो कथन देने वाले

[1] (2003) 8 एस. सी. सी. 180 = ए. आई. आर. 2003 एस. सी. 3601.

साक्षी की सत्यनिष्ठा पर निर्भर होता है ।"

न्यायालय ने यह भी मत व्यक्त किया है :–

> "...............ऐसे संस्वीकृति कथन के आधार पर अवलंब लिया जा सकता है और दोषसिद्धि भी की जा सकती है यदि संस्वीकृति से संबंधित साक्ष्य ऐसे साक्ष्य द्वारा दिया जाता है जो निष्पक्ष हो और अभियुक्त के साथ उसकी कोई शत्रुता न हो और उसके संबंध में ऐसी कोई सामग्री न हो जिससे यह उपदर्शित होता हो कि उसका अभियुक्त के विरुद्ध मिथ्या कथन देने का हेतु है ।"

16. उपर्युक्त प्रतिपादना को ध्यान में रखते हुए, ऐसा कोई निश्चित नियम नहीं है कि न्यायिकेतर संस्वीकृति कथन कभी भी दोषसिद्धि का आधार नहीं हो सकता और मात्र यह तथ्य कि न्यायालय को उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए उपर्युक्त सिद्धांतों का अनुपालन करना चाहिए । उपर्युक्त सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, यदि हम वर्तमान मामले पर विचार करें तब यह स्पष्ट होता है कि अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा अभि. सा. 3 और अभि. सा. 7 के समक्ष दिए गए संस्वीकृति कथन अभियुक्त के प्रति पक्षपाती नहीं है न ही इन साक्षियों के अभियुक्त के साथ कोई शत्रुता है कि वे अभियुक्त के विरुद्ध मिथ्या कथन दें । जैसाकि हमने यह निष्कर्ष निकाला है कि अभियुक्त ने इन साक्षियों के समक्ष स्वेच्छया कथन बिना किसी परिस्थिति से प्रकोपित हुए दिया है, इसलिए यह कहा जा सकता है कि अभियुक्त ने संस्वीकृति कथन ठीक हालत में दिया है । अन्य साक्षियों द्वारा ये तथ्य बताए गए हैं कि अनिल गढ़ का शव उस स्थान पर पाया गया था जहां अभियुक्त ने अभि. सा. 7 और अभि. सा. 13 के समक्ष अपराध कारित करना स्वीकार किया था, अभियुक्त के कहने पर अपराध में प्रयोग किए गए आयुध की बरामदगी एक अन्य पारिस्थितिक साक्ष्य है जिससे अभियुक्त का अपराध में आलिप्त होना उपदर्शित होता है । अभिलेख पर उपलब्ध ऐसी सामग्री को दृष्टिगत करने पर हमारा यह मत है कि न्यायिकेतर संस्वीकृति कथन, जिसका अभियोजन पक्ष द्वारा अवलंब लिया गया है, के आधार पर की गई अभियुक्त की दोषसिद्धि पूर्णतया न्यायोचित है और इस प्रकार दोषसिद्धि और दंडादेश चलने योग्य है ।

17. तद्नुसार, हमारा यह दृढ़ मत है कि अभियुक्त को दंड संहिता की धारा 302 के अधीन ठीक ही दोषी अभिनिर्धारित किया गया है और इस प्रकार अधिनिर्णीत दोषसिद्धि तथा दंडादेश तद्द्वारा कायम रखे जाते हैं । अपील में कोई सार नहीं है और तद्नुसार यह खारिज की जाती है ।

18. मामले के अभिलेख का निपटारा करने के पूर्व, हम विद्वान् न्यायमित्र श्री आर. एम. चौधरी द्वारा दी गई सहायता की प्रशंसा करते हैं और गुवाहाटी उच्च न्यायालय विधिक सहायता सेल को निदेश देते हैं कि उन्हें 7,000/- रुपए पारिश्रमिक के रूप में दिए जाएं ।

19. इस न्यायालय की एक प्रति के साथ निचले न्यायालय का अभिलेख वापस भेजा जाए ।

अपील खारिज की गई ।

अस.

(2016) 2 दा. नि. प. 194 **जम्मू-कश्मीर**

करनैल सिंह

बनाम

जम्मू-कश्मीर राज्य

तारीख 30 दिसंबर, 2015

न्यायमूर्ति बंशीलाल भट्ट और न्यायमूर्ति जनक राज कोतवाल

जम्मू-कश्मीर राज्य रणवीर दंड संहिता, 1989 संवत् (1932 ईस्वी) – धारा 302/120(ख)/109 – षड्यंत्र – हत्या – अभियुक्त-अपीलार्थियों द्वारा मृतक की हत्या किए जाने का अभिकथन किया जाना – यदि साक्षियों के परिसाक्ष्य में विरोधाभास है तो अभियुक्त-अपीलार्थियों की दोषमुक्ति उचित है ।

रणवीर दंड संहिता, 1989 – धारा 302/120(ख)/109 – हत्या – व्यपहरण – सफेद रंग की एम्बेसडर कार में मृतक का व्यपहरण किए जाने का अभिकथन किया जाना – व्यपहरण की कार्यवाही को किसी भी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी द्वारा साबित न किया जाना – अतः अभियुक्त-अपीलार्थियों की दोषमुक्ति न्यायोचित है ।

रणवीर दंड संहिता, 1989 – धारा 302/120(ख)/109 – मृतक के पास टेलीफोन होने का औचित्य – मृतक के पास जिस टेलीफोन होने की बात कही गई है, उसका रजिस्ट्रेशन नम्बर अभियुक्त के नाम दर्ज होना – उस टेलीफोन का अंतरण मृतक को किए जाने का साबित न होना भी अभियुक्त-अपीलार्थियों की दोषमुक्ति के लिए उचित है ।

रणवीर दंड संहिता, 1989 – धारा 302/120(ख)/109 – पारिस्थितिक साक्ष्य – जहां अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए पारिस्थितिक साक्ष्य से यह निष्कर्ष निकलता है कि इन परिस्थितियों से अभियुक्त-अपीलार्थियों की दोषिता प्रकट नहीं होती है और न्यायोचित ठहराने के लिए पारिस्थितिक साक्ष्य की शृंखला पूरी नहीं होती है तो दोषसिद्धि का निष्कर्ष अनुचित है और अभियुक्त-अपीलार्थियों को दोषमुक्त किया जाना न्यायसंगत है ।

तारीख 26 अगस्त, 2005 को 10.30 बजे पूर्वाह्न पुलिस पोस्ट ग्रेटर कैलाश, जम्मू में यह सूचना प्राप्त की गई थी कि ग्रेटर कैलाश पर झरने के नजदीक स्थित नहर में अज्ञात शव बरामद हुआ है, इस पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 174 के अधीन कार्यवाहियां प्रारम्भ की गईं । शव नहर से निकाला गया था । मृतक के हाथ रस्सी से बांधे पाए गए थे । रस्सी गर्दन के चारों ओर पाई गई थी । प्लास्टिक की रस्सी से शव को बंधा हुआ पाया गया था । शव और वस्त्रों के अभिग्रहण के बारे में विधिक औपचारिकताएं पूरी की गई थीं । शव को सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय, जम्मू के मुर्दाघर कक्ष में रखा गया । अज्ञात व्यक्ति के शव की बरामदगी के बारे में प्रिंट और इलैक्ट्रोनिक मीडिया के माध्यम से उस बात को प्रकाशित किया गया । सभी पुलिस थानों को अज्ञात शव की बरामदगी के बारे में सूचना दी गई थी । तारीख 27 अगस्त, 2015 को विजय मोहन शर्मा नामक व्यक्ति ने, जो मृतक के शव की पहचान करने के लिए पहुंचा, उसने मृतक को अपना भाई बताया और शव का नाम नितिन शर्मा पुत्र सुरेन्द्र मोहन शर्मा, जाति ब्राह्मण, जिला कठुआ, नागरी पेरोल, वार्ड नं. 2 का निवासी बताया । शनाख्ती ज्ञापन तैयार किया गया था और विजय मोहन शर्मा का कथन अभिलिखित किया गया था । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 175 के अधीन अभिलिखित अपने कथन में विजय मोहन शर्मा ने यह कथन किया कि मृतक मैटाडोर ड्राइवर के पद पर कार्य करता था और संजय नगर, जम्मू में किराए के मकान में रहता था, उसका विवाह नीतू पुत्री एस. एस. पी. करनैल सिंह के साथ तारीख 31 मार्च, 2005 को हुआ था, करनैल सिंह इस बात से बहुत नाखुश था जिसने मृतक और उसके कुटुम्ब के अन्य सदस्यों को धमकियां भी दी थीं । विजय मोहन शर्मा ने यह अभिकथन किया है कि अभियुक्त करनैल सिंह ने नागरी पेरोल में उसके भाई राजेश कुमार के विरुद्ध मिथ्या मामला दर्ज किया था जो परेशान करने का उपाय था । उसने यह भी अभिकथन किया है कि अभियुक्त करनैल सिंह ने पूरे कुटुम्ब को समाप्त करने की धमकी दी थी । उसने यह भी कथन किया है कि तारीख 24 अगस्त, 2005 को कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने उसे सूचित

करते हुए, जम्मू से दूरभाष काल की थी कि कुछ व्यक्ति जिन्होंने सादे कपड़े पहने हैं, ने सरकारी एम्बेसडर कार में डोगरा एकेडमी से मृतक को उठा ले गए हैं और जिसमें लाल रंग की लाइट लगी हुई थी और मृतक को किसी अज्ञात स्थान पर ले गए हैं । उसने यह भी कथन किया कि उसने और उसके कुटुम्ब के सदस्यों ने मृतक को ढूंढा और उसकी जानकारी में यह बात आई कि ग्रेटर कैलाश की नहर पर शव की बरामदगी भी की गई है, उसने मुर्दाघर में मृतक की पहचान की । उसने यह अभिकथन किया है कि करनैल सिंह द्वारा कुछ अन्य अज्ञात व्यक्तियों के साथ षंड्यत्र रचकर मृतक की हत्या की गई और यह बात विजय मोहन शर्मा के कथनों के आधार पर प्रकट है और जिस आधार पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 174 के अधीन कार्यवाहियां समाप्त की गई थीं और रणवीर दंड संहिता की धारा 302/364/109 के अधीन अपराधों के लिए प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 79/2005, पुलिस थाना गंगोयाल पर दर्ज की गई थी । अन्वेषण प्रारम्भ किया गया । मृतक के शव को शवपरीक्षण परीक्षा के लिए भेजा गया था । साक्षियों के कथन अभिलिखित किए गए थे । करनैल सिंह की पुत्री नीतू देवी के पहने गए कपड़े और मृतक के नीतू देवी के साथ विवाह से संबंधित पत्रों और दस्तावेजों की प्रतियां अभिगृहीत की गई थीं । अभियुक्त नरेश कुमार, सोहन लाल **उर्फ** सोनू **उर्फ** खनीद, जीत कुमार उर्फ जीतू और दलीप कुमार **उर्फ** लक्की के किए गए प्रकटीकरण कथनों के अनुसरण में बरामदगियां की गई थीं । मृतक का मोबाइल फोन और ड्राइविंग लाइसेंस और एक जोड़ा जूता और मृतक की हत्या के लिए प्रयोग किए गए अभिकथित रस्सी अभियुक्त नरेश कुमार के प्रकटीकरण कथन के अनुसरण में बरामद की गई थी । मृतक से संबंधित सिम कार्ड, अभियुक्त दलीप सिंह **उर्फ** लक्की द्वारा किए गए प्रकटीकरण कथन के आधार पर बरामद किया जाना कहा गया है । मृतक से संबंधित स्पोर्ट कैप अभियुक्त सोहन लाल **उर्फ** सोनू **उर्फ** खनीद के प्रकटीकरण कथन के आधार पर बरामद किए जाने का अभिकथन किया गया है । बेस बाल बैट अभियुक्त जीत कुमार **उर्फ** जीता के प्रकटीकरण के अनुसरण में बरामद किए जाने का अभिकथन किया गया है । घटनास्थल के नक्शे के साथ-साथ प्रकटीकरण कथन और बरामदगी ज्ञापन तैयार किए गए थे । तात्विक साक्ष्य की भांति पत्थर, पत्तियां और जूट का थैला तथा मृतक की रक्त-रंजीत कमीज अभिगृहीत किए गए थे । मृतक द्वारा पहने गए कपड़े न्यायालयिक प्रयोगशाला (एफ. एस. एल.) जम्मू पर रासायनिक विश्लेषण के लिए भेजे गए थे । एम्बेसडर कार जिसका रजिस्ट्रीकरण सं. 1117-जेके 01 एफ भी अभिगृहीत किया गया था । शासकीय एम्बेसडर कार की

लागबुक, वाउचर बुक और एम. क्यू. द्वारा पेश किए गए स्टाक रजिस्टर की प्रति अभिगृहीत की गई थी । यह निष्कर्ष निकाला गया था कि अभियुक्त करनैल सिंह ने अपने शासकीय एम्बेसडर कार की रजिस्ट्रेशन सं. में हेरफेर करने के लिए अपने ड्राइवर की सेवाओं को इस्तेमाल में लिया था जिस पर कार का नं. 4117-जेके 01ई दिखाया गया था । यह भी पाया गया था कि शासकीय एम्बेसडर कार को तारीख 20 जुलाई, 2005 से 26 अगस्त, 2005 को सर्विस या मरम्मत के लिए भेजा गया था । अन्वेषण में भी प्रकट हुआ है कि अभियुक्त नरेश कुमार ने शास्त्री नगर के एस. टी. डी. फोन सं. 2454299 से मृतक के मोबाइल नं. 9906212436 पर दो काल करके मृतक से संपर्क किया था और डोगरा एकेडमिक पर मृतक को बुलाने के लिए फोन सं. 2452564 बाजवा एस. टी. डी. शास्त्री नगर से अंतिम काल की थी जहां से उसका व्यपहरण किया गया था । यह भी प्रकट हुआ है कि उक्त अभियुक्त ने अभियुक्त रत्नो देवी से उसके लैंडलाइन सं. 2455183 पर भी संपर्क किया था । यह भी प्रकट हुआ था कि अभियुक्त करनैल सिंह द्वारा अपने मोबाइल नं. 9419131835 पर मृतक के फोन से काल प्राप्त किए थे । इन तथ्यों से यह प्रकट होता है कि अभियुक्त करनैल सिंह और उसकी पत्नी रत्नो देवी मृतक से घोर शत्रुता रखते थे । शवपरीक्षण रिपोर्ट से यह प्रकट हुआ है कि मृतक का गला घोंटकर हत्या की गई थी । अन्वेषण से यह भी प्रकट हुआ है कि मृतक के करनैल सिंह की पुत्री नीतू देवी से पिछले 7/8 वर्षों से अवैध संबंध थे और उन्होंने नीतू देवी के माता-पिता की इच्छा के विरुद्ध न्यायालय में 31 मार्च, 2005 को विवाह किया था । अभियुक्त करनैल सिंह इस विवाह से बहुत क्रोधित था और उसने दूरभाष से काल करके मृतक और उसके कुटुम्ब को धमकियां दी थीं । मृतक गांधी नगर, शास्त्री नगर सड़क पर मैटाडोर चलाता था और पेशे से ड्राइवर था और उसने अपना घर छोड़ दिया था और संजय नगर, जम्मू पर किराए के मकान में रहता था । यह भी प्रकट हुआ है कि मृतक और नीतू देवी ने कुछ समय के लिए जम्मू छोड़ दिया था परंतु बाद में वापस लौट आए । अन्वेषण से यह भी प्रकट हुआ है कि अभियुक्त करनैल सिंह अपनी पत्नी रत्नो देवी से क्रोधित था क्योंकि उसके अनुसार रत्नो देवी अपनी पुत्री के क्रियाकलापों पर ध्यान देने में विफल हुई थी । नीतू देवी के गतिविधियों पर निर्बंधन अधिरोपित किए जाने थे जो अपने मकान के ऊपरी छत से कूदी थी और कुछ समय तक उसको क्षतियां पहुंचने के कारण वह घर पर रुकी रही । अन्वेषण में यह भी प्रकट हुआ है कि अभियुक्त करनैल सिंह और उसकी पत्नी रत्नो देवी मृतक को काबू करने में विफल रहे थे इसलिए उन्होंने

मृतक को मिटाने की योजना बनाई । यह भी प्रकट हुआ है कि अभियुक्त रत्नो देवी ने अभियुक्त नरेश कुमार के साथ षड्यंत्र में शामिल थी जिसे एस. पी. ओ. के पद पर करनैल सिंह द्वारा भर्ती किया गया था और लंगर पर करनैल सिंह के मकान के संनिर्माण कार्य की देख-रेख करता था । नरेश कुमार के बारे में उक्त षड्यंत्र को अंजाम देने के लिए पांच लाख रुपए की राशि की मांग किए जाने का अभिकथन किया गया है । तथापि, नरेश कुमार की नौकरी को नियमित किए जाने के अतिरिक्त एक लाख तीस हजार रुपए का सौदा हुआ था और उसके लिए एक बड़ा जलसा भी रखा गया था । तारीख 24 अगस्त, 2005 को अभियुक्त नरेश कुमार ने अपने मोबाइल फोन से मृतक से संपर्क भी किया था और उक्त काल अभियुक्त द्वारा अपने चाचा के निवास से लैंडलाइन फोन सं. 2480656 द्वारा की गई थी । मृतक ने उससे यह कहा था कि वह उसके किराए के मकान में रह रहा है । यह भी प्रकट हुआ है कि अभियुक्त नरेश कुमार ने मृतक से पहले भी इस बाबत संपर्क किया था कि वह नीतू देवी से उसकी मुलाकात कराएगा । अभियुक्त नरेश कुमार ने मृतक के अते-पते के बारे में अभियुक्त रत्नो देवी को सूचित किया था और उससे यह कहा कि गाड़ी मुहैया कराने के अतिरिक्त वह कुछ अग्रिम राशि की भी व्यवस्था करें । अभियुक्त रत्नो देवी ने जिसका रजिस्ट्रेशन नं. 1117 जेके 01एफ का ड्राइवर सुरेश कुमार से लंगर पर निर्माणाधीन कोठी पर उसे लाने के लिए कहा । उसने उसे एक हजार रुपए भी दिए और नरेश कुमार के सलाह के अनुसार उससे कार्य करने के लिए कहा । अभियुक्त नरेश कुमार लंगर पर कार को चलाकर ले आया और नरेश कुमार को एक हजार रुपए दिए गए और जिससे यह कहा गया कि वह संजय नगर की ओर उस कार को ले जाएं क्योंकि करनैल सिंह के कहने पर मृतक को उसके किराए के मकान से उठाया जाना था । अन्वेषण से यह भी प्रकट हुआ है कि अभियुक्त करनैल सिंह ने मृतक के माता-पिता को बार-बार कई टेलीफोन से काल की थीं जिसमें मृतक को मिटाने की धमकी दी गईं । अभियुक्त सोहनलाल **उर्फ** सोनू **उर्फ** खनीद, जयमल कुमार **उर्फ** जीवू, जीत कुमार **उर्फ** जीता और दलीप कुमार **उर्फ** लक्की जो पहले ही वहां पर बैठे हुए थे और करनैल सिंह के निवास पर उसकी इन्तजार करने के लिए रुके हुए थे जिसे संजय नगर से एम्बेसडर कार से उतरना था जहां से नरेश कुमार ने चिब सेल्स कारपोरेशन के एस. टी. डी. से लैंडलाइन फोन सं. 2454299 से मृतक को दो काल की थीं जिसने अपने एयरटेल मोबाइल नं. 9906212436 से फोन काल प्राप्त की थी और उसे कहा गया था कि वह डोगरा एकेडमी के नजदीक मौजूद रहे । तथापि, मृतक वर्णित घटनास्थल पर मौजूद नहीं

पाया गया था । अभियुक्त नरेश कुमार ने बाजवा एस. टी. डी. बूथ से लैंडलाइन सं. 2451564 से पुनः टेलीफोन काल की थी जिसमें मृतक के मोबाइल फोन पर सम्पर्क किया गया था और डोगरा एकेडमी के नजदीक लाइन पर रहने के लिए उसे कहा गया । जैसे ही मृतक वहां पहुंचा, छह अभियुक्त व्यक्तियों ने मृतक को एम्बेसडर कार में बलपूर्वक उठा लिया था जिस कार को अभियुक्त सुरेश कुमार द्वारा चलाया जा रहा था । मृतक को लंगर पर करनैल सिंह के निर्माणाधीन कोठी से दूर ले जाया गया था । अन्वेषण से यह भी प्रकट हुआ है कि मृतक के जंगल में पहने जाने वाले जूतों के फीते से उसके हाथ बांध दिए थे और शारीरिक हिंसा पहुंचाई गई थी और उसके शरीर को प्लास्टिक की रस्सी से अलमारी में बांध दिया गया था और अभियुक्त शाम तक वहां पर रहे । अभियुक्त नरेश कुमार ने अपने चाचा प्रेमदास के मकान में स्थित लैंडलाइन सं. 2480656 पर टेलीफोन काल की थी जिसे अभियुक्त रत्नो देवी द्वारा अपने लैंडलाइन सं. 2465183 में प्राप्त किया गया था । अभियुक्त नरेश कुमार ने रत्नो देवी को सूचना देते हुए कि मृतक उनकी कोठी पर लाया गया था और उसने कुछ और पैसों की मांग की थी । रत्नो देवी ने यह उत्तर दिया कि यदि गाड़ी के प्लेट की संख्या को बदला नहीं गया है तो उसे उस कार्य को करना चाहिए और उसके निवास में स्थित कार्यालय पर उसे वापस लाना चाहिए और उसे वहां पर पैसे दिए जाएंगे । नरेश कुमार ने उससे कहा कि उसके पास कम समय है । रत्नो देवी ने उससे कहा कि वह मृतक को मिटा दे और उसे यह भी बताया गया कि उसने कांस्टेबल सुखचैन सिंह की मार्फत 10,000/- रुपए की रकम भेजी थी और ड्राइवर से यह कहा गया था कि वह गाड़ी की प्लेट की संख्या को बदल दे । तथापि, करनैल सिंह के कार्यालय स्थित निवास पर गाड़ी को ले गया था । अभियुक्त जगमाल कुमार **उर्फ** जीवू भी उसके घर से चला था । लगभग 7 बजे अपराह्न कांस्टेबल सुखचैन सिंह ने कोठी के बाहर अभियुक्त नरेश कुमार को दस हजार रुपए दिए थे । उस समय लगभग 10.30 बजे अपराहन का समय था और अभियुक्त सुरेश कुमार, सोहनलाल **उर्फ** खनीद, जीत कुमार **उर्फ** जीता और दलीप सिंह **उर्फ** लक्खी मृतक को ग्रेटर कैलाश नहर की ओर ले गए थे । मृतक अपने जीवन को बचाने के लिए खाई में कूद गया था किन्तु अभियुक्त ने खाई में उसे पकड़ लिया था और अभियुक्त नरेश कुमार ने मृतक की गर्दन के चारों ओर से जूतों के फीते बांध दिया था और उसने अभियुक्त दलीप सिंह के साथ फीते के दो किनारे से उसकी गर्दन को खींचा था जबकि सोहनलाल **उर्फ** खनीद और जीत कुमार **उर्फ** जीता ने मृतक को पकड़ा था और उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया था । तत्पश्चात् अभियुक्तों ने अभियुक्त

सोनी द्वारा लाए गए बेस बोल बैट से मृतक पर हमला किया । मृतक के शव को बाग के नजदीक नहर में फेंक दिया गया था । अन्वेषण से यह भी प्रकट हुआ है कि इन अभियुक्तों ने अभियुक्त करनैल सिंह के कहने पर मृतक की हत्या की थी और हत्या को कराने में रत्नो देवी ने षड्यंत्र रचा था । रणवीर दंड संहिता की धारा 230ख के अधीन आरोप, आरोप पत्र में जोड़े गए थे । इस प्रकार अभियुक्त नरेश कुमार, सोहनलाल, जीत कुमार और दलीप के विरुद्ध रणवीर दंड संहिता की धारा 302/364/120ख के अधीन अपराध के लिए अन्वेषण करने के पश्चात् आरोप पत्र फाइल किया गया था, अभियुक्त जयमल कुमार और अभियुक्त सुरेश कुमार के विरुद्ध रणवीर दंड संहिता की धारा 3ख के अधीन अपराध के लिए आरोप पत्र फाइल किया गया जबकि अभियुक्त रत्नो देवी के विरुद्ध रणवीर दंड संहिता की धारा 302/120ख के अधीन अपराध के लिए और अभियुक्त करनैल सिंह के विरुद्ध रणवीर दंड संहिता की धारा 302/109 के अधीन अपराध के लिए आरोप पत्र फाइल किया गया था ।

विचारण न्यायालय ने अभियुक्त नरेश कुमार, सोहनलाल, जीत कुमार, जयमल कुमार, दलीप सिंह और सुरेश कुमार के विरुद्ध रणवीर दंड संहिता की धारा 120ख, 302, 364 के अधीन अपराध के लिए और अभियुक्त रत्नो देवी और करनैल सिंह के विरुद्ध रणवीर दंड संहिता की धारा 120ख/302/109 के अधीन आरोप विरचित किए । अभियुक्त ने दोषी नहीं होने का अभिवाक् किया और विचारण किए जाने का दावा किया । अभियोजन पक्ष ने विचारण पर साक्ष्य पेश किया । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 342 के अधीन परीक्षा में अभियुक्त ने अभियोजन साक्ष्य में प्रकट अपराध में फंसाने वाली परिस्थितियों से इनकार किया है और यह अभिवाक् किया कि उन्हें मिथ्या मामले में फंसाया गया है और प्रतिरक्षा में कोई साक्ष्य पेश नहीं किया था । अभियोजन पक्ष द्वारा विचारण के दौरान अभिलेख पर विचार करने के लिए साक्ष्य लाया गया था, विचारण न्यायालय ने अभियुक्त की दोषसिद्धि को अभिलिखित किया और दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय के निबंधनों में उन्हें दंडादिष्ट किया और दंडादेश के आदेश को वर्तमान अपीलों के माध्यम से आक्षेपित किया गया । अपीलें मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – प्रथम परिस्थिति जिसका अभियोजन पक्ष द्वारा अवलंब लिया गया है वह मृतक और नीतू देवी के बीच प्रेम-प्रसंग है जिसकी परिणिति अत्यधिक प्रतिरोध के बावजूद अन्तर्जातीय प्रेम विवाह में घटी और जबकि नीतू देवी के माता-पिता द्वारा उसके आने-जाने में निर्बंधन

अधिरोपित किए गए थे । अभियोजन पक्ष द्वारा विचारण के दौरान लाए गए साक्ष्य का उल्लेख करने पर यह प्रकट होता है कि क्या अपराध के हेतु के पहलू पर अभियोजन पक्ष ने अभि. सा. बाबी शर्मा, बलदेव राज और नरेन्द्र कुमार के साक्ष्यों का अवलंब लिया । अभि. सा. बाबी शर्मा मृतक का भाई है । उसके परिसाक्ष्य से यह प्रकट हुआ है कि मृतक के विद्यालय में पढ़ने के दिनों से ही करनैल सिंह की पुत्री से प्रेम-प्रसंग चल रहे थे । उसने यह दावा किया कि उसने मृतक को संबंध न बनाने के लिए उसे राजी करने की कोशिश की परन्तु करनैल सिंह की पुत्री निरन्तर उनके मकान पर आया जाया करती थी । उसने यह भी दावा किया है कि उसने नीतू देवी को पकड़ा था जब वह उनके घर पर आई थी और उसे करनैल सिंह के समक्ष पेश किया था । तथापि, नीतू देवी ने मृतक से संबंध बनाना नहीं छोड़ा और उसे बराबर टेलीफोन करती रही । इसके परिसाक्ष्य में यह बात प्रकट हुई है कि करनैल सिंह ने एस. टी. डी. बूथ से उसके पिता को बुलाया था जहां उसके पिता की टेलीफोन से वार्तालाप हुई थी जिसमें करनैल सिंह के बारे में उसके पिता को धमकाया जाना कहा गया है । आगे उसके परिसाक्ष्य से यह भी प्रकट हुआ है कि करनैल सिंह और उसका कुटुंब जम्मू चला गया था और मृतक भी जम्मू चला गया था जहां उसने मेटाडोर के ड्राइवर के रूप में कार्य करना प्रारंभ कर दिया था । यद्यपि इस साक्षी ने यह दावा किया है कि मृतक ने तारीख 31 मार्च, 2005 को नीतू देवी के साथ संविदा विवाह किया था और पुलिस ने नीतू देवी के पहने गए कपड़े तथा नीतू देवी द्वारा मृतक को लिए गए पत्र अभिगृहीत किए थे जो जम्मू पर मृतक नितिन शर्मा के किराए के कमरे से बरामद किए गए थे । इसके अतिरिक्त विवाह करार प्रदर्श पी. डब्ल्यू. वी. एस. 1 से चिह्नित किया गया है, को भी अभिगृहीत किया गया है । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि इस प्रभाव का उसका कथन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन अभिलिखित उसके कथन में उल्लिखित नहीं है । उसने यह भी स्वीकार किया कि उसकी मौजूदगी में विवाह अनुष्ठापित नहीं हुआ था । इस साक्षी के परिसाक्ष्य का बारीकी से मूल्यांकन और न्यायोचित ठहराने के लिए यह निष्कर्ष निकाला गया कि मृतक नितिन शर्मा और नीतू देवी के बीच प्रेम-प्रसंग था । उन्हें समझाने के बावजूद उन दोनों में से कोई भी इन संबंधों को त्यागने के लिए तैयार नहीं हुआ और ऐसे संबंधों को स्वीकार करने में दोनों कुटुंबों की अनिच्छा होने के बावजूद भी उनके प्रेम-प्रसंग चलते रहे और अन्तर्जातीय विवाह पर उनकी सहमति हो गई । अभि. सा. नरेन्द्र कुमार नागरी का निवासी है ।

उसने मृतक नितिन शर्मा और नीतू देवी के बीच प्रेम-प्रसंग के बारे में अभिसाक्ष्य दिया था । उसने पुलिस को यह बात बताई जाने का भी दावा किया है कि मृतक ने नीतू देवी के साथ संविदा विवाह किया था । अभि. सा. बलदेव राज, जो ग्राम नागरी पेरोले का निवासी है, उसने भी यह अभिसाक्ष्य दिया कि 4/5 वर्षों से मृतक और नीतू देवी के बीच प्रेम-प्रसंग चल रहा था और उन्होंने तारीख 31 मार्च, 2005 को करनैल सिंह के अत्यधिक नापसंद होने पर भी संविदा विवाह कर लिया था जिसने मृतक के पिता को धमकाया था और मृतक की हत्या करने के पश्चात् पुलिस से सांठ-गांठ कर ली थी । इस साक्षी ने अभिग्रहण ज्ञापन, जिसे प्रदर्श पी. डब्ल्यू. पी. एस. 1 से चिह्नित किया गया है जिस पर उसके हस्ताक्षर भी हैं, उसे भी सिद्ध किया है, जिसके फलस्वरूप नीतू देवी द्वारा मृतक को लिखे गए प्रेमपत्र इसके अतिरिक्त विवाह करार और नीतू देवी द्वारा पहने गए कपड़े, जिन्हें अभि. सा. बाबी शर्मा द्वारा पुलिस के समक्ष पेश किए गए जब पुलिस उन्हें अभिगृहीत करने पहुंची । उसने प्रेम पत्रों के बारे में सुपुर्दनामा, जिसे प्रदर्श पी. डब्ल्यू. बी. आर. से चिह्नित किया गया है, को भी साबित किया है । उसकी प्रतिपरीक्षा से यह प्रकट हुआ है कि इस साक्षी ने विवाह करार के आधार पर विवाह के बारे में अभिसाक्ष्य दिया है और वह वैयक्तिक रूप से विवाह में सम्मिलित नहीं हुआ था । उसके अभिसाक्ष्य से यह भी प्रकट हुआ है कि अभि. सा. बाबी शर्मा ने स्वयं मूल दस्तावेज रखे थे और जिनकी पुलिस के समक्ष फोटोस्टेट प्रतियां पेश की गईं । इस तथ्य की अभि. सा. बाबी शर्मा के परिसाक्ष्य से संपुष्टि हुई है जिसने विचारण न्यायालय के समक्ष मूल दस्तावेज प्रस्तुत किया जब उसका परिसाक्ष्य अभिलिखित किया जा रहा था । विवाह करार जिसे प्रदर्श एम. के. चिह्न डाला गया है, के बारे में प्रारंभिक साक्ष्य, दो शपथपत्र क्रमशः प्रदर्श एन. के. 1 और प्रदर्श एन. के. 2 के रूप में साबित किया गया है उन्हें अभि. सा. नरेन्द्र कौर, अधिवक्ता नोटरी पब्लिक साबित किया गया है जिसने उन्हें साक्ष्यांकित किया था और हस्तलिखित विशेषज्ञ द्वारा पत्रों के बारे में नीतू देवी/नीतू रानी के हस्तलिखित होने की राय व्यक्त की थी जिन्हें विचारण के दौरान अभिलेख पर रखा गया था । मामले की इस पहलू पर दिया गया साक्ष्य अकाट्य और विश्वसनीय है और साक्षियों की प्रतिपरीक्षा करने पर ही इस बारे में कुछ भी प्रकट नहीं हुआ है कि मृतक और नीतू देवी के बीच प्रेम-प्रसंग की कहानी के बारे में जो उनके प्रेम विवाह में तब्दील हुआ है उस पर अभियोजन वृत्तांत को त्यक्त किया जाए जिसके परिणामस्वरूप उनका अन्तर्जातीय विवाह हुआ था तथा मृतक की

अभियुक्त करनैल सिंह के समक्ष कोई सामाजिक प्रतिष्ठा का मिलान नहीं हुआ था और यह बात अपराध के हेतु को प्रकट करती है । पूर्वोक्त साक्षियों द्वारा दिया गया अभियोजन साक्ष्य, जिससे उनकी विश्वसनीयता सही नहीं होती है, और स्पष्टतया यह साबित किया गया कि मृतक और नीतू देवी के बीच प्रेम-प्रसंग को नीतू देवी के माता-पिता द्वारा गंभीर नाराजगी देखी गई थी और उनके प्रेम को निष्फल करने के लिए निरन्तर मृतक और नीतू देवी के क्रियाकलापों को निर्बंधित करने का सही प्रयास किया गया और यह मृतक का मिटाने का हेतु हो सकता है । साक्ष्य का पुनःमूल्यांकन करने पर सुरक्षित रूप से यह अभिनिर्धारित किया जा सकता है कि अभियोजन पक्ष ने इस परिस्थिति को सफलतापूर्वक सिद्ध किया है । (पैरा 12)

दूसरी परिस्थिति, मृतक को मिटाने के बारे में धमकियां देना है जो करनैल सिंह द्वारा मृतक और उसके कुटुंब को दिए जाने का अभिकथन किया गया है । बलदेव राज के अतिरिक्त मृतक के पिता और भाई ने इस पहलू पर अभिसाक्ष्य दिया है । अभि. सा. विजय मोहन मृतक का भाई है । उसने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि मृतक और उसके पिता को धमकी देने के बावजूद करनैल सिंह ने तीन या चार बार उन्हें धमकियां दी थीं कि उसके कुटुंब के सभी सदस्यों की गोली मारकर हत्या कर दी जाएगी । उसने यह दावा किया कि तारीख 24 अगस्त, 2005 को जब उसने मृतक से एक माह बीत जाने के बाद भी गांव नहीं आने के कारण की पूछताछ की तब मृतक भयभीत था तब उसने बताया कि करनैल सिंह ने उसे धमकी दी है । इस साक्षी ने मोबाइल नं. 9906212436 से मृतक से काल पर बातचीत करने का भी दावा किया है । मृतक के बारे में उससे यह बात कहे जाने के बारे में भी बताया गया है कि वह 8.30 बजे अपराह्न कठुआ पर पहुंचेगा और इस साक्षी ने वहां पर उसकी इंतजारी की । उसने आगे यह भी साक्ष्य दिया कि मृतक ने उसे यह बताया कि वह इसके पश्चात् जम्मू वापस नहीं जाएगा । उसने पुनः 2.30 बजे अपराह्न मृतक से सम्पर्क करने की कोशिश का दावा किया परन्तु उसे कोई उत्तर नहीं मिला था । यह बात मृतक के अभिकथित व्यपहरण के बाद घटित होना कहा गया है । इस साक्षी ने करनैल सिंह की ओर से तारीख 21 अगस्त, 2005 को पुलिस चौकी नागरी पर मामला दर्ज करने के बारे में भी अभिसाक्ष्य दिया है जिसमें राजेश कुमार को रणवीर दंड संहिता की धारा 376 के अधीन अपराध से मामले में मिथ्या फंसाया गया था । उसने यह दावा किया है कि पुलिस ने रणवीर दंड संहिता की धारा 354 के अधीन मामले को रजिस्ट्रीकृत किया

था । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि सरवण कुमार और उसकी पत्नी नीलम ने यह कथन करते हुए मामला रजिस्टर किया था कि राजेश कुमार ने नीलम की लज्जा भंग की थी और मामले का अन्वेषण करने पर सक्षम न्यायालय के समक्ष राजेश कुमार के विरुद्ध आरोप पत्र फाइल किया गया था । चूंकि पुलिस चौकी नागरी पेरौले के ओ. आई. सी. ने उसके अभिकथन को सिद्ध करवाने के लिए परीक्षा नहीं की कि अभियुक्त करनैल सिंह का राजेश कुमार के विरुद्ध पूर्वोक्त मामला दर्ज करने में कोई हाथ था । इस अभिकथन के बारे में साबित किया जाना नहीं कहा जा सकता है । इस साक्षी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन अभिलिखित अपने कथन से विरोध प्रकट किया था जिसमें करनैल सिंह से मिलने वाली किसी धमकी का कोई उल्लेख नहीं किया गया है । यह प्रतीत होता है कि इस साक्षी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन अन्वेषक अधिकारी के समक्ष प्रकट अपने वृत्तांत में सुधार किए हैं । इस तथ्य के अलावा कि तारीख 24 अगस्त, 2005 को मृतक के साथ उसकी वार्तालाप के बारे में इस साक्षी की विश्वसनीयता, जिसमें उसने मृतक से बातचीत किए जाने का दावा किया है कि करनैल सिंह ने मृतक द्वारा कब्जे में रखे गए मोबाइल नं. 9906212436 पर उसे धमकियां दी थीं जैसा कि अभि. सा. मनीष बिन्द्रा, नोडल अधिकारी के अनुसार जो भारती एयरटेल में था, उसने अगस्त, 2005 महीने में मोबाइल नं. 9906212436 का नम्बर लंगर कालू चैक के निवासी हंसराज के नाम में रजिस्ट्रीकृत किया था, जो इस मामले में अभियुक्त है । यह तथ्य अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि पूर्व में मृतक से संसूचना के संबंध में सम्पूर्ण अभियोजन और मृतक के अभिकथित व्यपहरण के समय पर जब उसकी हत्या करने की ओर अग्रसर हुआ था तब मोबाइल नम्बर 9906212436 मृतक से संबंधित था । अभि. सा. बाबी शर्मा, मृतक का बड़ा भाई है । उसने यह अभिसाक्ष्य दिया कि अभियुक्त करनैल सिंह अपनी पुत्री नीतू देवी से मृतक को दूर करने के लिए मनाने हेतु उसके कुटुंब के सदस्यों को टेलीफोन किया करता था अन्यथा वह उसको मिटा देगा । उसने आगे यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि उसके पश्चात् अभियुक्त करनैल सिंह अपने कुटुंब को लेकर जम्मू चला गया था तब भी नीतू देवी ने अपने पिता के मकान में रखे गए लैंडलाइन फोन पर मृतक से सम्पर्क किया । उसके परिसाक्ष्य में यह प्रकट हुआ है कि लैंडलाइन फोन को विच्छेदित कर दिया गया जिससे कि मृतक से निरन्तर संबंध बनाने को प्रोत्साहन न मिले । परन्तु मृतक ने नीतू देवी से सम्पर्क बनाने के लिए मोबाइल फोन खरीद लिया था । इस साक्षी ने यह भी दावा किया कि मृतक से मोबाइल फोन छीन लिया गया था जिससे वह

नीतू देवी से बातचीत किया करता था, नीतू देवी ने उसे यह बताया कि वह मृतक के बिना जीवित नहीं रहेगी और उसके साथ वह संविदा विवाह करेगी । इस साक्षी ने यह दावा किया है कि करनैल सिंह ने एस. टी. डी. बूथ से उसके भाई को अपने पिता को बुलाने के लिए भेजा था जहां फोन पर करनैल सिंह ने मृतक को मिटाने की धमकी दी थी । इस साक्षी ने यह भी दावा किया है कि वह एस. टी. डी. बूथ पर अपने पिता के साथ गया । उसकी प्रतिपरीक्षा से यह भी प्रकट है कि इस साक्षी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन लिखित अपने अभिकथनों में सुधार किया है । उसने यह स्वीकार किया है कि अभियुक्त करनैल सिंह द्वारा उसके पिता को टेलीफोन से मिलने वाली धमकी के बारे में उसका कथन पुलिस के समक्ष उसके कथन में उल्लिखित नहीं है । अभि. सा. बलदेव राज ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि अभियुक्त करनैल सिंह ने मृतक के पिता को धमकाया था और उसने मृतक को मिटाने के पश्चात् पुलिस से भी सांठगांठ की थी । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि उसने घटना नहीं देखी थी जिसमें अभियुक्त करनैल सिंह द्वारा दंडित किया गया था । उसे यह बात मृतक से पता चली थी परन्तु उसने इस बारे में अपने कुटुंब को कुछ भी नहीं बताया । उसने यह अनुमान लगाया है कि करनैल सिंह ने मृतक को मिटाने के पश्चात् पुलिस से सांठगांठ की । इस साक्षी का परिसाक्ष्य करनैल सिंह मृतक और कुटुंब को मिलने वाली धमकी के अभिकथन को सिद्ध नहीं करता है । अभि. सा. सुरेन्द्र मोहन मृतक का पिता है । उसने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि उसने मृतक से नीतू देवी को संबंध न बनाने के लिए राजी करने का प्रयास किया था परन्तु वह मृतक के साथ अन्तर्जातीय विवाह करने के लिए दृढ़ थी । इस साक्षी ने उस घटना के बारे में भी बताया है कि जब करनैल सिंह ने एस. टी. डी. बूथ से उसके भाई के माध्यम से उसे बुलाया था जहां करनैल सिंह ने उसे टेलीफोन से धमकियां दी थीं और मृतक को जम्मू छोड़ने के लिए राजी करने पर विफलता की दशा में उसे मिटा दिया जाएगा । उसके परिसाक्ष्य से यह भी प्रकट हुआ है कि यह घटना मृतक की हत्या के दो-तीन माह पूर्व घटित होना इस साक्षी ने बताया था । इस साक्षी ने यह भी दावा किया है कि करनैल सिंह ने उसके छोटे भाई के माध्यम से, जो नागरी पुलिस चौकी पर कांस्टेबल के पद पर तैनात था, उसके पास भेजा था और इस साक्षी को करनैल सिंह टेलीफोन पर बातचीत करने के लिए पुलिस चौकी नागरी पर बुलाया गया था परन्तु वह अपनी बीमारी के कारण वहां नहीं जा सका और इसके बजाय एस. टी. डी. बूथ से उसने करनैल सिंह से बातचीत की । उसकी प्रतिपरीक्षा में यह भी प्रकट हुआ है कि प्रारंभ में

नागरी पुलिस चौकी के कांस्टेबल ने पुलिस चौकी नागरी पर उससे रिपोर्ट करने के लिए कहा था । इस साक्षी ने यह भी दावा किया है कि उसने मृतक को जम्मू नहीं जाने की सलाह दी जहां पर मेटाडोर ड्राइवर के पद पर कार्य करता था परन्तु मृतक ने उसकी सलाहानुसार कार्य किया । इस साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं होता है क्योंकि वह मृतक का पिता है । इस तथ्य के होते हुए भी वह उसके कल्याण में हितबद्ध था कि उसने मृतक को संपत्ति से वंचित कर दिया था । करनैल सिंह से ऐसी धमकी मृतक की हत्या किए जाने के 2-3 मास पूर्व मिली थी जो चेतावनी के रूप में थी ताकि मृतक के पिता नीतू देवी से मृतक के संबंध को दूर करने के लिए और उसे जम्मू छोड़ने के लिए मनाए । क्या यह धमकी कार्रवाई को परिणिति देने के लिए आशयित थी और उन परिस्थितियों पर आधारित थी जो मृतक की हत्या की घटना के समय पर या उससे पूर्व तत्कालीन रूप से उसका प्रभाव रहा है । अभि. सा. राजेश कुमार, मृतक का भाई है । उसने यह कहा कि मृतका का नीतू देवी से प्रेम-प्रसंग रहा था और वह जम्मू चला गया था जहां वह संजय नगर में किराए पर रहा था और मेटाडोर के ड्राइवर के पद पर कार्य करता था । उसके साक्ष्य में यह भी प्रकट हुआ है कि तारीख 24 अगस्त, 2005 को उसने लखनपुर, कार्यालय से फोन काल की थी जिसे मृतक द्वारा मोबाइल नं. 9906212436 पर प्राप्त किया गया था । उसने यह भी दावा किया है कि मृतक भयभीत था और उसने इस साक्षी को बताया कि उसने नीतू देवी के साथ संविदा कोर्ट मैरिज कर ली है और नीतू देवी ने उसे इस बात की भी सूचना दी थी कि उसके माता-पिता उसकी हत्या करने का षड्यंत्र रच रहे हैं । उसने उसे यह सलाह दी कि वह घर वापस लौट जाए । उसने यह दावा किया कि उसने मृतक को अपने घर वापस लौटने की सलाह दी और मृतक ने उसे बताया कि वह शाम को घर वापस लौट जाए । यह साक्षी की अपने पिता के परिसाक्ष्य से संपुष्टि हुई है कि मृतक की लगभग तीन मास पूर्व उसके पिता सुरेन्द्र मोहन को अभियुक्त करनैल सिंह द्वारा कुछ बातचीत करने के लिए पी. सी. ओ. पर बुलाया गया था । तथापि, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन उसके कथन में यह तथ्य परिलक्षित नहीं होता है । अभियोजन पक्ष द्वारा इस परिस्थिति के बारे में दिया गया साक्ष्य यद्यपि मृतक के पिता और भाइयों सहित निकट के नातेदारों के प्रकट हुई बातें दूषित होना प्रतीत नहीं होती हैं । मृतक के पिता अर्थात् सुरेन्द्र मोहन का परिसाक्ष्य इस परिस्थिति के बारे में संपुष्टि हुई है और इस बात को मात्र इस कारण से त्यक्त नहीं किया जा सकता । यह बात निकट के नातेदारों के मुंह से भी प्रकट हुई है जिनसे वास्तविक अपराधी को छोड़

दिए जाने और निर्दोष को फंसाने की आशा नहीं की जा सकती । तद्नुसार, इस परिस्थिति को अभियोजन पक्ष द्वारा साबित किया जाना ठहराया गया है । (पैरा 13)

तीसरी परिस्थिति, जिसका अभियोजन पक्ष द्वारा अवलंब लिया गया है, यह है कि तारीख 24 अगस्त, 2005 को अभियुक्त नरेश कुमार, एस. पी. ओ. करनैल सिंह की शासकीय कार सं. जेके 01 एफ 1117 का ड्राइवर अभियुक्त सुरेश कुमार के साथ तथा चार अन्य अभियुक्तों के साथ, उन्होंने डोगरा एकेडमी के नजदीक सार्वजनिक रूप से दोपहर में मृतक का व्यपहरण किया था और ग्राम लंगर पर अभियुक्त करनैल सिंह के निर्माणाधीन मकान से उसे उठा ले गए । यह भी अभिकथन किया गया है कि अभियुक्तों ने मृतक को मिटाने के लिए षड्यंत्र रचा था । अभियुक्त नरेश कुमार, जिसे करनैल सिंह, तत्कालीन ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, बार्डर द्वारा एस. पी. ओ. के पद पर उसे नियुक्त किया गया था और लंगर पर निर्माणाधीन मकान को देखने के लिए उसे तैनात किया गया था, उसने नितिन शर्मा की हत्या करने के लिए सुपारी के रूप में पांच लाख रुपए की मांग की थी, तथापि, यह कार्य एक लाख तीस हजार पर तय हुआ था । यह भी अभिकथन किया गया है कि तारीख 24 अगस्त, 2005 को अभियुक्त नरेश कुमार ने अपने चाचा के मकान से मृतक को उसके हालचाल पूछने के बारे में टेलीफोन से काल की थी और उस बात को सुनिश्चित करने के पश्चात् उसने अभियुक्त रत्नो देवी से सम्पर्क किया जिसने लंगर पर रिपोर्ट देने के लिए शासकीय एम्बेसडर कार पर सुरेश कुमार को तैनात किया था और उस कार्य को निष्पादन करने के लिए भी तैनात किया गया था जो नरेश कुमार उसे सौंपेगा । यह भी अभिकथन किया गया है कि सुरेश कुमार को शासकीय कार में लंगर पर ले जाया गया और उसने एक हजार रुपए नरेश कुमार को दिए और जिसने उससे कहा कि वह संजय नगर उसके साथ चले जहां से मृतक नितिन को उठाना था । अन्य अभियुक्त लंगर की कोठी पर रुके हुए थे और उनके साथ उन्हें संजय नगर चलना था । अभियुक्त नरेश कुमार के बारे में यह अभिकथन किया गया है कि उसने अपने मोबाइल फोन से तथा लैंडलाइन फोन सं. 2454299 से दो काल करके मृतक से सम्पर्क किया था और मृतक से डोगरा एकेडमी के नजदीक पहुंचने के लिए कहा । चूंकि मृतक वहां नहीं पहुंचा, अभियुक्त नरेश कुमार के बारे में यह भी अभिकथन किया गया है कि उसने शास्त्री नगर स्थित बाजवा एस. टी. डी. के लैंडलाइन फोन सं. 2451564 से अन्य काल भी किया था । इन सभी कालों के बारे में

मोबाइल नं. 9906212436 पर किया जाना कहा गया है और जिसके बारे में इस फोन का मृतक के हाथों में होना कहा गया है । अभियोजन पक्ष ने चिब सेल्स कारपोरेशन के सुरेन्द्र कौर और बाजवा एस. टी. डी. के शिन्दा कुमार की इस परिस्थिति को साबित करने के लिए परीक्षा की गई । अभि. सा. सुरेन्द्र कौर चिब सेल्स कारपोरेशन, शास्त्री नगर में एस. टी. डी. दुकान पर कर्मचारी के रूप में कार्य करती थी और वहां पर उसने 5/6 एस. टी. डी. नम्बर लगा रखे थे और सुसंगत समय पर लैंडलाइन फोन सं. 2454299 को संचालित करने के बारे में एस. टी. डी. दुकान के तथ्य को साबित किया है । यह साक्षी अभियुक्त नरेश कुमार की पहचान करने में विफल हुई है । उसे अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया । उसने पुलिस को यह बात बताने से इनकार किया है कि अभियुक्त नरेश कुमार ने उसके एस. टी. डी. बूथ से दो टेलीफोन मोबाइल नं. 9906212436 पर किए थे । उसने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन अपने द्वारा दिए गए कथन को मानने से भी इनकार कर दिया । अभि. सा. शिन्दा कुमार, बाजवा एस. टी. डी. चलाता था, उसने यह स्वीकार किया कि उसका एस. टी. डी. बूथ का फोन सं. 2451564 सहित भिन्न-भिन्न फोन नम्बरों से संबंधित था । उसने इस तथ्य से इनकार किया है कि पुलिस ने कुछ फोन काल्स के बारे में उससे पूछताछ की थी । इस साक्षी को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया था । इस साक्षी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन अपने दिए गए कथन को मानने से इनकार कर दिया और इस सुझाव से भी इनकार किया कि वह अभियुक्तों के प्रभाव से वशीभूत थी । जबकि, दोनों साक्षियों ने अपने-अपने एस. टी. डी. बूथों से प्रकट काल्स के बारे में इस महत्वपूर्ण पहलू पर अभियोजन पक्ष का समर्थन करने से इनकार किया, अभियोजन पक्ष यह साबित करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दे पाया है कि मोबाइल नं. 9906212436 अभियुक्त नरेश कुमार के नाम में दर्ज था और उसे मृतक को अन्तरित किया गया था तथा उसे मृतक द्वारा अपनी हत्या के तत्काल पूर्व प्रयोग किया जा रहा था । भारती एयरटेल के अभि. सा. मुनीष बिन्द्रा के परिसाक्ष्य में पहले ही यह उल्लेख किया गया है कि मोबाइल नं. 9906212436 अभियुक्त नरेश कुमार से संबंधित था । तारीख 24 अगस्त, 2005 के पूर्व अभियुक्त नरेश कुमार और मृतक के बीच पूर्वोक्त मोबाइल नंबर को अन्तरित करने के बारे में किसी व्यवहार के सबूत के अभाव पर यह अभिनिर्धारित करना व्यर्थ होगा कि तारीख 24 अगस्त, 2005 को मोबाइल नं. 9906212436 से कोई काल की गई थी जिसे मृतक द्वारा

प्राप्त किया गया था । मोबाइल नं. 9906212436 के वास्तविक संचालन के बारे में आरोप पत्र में कुछ भी सुगबुगाहट नहीं है । कैसे और कब यह फोन नम्बर अभियुक्त नरेश कुमार के नाम में दर्ज होने के बावजूद भी प्रयोग करने के लिए मृतक को कैसे और कब परिदत्त किया गया, इस बात का आरोप पत्र में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है । मृतक और अभियुक्त नरेश कुमार के बीच ऐसी घनिष्टता की निकटता को सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया है कि अभियुक्त नरेश कुमार ने मृतक को उक्त मोबाइल नंबर को उपभोग करने के लिए अनुज्ञात किया होगा । यद्यपि बाबी शर्मा ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि मकान में लगाए गए लैंडलाइन फोन के पश्चात्, उसे असंबंधित कर दिया गया था, मृतक ने मोबाइल फोन खरीदा था जिससे कि वह नीतू के सम्पर्क में रह सके । उसने उस स्रोत के बारे में नहीं बताया है जहां से उसने मोबाइल फोन खरीदा था । यह ऐसा क्षेत्र है जहां अन्वेषण डगमगा गया है । अभियुक्त नरेश कुमार के नाम में पूर्वोक्त मोबाइल संख्या के रजिस्ट्रेशन के तथ्य को सुनिश्चित करने के बावजूद भारती एयरटेल के काल डाटा रिकार्ड से अभियुक्त नरेश कुमार के नाम में पूर्वोक्त मोबाइल संख्या के रजिस्ट्रेशन के तथ्य को सुनिश्चित करने के बावजूद अन्वेषण अभिकरण ने पूर्वोक्त मोबाइल संख्या के वास्तविक उपभोक्ता के पहलू के सबूत को कम आंका गया है । अन्वेषक अधिकारी शिव कुमार के परिसाक्ष्य में यह प्रकट हुआ है कि मोबाइल नं. 9906212436 का सिम कार्ड करनैल सिंह की कोठी के बगल में खुली जगह से बरामद किया गया था । अभिलेख पर वशीभूत करने वाले साक्ष्य को दृष्टिगत करते हुए कि अभियुक्त नरेश कुमार उस कोठी पर रुका हुआ था और कोठी के निर्माण कार्य की देखरेख करता था । ऐसी बरामदगी के बारे में मृतक और मोबाइल नं. 9906212436 के बीच कोई निकटता का संबंध साबित नहीं किया गया और यह इस मामले में एक बड़ा अन्तराल छोड़ता है और इस विषय पर विरोधाभासों को संज्ञान में नहीं लेते हुए भी ऐसे अन्वेषण को घटिया ठहराया जा सकता है ।

मृतक द्वारा प्राप्त किए गए फोन काल के पहलू पर विचार करते हैं जिसके उत्तर में उससे डोगरा एकेडमी के नजदीक स्थान पर जाने के लिए कहा गया जहां से उसके व्यपहरण किए जाने का भी कथन किया गया था । यह भी देखने में आया है कि मृतक की मालकिन का साक्ष्य अत्यधिक महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि वह काल करने वाले की पहचान नहीं करती है और मृतक द्वारा प्रयुक्त किए गए फोन के ब्यौरे का भी खुलासा नहीं किया है । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि मृतक दो मास और आठ दिन से

उसका किराएदार था । मृतक ने फोन से काल प्राप्त की थी जिसके उत्तर में उसने काल करने वाले से मृतक की यह बातचीत सुनी कि वह डोगरा एकेडमी पर उसका इन्तजार करे और वह वहां पहुंचेगा । यह साक्षी इस बारे में कुछ नहीं कह सकती कि क्या मृतक वहां गया था क्योंकि वह मंदिर चली गई थी । दो-तीन दिन के पश्चात् ऐसा हुआ कि पुलिस वहां पहुंची और उसने उसे यह सूचित किया कि मृतक की मृत्यु हो चुकी है । पुलिस ने उसके कमरे का निरीक्षण किया परन्तु किसी वस्तु का कोई अभिग्रहण नहीं किया । इस साक्षी ने विनिर्दिष्ट समय और स्थान के बारे में नहीं बताया जब मृतक द्वारा काल प्राप्त की गई थी और काल करने वाले की पहचान नहीं बता पाई और उस फोन का वर्णन जिस पर फोन काल प्राप्त की गई थी, उसके बारे में भी कुछ नहीं बता पाई । उसका परिसाक्ष्य यह सिद्ध करने के लिए अभियोजन पक्ष की कोई मदद नहीं करता कि अभियुक्त नरेश कुमार के फोन काल पर कोई उत्तर मिला था कि मृतक मोबाइल नम्बर 9906212436 पर काल प्राप्त करने के पश्चात् डोगरा एकेडमी की ओर गया था । अतः इसे साबित किए गए तथ्य के रूप में नहीं ठहराया जा सकता कि मृतक ने उस सुसंगत समय पर मोबाइल नम्बर 9906212436 को संचालित किया था और अभियुक्त नरेश कुमार से आई हुई फोन काल को उसके द्वारा डोगरा एकेडमी से तत्काल व्यपहरण के पूर्व प्राप्त किया गया ।

मृतक के व्यपहरण की अभिकथित घटना का उल्लेख करते हुए, जैसा कि अभियुक्त नरेश कुमार, सुरेश कुमार और चार अन्य व्यक्ति अर्थात् सोहनलाल **उर्फ** सोनू **उर्फ** खनीद, जीत कुमार **उर्फ** जीता, जयमाल कुमार **उर्फ** जीबू और दलीप सिंह **उर्फ** लक्खी के अभिकथन से यह देखने में आया है कि अभियोजन पक्ष ने अभि. सा. विजय मोहन, बाबी शर्मा और राजेश कुमार (मृतक के भाई), सुरेन्द्र मोहन (मृतक का पिता) और रवि वर्मा, जो डोगरा एकेडमी, जम्मू के नजदीक मृतक की किराए की वास सुविधा के नजदीक दुकानदार के रूप में अपना कारबार चला रहा था, के परिसाक्ष्यों का अवलंब लिया । अभि. सा. विजय मोहन, बाबी शर्मा, राजेश कुमार और सुरेन्द्र मोहन ने यह स्वीकार किया है कि उन्होंने मृतक के व्यपहरण की घटना को नहीं देखा था । उन्होंने रुपेन्द्र शर्मा **उर्फ** रिंकू, जो ग्राम नागरी के नजदीक अपने पैतृक गांव में रहता था, से व्यपहरण के तथ्य के बारे में पता चला और उक्त व्यक्ति आई. आर. पी. जम्मू में कांस्टेबल के पद पर नौकरी करता था । अभि. सा. रुपेन्द्र शर्मा **उर्फ** रिंकू की अभियोजन पक्ष द्वारा विचारण पर परीक्षा नहीं की गई । वह मृतक के

व्यपहरण को साबित करने के लिए एक तात्विक साक्षी था और व्यपहरण करने वालों की पहचान को साबित करता । दुर्भाग्यवश, उसे भी छोड़ दिया गया । अभि. सा. विजय मोहन ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि तारीख 24 अगस्त, 2005 को लगभग 11.30 बजे पूर्वाह्न उसने मोबाइल नम्बर 9906212436 पर मृतक से टेलीफोन से बातचीत की और मृतक ने उसे बताया कि वह कठुआ पर 8.20 बजे अपराह्न पहुंचेगा और वहां उसे इन्तजार करना चाहिए । उसने यह भी दावा किया कि बाद में उस दिन वह मृतक से सम्पर्क स्थापित नहीं कर सका । उस वक्त 9.30 बजे अपराह्न का समय था कि उसने फोन काल प्राप्त की जिसमें उसे सूचना दी गई कि मृतक को एम्बेसडर कार, जिसका रजिस्ट्रेशन सं. 1117/जेके 01 एफ, जिसमें लाल बत्ती लगी हुई थी और पुलिस का चिह्न था, में 5/6 व्यक्ति द्वारा मृतक का व्यपहरण कर लिया गया है । वह अपने मकान में प्रविष्ट हुआ, उसने रविन्द्र **उर्फ** रिंकू पुत्र रमेश चंद, निवासी नागरी पेरोल को अपने माता-पिता से यह कहते हुए सुना कि मृतक का सफेद रंग की एम्बेसडर कार में 5/6 व्यक्तियों द्वारा व्यपहरण कर लिया गया है और उसे किसी अनजान स्थान पर ले जाया गया है । उसके दोनों भाई प्रातः जम्मू के लिए चले और सभी पुलिस थानों पर मृतक को ढूंढा परन्तु उसका कोई पता नहीं चला । तारीख 25 अगस्त, 2005 को यह साक्षी लखनपुर पर अपने कार्यालय पर गया और करनैल सिंह को फोन की घंटी लगाई जिन्होंने मृतक की हत्या के अभियोग के बारे में इनकार किया । तारीख 27 अगस्त, 2005 को उसे ग्रेटर कैलाश की नहर से अज्ञात शव की बरामदगी के बारे में पता चला जिसे सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय शव गृह पर ले जाया गया था । वह वहां गया और उसने मृतक के शव की पहचान की । इस साक्षी ने शनाख्ती ज्ञापन, जिसे प्रदर्श पी. वी. एन. से चिह्नित किया गया है, को भी साबित किया । उसने अपने द्वारा पुलिस थाने पर दर्ज की गई रिपोर्ट जिसे प्रदर्श पी. डब्ल्यू. वी. एम. से चिह्नित किया गया है, को भी साबित किया है । उसकी प्रतिपरीक्षा में यह भी प्रकट हुआ है कि अज्ञात व्यक्ति, जिन्होंने मृतक के व्यपहरण के बारे में उसे टेलीफोन से सूचना दी, उसने अपनी कोई पहचान नहीं बताई और यह बात दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन अभिलिखित उसके कथन में परिलक्षित नहीं होती । इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि अनजान व्यक्ति ने तारीख 24 अगस्त, 2005 की सायं को उसने टेलीफोन से उसे सूचना दी थी । तथापि, उसने इस बात को प्रकट नहीं किया या तारीख 27 अगस्त, 2005 तक पुलिस के समक्ष यह सूचना पड़ी रही । यद्यपि, ऐसे

कथन में, जिसे प्रदर्श पी. डब्ल्यू. वी. एम. से चिह्नित किया गया, उसने कार के रजिस्ट्रेशन संख्या को विनिर्दिष्ट नहीं किया है । इस प्रकार इस बारे में न्यायालय में उसके वृत्तान्त में सुधार हुआ है और उसे संदेह के साथ देखा जाना चाहिए । अभि. सा. बाबी शर्मा ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि तारीख 26 अगस्त, 2005 को रवीन्द्र शर्मा लगभग 9.30 बजे अपराह्न उसके मकान पर पहुंचा और उसने यह बताया कि मृतक को कार सं. 1117/जेके 01 एफ में उसका व्यपहरण किया गया है । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन उसके कथन में विरोधाभास प्रकट हुआ, इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि ऐसे कथन की रवीन्द्र शर्मा **उर्फ** रिंकू से प्रकट सूचना में उल्लेख नहीं किया गया है । अभि. सा. सुरेन्द्र मोहन मृतक का पिता है । उसने यह अभिसाक्ष्य दिया कि तारीख 24 अगस्त, 2005 को मृतक घर पर नहीं पहुंचा । लगभग 9 बजे अपराह्न रिंकू **उर्फ** रवीन्द्र कुमार उसके मकान पर पहुंचा और उसे बताया कि मृतक का व्यपहरण किया गया था और उसे पुलिस कार, जिस पर बीकन लाइट लगी हुई थी, उसमें उसे ले जाया गया था । उसकी प्रतिपरीक्षा में यह प्रकट हुआ है कि तारीख 27 अगस्त, 2005 तक मृतक के व्यपहरण के बारे में पुलिस के समक्ष कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई थी । यह बात पेचीदा प्रकट होती है कि तारीख 24 अगस्त, 2005 को मृतक के व्यपहरण के बारे में पता चलने के बावजूद मृतक के पिता और भाइयों द्वारा तारीख 27 अगस्त, 2005 तक पुलिस के समक्ष कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई । इससे साक्षी के दावे में यह परिलक्षित होता है कि व्यपहरण के बारे में सूचना तारीख 24 अगस्त, 2005 को रवीन्द्र कुमार **उर्फ** रिंकू नामक व्यक्ति द्वारा दी गई । अभि. सा. राजेश कुमार मृतक का भाई है । उसने भी यह कथन किया है कि तारीख 24 अगस्त, 2005 को रवीन्द्र कुमार **उर्फ** रिंकू आई. आर. टी. में कांस्टेबल के पद पर नौकरी कर रहा था, 8.30 बजे अपराह्न उसके मकान पर पहुंचा और उसने यह कथन किया कि एम्बेसडर कार, जिसका रजिस्ट्रेशन सं. जेके 1 एफ/1117 था, उस पर लाल रंग की लाइट लगी हुई थी और जिसका इस्तेमाल 5/6 व्यक्तियों द्वारा मृतक के व्यपहरण में किया गया था । इस साक्षी के अनुसार रिंकू वह पहला व्यक्ति था, जिसने मृतक के व्यपहरण के बारे में समाचार दिया था । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन अभिलिखित उसके कथन में विरोधाभास प्रकट हुआ है, इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसका पुलिस कथन, जो रवीन्द्र कुमार **उर्फ** रिंकू द्वारा तारीख 24 अगस्त, 2005 को दी गई सूचना के आधार पर थी, उसका उल्लेख नहीं किया गया जो मृतक

के व्यपहरण के बारे में है । यह स्पष्ट है कि मृतक के पिता और भाइयों ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन अभिलिखित अपने कथनों में सुधार किए हैं । क्या उन्हें यह जानकारी थी कि करनैल सिंह की शासकीय कार तारीख 24 अगस्त, 2005 को मृतक के व्यपहरण के लिए इस्तेमाल की गई थी, अभि. सा. विजय मोहन के लिए इस बात को रखे रखता और तारीख 27 अगस्त, 2005 को कथन करने का इंतजार करता । जिस कथन को प्रदर्श पी. डब्ल्यू. वी. एम. 1 से चिह्नित किया गया है । जहां तक रवीन्द्र कुमार **उर्फ** रिंकू का संबंध है, उसके पास सूचना का स्रोत रहा था, वह अतिरिक्त तात्विक साक्षी था और जिससे मृतक के पिता और भाइयों ने मृतक के व्यपहरण के बारे में जानकारी प्राप्त होने का दावा किया है और व्यपहरण के लिए अभियुक्त करनैल सिंह की शासकीय कार का इस्तेमाल हुआ था । विचारण न्यायालय के अभिलेख पर कार्रवाइयों के टिप्पण से यह ज्ञात हुआ है कि विद्वान् लोक अभियोजक ने अभि. सा. रवीन्द्र कुमार शर्मा **उर्फ** रिंकू को तारीख 6 जून, 2006 को अभिलिखित उसके कथन को ध्यान में रखते हुए त्याग दिया गया था जिसका आधार यह रहा कि उसे पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया । इस प्रकार, उत्तम साक्ष्य को रोक दिया गया जिस पर अभि. सा. रवि वर्मा ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि वह शास्त्री नगर में अपनी दुकान पर बैठा हुआ था और वह समय लगभग दो बजे अपराह्न का था । उसने सूर्य की रोशनी को रोकने के लिए अपनी दुकान पर लगाई गई छत से अपनी दुकान को ढका हुआ था । उसी बीच में उसने मृतक की आवाज की पहचान की, जो उसके हालचाल पूछ रहा था । लगभग 15 मिनट पश्चात् उसने डोगरा एकेडमी के समीपस्त चंडी माता के नजदीक शोरगुल सुना था । उसका पड़ोसी दुकानदार जीतराज उसकी दुकान पर पहुंचा और उसने बताया कि किसी लड़के के साथ गुत्थमगुत्था हो रही है और वह उसके साथ वहां पर चला गया । इस साक्षी ने यह कथन किया कि जैसे ही वह दुकान से बाहर आया, उसने देखा कि लोग वहां पर एकत्रित हैं । उसे बताया गया कि मृतक को सफेद रंग की एम्बेसडर कार में ले जाया गया है । इस साक्षी ने यह दावा किया है कि रवीन्द्र शर्मा निवासी नागरी, जो घटना के समय पर कांस्टेबल के पद पर कार्य कर रहा था, को उसने इस बारे में बताया । इस साक्षी को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया था । उसने पुलिस के समक्ष किए गए कथन को अस्वीकार किया है कि उसने कार में मृतक को ले जाते हुए 5/6 व्यक्तियों को देखा था । उसने यह दावा किया कि उसने घटनास्थल पर सफेद रंग की एम्बेसडर कार नहीं देखी थी और वह उन

व्यक्तियों के नाम भी नहीं जानता है जिन्होंने मृतक के व्यपहरण के बारे में उसे बताया था । अन्वेषक अधिकारी शिव कुमार, एस. डी. पी. ओ., साउथ ने अपने विचार के दौरान अपने साक्ष्य में यह साबित किया है कि अभि. सा. रवि वर्मा व्यपहरण का एकमात्र साक्षी है और इस साक्षी ने इस बात से मुंह फेर लिया, मृतक के व्यपहरण के पहलू पर अभियोजन वृत्तान्त न साबित रहा क्योंकि अभि. सा. अमरजीत कौर को घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के रूप में उद्धृत किया गया है और उसने अभियोजन वृत्तान्त को समर्थन देने से इनकार किया है और इसलिए उसे अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया जबकि अन्य दो प्रत्यक्षदर्शी साक्षी सरला कुमारी और विजयलक्ष्मी को इस आधार पर तारीख 12 सितंबर, 2006 को अभिलिखित उनके कथनों के निबंधनों में विद्वान् लोक अभियोजक त्याग दिया गया कि उन्हें अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है । इस प्रकार, विचारण न्यायालय पर अभिलिखित अभियोजन साक्ष्य का पुनर्विलोकन करने पर यह स्थिति साबित होना नहीं पाई गई है । (पैरा 14)

अभियोजन पक्ष द्वारा अवलंब ली गई चौथी परिस्थिति इस प्रकार है कि अभियुक्त रत्नो देवी ने अभियुक्त द्वारा मृतक को ग्राम लंगर स्थित करनैल सिंह के निर्माणाधीन मकान पर ले जाए जाने और उसे वहां निरुद्ध करने के पश्चात्, अभियुक्त मनीष कुमार को 10,000/- रुपए उसके मांगने पर भेजे थे । अभियोजन पक्ष ने अभियोजन साक्षी सुखचैन सिंह की इस संबंध में परीक्षा कराई है । इस साक्षी ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि अभियुक्त रत्नो देवी ने उसे 10,000/- रुपए इसलिए दिए थे कि वह उस रकम को अभियुक्त नरेश कुमार को इस निर्देश के अनुसार सौंप दे कि वह रकम राज मिस्त्री रशपाल सिंह को दे दे जो कि कोठी के निर्माण कार्य में लगा हुआ था । इस साक्षी को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित नहीं किया गया है । इस कथन से, जिसका खंडन नहीं किया गया है, अभियोजन पक्ष को कोई सहायता नहीं मिलती है । इस परिस्थिति में अपराध में फंसाने वाली ऐसी कोई भी सामग्री नहीं है जिससे अभियुक्त रत्नो देवी की सह-अपराधिता इस संबंध में साबित हो सके कि उसने षड्यंत्र रचने में किसी प्रकार का कोई भाग लिया था और उसने मृतक के अभिकथित हत्यारों को धन का संदाय किया था । (पैरा 15)

अभियोजन पक्ष द्वारा अवलंब ली गई पांचवीं परिस्थिति यह है कि अभियुक्त ने रात भर प्रतीक्षा की और रात के ही समय वे मृतक को फाउंटेन चौक के निकट ग्रेटर कैलाश ले गए थे जहां मृतक नहर के

निकट खाई में स्वयं को बचाने के आशय से कूद गया था किन्तु अभियुक्त ने उसको घुसा मारा, जूते के फीते से उसका गला घोंटा और बेसबाल के बल्ले से उस पर वार किया जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई और उसका शव नहर के निकट दबा दिया गया । अभियोजन पक्ष ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका है जिससे यह परिस्थिति साबित हो सके । अपीलार्थियों के विद्वान् काउंसेल ने दृढ़तापूर्वक यह तर्क दिया है कि यह बात समझ से बाहर है कि मृतक जिसे अभिकथित रूप से दिनदहाड़े डोगरा एकेडमी के निकट लोगों के बीच से अपहरण कर लिया गया और उसे गुप्त रूप से अभियुक्त करनैल सिंह की लंगर स्थित निर्माणाधीन कोठी में लगभग आठ घंटों के लिए निरुद्ध कर दिया गया, जिसे पुनः ग्रेटर कैलाश जैसे सार्वजनिक स्थान पर ले जाया गया जो कि लंगर स्थित अभियुक्त करनैल सिंह के निर्माणाधीन की कोठी की तुलना में अधिक भीड़-भाड़ वाला क्षेत्र था जबकि अभियुक्त निर्माणाधीन कोठी पर ही मृतक की हत्या कर सकते थे । यह तर्क उस रीति और परिस्थिति के संबंध में अभियोजन वृत्तांत को असंभावी बनाने के लिए दिया गया है जिसमें मृतक की मृत्यु अभिकथित रूप से मानव हस्तक्षेप के कारण कारित हुई है । यद्यपि कोई तर्क कितना भी आकर्षक क्यों न हो उसको अधिक महत्व नहीं दिया जा सकता यदि मामले के पहलू के आधार पर कोई साक्ष्य उपलब्ध न हो और मृतक का शव नहर के निकट फाउंटेन चौक, ग्रेटर कैलाश से बरामद किया गया है । किस प्रकार और किन परिस्थितियों में मृतक को वहां ले जाया गया, इस संबंध में कोई साक्ष्य नहीं है । अतः, अभियोजन वृत्तांत मात्र इस कारण से असंभावी नहीं कहा जा सकता कि मृतक का अपहरण किए जाने के सबूत के आधार पर, अभियुक्त को लंगर स्थित अभियुक्त करनैल सिंह की निर्माणाधीन कोठी पर ही मृतक की हत्या कारित करने का अवसर प्राप्त था । (पैरा 16)

अभियोजन पक्ष द्वारा अवलंब ली गई छठी परिस्थिति अभियुक्त नरेश कुमार, सोहन लाल, जीत कुमार और दलीप सिंह के अभिकथित प्रकटीकरण कथन हैं । जिसके पश्चात् जंगल में प्रयोग किए जाने वाले मृतक के एक जोड़ी जूते, मोबाइल फोन और ड्राइविंग लाइसेंस, लाल रंग की स्पोर्ट कैप, बेसबॉल का बल्ला और एक सिम कार्ड लंगर स्थित अभियुक्त करनैल सिंह की निर्माणाधीन कोठी से बरामद किए गए । अपीलार्थियों के विद्वान् काउंसेल द्वारा यह दलील दी गई है कि अभिकथित प्रकटीकरण कथन साक्ष्य की दृष्टि से ग्राह्य नहीं है और पश्चात्वर्ती बरामदगी असंगत है ; ऐसे प्रकटीकरण कथन और बरामदगी से संबंधित

साक्ष्य अत्यंत असंगत और विरोधाभासी है जिससे घोर संदेह होता है ; बरामद की गई वस्तुओं से कोई परिणाम नहीं निकलता है और अभियुक्त को अपराध में फंसाए जाने की दृष्टि से इनका कोई महत्व नहीं है । प्रदर्श पी. डब्ल्यू. एन. के. -1 अभियुक्त नरेश कुमार का प्रकटीकरण कथन है जिसमें उसने मृतक नितिन शर्मा के मोबाइल फोन, ड्राइविंग लाइसेंस और एक जोड़ी जूतों का उल्लेख किया है । अन्वेषण अधिकारी शिव कुमार के परिसाक्ष्य से यह बात साबित हो गई है । अभियोजन साक्षी नरिन्दर कुमार और बजिन्दर कुमार ने प्रकटीकरण ज्ञापन की अन्तर्वस्तु का समर्थन किया है । अन्वेषण अधिकारी शिव कुमार के अनुसार लंगर स्थित करनैल सिंह की निर्माणाधीन कोठी के प्रथम तल पर स्थित अलमारी से एक मोबाइल फोन बरामद किया गया है और एक जोड़ी जूते बाथरूम से बरामद किए गए हैं और फीते उसी कमरे में रखी टेबल के नीचे से अभियुक्त नरेश कुमार द्वारा बताए जाने पर बरामद किए गए हैं । इस साक्षी ने प्रदर्श पी. डब्ल्यू. एन. के. - 2 के रूप में चिह्नांकित बरामदगी ज्ञापन साबित किया है, जिसकी अन्तर्वस्तु का समर्थन अभियोजन साक्षी नरिन्दर कुमार और बजिन्दर कुमार द्वारा किया गया है । नरिन्दर कुमार के अनुसार उक्त कोठी के दरवाजों पर कोई भी ताला लगा नहीं हुआ था । प्रदर्श पी. डब्ल्यू. - वी. एम./5 अभियुक्त जीत कुमार **उर्फ** जीता द्वारा किया गया प्रकटीकरण कथन है जिसमें बेसबॉल के बल्ले का उल्लेख किया गया है । अन्वेषण अधिकारी के अतिरिक्त अभियोजन साक्षी विजय मोहन और बाबी शर्मा ने इस प्रकटीकरण कथन की अन्तर्वस्तु का समर्थन किया है । प्रदर्श पी. डब्ल्यू. वी. एम./6 बरामदगी ज्ञापन है जिसमें अभियुक्त जीता द्वारा बताए जाने पर करनैल सिंह की कोठी के एक कमरे से बेसबॉल के बल्ले के बरामद होने का उल्लेख किया गया है । प्रदर्श पी. डब्ल्यू. वी. एम./9 अभियुक्त दलीप सिंह **उर्फ** लकी द्वारा दिया गया प्रकटीकरण कथन है जिसमें अभियुक्त के मोबाइल फोन के सिम कार्ड का उल्लेख किया गया है और इस कथन को अन्वेषण अधिकारी द्वारा साबित किया गया है जिसका समर्थन अभियुक्त साक्षी विजय मोहन और बाबी शर्मा द्वारा किया गया है । प्रदर्श पी. डब्ल्यू. वी. एम./10 बरामदगी ज्ञापन है जिसमें अभियुक्त दलीप सिंह **उर्फ** लकी द्वारा बताए जाने पर सिम कार्ड की बरामदगी का उल्लेख किया गया है जो कि करनैल सिंह की कोठी के साथ लगी दीवार के पास से प्राप्त किया गया था । इस कथन के अन्तर्वस्तु का समर्थन अभियोजन साक्षी विजय मोहन और बाबी शर्मा द्वारा किया गया है । प्रदर्श पी. डब्ल्यू. वी. एम./7 अभियुक्त सोहन लाल **उर्फ** खनीद द्वारा

दिया गया प्रकटीकरण कथन है जिसमें मृतक की लाल रंग की स्पोर्ट कैप का उल्लेख किया गया है जिसे अन्वेषण अधिकारी द्वारा साबित किया गया है और इसका समर्थन अभियोजन साक्षी विजय मोहन और बाबी शर्मा द्वारा किया गया है । स्पोर्ट कैप अभियुक्त सोहन लाल **उर्फ** खनीद द्वारा बताई जाने पर अभियुक्त करनैल सिंह की कोठी के बाथरूम से प्रदर्श पी. डब्ल्यू. - सी. एम./8 के निबंधनों में बरामद किया गया है और अभियोजन साक्षी विजय मोहन तथा बाबी शर्मा ने इसका समर्थन किया है । यह सुस्थापित है कि पुलिस अभिरक्षा में चल रहे किसी अपराध के अभियुक्त से प्राप्त ऐसी सूचना साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन स्वीकार्य है जो एतद्द्वारा प्रकट होती है और उसे अभियुक्त के विरुद्ध साबित किया जा सकता है । तथापि, पुलिस अधिकारी के समक्ष दिया गया कोई भी कथन जो प्रकट किए गए तथ्य का संबंध आरोपित अपराध से बनाता है, स्वीकार्य नहीं है । तथ्य सुसंगत होना चाहिए और अपराध के अभियुक्त से प्राप्त सूचना के अनुसरण में ही प्रकट होना चाहिए । यह ऐसी सूचना होनी चाहिए जिससे वास्तव में कोई तथ्य सामने होता है और जिसका अन्यथा प्राप्त होना कठिन हो । वर्तमान मामले में, बरामद की गई वस्तुएं लंगर स्थित अभियुक्त करनैल सिंह के निर्माणाधीन मकान के कमरों में से प्राप्त की गई हैं और उसके पीछे की ओर खुले स्थान से भी बरामद की गई हैं । लंगर स्थित अभियुक्त करनैल सिंह का निर्माणाधीन मकान पर ताला लगा हुआ नहीं था जब वहां से वस्तुएं बरामद की गई थीं । इस प्रकार, उस मकान में प्रवेश करने में कोई रोक नहीं थी और उसमें यह सब वस्तुएं लाकर डाली जा सकती थीं । इसके अतिरिक्त, यह कथन किया गया है कि ये वस्तुएं या तो अलमारी में पड़ी हुई थीं, बाथरूम में, टेबल के नीचे या उस मकान के साथ दीवार के निकट खुले स्थान पर पड़ी हुई थीं जिन्हें प्राप्त करना अन्वेषण के दौरान बिना किसी प्रकटीकरण कथन के भी कठिन नहीं था । यह कोई ऐसा स्थान नहीं था जो छुपा हुआ हो और जिसकी एकमात्र जानकारी केवल अभियुक्त को ही हो । अपराध से संबंधित वस्तुओं की बरामदगी का स्थान ऐसा छुपा हुआ स्थान होना चाहिए जिसका पता लगाना पुलिस के लिए अभियुक्त की सहायता के बिना कठिन या असंभव हो । इस बात को दृष्टिगत करते हुए कि अभिगृहीत वस्तुओं की बरामदगी लंगर स्थित करनैल सिंह के बिना ताला लगे मकान से की गई बताई गई हैं, सुसंगत नहीं है और इसका कोई भी **प्रोबेटिव** महत्व नहीं है । इस प्रकार साक्ष्य की दृष्टि से इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता । ऐसे सबूत के आधार पर अभियुक्त को मृतक की हत्या के अपराध से संबद्ध नहीं किया

जा सकता । (पैरा 17)

अभियोजन पक्ष द्वारा अवलंब ली गई 17वीं परिस्थिति इस प्रकार है कि अभियुक्त करनैल सिंह के सरकारी वाहन के रजिस्ट्रेशन नम्बर को घटना के पश्चात् जेके 01 एफ - 1117 से बदलकर जेके 01 ई - 4117 किया गया है । अभियोजन साक्षी राजकुमार जो कि पुलिस कांस्टेबल है और अभियुक्त करनैल सिंह के सरकारी आवास पर गार्ड के रूप में तैनात था, इस संबंध में साक्ष्य दिया है कि रत्नो देवी और नीतू देवी सरकारी एम्बेसडर कार रजिस्ट्रेशन नम्बर जेके 01 एफ-1117 से राजौरी गए थे जिसे अभियुक्त सुरेश कुमार चला रहा था और जब वे अभियुक्त करनैल सिंह के साथ वापस आए तब उस वाहन का रजिस्ट्रेशन नम्बर जेके 01 ई-4117 किया हुआ था । इस वृत्तांत का समर्थन सुरेश राज (गार्ड कमांडर) और सुभाष चन्दर (कांस्टेबल) तथा विक्रमजीत सिंह (कांस्टेबल) द्वारा नहीं किया गया है । अन्यथा भी, इस साक्षी के परिसाक्ष्य से रत्नो देवी और नीतू देवी के विरुद्ध साक्ष्य प्रकट नहीं होता है जिनके संबंध में यह बताया गया है कि वे तारीख 27 अगस्त, 2005 को करनैल सिंह के सरकारी वाहन द्वारा राजौरी के लिए रवाना हुई थी और वे करनैल सिंह के साथ तारीख 2 सितम्बर, 2005 को वापस आई थी । प्रदर्श पी. एएस के अनुसार मृतक का शव ग्रेटर कैलाश की नहर से तारीख 26 अगस्त, 2005 को बरामद किया गया था और इस शव की शनाख्त तारीख 27 अगस्त, 2005 को उसके भाई विजय मोहन द्वारा की गई थी । अन्वेषण अधिकारी शिव कुमार चौहान के परिसाक्ष्य से यह सिद्ध होता है कि एम्बेसडर कार जिसकी नम्बर प्लेट बदली गई थी, तारीख 2 सितम्बर, 2005 को मूल रजिस्ट्रेशन नम्बर जेके 01 एफ-1117 के साथ प्रदर्श पी. 51 के अनुसार अभियुक्त करनैल सिंह के सरकारी आवास से अभिगृहीत की गई और इस कार्य के मूल रजिस्ट्रेशन नम्बर को काला टेप चिपकाकर जेके 01 ई-4117 किया हुआ था । पुलिस उपनिरीक्षक बसंती भट्ट (अभियोजन साक्षी) और पुलिस निरीक्षक कामेश शूर ने उपरोक्त एम्बेसडर कार के संबंध में तैयार किए गए अभिग्रहण ज्ञापन का समर्थन किया है । अन्वेषण अधिकारी ने अपनी लॉग बुक तथा तारीख 5 सितम्बर, 2005 को अभिगृहीत किए गए पश्चात्वर्ती दस्तावेजों को भी साबित किया है । यह कार्यवाही संभवतः घटना के पश्चात् की गई है और जब तक कि मृतक के अपहरण किए जाने में इस कार का प्रयोग रजिस्ट्रेशन नम्बर बदलकर अभियुक्तों को बचाने का आशय किया जाना साबित न हो जाए और रजिस्ट्रेशन नम्बर में की गई हेरफेर अभियुक्तों के विरुद्ध साबित न हो जाए तब तक ऐसे साक्ष्य को अपराध में

फंसाने वाली परिस्थिति नहीं कहा जा सकता । दुर्भाग्यवश, इस संबंध में अभिलेख से ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है । अभियुक्त करनैल सिंह के सरकारी आवास से छेड़छाड़ की गई नम्बर प्लेट वाली एम्बेसडर कार की बरामदगी से, निस्संदेह अभियुक्त की सह-अपराधिता अभिकथित अपराध में साबित होती है । किन्तु ऐसे संदेह को विधिक सबूत नहीं माना जा सकता । (पैरा 18)

अभियोजन पक्ष द्वारा अवलंब ली गई 18वीं परिस्थिति यह है कि तारीख 24 अगस्त, 2005 को घटित हुई घटना के पश्चात् अभियुक्त करनैल सिंह फरार हो गया था । तत्कालीन भारसाधक पुलिस उप महानिरीक्षक श्री सुलेमान सलारिया, सशस्त्र ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि तारीख 29 अगस्त, 2005 को करनैल सिंह ने उच्च अधिकारी को वायरलेस द्वारा संदेश भेजा था और यद्यपि उसने अपने कार्यालय को तारीख 29 अगस्त, 2005 को तथा 2 सितम्बर, 2005 के बीच रिपोर्ट नहीं भेजी थी किन्तु फिर भी वह उनके समक्ष प्रस्तुत हुआ था । यह अभिनिर्धारित करने के लिए कोई भी साक्ष्य नहीं है कि करनैल सिंह तारीख 28 अगस्त, 2005 तक अपने कार्यालय में ड्यूटी पर था । इस प्रकार यह परिस्थिति साबित नहीं की गई है । अभियोजन पक्ष द्वारा विचारण के दौरान प्रस्तुत किए गए साक्ष्य का मूल्यांकन करने पर हमारी सुविचारित राय है कि वे परिस्थितियां जिनसे दोषी होने का निष्कर्ष निकलता है अभियुक्त के विरुद्ध पूर्ण रूप से सिद्ध नहीं की गई है । प्रस्तुत किए गए पारिस्थिति साक्ष्य से जो तथ्य सामने आते हैं उनसे इस निष्कर्ष को न्यायोचित ठहराने के लिए साक्ष्य की शृंखला पूर्ण नहीं हो पाती है कि मृतक की हत्या मृतक से छुटकारा पाने के लिए अभियुक्त द्वारा आपराधिक षड्यंत्र के अनुसरण में की गई है । मृतक का अभिकथित अपहरण अभियुक्त नरेश कुमार, सोहन लाल, जीत कुमार, जमाइल कुमार, दलीप सिंह और सुरेश कुमार द्वारा किए जाने से संबंधित विधिक सबूतों का पूर्णतः अभाव है । विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध अभिलिखित दोषसिद्धि का निष्कर्ष अनुचित है और इसका समर्थन नहीं किया जा सकता । यह भी दुर्भाग्य की बात है कि अन्वेषण अधिकारियों, अभिकथित अपराधियों और आहत के बीच हुई बातचीत से संबंधित महत्वपूर्ण पहलू को अनदेखा किया है । यदि अन्वेषण अधिकारियों ने इस तथ्य पर ध्यान दिया होता कि मोबाइल नम्बर 9906212436 अभियुक्त नरेश कुमार के नाम में रजिस्ट्रीकृत था और अभियुक्त नरेश कुमार से मृतक द्वारा खरीदे जाने से संबंधित साक्ष्य के अभाव में और सुसंगत समय पर अन्य किसी माध्यम से उसके पास यह

मोबाइल सेट होने से मृतक का वृत्तांत इस संबंध में अवश्यंभावी नहीं होता कि उससे (मृतक) उक्त मोबाइल नम्बर पर बात की गई थी । यह एक ढीले अन्वेषण का मामला है और अभियुक्त अन्वेषण में कमियां किए जाने के कारण दांडिक कार्यवाहियों से बच गए हैं । अन्वेषण अभिक्रम ने त्रुटि की है और अन्वेषण में की गई इस त्रुटि से अन्याय हुआ है । अन्वेषण अधिकारियों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए । हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि विचारण के दौरान अभिलेख पर प्रस्तुत किया गया साक्ष्य मृतक के हत्या के मामले में अभियुक्तों को अपराध से जोड़ने के लिए संदिग्ध हो जाता है । तथापि, संदेह कितना भी प्रबल क्यों न हो, विधिक सबूत का स्थान नहीं ले सकता । (पैरा 19)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2015]	2015 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 5324 : **विजय शंकर** बनाम **हरियाणा राज्य** ;	10
[2015]	2015 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 3545 **कृतिपाल** बनाम **पश्चिमी बंगाल राज्य** ;	11
[2011]	ए. आई. आर. 2011 एस. सी. 2769 : **मुस्तकीम** उर्फ **सिराजुद्दीन** बनाम **राजस्थान राज्य** ;	11
[2010]	ए. आई. आर. 2010 एस. सी. 2140 : **चांद** बनाम **हिमाचल प्रदेश राज्य** ।	11

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : **2012 की दांडिक अपील सं. 29, 2012 की दांडिक प्रकीर्ण याचिका सं. 37, 2012 की दांडिक अपील सं. 22, 2012 की दांडिक प्रकीर्ण याचिका सं. 26, 2012 की दांडिक अपील सं. 28 और 2012 की पुष्टिकरण सं. 11**.

ये अपीलें तारीख 31 जनवरी, 2012 को पारित किए गए दोषसिद्धि के निर्णय तथा तारीख 23 फरवरी, 2012 के दंड के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई हैं ।

अपीलार्थियों की ओर से सर्वश्री साकाल भूषण, रजनेश

ओसवाल और अनिल खुजारिया, अधिवक्ता

प्रत्यर्थियों की ओर से श्री एल. के. मोझा, अपर महाधिवक्ता

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति बंशीलाल भट्ट ने दिया है ।

न्या. भट्ट – ये दांडिक अपीलें तारीख 31 जनवरी, 2012 में पारित किए गए दोषसिद्धि और तारीख 23 फरवरी, 2012 को पारित किए गए दंड के आदेश के विरुद्ध फाइल की गई हैं जिसके फलस्वरूप अपीलार्थी (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "अभियुक्त" कहा गया है) करनैल सिंह और रत्नो देवी को रणवीर दंड संहिता की धारा 302/120(ख)/109 के अधीन अपराध से दोषसिद्ध किया गया और आजीवन कारावास भोगने तथा दस हजार रुपए जुर्माने का संदाय करने का दंडादेश दिया गया । अभियुक्त-नरेश कुमार, सोहन सिंह, जीत कुमार **उर्फ** जीतू, जयमल कुमार **उर्फ** जीवू, गरीब सिंह और सुरेश कुमार को रणवीर दंड संहिता की धारा 302/364/120(ख) के अधीन अपराधों के लिए दोषसिद्ध किया गया तथा आजीवन कारावास तथा दस हजार रुपए जुर्माने का संदाय करने के लिए दंडादिष्ट किया गया और प्रत्येक को रणवीर दंड संहिता की धारा 302/120(ख) के अधीन भी दोषसिद्ध किया गया । इसके अतिरिक्त, दस वर्ष के कठोर कारावास और दस हजार रुपए जुर्माने का संदाय करने तथा प्रत्येक के लिए रणवीर दंड संहिता की धारा 364 के अधीन दोषसिद्ध करते हुए दंडादिष्ट किया गया । दोषसिद्ध अभियुक्त व्यक्तियों के लिए जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम करने पर कारावास की भिन्न-भिन्न अवधियों को भोगने के लिए निदेश किया गया था । कारावास के मूल दंडादेश साथ-साथ चलने का निदेश दिया गया था । ये तीनों अपीलें एक ही निर्णय से उद्भूत हैं इसलिए, संयुक्त विचारण करते हुए एक साथ सुनी गईं और एक ही निर्णय द्वारा उनका निपटारा किया जाना प्रस्तावित है ।

2. अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोजन चलाने के लिए घटनाओं का क्रम, जैसा कि आरोपपत्र से प्रकट है, उनका संक्षेप में साराशः दिया जा सकता है जो इस प्रकार है :–

> "तारीख 26 अगस्त, 2005 को 10.30 बजे पूर्वाह्न पुलिस पोस्ट ग्रेटर कैलाश, जम्मू में यह सूचना प्राप्त की गई थी कि ग्रेटर कैलाश पर झरने के नजदीक स्थित नहर में अज्ञात शव बरामद हुआ

है, इस पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 174 के अधीन कार्यवाहियां प्रारम्भ की गईं । शव नहर से निकाला गया था । मृतक के हाथ रस्सी से बांधे पाए गए थे । रस्सी गर्दन के चारों ओर पाई गई थी । प्लास्टिक की रस्सी से शव को बंधा हुआ पाया गया था । शव और वस्त्रों के अभिग्रहण के बारे में विधिक औपचारिकताएं पूरी की गई थीं । शव को सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय, जम्मू के मुर्दाघर में रखा गया । अज्ञात व्यक्ति के शव की बरामदगी के बारे में प्रिंट और इलैक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से उस बात को प्रकाशित किया गया । सभी पुलिस थानों को अज्ञात शव की बरामदगी के बारे में सूचना दी गई थी । तारीख 27 अगस्त, 2015 को विजय मोहन शर्मा नामक व्यक्ति ने, जो मृतक के शव की पहचान करने के लिए पहुंचा, उसने मृतक को अपना भाई बताया और शव का नाम नितिन शर्मा पुत्र सुरेन्द्र मोहन शर्मा, जाति बाह्मण, जिला कठुआ, नागरी पेरोल, वार्ड नं. 2 का निवासी बताया । शनाख्ती ज्ञापन तैयार किया गया था और विजय मोहन शर्मा का कथन अभिलिखित किया गया था । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 175 के अधीन अभिलिखित अपने कथन में विजय मोहन शर्मा ने यह कथन किया कि मृतक मैटाडोर ड्राइवर के पद पर कार्य करता था और संजय नगर, जम्मू में किराए के मकान में रहता था, उसका विवाह नीतू पुत्री एस. एस. पी. करनैल सिंह के साथ तारीख 31 मार्च, 2005 को हुआ था, करनैल सिंह इस बात से बहुत नाखुश था जिसने मृतक और उसके कुटुम्ब के अन्य सदस्यों को धमकियां भी दी थीं । विजय मोहन शर्मा ने यह अभिकथन किया है कि अभियुक्त करनैल सिंह ने नागरी पेरोल में उसके भाई राजेश कुमार के विरुद्ध मिथ्या मामला दर्ज किया था जो परेशान करने का उपाय था । उसने यह भी अभिकथन किया है कि अभियुक्त करनैल सिंह ने पूरे कुटुम्ब को समाप्त करने की धमकी दी थी । उसने यह भी कथन किया है कि तारीख 24 अगस्त, 2005 को कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने उसे सूचित करते हुए, जम्मू से दूरभाष काल की थी कि कुछ व्यक्ति जिन्होंने सादे कपड़े पहने हैं, ने सरकारी एम्बेसडर कार में डोगरा एकेडमी से मृतक को उठा ले गए हैं और जिसमें लाल रंग की लाइट लगी हुई थी और मृतक को किसी अज्ञात स्थान पर ले गए हैं । उसने यह भी कथन किया कि उसने और उसके कुटुम्ब के सदस्यों ने मृतक को ढूंढा और उसकी जानकारी में यह बात आई कि ग्रेटर कैलाश की नहर पर शव की बरामदगी भी की गई है, उसने मुर्दाघर

में मृतक की पहचान की । उसने यह अभिकथन किया है कि करनैल सिंह द्वारा कुछ अन्य अज्ञात व्यक्तियों के साथ षंड्यत्र रचकर मृतक की हत्या की गई और यह बात विजय मोहन शर्मा के कथनों के आधार पर प्रकट है और जिस आधार पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 174 के अधीन कार्यवाहियां समाप्त की गई थीं और रणवीर दंड संहिता की धारा 302/364/109 के अधीन अपराधों के लिए प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 79/2005, पुलिस थाना गंगोयाल पर दर्ज की गई थी । अन्वेषण प्रारम्भ किया गया । मृतक के शव को शवपरीक्षण परीक्षा के लिए भेजा गया था । साक्षियों के कथन अभिलिखित किए गए थे । करनैल सिंह की पुत्री नीतू देवी के पहने गए कपड़े और मृतक के नीतू देवी के साथ विवाह से संबंधित पत्रों और दस्तावेजों की प्रतियां अभिगृहीत की गई थीं । अभियुक्त नरेश कुमार, सोहन लाल **उर्फ** सोनू **उर्फ** खनीद, जीत कुमार **उर्फ** जीतू और दलीप कुमार **उर्फ** लक्की के किए गए प्रकटीकरण कथनों के अनुसरण में बरामदगियां की गई थीं । मृतक का मोबाइल फोन और ड्राइविंग लाइसेंस और एक जोड़ा जूता और मृतक की हत्या के लिए प्रयोग किए गए अभिकथित रस्सी अभियुक्त नरेश कुमार के प्रकटीकरण कथन के अनुसरण में बरामद की गई थी । मृतक से संबंधित सिम कार्ड, अभियुक्त दलीप सिंह **उर्फ** लक्की द्वारा किए गए प्रकटीकरण कथन के आधार पर बरामद किया जाना कहा गया है । मृतक से संबंधित स्पोर्ट कैप अभियुक्त सोहन लाल **उर्फ** सोनू **उर्फ** खनीद के प्रकटीकरण कथन के आधार पर बरामद किए जाने का अभिकथन किया गया है । बेसबाल बैट अभियुक्त जीत कुमार **उर्फ** जीता के प्रकटीकरण के अनुसरण में बरामद किए जाने का अभिकथन किया गया है । घटनास्थल के नक्शे के साथ-साथ प्रकटीकरण कथन और बरामदगी ज्ञापन तैयार किए गए थे । तात्विक साक्ष्य की भांति पत्थर, पत्तियां और जूट का थैला तथा मृतक की रक्त-रंजीत कमीज अभिगृहीत किए गए थे । मृतक द्वारा पहने गए कपड़े न्यायालयिक प्रयोगशाला (एफ. एस. एल.) जम्मू पर रासायनिक विश्लेषण के लिए भेजे गए थे । एम्बेसडर कार जिसका रजिस्ट्रीकरण सं. 1117-जेके 01 एफ भी अभिगृहीत किया गया था । शासकीय एम्बेसडर कार की लॉगबुक, वाउचर बुक और एम. क्यू. द्वारा पेश किए गए स्टॉक रजिस्टर की प्रति अभिगृहीत की गई थी । यह निष्कर्ष निकाला गया था कि अभियुक्त करनैल सिंह ने अपने शासकीय एम्बेसडर कार की

रजिस्ट्रेशन सं. में हेरफेर करने के लिए अपने ड्राइवर की सेवाओं को इस्तेमाल में लिया था जिस पर कार का नं. 4117-जेके 01ई दिखाया गया था । यह भी पाया गया था कि शासकीय एम्बेसडर कार को तारीख 20 जुलाई, 2005 से 26 अगस्त, 2005 को सर्विस या मरम्मत के लिए भेजा गया था । अन्वेषण में भी प्रकट हुआ है कि अभियुक्त नरेश कुमार ने शास्त्री नगर के एस. टी. डी. फोन सं. 2454299 से मृतक के मोबाइल नं. 9906212436 पर दो काल करके मृतक से संपर्क किया था और डोगरा एकेडमी पर मृतक को बुलाने के लिए फोन सं. 2452564 बाजवा एस. टी. डी. शास्त्री नगर से अंतिम काल की थी जहां से उसका व्यपहरण किया गया था । यह भी प्रकट हुआ है कि उक्त अभियुक्त ने अभियुक्त रत्नो देवी से उसके लैंडलाइन फोन सं. 2455183 पर भी संपर्क किया था । यह भी प्रकट हुआ था कि अभियुक्त करनैल सिंह द्वारा अपने मोबाइल नं. 9419131835 पर मृतक के फोन से काल प्राप्त किए थे । इन तथ्यों से यह प्रकट होता है कि अभियुक्त करनैल सिंह और उसकी पत्नी रत्नो देवी मृतक से घोर शत्रुता रखते थे । शवपरीक्षण रिपोर्ट से यह प्रकट हुआ है कि मृतक का गला घोंटकर हत्या की गई थी । अन्वेषण से यह भी प्रकट हुआ है कि मृतक के करनैल सिंह की पुत्री नीतू देवी से पिछले 7/8 वर्षों से अवैध संबंध थे और उन्होंने नीतू देवी के माता-पिता की इच्छा के विरुद्ध न्यायालय में 31 मार्च, 2005 को विवाह किया था । अभियुक्त करनैल सिंह इस विवाह से बहुत क्रोधित था और उसने दूरभाष से काल करके मृतक और उसके कुटुम्ब को धमकियां दी थीं । मृतक गांधी नगर, शास्त्री नगर सड़क पर मैटाडोर चलाता था और पेशे से ड्राइवर था और उसने अपना घर छोड़ दिया था और संजय नगर, जम्मू पर किराए के मकान में रहता था । यह भी प्रकट है कि मृतक और नीतू देवी ने कुछ समय के लिए जम्मू छोड़ दिया था परंतु बाद में वापस लौट आए । अन्वेषण से यह भी प्रकट हुआ है कि अभियुक्त करनैल सिंह अपनी पत्नी रत्नो देवी से क्रोधित था क्योंकि उसके अनुसार रत्नो देवी अपनी पुत्री के क्रियाकलापों पर ध्यान देने में विफल हुई थी । नीतू देवी के गतिविधियों पर निर्बंधन अधिरोपित किए जाने थे जो अपने मकान के ऊपरी छत से कूदी थी और कुछ समय तक उसको क्षतियां पहुंचने के कारण वह घर पर रुकी रही । अन्वेषण में यह भी प्रकट हुआ है कि अभियुक्त करनैल सिंह और उसकी पत्नी रत्नो देवी मृतक को काबू

करने में विफल रहे थे इसलिए उन्होंने मृतक को मिटाने की योजना बनाई । यह भी प्रकट हुआ है कि अभियुक्त रत्नो देवी ने अभियुक्त नरेश कुमार के साथ षड्यंत्र में शामिल थी जिसे एस. पी. ओ. के पद पर करनैल सिंह द्वारा भर्ती किया गया था और लंगर पर करनैल सिंह के मकान के संनिर्माण कार्य की देख-रेख करता था । नरेश कुमार के बारे में उक्त षड्यंत्र को अंजाम देने के लिए पांच लाख रुपए की राशि की मांग किए जाने का अभिकथन किया गया है । तथापि, नरेश कुमार की नौकरी को नियमित किए जाने के अतिरिक्त एक लाख तीस हजार रुपए का सौदा हुआ था और उसके लिए एक बड़ा जलसा भी रखा गया था । तारीख 24 अगस्त, 2005 को अभियुक्त नरेश कुमार ने अपने मोबाइल फोन से मृतक से संपर्क भी किया था और उक्त काल अभियुक्त द्वारा अपने चाचा के निवास से लैंडलाइन फोन सं. 2480656 द्वारा की गई थी । मृतक ने उससे यह कहा था कि वह उसके किराए के मकान में रह रहा है । यह भी प्रकट हुआ है कि अभियुक्त नरेश कुमार ने मृतक से पहले भी इस बाबत संपर्क किया था कि वह नीतू देवी से उसकी मुलाकात कराएगा । अभियुक्त नरेश कुमार ने मृतक के अते-पते के बारे में अभियुक्त रत्नो देवी को सूचित किया था और उससे यह कहा कि गाड़ी मुहैया कराने के अतिरिक्त वह कुछ अग्रिम राशि की भी व्यवस्था करें । अभियुक्त रत्नो देवी ने जिसका रजिस्ट्रेशन नं. 1117-जेके 01एफ का ड्राइवर सुरेश कुमार से लंगर पर निर्माणाधीन कोठी पर उसे लाने के लिए कहा । उसने उसे एक हजार रुपए भी दिए और नरेश कुमार के सलाह के अनुसार उससे कार्य करने के लिए कहा । अभियुक्त नरेश कुमार लंगर पर कार को चलाकर ले आया और नरेश कुमार को एक हजार रुपए दिए गए और जिससे यह कहा गया कि वह संजय नगर की ओर उस कार को ले जाएं क्योंकि करनैल सिंह के कहने पर मृतक को उसके किराए के मकान से उठाया जाना था । अन्वेषण से यह भी प्रकट हुआ है कि अभियुक्त करनैल सिंह ने मृतक के माता-पिता को बार-बार कई टेलीफोन से काल की थीं जिसमें मृतक को मिटाने की धमकी दी गई । अभियुक्त सोहनलाल **उर्फ** सोनू **उर्फ** खनीद, जयमल कुमार **उर्फ** जीबू, जीत कुमार **उर्फ** जीता और दलीप कुमार **उर्फ** लक्की जो पहले ही वहां पर बैठे हुए थे और करनैल सिंह के निवास पर उसकी इन्तजार करने के लिए रुके हुए थे जिसे संजय नगर से एम्बेसडर कार से उतरना था जहां से नरेश कुमार ने चिब

सेल्स कारपोरेशन के एस. टी. डी. से लैंडलाइन फोन सं. 2454299 से मृतक को दो काल की थीं जिसने अपने एयरटेल मोबाइल नं. 9906212436 से फोन काल प्राप्त की थी और उसे कहा गया था कि वह डोगरा एकेडमी के नजदीक मौजूद रहे । तथापि, मृतक वर्णित घटनास्थल पर मौजूद नहीं पाया गया था । अभियुक्त नरेश कुमार ने बाजवा एस. टी. डी. बूथ से लैंडलाइन फोन सं. 2451564 से पुनः टेलीफोन काल की थी जिसमें मृतक के मोबाइल फोन पर सम्पर्क किया गया था और डोगरा एकेडमी के नजदीक लाइन पर रहने के लिए उसे कहा गया । जैसे ही मृतक वहां पहुंचा, छह अभियुक्त व्यक्तियों ने मृतक को एम्बेसडर कार में बलपूर्वक उठा लिया था जिस कार को अभियुक्त सुरेश कुमार द्वारा चलाया जा रहा था । मृतक को लंगर पर करनैल सिंह के निर्माणाधीन कोठी से दूर ले जाया गया था । अन्वेषण से यह भी प्रकट हुआ है कि मृतक के जंगल में पहने जाने वाले जूतों के फीते से उसके हाथ बांध दिए थे और शारीरिक हिंसा पहुंचाई गई थी और उसके शरीर को प्लास्टिक की रस्सी से अलमारी में बांध दिया गया था और अभियुक्त शाम तक वहां पर रहे । अभियुक्त नरेश कुमार ने अपने चाचा प्रेमदास के मकान में स्थित लैंडलाइन फोन सं. 2480656 पर टेलीफोन काल की थी जिसे अभियुक्त रत्नो देवी द्वारा अपने लैंडलाइन फोन सं. 2465183 में प्राप्त किया गया था । अभियुक्त नरेश कुमार ने रत्नो देवी को सूचना देते हुए कि मृतक उनकी कोठी पर लाया गया था, और उसने कुछ और पैसों की मांग की थी । रत्नो देवी ने यह उत्तर दिया कि यदि गाड़ी के प्लेट की सं. को बदला नहीं गया है तो उसे उस कार्य को करना चाहिए और उसके निवास में स्थित कार्यालय पर उसे वापस लाना चाहिए और उसे वहां पर पैसे दिए जाएंगे । नरेश कुमार ने उससे कहा कि उसके पास कम समय है । रत्नो देवी ने उससे कहा कि वह मृतक को मिटा दे और उसे यह भी बताया गया कि उसने कांस्टेबल सुखचैन सिंह की मार्फत 10,000/- रुपए की रकम भेजी थी और ड्राइवर से यह कहा गया था कि वह गाड़ी की प्लेट की संख्या को बदल दे । तथापि, करनैल सिंह के कार्यालय स्थित निवास पर गाड़ी को ले गया था । अभियुक्त जयमाल कुमार **उर्फ** जीबू भी उसके घर से चला था । लगभग 7 बजे अपराह्न कांस्टेबल सुखचैन सिंह ने कोठी के बाहर अभियुक्त नरेश कुमार को दस हजार रुपए दिए थे । उस समय लगभग 10.30 बजे अपराह्न का समय था और

अभियुक्त सुरेश कुमार, सोहनलाल **उर्फ** खनीद, जीत कुमार **उर्फ** जीता और दलीप सिंह **उर्फ** लक्खी मृतक को ग्रेटर कैलाश नहर की ओर ले गए थे । मृतक अपने जीवन को बचाने के लिए खाई में कूद गया था किन्तु अभियुक्त ने खाई में उसे पकड़ लिया था और अभियुक्त नरेश कुमार ने मृतक की गर्दन के चारों ओर से जूतों के फीते बांध दिए थे और उसने अभियुक्त दलीप सिंह के साथ फीते के दो किनारे से उसकी गर्दन को खींचा था जबकि सोहनलाल **उर्फ** खनीद और जीत कुमार **उर्फ** जीता ने मृतक को पकड़ा था और उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया था । तत्पश्चात् अभियुक्तों ने अभियुक्त सोनी द्वारा लाए गए बेस बाल बैट से मृतक पर हमला किया । मृतक के शव को बाग के नजदीक नहर में फेंक दिया गया था । अन्वेषण से यह भी प्रकट हुआ है कि इन अभियुक्तों ने अभियुक्त करनैल सिंह के कहने पर मृतक की हत्या की थी और हत्या को कराने में रत्नो देवी ने षड्यंत्र रचा था । रणवीर दंड संहिता की धारा 120ख के अधीन आरोप, आरोप पत्र में जोड़े गए थे । इस प्रकार अभियुक्त नरेश कुमार, सोहनलाल, जीत कुमार और दलीप के विरुद्ध रणवीर दंड संहिता की धारा 302/364/120ख के अधीन अपराध के लिए अन्वेषण करने के पश्चात् आरोप पत्र फाइल किया गया था, अभियुक्त जयमल कुमार और अभियुक्त सुरेश कुमार के विरुद्ध रणवीर दंड संहिता की धारा 364/120ख के अधीन अपराध के लिए आरोप पत्र फाइल किया गया जबकि अभियुक्त रत्नो देवी के विरुद्ध रणवीर दंड संहिता की धारा 302/120ख के अधीन अपराध के लिए और अभियुक्त करनैल सिंह के विरुद्ध रणवीर दंड संहिता की धारा 302/109 के अधीन अपराध के लिए आरोप पत्र फाइल किया गया था ।"

3. विचारण न्यायालय ने अभियुक्त नरेश कुमार, सोहनलाल, जीत कुमार, जयमल कुमार, दलीप सिंह और सुरेश कुमार के विरुद्ध रणवीर दंड संहिता की धारा 120ख, 302, 364 के अधीन अपराध के लिए और अभियुक्त रत्नो देवी और करनैल सिंह के विरुद्ध रणवीर दंड संहिता की धारा 120ख/302/109 के अधीन आरोप विरचित किए । अभियुक्त ने दोषी नहीं होने का अभिवाक् किया और विचारण किए जाने का दावा किया । अभियोजन पक्ष ने विचारण पर साक्ष्य पेश किया । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 342 के अधीन परीक्षा में अभियुक्त ने अभियोजन साक्ष्य में प्रकट

अपराध में फंसाने वाली परिस्थितियों से इनकार किया है और यह अभिवाक् किया कि उन्हें मिथ्या मामले में फंसाया गया है और प्रतिरक्षा में कोई साक्ष्य पेश नहीं किया था । अभियोजन पक्ष द्वारा विचारण के दौरान अभिलेख पर विचार करने के लिए साक्ष्य लाया गया था, विचारण न्यायालय ने अभियुक्त की दोषसिद्धि को अभिलिखित किया और दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय के निबंधनों में उन्हें दंडादिष्ट किया और दंडादेश के आदेश को वर्तमान अपीलों के माध्यम से आक्षेपित किया गया ।

4. अभियोजन साक्ष्य को संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है :–

"**अभि. सा. विजय मोहन शर्मा** मृतक नितिन शर्मा का भाई है । उसने यह साक्ष्य दिया है कि मृतक का वर्ष 1998 से अभियुक्त करनैल सिंह की पुत्री नीतू से संबंध रहे थे और करनैल सिंह ने मृतक को निकालने की धमकी दी थी । इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि करनैल सिंह ने उसे और उसके पिता को भी धमकी दी थी । तारीख 14 अगस्त, 2005 को इस साक्षी ने मृतक को इस बारे में पूछताछ करने के लिए टेलीफोन से काल की थी कि वह क्यों एक महीने से अपने घर पर नहीं पहुंचा है । मृतक भयभीत था और उसने यह कथन किया कि करनैल सिंह ने उसे धमकी दी है । ऐसा 11.30 बजे अपराह्न घटित हुआ था । इस साक्षी ने मृतक से उसके मोबाइल नम्बर 9906212436 से सम्पर्क किया था । इस साक्षी ने यह भी कथन किया कि मृतक ने उसे यह बताया था कि वह कठुआ पर 8.30 बजे अपराह्न पहुंचा था और वहां से वह साक्षी के साथ अपने घर गया हुआ है । इस साक्षी ने यह भी दावा किया कि उसने पुनः 2.30 बजे अपराह्न मृतक को फोन किया था परन्तु उस फोन का उत्तर नहीं मिला । ऐसी बात 9.00 बजे अपराह्न पर भी घटी थी । मृतक 8.30 बजे अपराह्न कठुआ पर नहीं पहुंच पाया । इस साक्षी ने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि उसने 9.30 बजे अपराह्न नागरी पर फोन की काल प्राप्त की थी कि मृतक का 5-6 लोगों द्वारा व्यपहरण किया गया था और उसे सफेद रंग की एम्बेसडर कार, जिसमें लाल बत्ती लगी हुई थी, उसमें उसे ले जाया गया था । कार की संख्या उसे 1117-जेके 01एफ बताई गई थी और पुलिस ने उस नम्बर को कार्ड पर लिखा था । वह तेजी से अपने घर पर गया जहां उसने रवीन्द्र **उर्फ** रिंकू जो नागरी पेरोल का निवासी है, उसे देखा और उसने उसके माता-पिता को मृतक के व्यपहरण होने के बारे में सूचना

दी थी । वह और उसके दो भाई प्रातः जम्मू के लिए चले थे तथा सभी पुलिस थानों पर मृतक के बारे में उन्होंने पूछताछ की । तथापि, मृतक का पता नहीं चल पाया था । साक्षी ने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि तारीख 25 अगस्त, 2005 को वह लखनपुर अपने कार्यालय पर गया और उसने फोन नं. 9419131835 पर मृतक की हत्या करने के संबंध में अभियुक्त करनैल सिंह को दोषारोपित करते हुए उसे फोन किया था । उसने यह अभिसाक्ष्य दिया कि अभियुक्त करनैल सिंह ने उसे यह बताया था कि उसके कुटुम्ब के अच्छे संबंध हैं और वह उसके दादा का छात्र भी रहा था । इसलिए मृतक की हत्या करने का कोई प्रश्न पैदा नहीं होता है । तारीख 27 अगस्त, 2005 को उसे ग्रेटर कैलाश की नहर पर अज्ञात शव की बरामदगी के बारे में पता चला जिस बात को दैनिक कश्मीर टाइम्स में प्रकाशित किया गया था । शाम को वह सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय के शव गृह में गया था और उसने मृतक के शव की पहचान की । मृतक का चेहरा क्षत-विक्षत पाया गया था और उसके हाथ और पैर जंगली जूते के फीते से बंधे पाए गए थे । साक्षी ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि उसने रिपोर्ट दर्ज की जिसे पुलिस द्वारा अभिलिखित किया गया । उसने शनाख्ति ज्ञापन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. वी. एम. से चिह्नित किया गया था और उसके कथन पर प्रदर्श पी. डब्ल्यू. वी. एम. 1 से चिह्नित किया गया था और शव को पी. डब्ल्यू. वी. एम. 2 द्वारा उसे दिया गया था । साक्षी ने मृतक के कपड़े और अंगूठियों के अभिगृहीत ज्ञापन जिन्हें प्रदर्श पी. डब्ल्यू. वी. एम. 3 और प्रदर्श पी. डब्ल्यू. वी. एम. 4 से क्रमशः चिह्नित किया गया था, उनके बारे में भी साक्ष्य दिया है । तारीख 1 सितंबर, 2005 को वह पुनः पुलिस थाना गंगयाल पर गया था जहां अभियुक्त जीत कुमार **उर्फ** जीता ने यह बताया था कि उसने अपराध में प्रयुक्त किए गए आयुध को लंगर पर करनैल सिंह की नई निर्माणाधीन कोठी की छत पर बेस बाल बैट को छिपा दिया था । उपरोक्त नामित अभियुक्त के कहने पर बेस बाल बैट बरामद किया गया था । साक्षी ने प्रकटीकरण ज्ञापन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. वी. एम. 5 और बरामदगी ज्ञापन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. वी. एम. 6 के प्रकटीकरण अन्तर्वस्तु के बारे में साक्ष्य दिया है । इस साक्षी ने अभियुक्त सोहनलाल के प्रकटीकरण कथन के बारे में भी साक्ष्य दिया है जिसने मृतक को प्रताड़ित किए जाने का दावा किया और लंगर पर करनैल सिंह की कोठी के बाथरूम में उसकी स्पोर्ट कैप को छिपाया था । उसने प्रकटीकरण

ज्ञापन और बरामदगी ज्ञापन की अन्तर्वस्तु, जिन्हें क्रमशः प्रदर्श पी. डब्ल्यू. वी. एम. 7 और प्रदर्श पी. डब्ल्यू. वी. एम. 8 से चिह्नित किया गया है, के बारे में भी साक्ष्य दिया है । उसने अभिगृहीत टोपी की पहचान की और इस साक्षी ने अभियुक्त से प्रकट हुई बात कि मृतक के सिम कार्ड के संबंध में प्रकटीकरण कथन को भी साबित किया है जिसे करनैल सिंह की कोठी के बगल में खेत में छिपाया गया था । उसने प्रकटीकरण ज्ञापन और बरामदगी ज्ञापन क्रमशः जिन्हें प्रदर्श पी. डब्ल्यू. वी. एम. 9 और प्रदर्श पी. डब्ल्यू. वी. एम. 10 के बारे में साक्ष्य दिया है । इस साक्षी ने आगे यह भी साक्ष्य दिया है कि तारीख 21 अगस्त, 2005 को अभियुक्त करनैल सिंह ने उसके भाई राजेश कुमार के विरुद्ध नागरी पेरोल पुलिस चौकी पर एक मिथ्या मामला दर्ज कराया था और राजेश कुमार के विरुद्ध रणवीर दंड संहिता की धारा 376 के अधीन अपराध विरचित करने के लिए दोबारा थाना भारसाधक अधिकारी को टेलीफोन किया था । तथापि, पुलिस ने रणवीर दंड संहिता की धारा 354 के अधीन अपराध किए जाने के अभिकथन पर राजेश कुमार को गिरफ्तार किया था और मृतक नितिन की हत्या की तारीख को राजेश कुमार के विरुद्ध आरोप पत्र फाइल किया गया था । विचारण न्यायालय ने विद्वान् लोक अभियोजक को विवाह करार की मूल प्रति और चालान का विरचित भाग पेश करने के लिए इजाजत दी थी । इस साक्षी ने मृतक के अभिगृहीत कपड़े तथा अभिगृहीत कपड़ों से बरामद किया गया अभिगृहीत सिम कार्ड की भी पहचान की थी । उसने पुलिस द्वारा अभिगृहीत किए गए बेस बाल बैट की भी पहचान की थी ।

इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि अभियुक्त करनैल सिंह ने उससे कहा था कि मृतक को उसकी पुत्री से विवाह करने से रोका जाए । तथापि, उसने पुलिस के समक्ष ऐसा कथन नहीं किया था । स्वर्ण कुमार नामक व्यक्ति ने यह अभिकथन करते हुए नागरी पुलिस चौकी पर शिकायत दर्ज की थी कि राजेश कुमार ने उसकी पत्नी नीलम की लज्जा भंग की थी । उस मामले में राजेश कुमार के विरुद्ध आरोप पत्र फाइल किया गया था । उसने पुलिस को यह बताया कि मृतक ने करनैल सिंह से मिलने वाली धमकियों के बारे में उसे बताया था । तथापि, यह बात पुलिस द्वारा अभिलिखित उसके कथन में परिलक्षित नहीं हुई थी । उसने पुलिस को यह भी बताया कि नितिन ने अच्छे दिन बिताने के लिए जम्मू छोड़कर कठुआ

लौट आया था । तथापि, यह बात पुलिस द्वारा अभिलिखित उसके कथन में नहीं पाई गई । पुलिस के समक्ष उसका कथन भी अभिलिखित नहीं किया गया था कि जब उसने पुनः नितिन को बुलाया था, उसे कोई उत्तर नहीं मिला । उसने मृतक द्वारा प्रयोग किए जाने वाले मोबाइल नं. 990607107 से फोन किया था और नितिन ने उसी फोन नम्बर से उससे सम्पर्क भी किया था और उसने अपने कार्यालय के लैंडलाइन फोन सं. 283451 पर अज्ञात व्यक्ति की काल प्राप्त की थी और यह कार्यालय परिवहन और जर्नलिज्म यूनिट से संबंधित है जिसका वह स्वामी था । उसने काल का पता लगाने के लिए पुलिस को यह फोन नम्बर दिया था । अज्ञात फोन करने वाले ने अपनी पहचान प्रकट नहीं की । एम्बेसडर कार के तथ्य जिन्हें पत्रों में लिखा गया, पुलिस द्वारा अभिलिखित अपने कथनों में उन बातों का उल्लेख नहीं किया गया है । उसने रत्नो देवी से बातचीत नहीं की थी । उसने पहले करनैल सिंह से बातचीत की थी । वे दोनों एक ही गांव के निवासी हैं । इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि तारीख 12 अप्रैल, 2005 का दायवंचित विलेख के निबंधनों में उसके पिता ने मृतक नितिन के पैतृक संपत्ति से वंचित किया था । उप पुलिस अधीक्षक ने तारीख 1 सितंबर, 2005 को लगभग 2.30 बजे अपराह्न उनकी मौजूदगी में अभियुक्त से पूछताछ की थी । ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक और थाना भारसाधक अधिकारी भी वहां पर मौजूद थे । अभियुक्त का प्रकटीकरण कथन अभिलिखित किया गया था और इसके पश्चात् अभियुक्त से बरामदगी की गई थी । अभियुक्त ने डोगरी में कथन किए थे । लंगर पर बरामदगी ज्ञापन तैयार किए गए थे । बाबी, नरेन्द्र शर्मा और विक्की बरामदगी ज्ञापन के स्थान पर उसके साथ थे । अभियुक्त को कोठी के अन्दर ले जाया गया था और जीता ने मकान की छत से बरामदगी की थी । साक्षी और उसके साथी मकान की छत के ऊपर थे । जीता ने स्वयं बेस बाल बैट लिया था । कोठी का मुख्य दरवाजा बंद था और उसे जीता द्वारा खोला गया था । उसे तारीख 24 अगस्त, 2005 को मृतक के व्यपहरण के बारे में पता चला जब उसने फोन से काल प्राप्त की थी । उसे उसी दिन व्यपहरण में प्रयुक्त किए जाने वाले यान के रजिस्ट्रीकरण की संख्या के बारे में पता चला क्योंकि अभियुक्त करनैल सिंह ने उसे धमकाया था, और उसे अपने भाई के व्यपरहण होने में करनैल सिंह का हाथ होने का संदेह है । तथापि, उसने

तारीख 24, 25 और 26 अगस्त, 2005 को पुलिस को यह नहीं बताया कि उसे करनैल सिंह पर संदेह है । उसने अपने समाचार पत्रों में उस बात को प्रकाशित भी नहीं किया । अभियुक्त सुरेश कुमार को वह पूर्व में नहीं जानता था और उसने गंगयाल पुलिस थाने पर पहली बार सुरेश कुमार को देखा था ।

अभि. सा. रवि वर्मा जो शास्त्री नगर में थैलों की दुकान चलाता था, उसने यह अभिसाक्ष्य दिया कि मई, 2006 में उसके अभिसाक्ष्य को अभिलिखित किए जाने के पूर्व लगभग 8 मास से वह दुकान में मौजूद था । लगभग 2.00 बजे अपराह्न उसने मृतक की आवाज सुनी जिसमें उसके कल्याण के बारे में पूछताछ की जा रही थी । उसने अपनी दुकान में सूर्य की रोशनी को रोकने के लिए छप्पर लगाया था । उसी बीच में उसने डोगरा एकेडमी के समीप लेन से शोरगुल की आवाज सुनी । वह अपनी दुकान से बाहर नहीं आया । उसके समीपस्थ दुकानदार जीतराज ने उसे बताया कि सामान्यतया लड़के उसकी दुकान में आया जाया करते हैं और दुकान के बाहर कभी-कभी उनका झगड़ा भी होता है । इस साक्षी ने यह दावा किया कि लगभग 3-4 मिनट के पश्चात् वह दुकान के बाहर आया । जब वह दुकान के बाहर था तब उसने यह देखा कि घटनास्थल पर कुछ लोग एकत्रित हुए हैं और जिसे यह बताया गया कि कुछ लोग मृतक को सफेद रंग की एम्बेसडर कार में उठाकर ले गए हैं । उसी बीच में रवीन्द्र शर्मा, जो नागरी के निवासी हैं और पुलिस पदधारी के पद पर हैं, वहां पर पहुंचे । इस साक्षी ने पूरी घटना के बारे में उसे बताने का दावा किया है । इस प्रक्रम पर लोक अभियोजक ने इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर दिया और उसकी प्रतिपरीक्षा की ।

लोक अभियोजक द्वारा इस साक्षी से प्रतिपरीक्षा करने पर उसने यह अभिसाक्ष्य दिया कि मृतक हमेशा उसकी दुकान में आया जाया करता था और इस साक्षी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन तारीख 28 अगस्त, 2005 को पुलिस द्वारा अभिलिखित किए गए कथन का विरोध किया है । इस साक्षी ने चिह्न क से क-1 अपने कथन से इनकार किया है जिसमें उसने यह माना था कि उसने कार में मृतक को बलपूर्वक ले जाते हुए 4/5 व्यक्तियों को देखा था । उसने इस बात से भी इनकार किया कि मृतक ने उसे यह बताया था कि उसने करनैल सिंह की पुत्री से विवाह किया था ।

विद्वान् प्रतिरक्षा काउंसेल द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा पर यह कथन किया गया है कि उसने घटनास्थल पर एम्बेसडर कार नहीं देखी थी । वह उन लोगों को भी नहीं जानता जिन्होंने उसे मृतक के व्यपहरण के बारे में सूचना दी थी । उन्होंने यान के रजिस्ट्रीकरण संख्या के बारे में भी उसे नहीं बताया था ।

अभि. सा. रविन्द्र कुमार शर्मा उर्फ **रिंकू** को विद्वान् लोक अभियोजक द्वारा इस साक्षी द्वारा फाइल किए गए आवेदन के आधार पर छोड़ दिया गया जिसमें उसने यह दावा किया कि उसे अभिकथित घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं थी । विद्वान् लोक अभियोजक का कथन में इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया, इस बात को अभिलेख पर लिया गया है ।

अभि. सा. बाबी शर्मा जो मृतक का बड़ा भाई है । उसने यह अभिसाक्ष्य दिया कि मृतक के करनैल सिंह की पुत्री से प्रेम-प्रसंग रहे थे और उसके विद्यालय में पढ़ने के दौरान करनैल सिंह ने टेलीफोन करके उसको धमकियां भी दी थीं । इस साक्षी ने यह भी दावा किया है कि उसके कुटुंब ने इस संबंध से विरत रहने के लिए मृतक को मनाने की भी कोशिश की थी परन्तु करनैल सिंह की पुत्री प्रायः उनके निवास पर आया जाया करती थी । इस साक्षी ने यह दावा किया है कि उसके कुटुंब के सदस्य करनैल सिंह की पुत्री को उसके पिता के समक्ष ले गए थे और उन्हें यह बताया था कि चूंकि लड़का और लड़की भिन्न-भिन्न जाति से संबंधित हैं इसलिए उनका विवाह अनुष्ठापित नहीं हो सकता है । तथापि, करनैल सिंह की पुत्री अन्तर्जातीय विवाह करना चाहती थी । करनैल सिंह ने अपने कुटुंब को जम्मू में स्थानांतरित कर दिया था परन्तु उसकी पुत्री मृतक से टेलीफोन पर बातचीत किया करती थी । इस साक्षी ने यह भी दावा किया कि उन्होंने टेलीफोन का कनेक्शन भी काट दिया था । तथापि, मृतक ने मोबाइल फोन खरीद लिया और उसके और करनैल सिंह की पुत्री का वार्तालाप चलता रहा । इस साक्षी ने यह भी दावा किया कि उन्होंने मृतक का मोबाइल फोन छीन लिया था जब उनके बीच वार्तालाप चल रही थी । करनैल सिंह की पुत्री ने उससे कहा कि वह मृतक के बिना जीवित नहीं रहेगी और किसी भी कीमत पर उससे विवाह करेगी । इस साक्षी ने यह भी दावा किया है कि उसके द्वारा करनैल सिंह के संज्ञान में उक्त घटना को लाया गया जिन्होंने

धमकियां भी दी थीं । करनैल सिंह ने इस साक्षी और उसके छोटे भाई राजेश से बातचीत के लिए अपने बाडी गार्ड की सेवाएं लीं । इस साक्षी ने यह भी साक्ष्य दिया है कि करनैल सिंह ने टेलीफोन बूथ से उसके पिता से सम्पर्क भी किया था और मृतक को बर्बाद करने की टेलीफोन से धमकियां देते हुए चेतावनी भी दी थी । अन्यथा उसने उसे मिटाने की बात कही । इसके पश्चात् मृतक जम्मू चला गया और उसने अपना कैरियर की शुरुआत मेटाडोर ड्राइवर के रूप में की । इस साक्षी को यह भी पता चला कि मृतक ने तारीख 31 मार्च, 2005 को करनैल सिंह की पुत्री से विवाह अनुष्ठापित कर लिया था । तारीख 24 अगस्त, 2005 की शाम रविन्द्र शर्मा 9.00 बजे अपराह्न अपने मकान पर आया और उसे बताया कि मृतक का व्यपहरण कर लिया गया है और उसे यान सं. 1117-जेके 01एफ में ले जाया गया है । वह और उसका भाई अगले दिन प्रातः जम्मू गया तथा वहां पर कई पुलिस थानों पर भी भ्रमण किया परन्तु मृतक का कोई सुराग नहीं मिल पाया । तारीख 26 अगस्त, 2005 को उन्हें दैनिक एक्सलसियर समाचार पत्र के माध्यम से मृतक की बरामदगी के बारे में पता चला । इस साक्षी ने यह भी दावा किया है कि उसने सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय, जम्मू में पड़े हुए एक मृतक के शव की पहचान की । मृतक का अंतिम संस्कार करने के पश्चात् वह पुलिस थाना गंगयाल गया । अभियुक्त नरेश कुमार को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया था और अभियुक्त को पुलिस दल और साक्षियों के साथ घटना के स्थान पर ले जाया गया था । तारीख 29 अगस्त, 2005 को यह घटना घटी थी । अभियुक्त नरेश कुमार के कपड़ों सहित कुछ वस्तुएं और झाड़ी में गिरे हुए रक्त-रंजित लकड़ी को कब्जे में लिया गया था । उन्हें प्रदर्श पी. डब्ल्यू. बी. एस. के माध्यम से साक्षियों के हस्ताक्षर कराकर अभिगृहीत किया गया था । इसके पश्चात् पुलिस डोगरा एकेडमी के नजदीक अवस्थित मृतक के किराए के मकान पर गए । पुलिस ने करनैल सिंह की पुत्री के पहने हुए कपड़े और उसके द्वारा मृतक को लिखे गए पत्र अभिगृहीत किए, देखिए प्रदर्श पी. डब्ल्यू. बी. एस. 1 । विवाह के संबंध में किया गया करार और पत्रों की प्रतियां पुलिस द्वारा अभिगृहीत की गई थीं । इस साक्षी ने सात पेज का मूल पत्र पेश किया । उन्हें अभिलेख पर रखा गया था । इस साक्षी ने मृतक के पहने हुए कपड़े और अभियुक्त नरेश कुमार की कमीज जिन्हें क्रमशः

प्रदर्श पी. डब्ल्यू. बी. एस. 2 और प्रदर्श पी. डब्ल्यू. बी. एस. 3 के माध्यम से अभिग्रहण की कार्रवाई को साबित किया है । इस साक्षी ने तारीख 1 सितंबर, 2005 को पुनः पुलिस थाने जाने का भी दावा किया है जहां अभियुक्त जीता ने इस प्रभाव का प्रकटीकरण कथन दिया है कि उसने लंगर पर करनैल सिंह की कोठी में बेस बाल बैट छिपा कर रखा था । उसने प्रकटीकरण ज्ञापन, जिसे प्रदर्श पी. डब्ल्यू. वी. एम. 5 से चिह्नित किया गया है, उसे भी साबित किया है । इसी तरह अभियुक्त दलीप सिंह ने यह बताया है कि उसने कोठी के बगल में सिम कार्ड को फेंक दिया था । अभियुक्त सोनू ने यह बताया कि उसने लंगर पर कोठी के स्नान गृह में स्पोर्ट कैप छिपा दी थी । इस साक्षी ने प्रकटीकरण ज्ञापन, जिन्हें प्रदर्श पी. डब्ल्यू. वी. एम. 7 और प्रदर्श पी. डब्ल्यू. वी. एम. 9 तथा बरामदगी ज्ञापन, जिन्हें प्रदर्श पी. डब्ल्यू. वी. एम. 6, प्रदर्श पी. डब्ल्यू. वी. एम. 8 और प्रदर्श पी. डब्ल्यू. वी. एम. 10 की अन्तर्वस्तु को सिद्ध किया है ।

इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि मृतक अंडर मैट्रिक था । पुलिस के समक्ष उसके कथन में इस तथ्य का कोई उल्लेख नहीं है कि मृतक के करनैल सिंह की पुत्री से प्रेम प्रसंग रहा था क्योंकि नवीं कक्षा के छात्र होने के दिनों में करनैल सिंह की पुत्री ने मृतक के पिता द्वारा इस विवाह से असहमत होने के बावजूद अन्तर्जातीय विवाह के लिए आग्रह किया था । पुलिस द्वारा अभिलिखित किए गए उसके कथन में करनैल सिंह की पुत्री का इस विवाह के लिए आग्रह करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है तथा करनैल सिंह के बाडी गार्ड द्वारा इस साक्षी और उसके भाई से बातचीत करने के बारे में और करनैल सिंह द्वारा उसके पिता को टेलीफोन से धमकियां देने के बारे में और यह तथ्य कि अभि. सा. रविन्द्र शर्मा **उर्फ** रिंकू यह सूचना देने के लिए उनके घर पर पहुंचे थे कि मृतक को यान में बलपूर्वक उठाकर ले जाया गया था, इन बातों का कोई उल्लेख नहीं है । तारीख 25 अगस्त, 2005 को करनैल सिंह की पुत्री के कपड़े और मृतक के किराए के मकान से पत्र अभिगृहीत किए गए थे और तारीख 26/27 अगस्त, 2005 को कमरे को सीलबंद किया गया था । इस साक्षी ने तारीख 31 मार्च, 2005 को अनुष्ठापित मृतक के विवाह में भागीदारी नहीं की थी । उसने अभियुक्त जीता, दलीप सिंह और सोहनलाल को प्रथम बार तारीख

29 अगस्त, 2005 को पुलिस थाना गंगयाल में देखा था, वे लोग उसे पूर्व में नहीं जानते थे । जब वह तारीख 29 अगस्त, 2005 को पुलिस थाना गया तो उसके साथ उसका भाई विजय मोहन भी था और उस तारीख को अभियुक्तों ने अपराध में शामिल होने की अपनी संस्वीकृति दी और यह अभिवाक् किया कि उन्होंने मृतक की हत्या करनैल सिंह के कहने पर की थी जिन्होंने उन्हें स्थायी रूप से रोजगार देने का वचन दिया था । तारीख 30 अगस्त, 2005 को अभियुक्त ने अपराध के ब्यौरों के बारे में बताया और मृतक की हत्या करने में अपनाया गया काम करने के ढंग को प्रकट किया । पुलिस द्वारा अभियुक्त के कथन को अभिलिखित किया गया था और उस पर अभियुक्तों के हस्ताक्षर भी कराए थे । इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि वह पुलिस दल के साथ चला था जब अभियुक्तों के कहने पर बरामदगियां की गई थीं । लंगर पर करनैल सिंह की कोठी में कोई भी व्यक्ति नहीं रहता था क्योंकि उसका कुटुंब जम्मू पर चला गया था । फाटक बंद था और पुलिस ने अन्दर से फाटक को खोला था । उन्होंने फाटक को खोलने से पूर्व अन्दर जाकर चारदीवारी फांदकर गए थे । सिम कार्ड खुले स्थान में कोठी के पीछे की ओर पड़ा हुआ था जबकि बेस बाल बैट प्रथम मंजिल की छत के ऊपर खुली जगह पर पड़ा हुआ था । स्पोर्ट कैप निचली मंजिल के बाथरूम में पड़ी हुई थी । इस साक्षी ने यह भी कथन किया कि उसे मृतक के व्यपहरण के बारे में पता चला था और व्यपहरण के लिए कार का इस्तेमाल किया गया था तथा तारीख 24 अगस्त, 2005 को 9.30 बजे अपराह्न व्यपहरण के पीछे कई व्यक्तियों का हाथ था परन्तु उसने पुलिस थाने पर इस बारे में रिपोर्ट दर्ज नहीं की ।

अभि. सा. नरेन्द्र कुमार शर्मा ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि मृतक और अभियुक्त करनैल सिंह उसके गांव से संबंधित हैं । मृतक के करनैल सिंह की पुत्री नीतू सिंह से प्रेम-प्रसंग चल रहा था । तारीख 27 अगस्त, 2005 को राजेश कुमार अपने निवास स्थान पर पहुंचा और उसने यह कथन किया कि उसके पिता मास्टर सुरेन्द्र मोहन ने उसे बुलाया था । यह साक्षी वहां पर गया । सुरेन्द्र मोहन और उसका बड़ा पुत्र विजय मोहन ने इस साक्षी को यह बताया कि 24 तारीख को मृतक का व्यपहरण कर लिया गया है और उसे एम्बेसडर कार जिसका रजिस्ट्रेशन सं. 1117/जेके 01एफ है और उसमें लाल बत्ती

लगी हुई है, उस पर उसे ले जाया गया था । उन्होंने आगे उसे यह बताया कि चूंकि मृतक ने नीतू से विवाह किया था और उन्हें करनैल सिंह के मामले में शामिल होने के बारे में संदेह है और उसी बीच मृतक के भाई ने उन्हें यह बताया कि उसने प्रातः समाचारपत्रों में यह पढ़ा था कि अज्ञात शव की बरामदगी हुई है जो सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय, जम्मू के पास पड़ा हुआ था । विजय मोहन ने यह कहा कि उसने अपने भाई और रिंकू को इस संबंध में जम्मू भेजा था । एक घन्टे के पश्चात् विजय मोहन द्वारा फोन काल प्राप्त की गई थी । रिंकू ने उसे यह बताया कि शव की पहचान नितिन के रूप में हुई है । इसके पश्चात् यह साक्षी और अन्य लोग सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय, जम्मू के शवगृह की ओर गए जहां उन्होंने मृतक के शव को देखा । इस साक्षी ने मृतक का शनाख्ति ज्ञापन, जिसे प्रदर्श पी. डब्ल्यू. बी. एम., अभिग्रहण ज्ञापन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. बी. एम. 2, 3 और 4 चिह्न डाले गए हैं की अन्तर्वस्तु का भी साक्ष्य दिया है । इस साक्षी ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि तारीख 30 अगस्त, 2005 को वह पुनः विजय मोहन, बलदेव और लक्की के साथ पुलिस थाना गंगयाल गया था । नरेश कुमार के पर्स से 2,160/- रुपए बरामद किए गए थे, (देखिए प्रदर्श पी. डब्ल्यू. एन. के.) । इस साक्षी ने यह भी दावा किया है कि अभियुक्त नरेश कुमार ने ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में प्रकटीकरण कथन किया था और मृतक का मोबाइल फोन, जिसके बारे में उसने करनैल सिंह की कोठी में अलमारी के ऊपर रखे जाने का दावा किया । इस साक्षी ने पूर्वोक्त अभियुक्त द्वारा जंगली जूतों के बारे में किए गए प्रकटीकरण कथन को भी सिद्ध किया है । उसने प्रकटीकरण कथन, जिसे प्रदर्श पी. डब्ल्यू. एन. के. 1 को भी साबित किया है । इस साक्षी ने कमरे से बरामद जंगली जूते की बरामदगी और ड्राइविंग लाइसेंस की बरामदगी तथा करनैल सिंह की कोठी की अलमारी के शीर्ष पर पड़े हुए मोबाइल फोन को भी साबित किया है । उसने इस बारे में प्रदर्श पी. डब्ल्यू. एन. के. 2 को भी साबित किया है । इसके पश्चात् कोठी को सीलबंद किया । इस साक्षी से प्रतिपरीक्षा करने पर उसने यह कथन किया है कि पुलिस ने तारीख 27, 28 और 30 अगस्त, 2005 को उससे पूछताछ की थी । तथापि, तारीख 27 अगस्त को उसने पुलिस के समक्ष यह नहीं बताया था कि मृतक के मकान में क्या घटित हुआ था जब सुरेन्द्र मोहन ने उसे वहां बुलाया

था । अभियुक्त नरेश को वह पहले से नहीं जानता था । अभियुक्त ने भारसाधक अधिकारी के कमरे के कार्यालय में प्रकटीकरण कथन किया था । बलदेव राज, लक्की और बाबी शर्मा के अतिरिक्त पुलिस अधिकारी भी उस समय मौजूद थे । डोगरी भाषा में प्रकटीकरण कथन किया गया था परन्तु उसे उर्दू में अभिलिखित किया गया । वे प्रकटीकरण कथन करने के 15 मिनट के भीतर बरामदगी के स्थान पर पहुंचे थे । लंगर पर अवस्थित दो मंजिली कोठी के निचले मंजिल के कमरे से बरामदगी हुई थी । जंगली जूतों के बारे में बरामदगी ज्ञापन पुलिस थाने में तैयार किया गया था और ऐसा ही मोबाइल फोन और लाइसेंस के बारे में बरामदगी ज्ञापन के बारे में भी किया गया था । प्रकटीकरण ज्ञापन और बरामदगी ज्ञापन बरामदगी के पश्चात् तैयार किए गए थे ।

अभि. सा. बलदेव राज ने यह भी साक्ष्य दिया कि मृतक का 4-5 वर्षों से करनैल सिंह की पुत्री के साथ प्रेम-प्रसंग चल रहा था और उन्होंने तारीख 31 मार्च 2005 को अपना विवाह संपन्न किया । करनैल सिंह इस बात से नाखुश था और उसने कई बार मृतक के पिता को धमकी दी थी । इस साक्षी ने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि करनैल सिंह ने मृतक की मृत्यु के पश्चात् पुलिस से सांठ-गांठ कर ली थी । मृतक का डोगरा एकेडमी से तारीख 24 अगस्त, 2005 को व्यपहरण किया था और उसे किसी अन्य स्थान पर एम्बेसडर कार में ले जाया गया था । उसी दिन 10 बजे अपराह्न मृतक के भाई ने फोन से काल प्राप्त की थी कि मृतक को पुलिस द्वारा ले जाया गया है । मृतक के भाई द्वारा इस साक्षी को उस तथ्य के बारे में बताया गया था । तारीख 25 अगस्त को इस साक्षी और मृतक के नातेदारों ने मृतक को भिन्न-भिन्न पुलिस थानों पर ढूंढना आरंभ किया परन्तु मृतक का पता नहीं चल पाया था । तारीख 26 अगस्त को उन्हें कश्मीर टाइम्स और जे. के. चैनल से ग्रेटर कैलाश पर शव की बरामदगी के बारे में पता चला और अस्पताल में शव की पहचान की गई थी । इस साक्षी ने शनाख्त ज्ञापन, जिसे प्रदर्श पी. डब्ल्यू. बी. एन. से चिह्नित किया गया था, उसको सिद्ध किया गया है । उसने शव की प्राप्ति, जिसे प्रदर्श पी. डब्ल्यू. बी. एन. 2 चिह्न डाला गया है, विवाह प्रमाणपत्र से संबंधित अभिग्रहण ज्ञापन और दस्तावेज, जिन्हें प्रदर्श पी. डब्ल्यू. बी. एस. 1 से चिह्नित किया गया है, मृतक के पहने हुए कपड़े का अभिग्रहण ज्ञापन और अंगूठी जिस पर प्रदर्श पी.

डब्ल्यू. बी. एस. 2 चिह्न डाला गया है, को भी साबित किया है । इस साक्षी ने अभियुक्त नरेश कुमार की संस्वीकृति के बारे में भी अभिसाक्ष्य दिया है, जिसने पुलिस को यह बात बताने का दावा किया है कि करनैल सिंह और उसकी पत्नी ने मृतक को मिटाने के लिए एक लाख बीस हजार रुपए उसे देने का वचन दिया था और अग्रिम राशि के रूप में दस हजार रुपए प्राप्त किए थे और लंगर पर अवस्थित करनैल सिंह की कोठी में मृतक की हत्या कर दी गई और उसके शव को टाट के थैले में बंद कर दिया गया और उसके पश्चात् ग्रैटर कैलाश नहर में उसे फेंक दिया गया । इस साक्षी ने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि अभियुक्त नरेश कुमार उस नहर पर पुलिस को ले गया था जहां से रक्त से भीगा हुआ टाट का थैला, पत्थर, छड़ और पेड़ के दो रक्त-रंजित पत्ते बरामद किए गए और उन्हें प्रदर्श पी. डब्ल्यू. वी. एस. के माध्यम से चिह्नित किया गया था । अभियुक्त नरेश कुमार की कमीज रक्त में भीगी हुई थी और वहीं से उसे भी बरामद किया गया था । इस साक्षी ने इस बारे में अभिग्रहण ज्ञापन जिसमें प्रदर्श पी. डब्ल्यू. बी. एस. 3 डाला गया है, को भी सिद्ध किया है । उसने नीतू के पहने गए कपड़ों के संबंध में सुपुर्दनामा, जिसे प्रदर्श पी. डब्ल्यू. वी. आर. से चिह्नित किया गया है, तथा प्रेम पत्र और विवाह प्रमाणपत्र सहित अन्य दस्तावेजों को भी साबित किया है ।

इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह अभिसाक्ष्य दिया है कि मृतक उसका नातेदार नहीं है और वह उसके मकान से लगभग 800 मीटर की दूरी पर रहता है । वर्ष 2004 में मृतक जम्मू में स्थानांतरित हो गया था जहां वह मेटाडोर ड्राइवर के रूप में कार्य करता था । वह कभी भी जम्मू में मृतक के निवास पर नहीं गया । नीतू उसे नहीं जानती थी । इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसे मृतक की मृत्यु के पश्चात् नीतू से मृतक के विवाह के बारे में पता चला । करनैल सिंह घटना के समय पर ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, राजौरी पर तैनात था । उसने विवाह प्रमाणपत्र के आधार पर मृतक के विवाह के बारे में बोला है जिसे उसने पुलिस थाने में देखा था । मार्च, 2003 में करनैल सिंह ने मृतक को गाली दी और उसे थप्पड़ मारा था । यह बात उसे मृतक से पता चली थी । इस साक्षी ने यह कथन किया है कि वह उस घटनास्थान से लगभग 750 मीटर दूर नागरी पर दुकान चलाता था जहां गाली देने और थप्पड़ मारने की घटना घटी थी ।

उसने मृतक के कुटुम्ब को इस घटना के बारे में नहीं बताया । वह यह अनुमान लगा सका है कि करनैल सिंह के कहने पर पुलिस ने मृतक का पीछा किया था । उसने तारीख 24 अगस्त, 2005 को मृतक के व्यपहरण की घटना नहीं देखी थी । विजय मोहन ने टेलीफोन से प्राप्त की गई सूचना के बारे में उसे बताया था परन्तु उसने काल करने वाले की पहचान के बारे में नहीं बताया । तारीख 25 अगस्त, 2005 को कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई थी । तारीख 26 अगस्त को उसने समाचारपत्र की रिपोर्ट से मृतक की बरामदगी के बारे में पता चला और उसने समाचार/शाम का समाचार जे. के. चैनल में देखा था । तथापि, उसने मृतक के कुटुंब को इस बारे में सूचित नहीं किया । तारीख 27 अगस्त को वह मृतक के भाई अर्थात् बाबी शर्मा और विजय मोहन के साथ 5.00 बजे अपराह्न जम्मू के लिए गया था । पुलिस उन्हें शव गृह की ओर ले गई जहां केवल मृतक का शव पड़ा हुआ था । बाबी शर्मा ने तारीख 29 अगस्त, 2005 को पुलिस के समक्ष पत्र और पहने गए कपड़े पेश किए थे । उसने तारीख 30 अगस्त को पुलिस थाने में अभियुक्त नरेश कुमार को देखा था । वह इस साक्षी को पहले से नहीं जानता था । वह कभी भी लंगर पर करनैल सिंह की कोठी पर नहीं गया था । इस साक्षी ने इस सुझाव से इनकार किया है कि उसके पिता मृतक के पिता के सगे भाई थे । उसकी मौजूदगी में अभियुक्त से पूछताछ की गई थी । नगर के नजदीक खुले स्थान से बरामदगी हुई थी क्योंकि वस्तुएं झाड़ियों के अन्दर पड़ी हुईं थीं ।

अभि. सा. बिजेन्द्र कुमार ने यह साक्ष्य दिया कि अभियुक्त नरेश कुमार की निजी तलाशी लेने पर उसके पर्स से नकद राशि 2,160/- रुपए की बरामदगी की गई थी । उसने इस संबंध में तलाशी ज्ञापन, जिसे प्रदर्श पी. डब्ल्यू. एन. के. के बारे में साक्ष्य दिया था । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि अभियुक्त नरेश कुमार ने पुलिस के सामने यह प्रकट किया कि उसने करनैल सिंह की कोठी में मृतक से संबंधित मोबाइल फोन और ड्राइविंग लाइसेंस और जंगली जूते छिपाए थे । उसने इस बारे में प्रकटीकरण ज्ञापन, जिसे प्रदर्श पी. डब्ल्यू. एन. के. 1 से चिह्नित किया गया है, के बारे में भी साक्ष्य दिया था । वह बाबी, नरेन्द्र, बलदेव और पुलिस के साथ करनैल सिंह की कोठी पर गया था जहां अभियुक्त नरेश कुमार के कहने पर मोबाइल फोन, ड्राइविंग लाइसेंस और जंगली जूते बरामद किए गए थे । उसने इस

बारे में बरामदगी ज्ञापन, जिसे प्रदर्श पी. डब्ल्यू. एन. के. 2 को भी साबित किया है । उसने बरामद की गई वस्तुएं, जिन्हें बी. एस. 1 से बी. एस. 3 की भी पहचान की । उसने बरामद किए गए पर्स, जिसे बी. एस. 4 से चिह्नित किया गया है, की भी शनाख्त की ।

इस साक्षी की प्रतिपरीक्षा करने पर उसने यह कथन किया है कि वह ग्राम नागरी का है । वह नितिन शर्मा के बारे में पूछताछ करने के लिए जम्मू भी गया जो गायब हुआ । मृतक उसका नातेदार नहीं है । उसने पुलिस थाना गंगयाल में प्रथम बार अभियुक्त नरेश कुमार को देखा था । अभियुक्त की उसके समक्ष वैयक्तिक तलाशी ली गई थी । इसके पश्चात् अभियुक्त ने पुलिस अधीक्षक चौहान की मौजूदगी में प्रकटीकरण कथन किया था । उस समय कुछ पुलिस कार्मिक मौजूद थे । अभियुक्त ने यह कथन किया है कि मोबाइल फोन स्पाइस ब्रांड का था । लाइसेंस मृतक नितिन शर्मा के नाम का था । उसने कोठी में निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति को नहीं देखा । अभियुक्त बरामदगी के स्थान पर स्वयं पुलिस दल को ले गया था । मोबाइल फोन प्रथम मंजिल के कमरे में अलमारी से बरामद हुआ था । जंगली जूते निचली मंजिल के कमरे में लकड़ी की टेबल के नीचे बरामद हुए थे और उनका बरामदगी ज्ञापन तैयार किया गया था ।

अभि. सा. सुखचैन सिंह ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि अगस्त, 2005 में वह पुलिस थाना आर. एस. पुरा में कांस्टेबल के पद पर तैनात था । अभियुक्त करनैल सिंह ने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अपने निवास पर तैनात किया था । वह बच्चों को पढ़ाया करता था तथा अन्य घरेलू कार्य के लिए भी उपस्थित रहता था । रत्नो देवी ने अभियुक्त नरेश कुमार को दस हजार रुपए देने के लिए उसे दिए थे और जिसने उक्त रकम लंगर पर उसके मकान में कार्य कर रहे मिस्त्री रसपाल को दिए जाने का निर्देश दिया गया । इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि वह लंगर पर गया और उसने गेट को खटखटाया । नरेश गेट के बाहर आया और उससे कहा कि वह दूसरे रास्ते से अन्दर आए । इस साक्षी ने दूसरे गेट पर नरेश को पैसा दिया और उस स्थान से चला आया ।

इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया कि अभियुक्त को पैसा देते समय उसने नरेश से यह कहा कि रत्नो देवी ने मिस्त्री रसपाल को निर्माण कार्य करने के लिए उक्त रकम दी जानी है ।

इस साक्षी ने यह भी कथन किया कि यह रकम मकान के गेट के बाहर अगस्त में दी गई थी ।

अभि. सा. सरला कुमारी को इस आधार पर विद्वान् लोक अभियोजक द्वारा छोड़ दिया गया है कि उसे अभियोजन पक्ष ने पक्षद्रोही घोषित कर दिया ।

अभि. सा. राजकुमारी ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि मृतक उसका किराएदार था और वह उसके मकान सं. 172, संजय नगर, जम्मू में किराएदार के रूप में दो मास आठ दिन की संक्षिप्त अवधि के लिए रहा था और यह अवधि वर्ष 2005 के मध्य में है । तब मृतक ने एक फोन काल प्राप्त की थी जिसका उसने उत्तर दिया था और काल करने वाले से डोगरा एकेडमी पर इन्तजार करने के लिए कहा । यह साक्षी यह नहीं कह सकता है कि क्या मृतक वहां गया था क्योंकि वह मंदिर के लिए चली गई थी । मृतक के किराए के आवास में लगभग तीन दिन के पश्चात् पुलिस वहां पहुंची थी और उसे बताया कि मृतक की मृत्यु हो चुकी है । पुलिस ने मृतक के अधिभोग वाले कमरे को खोला था और वहां का निरीक्षण किया परन्तु किसी भी वस्तु का अभिग्रहण नहीं किया गया । इस साक्षी से प्रतिपरीक्षा में कोई भी प्रश्न नहीं पूछा गया ।

अभि. सा. विजयलक्ष्मी को इस आधार पर विद्वान् लोक अभियोजक द्वारा छोड़ दिया गया था क्योंकि उसे अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया है ।

अभि. सा. अमरजीत कौर ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि डोगरा एकेडमी के नजदीक शोरगुल रहता था तथापि, वह अपने मकान से कहीं नहीं गई थी । एक पुलिस व्यक्ति उसके मकान पर आया था और उसने उसके नाम के बारे में पूछा । इस प्रक्रम पर इस साक्षी को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया था । विद्वान् लोक अभियोजक द्वारा परीक्षा करने पर इस साक्षी ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि उसका मकान डोगरा एकेडमी चौक से चार मकान की दूरी पर अवस्थित है । उसने कोई शोरगुल नहीं सुना था परन्तु उसके पड़ोसी ने उसे यह सलाह दी थी कि वह मकान से बाहर न आए क्योंकि वहां पर शोरगुल रहता है । उसका बड़ा बच्चा उस समय विद्यालय में गया हुआ था । पुलिस 3-4 दिनों के पश्चात् उसके मकान पर पहुंची थी परन्तु उसने पुलिस को यह बताया कि उसने कुछ भी नहीं देखा ।

इस साक्षी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन अभिलिखित कथन, जिसे चिह्न क से चिह्न क-1 को अस्वीकार किया है ।

अभि. सा. जोगिन्दर लाल को अभियोजन पक्ष द्वारा अनावश्यक साक्षी समझते हुए छोड़ दिया ।

अभि. सा. कांस्टेबल लेखराज ने यह साक्ष्य दिया है कि तारीख 26 अगस्त, 2005 को वह पुलिस चौकी, ग्रेटर कैलाश पर तैनात था । ग्रेटर कैलाश पर स्थित फाउंटेन नहर चौक से अज्ञात शव की बरामदगी की गई थी । उसने बरामदगी ज्ञापन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. एल. आर. से चिह्नित किया है । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि पुलिस चौकी, ग्रेटर कैलाश का भारसाधक अधिकारी ने जूतों का जोड़ा जिनके फीतों से मृतक के हाथ और गरदन को बांधा गया था और इसके अतिरिक्त 22 फीट लंबी प्लास्टिक की रस्सी, जिससे मृतक के शव को बांधा गया था, देखिए अभिग्रहण ज्ञापन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. एल. आर. 1 से चिह्नित किया गया है ।

इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि वह उस व्यक्ति को नहीं जानती है जिसके शव को बरामद किया गया था ।

अभि. सा. सुदर्शन कुमार सिंचाई विभाग में बेलदार के पद पर कार्य करता है और ग्रेटर कैलाश के नहर पर बेलदार के पद पर तैनात था, उसने यह अभिसाक्ष्य दिया कि तारीख 26 अगस्त, 2005 को जब वह 11 बजे पूर्वाह्न नहर की सफाई कर रहा था तो उसने फाउंटेन चौक के नजदीक नहर में शव पड़ा हुआ देखा । पुलिस ने उक्त शव को निकाला, उसके जूते के फीते से हाथ बंधे हुए थे और उसकी गर्दन रस्सी से बंधी हुई थी । घटनास्थल पर शव की पहचान नहीं हो सकी । इस साक्षी से प्रतिपरीक्षा करने पर उसने यह कथन किया कि उसने 8 बजे पूर्वाह्न अपनी ड्यूटी की रिपोर्ट दी ।

अभि. सा. सुरेन्द्र मोहन शर्मा ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि मृतक उसका पुत्र है और करनैल सिंह जो ज्येष्ठ पुलिस अधिकारी के पद पर तैनात है, के कहने पर तारीख 24 अगस्त, 2005 को उसकी हत्या की गई थी । करनैल सिंह की पुत्री नीतू देवी के साथ आठ वर्ष से मृतक का प्रेम प्रसंग चल रहा था और नीतू देवी उसके मकान पर बार-बार आया करती थी । इस साक्षी ने इस बात का दावा किया कि उसने नीतू देवी को यह सलाह दी कि वह मृतक के साथ संबंध रखने

से दूर रहे । परन्तु वह इस बात पर कायम रही कि अन्तर्जातीय विवाह अनुज्ञेय है । मृतक की मृत्यु के पश्चात् उसे इस बात का पता चला कि मृतक और नीतू देवी के बीच कोर्ट मैरिज हुई थी । घटना के लगभग 2-3 मास पूर्व करनैल सिंह ने इस साक्षी को भेजा था परन्तु वह अपनी बीमारी की वजह से पुलिस चौकी नागरी पर नहीं पहुंच सकी । तथापि, वह करनैल सिंह का भाई, जो पुलिस चौकी नागरी पर कांस्टेबल के पद पर कार्य कर रहा था, के साथ पी. सी. ओ. भेजा जहां से उसने फोन पर करनैल सिंह से बातचीत की । इस साक्षी ने आगे यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि करनैल सिंह ने मृतक को गोली से उड़ाने या उसको मिटाने की धमकी दी थी । एक पखवाड़े के पश्चात् मृतक अपने घर पहुंचा और इस साक्षी ने इस बात का दावा किया है कि उसने मृतक को यह सलाह दी कि वह अपने जीवन को बचाने के लिए जम्मू वापस न जाए क्योंकि वहां जाना उसके लिए खतरा है । तथापि, मृतक ने उसकी सलाह नहीं मानी और जम्मू चला गया । मृतक को तारीख 24 अगस्त, 2005 को अपने घर वापस लौटना था परन्तु वह शाम तक घर पर नहीं पहुंचा । मृतक के बड़े भाई अर्थात् राजेश द्वारा फोन से काल की गई थी परन्तु उत्तर नहीं मिला । लगभग 9 बजे अपराह्न रिंकू **उर्फ** रवीन्द्र कुमार इस साक्षी के मकान पर पहुंचा और उसे यह बताया कि मृतक को कुछ लोगों द्वारा पुलिस यान में, जिसमें लालबत्ती लगी हुई है, ले जाया गया है । इस साक्षी ने यह भी दावा किया है कि उसने अपने पुत्र राजेश को नितिन को ढूंढने की सलाह दी । इस साक्षी ने आगे यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि उसने पी. सी. ओ. से करनैल सिंह को फोन से काल किया था जिसमें मृतक के बारे में पूछताछ की गई परन्तु करनैल सिंह ने उक्त घटना के बारे में अपनी अनभिज्ञता व्यक्त की । मृतक का कोई पता नहीं लग पाया था । तारीख 27 जुलाई, 2005 को दैनिक एक्सलसियर में यह प्रकाशित हुआ था कि बख्शी नगर अस्पताल में अज्ञात शव पड़ा हुआ है । उसके तीनों पुत्र अस्पताल पहुंचे और उन्होंने शव की पहचान मृतक के रूप में की जो जम्मू में मेटाडोर ड्राइवर के रूप में कार्य कर रहा था और संजय नगर में रहता था ।

इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षा में यह अभिसाक्ष्य दिया है कि वह मेटाडोर के मालिक को नहीं जानता है जो उस समय मृतक द्वारा

चलाई जा रही थी । वह जम्मू पर मृतक के किराए के मकान पर एक या दो बार गया था । उसने मृतक की मृत्यु के 4-5 मास पूर्व उसे अपनी पैतृक संपत्ति से हटा दिया था । ऐसा कोई हिंसक वारदात से अपने कुटुंब को संरक्षण देने के लिए किया गया था । मृतक ने पूर्व में उससे यह कहा था कि वह तारीख 24 अगस्त, 2005 को घर पर पहुंचेगा । जब वह कभी अपने कुटुंब से मिलना चाहता था तब वह घर पहुंचने के लिए इरादतन सूचना देता था । उसने यह भी कथन किया कि मृतक लगभग 9 मास पूर्व जम्मू चला गया था । किराए का मकान एक मंजिला था । उसे जम्मू में मृतक के दोस्तों के बारे में पता नहीं है । अभियुक्त करनैल सिंह भी उसी गांव का है और उसके पिता का छात्र रहा है । तथापि, दोनों कुटुंब एक दूसरे के यहां आया-जाया नहीं करते थे । दोनों कुटुंबों के मकानों की दूरी आधा किलोमीटर थी । उसे यह भी पता नहीं है कि कब करनैल सिंह जम्मू चला गया था । उसने इस बात से इनकार किया है कि उसने रिंकू से तारीख 24 अगस्त, 2005 को पहली बार नीतू देवी की मृतक के साथ विवाह के बारे में सुना था । उसने रिंकू से मिली सूचना के आधार पर पुलिस के साथ रिपोर्ट दर्ज करने के लिए अपने पुत्रों से नहीं कहा था कि मृतक का पुलिस यान में व्यपहरण किया गया है । तारीख 27 अगस्त, 2005 तक मृतक के गायब होने या व्यपहरण होने के बारे में पुलिस के पास कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई थी ।

अभि. सा. राजेश कुमार जो मृतक का भाई है, ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि मृतक गांधी नगर की ओर जाने वाले रास्ते पर मेटाडोर ड्राइवर के रूप में कार्य करता था और संजय नगर जम्मू पर किराए के मकान में रहता था । मृतक लगभग 8 वर्षों से नीतू देवी से प्रेम करता था । तारीख 24 अगस्त, 2005 को 9.30 बजे पूर्वाह्न इस साक्षी ने मृतक के मोबाइल फोन नं. 9906212436 पर फोन से काल की थी जिसका मृतक द्वारा उत्तर दिया गया था, जिसने इस साक्षी से भयभीत होने के लहजे में बातचीत की थी कि उसने नीतू देवी के साथ कोर्ट मैरिज की है और जिसने मुझे यह भी सूचना दी कि उसके माता-पिता ने उसकी हत्या करने की योजना बनाई है और वह 2-3 दिन के भीतर गांव वापस लौट जाएगा । मृतक ने उसे यह बताया कि वह शाम को घर वापस लौटेगा । तथापि, वह वापस नहीं आया । इस साक्षी ने यह भी दावा किया है कि उसने एस. टी. डी. से मृतक को फोन से काल किया था परन्तु उसका फोन बंद था ।

इस साक्षी ने अपने माता-पिता से बातचीत की । लगभग 9 बजे अपराह्न रवीन्द्र कुमार **उर्फ** रिंकू, जो आई. आर. पी. में नौकरी करता था, उसके मकान पर पहुंचा और यह सूचना दी कि 5-6 लोगों ने मृतक का व्यपहरण किया है और पुलिस कार जिसमें लाल बत्ती लगी हुई है और जिसका रजिस्ट्रेशन सं. जेके 01 एफ - 1117 है, उसमें उसे उठाकर ले गए हैं । इससे कुटुंब सदमें में पड़ गया । तारीख 25 और 26 अगस्त, 2005 को मृतक को ढूंढा गया था । तारीख 27 अगस्त, 2005 को उसे समाचारपत्र रिपोर्ट से ग्रेटर कैलाश के पास नहर से अज्ञात शव की बरामदगी के बारे में पता चला । वह और अन्य लोग उसके साथ जी. एम. सी. जम्मू गए जहां बरामद किया गया शव मृतक का पाया गया ।

इस साक्षी से प्रतिपरीक्षा करने पर उसने यह कथन किया कि उसने तारीख 29 मार्च, 2004 को अस्थायी कर्मचारी के रूप में आर. टी. ओ. कार्यालय, लखनपुर पर पदभार ग्रहण किया था । उसे मेटाडोर के मालिक का नाम पता नहीं है जिसे मृतक चलाता था । वह संजय नगर में मृतक के किराए के कमरे में कभी नहीं गया था । मृतक मकान मालकिन का पुत्र रिक्की के अलावा अपने गांव के निवासी विक्की और महेन्द्र के साथ बैठा करता था । इस साक्षी ने यह भी बताया है कि मृतक को उसके माता-पिता द्वारा संपत्ति से वंचित किया गया था परन्तु उसने इस बात से इनकार किया है कि मृतक ने इस कारण से मकान छोड़ा था । मृतक ने उसे यह बताया था कि उसने तारीख 31 मार्च, 2005 को नीतू देवी के साथ न्यायालय में विवाह किया था । तारीख 31 मार्च, 2005 से तारीख 24 अगस्त, 2005 तक मृतक 3-4 बार नागरी पेरोल पर अपने कुटुंब के सदस्यों के साथ मिला था परन्तु नीतू देवी पूर्वोक्त अवधि के दौरान नागरी पर उसके मकान पर कभी नहीं गई । वह जम्मू में अपने माता-पिता के साथ रहा करती थी । रविन्द्र कुमार **उर्फ** रिंकू पहला व्यक्ति था, जिसने मृतक के व्यपहरण का समाचार बताया । इस साक्षी ने आगे यह भी कथन किया है कि तारीख 14 सितंबर, 2005 को पुलिस द्वारा उसका कथन अभिलिखित किया गया था और उसने पुलिस को यह बताया था कि रविन्द्र कुमार शाम को अपने मकान पर पहुंचा था और मृतक के व्यपहरण के बारे में उसने सूचना दी थी । तथापि, मृतक के व्यपहरण में प्रयुक्त यान का रजिस्ट्रीकरण संख्या का उल्लेख नहीं है और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन

अभिलिखित उसके कथन में अपराध के स्थान का भी उल्लेख नहीं है । मृतक के सेल फोन नम्बर के बारे में जो बातें उसने बताई हैं, सत्य हैं । वह और उसके भाई तारीख 25 अगस्त, 2005 को जब उन्हें मृतक के व्यपहरण के बारे में पता चला, जम्मू गए थे और पुलिस थाना गांधीनगर पर इस बात की रिपोर्ट दी । तथापि, पुलिस के समक्ष कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई थी । उन्होंने मृतक के बारे में पुलिस थाना गांधीनगर से केवल पूछताछ की थी । उसे इस बारे में पता नहीं है कि क्या उसके भाई मृतक के किराए के मकान पर गए थे । रिंकू द्वारा दी गई सूचना के आधार पर इस साक्षी द्वारा गांधीनगर पुलिस द्वारा अभिलिखित नहीं किया गया । अभियुक्त करनैल सिंह जम्मू में स्थायी रूप से नहीं रहता था । वह नागरी पर अपने निवास स्थान के रखरखाव में लगा रहता था । घटना के लगभग तीन मास पूर्व करनैल सिंह का भाई मृतक के पिता को करनैल सिंह से बातचीत करने के लिए पी. सी. ओ. पर ले गया था । तथापि, इस तथ्य के बारे में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन उसके कथन का उल्लेख नहीं पाया जाता है । उसका भाई विजय मोहन स्टेट टाइम्स का संवाददाता था । तथापि, मृतक के बारे में गायब होने की रिपोर्ट किसी समाचारपत्र में प्रकाशित नहीं की गई थी । इस साक्षी ने इस सुझाव से इनकार किया है कि मृतक के बारे में तब तक ऐसा कोई सुराग नहीं मिला था जब तक उसने और उसके भाइयों ने मृतक के शव को नहीं देख लिया था ।

अभि. सा. गुलाम मोहम्मद गनाई ने नवंबर, 2004 से राजौरी पर आई. आर. पी. की छठी बटालियन पर उपनिरीक्षक के पद पर था और एम. ओ. टी. के रूप में अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा था, उसने यह अभिसाक्ष्य दिया कि कार रजिस्ट्रीकरण सं. 1117-जेके 01 एफ उसकी बटालियन से संबंधित है और ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक करनैल सिंह तब वहां पर कमांडेंट के पद पर थे, उन्हें आबंटित की गई थी । यह कार उनके कुटुंब के इस्तेमाल जम्मू पर करनैल सिंह के निवास पर खड़ी रहती थी । इस साक्षी ने पुलिस द्वारा प्रदर्श पी. डब्ल्यू. जी. एम. के माध्यम से इस यान से संबंधित लागबुक और वाउचर बुक के अभिग्रहण को साबित किया गया है । इस कार को अभिगृहीत किया गया था और साक्षी के पास प्रदर्श पी. डब्ल्यू. जी. एम. 1 के माध्यम से इस साक्षी के सुपुर्दनामे पर रखा गया था । इस साक्षी ने प्रत्येक पुस्तक के अन्तिम पृष्ठ पर अभिगृहीत की गई

लागबुक और वाउचर बुक पर क्रमशः जी. एम. 1 के रूप में चिह्न डाला गया है, उनकी पहचान की ।

अभि. सा. गुलाम मोहम्मद एस. जी. सी. जो राजौरी के आई. आर. पी. के 6ठी बटालियन में एम. टी. लिपिक के रूप में कार्य कर रहा है, ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि वह अभि. सा. गुलाम मोहम्मद के साथ था, उपनिरीक्षक तत्कालीन एम. टी. ओ. अभिगृहीत कार के अभिलेख को लाया था जिन्हें एस. डी. पी. ओ. गांधीनगर द्वारा प्रदर्श पी. डब्ल्यू. जी. एम. के माध्यम से अभिगृहीत किया गया था ।

इस साक्षी से प्रतिपरीक्षा करने पर उसने यह कथन किया है कि स्टाक बुक का मूल अभिलेख बटालियन के अभिरक्षा में था । अभिगृहीत अभिलेख न्यायालय में उसे नहीं दिखाया गया था ।

अभि. सा. मोहम्मद रज्जाक हैड कांस्टेबल उस सुसंगत समय पर आई. आर. पी. 6ठी बटालियन में ही तैनात था । उसने यह भी दावा किया है कि वह एम. टी. ओ. उपनिरीक्षक गुलाम मोहम्मद के साथ एस. डी. पी. ओ. कार्यालय पर गांधीनगर गया था जब एस. डी. पी. ओ. के समक्ष अभिलेख प्रस्तुत किया गया था जिन्होंने प्रदर्श पी. डब्ल्यू. जी. एम. के माध्यम से उस अभिलेख को अभिगृहीत किया था । उसने लागबुक और वाउचर बुक के पृष्ठ सं. 1 पर अभिगृहीत अभिलेख एल. वी. और वी. बी. से चिह्नित किया है, पहचान की है । उसने आगे यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि कार रजिस्ट्रीकरण सं. 1117-जेके 01 करनैल सिंह को आबंटित की गई थी और कांस्टेबल सुरेश कुमार कार का ड्राइवर था ।

इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि उसने करनैल सिंह के नाम पर कार के आबंटन आदेश को नहीं देखा था ।

अभि. सा. मोहम्मद अमीन हैड कांस्टेबल राजौरी पर आई. आर. पी. 6ठी बटालियन पर तैनात था । उसने यह अभिसाक्ष्य दिया कि वह यूनिट में मोहर्रिर के पद पर कार्यरत था और रोजनामचा में गाड़ियों के अभिलेख को व्यवस्थित ढंग से रखता था । उसने रोजनामचा के सार के अभिग्रहण, जिसमें उसके हस्ताक्षर भी हैं, जिन्हें प्रदर्श पी. डब्ल्यू. एम. ए. से प्रदर्श पी. डब्ल्यू. एम. ए. 3 के रूप में साबित किया गया है । प्रदर्श पी. डब्ल्यू. एम. ए. 2 के अनुसार प्रश्नगत कार तारीख 20 जुलाई, 2005 को पुलिस ट्रांसपोर्ट वर्कशाप, जम्मू पर

भेजी गई थी, देखिए दिनांक 19 जुलाई, 2005 का पत्र । इसे तारीख 26 अगस्त, 2005 को वापस भेजा गया था ।

इस साक्षी से प्रतिपरीक्षा करने पर उसने यह कथन किया है कि कार मरम्मत के लिए वर्कशाप में भेजी गई थी ।

अभि. सा. सुदेश राज हैड कांस्टेबल ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि अगस्त, 2005 में वह ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक करनैल सिंह के मकान में गार्ड कमान्डर के पद पर तैनात था । वह एक वर्ष से वहां तैनात था और वह अपने अधीनस्थ पदधारियों राजकुमार, विक्रम सिंह और सुभाष चंद्र, कांस्टेबल के साथ जिला पुलिस, बार्डर डिस्ट्रिक्ट जम्मू के रोल पर था क्योंकि करनैल सिंह, ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक के पद पर पहले ही तैनात थे । अगस्त, 2005 में करनैल का स्थानांतरण कर दिया गया था और राजौरी पर आई. आर. पी. 6ठी बटालियन में कमांडेंट के पद पर तैनात था । एम्बेसडर कार सं. 1117-जेके 01 आई. आर. पी. से संबंधित थी जिसे करनैल के आवासीय मकान में इस्तेमाल किया जाता था और अभियुक्त सुरेश कुमार उसके ड्राइवर के रूप में कार्य करता था ।

इस साक्षी ने आगे यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि उसे अभिकथित घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं थी । तारीख 27 अगस्त, 2005 को करनैल सिंह की पत्नी और पुत्री राजौरी के लिए पूर्वोक्त कार में चले थे, जैसा कि ड्राइवर द्वारा उसे बताया गया है और कार करनैल सिंह और उसके कुटुंब को वापस लाने के लिए तारीख 2 सितंबर, 2005 को वापस लौटी थी । अभियुक्त सुरेश कार चला रहा था । इस साक्षी ने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि उसने कार की प्लेट संख्या पर कोई ध्यान नहीं दिया था । इस प्रक्रम पर न्यायालय ने इस साक्षी से प्रतिपरीक्षा करने के लिए विद्वान् लोक अभियोजक को अनुध्यात किया जिससे कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन अभिलिखित साक्षी के कथन को गणना में लिया जाए । इस साक्षी ने पुलिस को यह बात बताने से इनकार किया कि जब कार वापस लौटी तब इसकी प्लेट संख्या पर सही रजिस्ट्रेशन सं. 1117-जेके 01एफ के बजाय 4117-जेके 01-ई लिखा था । उसने करनैल सिंह के दबाव में मिथ्या कथन करने से भी इनकार किया है जो अपने अधिकारी की सेवा में था ।

इस साक्षी से प्रतिपरीक्षा करने पर उसने यह कथन किया है कि

इस कार से जम्मू और राजौरी के बीच बार-बार यात्राएं की जाती थीं । तथापि, उसे उन तारीखों का स्मरण नहीं है ।

अभि. सा. राजकुमार कांस्टेबल ने यह साक्ष्य दिया कि अगस्त, 2005 में वह छावनी हिम्मत पर करनैल सिंह के शासकीय आवासीय क्वार्टर पर गार्ड ड्यूटी पर तैनात था । वह वहां पर पिछले एक साल से तैनात था । करनैल सिंह उस समय पर आई. आर. पी. छठी बटालियन में कमांडेन्ट के पद पर तैनात था । तारीख 27 अगस्त, 2005 को रत्नो देवी और उसकी पुत्री नीतू देवी एम्बेसडर कार सं. जेके 317 पर चढ़े, जिसे राजौरी की ओर सुरेश कुमार द्वारा चलाई जा रही थी । उसे समाचारपत्र से यह पता चला कि एक लड़के की करनैल सिंह के नवनिर्मित मकान पर हत्या की गई है । तारीख 2 सितंबर, 2005 को करनैल सिंह और उसका कुटुंब उसी एम्बेसडर कार में राजौरी से वापस लौटा था जिसे सुरेश कुमार द्वारा चलाई गई थी । उस समय कार का रजिस्ट्रेशन संख्या प्लेट पर 4117-जेके 01ई से चिह्नित किया गया था । करनैल सिंह ने अपनी पत्नी और पुत्री को अपने शासकीय निवास स्थान पर उतार दिया और स्वयं ड्राइवर के साथ चला गया परन्तु कुछ समय के पश्चात् वापस लौटा ।

इस साक्षी से प्रतिपरीक्षा करने पर उसने यह कथन किया है कि पूर्वोक्त कार कई बार राजौरी की ओर जाती हुई पाई गई और कुछ समय छाननी हिम्मत पर भी खड़ी रही । इसका इस्तेमाल बच्चों को विद्यालय ले जाने के लिए भी किया जाता था । एम्बेसडर कार सफेद रंग की थी । कार की प्लेट संख्या रंगी हुई थी । उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि क्या कोई पुलिस कार जिसकी रजिस्ट्रेशन सं. 4117-जेके 01ई थी । उसने कार के रजिस्ट्रेशन सं. में बदलाव के बारे में ज्येष्ठ पुलिस अधिकारियों को कोई शिकायत नहीं की । उसका कथन उसने करनैल सिंह के निवास में अभिलिखित किया गया था । जब यह कार तारीख 2 सितंबर, 2005 को करनैल सिंह के निवासस्थान से चली तब उसमें वही प्लेट नम्बर था जब यह कार वहां पहुंची थी ।

अभि. सा. सुभाषचंद कांस्टेबल ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि अगस्त, 2005 में वह करनैल सिंह के निवासस्थान छाननी हिम्मत पर गार्ड ड्यूटी पर तैनात था । अभि. सा. सुदेश राज, हैड कांस्टेबल और दो से अधिक कांस्टेबल भी वहां तैनात थे । तारीख 27 अगस्त, 2005

को करनैल सिंह की पत्नी और पुत्री करनैल सिंह की शासकीय एम्बेसडर कार जिसका रजिस्ट्रेशन सं. जेके 01 एफ 1117 था, उस पर चढ़े थे । कार को सुरेश कुमार द्वारा चलाया जा रहा था । तारीख 2 सितंबर, 2005 को एम्बेसडर कार करनैल सिंह और उसके कुटुंब, जो उसमें यात्रा कर रहा था, के साथ वापस लौटी । तथापि, उसके ध्यान में कोई विशेष बात नहीं आई । इस साक्षी को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया था । विद्वान् लोक अभियोजक द्वारा इस साक्षी से प्रतिपरीक्षा करने पर उसने पुलिस के समक्ष यह कथन करने से इनकार किया कि जब कार तारीख 2 सितंबर, 2005 को वापस लौटी तब उसकी प्लेट संख्या पर 1117-जेके 01एफ के बजाय रजिस्ट्रेशन सं. 4117-जेके 01ई लिखा हुआ था । उसने करनैल सिंह के दबाव में घुटने टेकने से इनकार किया है ।

प्रतिरक्षा काउंसेल ने जब इस साक्षी से प्रतिपरीक्षा की तब उसने यह कथन किया कि एम्बेसडर कार से जम्मू और राजौरी के बीच बार-बार यात्रा की जाती थी परन्तु उसे अन्य तारीखों का स्मरण नहीं है ।

अभि. सा. विक्रमजीत सिंह कांस्टेबल ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि तारीख 27 अगस्त, 2005 को वह करनैल सिंह के शासकीय निवास पर गार्ड ड्यूटी पर तैनात था । तारीख 27 या 28 अगस्त, 2005 को संभवतः यह हुआ था कि करनैल सिंह की पत्नी और पुत्री करनैल सिंह की शासकीय कार से चले थे जिसका रजिस्ट्रेशन सं. जेके 01एफ 1117 था । कुछ दिनों के पश्चात् कार वापस लौटी । इस साक्षी को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया था । विद्वान् लोक अभियोजक द्वारा इस साक्षी से प्रतिपरीक्षा करने पर उसने यह दावा किया है कि उसे पुलिस को बताने के बारे में कुछ स्मरण नहीं है कि कार, जिसे सुरेश कुमार द्वारा चलाया जा रहा था, जब इसे तारीख 27 अगस्त, 2005 को ले जाया गया और तारीख 2 सितंबर, 2005 को वह कार को वापस चलाकर लाया था । उसने पुलिस को यह बात कहने से भी इनकार किया है कि जब कार वापस लाई गई थी तब इसकी प्लेट संख्या में जेके 01ई 4117 लिखा हुआ था ।

विद्वान् प्रतिरक्षा काउंसेल द्वारा इस साक्षी से प्रतिपरीक्षा की गई जिस पर उसने यह कथन किया कि उसने पुलिस को यह बताया था

कि ड्यूटी पर उपस्थित गार्ड ने उसे यह सूचित किया कि कार राजौरी की ओर गई थी ।

अभि. सा. सुभाष चन्द्र जो लंगर पर रहता था, उसने यह अभिसाक्ष्य दिया कि इस बात के सिवाय उसकी जानकारी में कुछ भी नहीं है कि नरेश कुमार हत्या के आरोपों में कारागार में था । उसने इस बात से इनकार किया है कि नरेश कुमार ने उसकी दुकान से टाट का थैला खरीदा था । अभियोजन पक्ष द्वारा इस साक्षी को पक्षद्रोही साक्षी घोषित किया गया था । विद्वान् लोक अभियोजक द्वारा उससे प्रतिपरीक्षा करने पर उसने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन अपने कथन को मानने से इनकार किया है । उसने इस बात से भी इनकार किया है कि उसने अभियुक्त के दबाव में घुटने टेक दिए थे ।

अभि. सा. प्रेमदास जो लंगर पर निवास करता था, उसने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि सेवा से सेवानिवृत्ति के पश्चात् वह खाली जूट के थैले और बर्तनों के सामान को बेचने के कारोबार में लगा था । करनैल सिंह उसके मकान से 250 गज की दूरी पर अपने मकान का निर्माण कर रहा था । नरेश कुमार निर्माण कार्यों की देखरेख करता था । इस साक्षी ने इस बात से इनकार किया है कि नरेश कुमार उसके मकान में लगे हुए लैंडलाइन फोन सं. 2480656 पर काल करता था और आए हुए फोनों को सुनता था । उसे अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया था । विद्वान् लोक अभियोजक द्वारा जब उसकी प्रतिपरीक्षा की गई तो उसने यह साक्ष्य दिया कि करनैल सिंह उसका नातेदार नहीं है । उसने किसी अन्य अभियुक्त को नरेश कुमार के पास आते-जाते नहीं देखा था । उसने इस संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन कथन देने को अस्वीकार किया था । उसने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन अपने कथन के अन्य भाग से भी इनकार किया था और इस बात पर कायम रहा था कि उसने नातेदारी की बात करनैल सिंह के प्रभाव में आकर पूर्ववर्ती वृत्तांत को बदलते हुए मिथ्या कथन नहीं दिया था ।

अभि. सा. सुभाषचंद पटवारी हल्का चवाड़ी ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि वह सितंबर, 2005 में पटवारी के पद पर तैनात था परन्तु वह तहसीलदार जम्मू के कार्यालय से संबद्ध था । पटवारी का प्रभार गिर्द्वेर मंजूर हसन के पास था । घटनास्थल का नक्शा और गिरदावर

का सार मुझे दिखाया गया था जिसे मंजूर हसन द्वारा तैयार किया गया था ।

इस साक्षी से प्रतिपरीक्षा में कोई प्रश्न नहीं पूछा गया था ।

अभि. सा. सुलेमान सलारिया ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि सितंबर, 2005 में वह जम्मू के सशस्त्र बल में भारसाधक डी. आई. जी. के पद पर तैनात थे । उसने तारीख 1 सितंबर, 2005 के वायरलैस संदेश, जिसे प्रदर्श टी. पी.-एस. एस. द्वारा चिह्नित किया गया है जिसमें उसके हस्ताक्षर, जो ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, जम्मू के पास भेजे गए थे, को भी साबित किया है, जिनकी प्रतियां ए. डी. जे. आई. जी. पी. जम्मू, डी. आई. जी. जम्मू कठुआ रेंज, एडजूटेंट इनचार्ज कमांडेंट, आई. आर. पी. छठी बटालियन, राजौरी और एस. डी. पी. ओ., सिटी साउथ, जम्मू के पास भेजी गई थी ।

इस साक्षी से प्रतिपरीक्षा करने पर उसने यह कथन किया है कि पुलिस थाना गंगयाल पर रणवीर दंड संहिता की धारा 302 के अधीन प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 79/2005 के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकृत मामले के बारे में तारीख 28 अगस्त, 2005 को दैनिक एक्सलसियर में प्रकाशित समाचार के स्पष्टीकरण के बारे में तारीख 29 अगस्त, 2005 को करनैल सिंह ने ए. डी. जी. पी., सशस्त्र बल और अन्य प्राधिकारियों को वायरलैस संदेश भेजा था । परन्तु करनैल सिंह तारीख 2 सितंबर, 2005 तक आई. जी. पी., जम्मू के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ ।

अभि. सा. अमरजीत सिंह ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि तारीख 14 सितंबर, 2005 को वह पुलिस ट्रांसपोर्ट वर्कशाप के एस. पी. के पद पर तैनात था । उसने तारीख 14 सितंबर, 2005 के पत्र, जिस पर उसके हस्ताक्षर थे, जिसे उसने एस. डी. पी. ओ. सिटी साउथ, जम्मू को लिखा था, इस पर प्रदर्श टी. पी. ए. एस. का चिह्न डाला गया था ।

इस साक्षी से प्रतिपरीक्षा में कोई प्रश्न नहीं पूछा गया था ।

अभि. सा. नरेन्द्र कौर अधिवक्ता ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि उसे अप्रैल, 2002 में नोटरी पब्लिक के पद पर नियुक्त किया गया था । तारीख 31 मार्च, 2005 को उसके द्वारा नितिन शर्मा और नीतू रानी के बीच विवाह करार का साक्ष्यांकन किया गया था । इसे प्रदर्श -

एन. के. से चिह्नित किया गया है । उसने आगे यह अभिसाक्ष्य दिया कि विवाह करार के पक्षकार और साक्षियों ने इसकी अन्तर्वस्तु को स्वीकार करने के पश्चात् उक्त दस्तावेज पर इसके निष्पादन के लिए हस्ताक्षर किए थे । इस दस्तावेज पर दोनों पति-पत्नी के फोटो भी लगाए गए थे । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि नितिन शर्मा और नीतू रानी ने उसी दिन उसके समक्ष शपथपत्र पर शपथ भी लिया था । उन्हें क्रमशः प्रदर्श - एन. के. 1 और प्रदर्श - एन. के. 2 से चिह्नित किया गया था ।

इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षा पर यह भी कथन किया है कि इन दस्तावेजों को उसके वैयक्तिक पर्यवेक्षण में लिखकर टाइप किया गया था । निष्पादकगण को वह पहले से नहीं जानती थी । पुलिस ने उसका कथन अभिलिखित नहीं किया था । ये दस्तावेज नोटरी के रजिस्टर में न तो परिलक्षित होते हैं और न रजिस्ट्रीकृत हैं । हिन्दू विवाह अधिनियम के अधीन करार में ऐसा कोई उपबंध नहीं है । उसने करार के रूप में दस्तावेज को अभिप्रमाणित किया था ।

अभि. सा. कुदीप राज ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि वह ग्रेटर कैलाश के फाउंटेन चौक के नजदीक फोटोग्राफी स्टूडियो चलाता था । पुलिस के कहने पर उसने नहर के किनारे मृतक के शव का फोटो लिया था । उसने लंगर पर करनैल सिंह की कोठी का भी फोटो लिया था । उसने फोटो जिनमें 1 से 22 चिह्न डाला गया है उनकी पहचान की ।

इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि पुलिस द्वारा शव के उसके फोटो लेने से पूर्व मृतक के शरीर को बांधा गया था ।

अभि. सा. बाबूराम अभियुक्त सुरेश कुमार का पिता है । उन्होंने यह अभिसाक्ष्य दिया कि अगस्त/सितंबर, 2005 में वह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, पूर्व मण्डल में चपरासी के पद पर था । सुरेश कुमार आई. आर. पी. में कांस्टेबल के पद पर तैनात था, जिसे श्रीनगर से राजौरी स्थानांतरित किया गया था । उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि सुरेश कुमार अपनी गिरफ्तारी के पूर्व 2-3 दिन पहले उनके मकान पर पहुंचा था और करनैल सिंह और उसका कुटुंब भी उसके साथ थे और वे रात्रि में पूर्व मण्डल पर उसके मकान में रुके थे । इस साक्षी को अभियोजन पक्ष ने पक्षद्रोही घोषित कर दिया था और जब विद्वान् लोक अभियोजन द्वारा उससे प्रतिपरीक्षा की

गई थी जिसमें उसने यह कथन किया कि उसे इस बारे में पता नहीं था कि सुरेश कुमार करनैल सिंह के एम्बेसडर कार को चलाने के लिए प्रयोग करता था । उसने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन अपने द्वारा दिए गए कथन को अस्वीकार किया है । उसने इस सत्य से भी इनकार किया है कि उसका पुत्र इस मामले में अन्तर्वलित था ।

अभियोजन पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी से कोई प्रश्न नहीं पूछा गया था ।

अभि. सा. प्रेमपाल अभियुक्त सुरेश कुमार का भाई है । उसने यह अभिसाक्ष्य दिया कि पुलिस ने सुरेश कुमार के बारे में उससे पूछताछ की थी । उसने इस मामले के बारे में किसी जानकारी होने से भी इनकार किया था । अभियोजन पक्ष द्वारा इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया था जब विद्वान् लोक अभियोजक द्वारा उसकी प्रतिपरीक्षा की गई, इस साक्षी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन अपने द्वारा किए गए कथन को अस्वीकार किया है । उसने इस बात से इनकार किया है कि करनैल सिंह और उसका कुटुंब तारीख 29 अगस्त, 2005 की सायं को एम्बेसडर कार 4417-जेके 01ई में उसके मकान पर पहुंचे थे और रात्रि में वहां रुके तथा तारीख 30 अगस्त, 2005 की प्रातः वे लोग जम्मू चले गए थे । उसने इस बात से भी इनकार किया है कि उसने अपने भाई को बचाने के लिए मिथ्या कथन किया था ।

अभि. सा. सुरिन्द्र कौर ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि वह शास्त्री नगर जम्मू पर चिब सेल्स कारपोरेशन की एस. टी. डी. की दुकान में प्राइवेट कर्मचारी के रूप में कार्य करती थी और टेलीफोन संख्या, जिनमें 2454909, 2454992, 2454299 सहित एस. टी. डी. में 5/6 संख्या में संचालित किया गया था । पुलिस ने सभी टेलीफोन संख्याओं को जिन्हें संचालित किया गया था, उनके बारे में टिप्पणियों को लिखा था । इस साक्षी से अभियुक्त नरेश कुमार की शनाख्त करने के लिए कहा गया था, परन्तु इस साक्षी ने यह कथन किया कि नरेश कुमार को वह नहीं जानती थी । अभियोजन पक्ष द्वारा इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया था जब विद्वान् लोक अभियोजक द्वारा उससे प्रतिपरीक्षा की गई तब इस साक्षी ने यह कथन किया कि उसने पुलिस को यह नहीं बताया था कि अभियुक्त

नरेश कुमार ने तारीख 24 अगस्त, 2005 को एस. टी. डी. फोन सं. 2454299 से एयरटेल मोबाइल नं. 9906212436 पर एस. टी. डी. से दो फोन काल किए थे । उसने पुलिस को यह बात बताने से भी इनकार किया है कि नरेश कुमार ने डोगरा एकेडमी के नजदीक पहुंचने पर काल को प्राप्त करने वाले के बारे में पूछा था ।

अभि. सा. शिन्दा कुमार ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि अगस्त, 2005 को वह शास्त्री नगर, जम्मू में बाजवा एस. टी. डी. बूथ चला रहा था जिसमें तीन फोन लाइन 2454240, 2451564 और 9906350294 लगी हुई थीं । इन तीनों फोनों की बात-चीत उसके स्वयं की निगरानी में थे । उसने इस बात से इनकार किया है कि पुलिस ने किसी फोन काल के संबंध में उससे कोई पूछताछ की थी । अभियोजन पक्ष द्वारा इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया था और जब विद्वान् लोक अभियोजक द्वारा उससे प्रतिपरीक्षा की गई तो उसने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन पुलिस के समक्ष कथन करने को अस्वीकार किया है, जिस कथन पर ए2 से ए1 चिह्न डाला गया है । उसने इस बात से इनकार किया है कि वह अभियुक्त के दबाव में मिथ्या कथन दे रहा है ।

अभि. सा. सतपाल करनैल का चचेरा भाई है । उसने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि तारीख 6 सितंबर, 2005 को पुलिस ने उससे इस बारे में पूछताछ की कि क्या करनैल सिंह उसके पास आया था । उसने इस बात का नकारात्मक उत्तर दिया । इस साक्षी को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया, जब उससे प्रतिपरीक्षा की गई तो उसने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन अपने दिए गए कथन, जिसे ए से ए1 के रूप में चिह्नित किया गया है, से इनकार किया है । उसने इस बात से भी इनकार किया है कि उसने अभियुक्त से नातेदारी होने के कारण मिथ्या कथन दिया था ।

अभि. सा. कृष्णा रानी अभि. सा. सतपाल की पत्नी है । उसने इस बात से इनकार किया है कि अभियुक्त करनैल सिंह और उसकी पत्नी रत्नो देवी सुजानपुर पर उसके मकान पर आए थे । इस साक्षी को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया था जब विद्वान् लोक अभियोजक द्वारा उससे प्रतिपरीक्षा की गई तब उसने यह कथन किया कि 35 वर्ष के उसके विवाहित जीवन के दौरान अभियुक्त

कभी भी उसके मकान पर नहीं आया था । उसने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन अपने दिए गए कथन को अस्वीकार किया है और इस सुझाव से भी इनकार किया है कि तारीख 1 सितंबर, 2005 को करनैल सिंह, उसकी पत्नी और पुत्री, सुरेश कुमार ड्राइवर के साथ उसके मकान पर पहुंचे थे, जो उसकी एम्बेसडर कार को चलाता था और रात में वहां रुके थे । उसने इस बात से इनकार किया है कि उसने अभियुक्त के नातेदार होने के कारण मिथ्या कथन दिया है ।

अभि. सा. कमलादेवी जो कन्देरवान की निवासी है और लिपिक के पद पर एन. एच. पी. सी., ज्योतिपुरम में नौकरी करती है, ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि उसके पति एम. आई. डोगरा एन. एच. पी. सी. से सेवानिवृत्त थे और ज्योतिपुरम में उनके रुकने के दौरान उनकी करनैल सिंह से जान-पहचान हुई थी जो एस. डी. पी. ओ. के पद पर तैनात था । तथापि, वह करनैल सिंह को नहीं जानती थी । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि महिला पुलिस अधिकारी ने उसके मकान पर अभियुक्त के आने-जाने के बारे में उससे पूछताछ की परन्तु उसने इस बात से इनकार किया था कि अभियुक्त उसके निवासस्थान पर आए थे । विद्वान् लोक अभियोजक द्वारा इस साक्षी से प्रतिपरीक्षा करने पर उसे पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया । इस साक्षी ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि वह इस बारे में नहीं जानती है कि क्या उसका पति करनैल सिंह के निवासस्थान पर जाया करता था । उसने यह भी कथन किया है कि करनैल सिंह की पत्नी कभी भी उसके निवास-स्थान पर नहीं आई । उसने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन अपने दिए हुए कथन, जिसे चिह्न ए से ए1 के रूप में चिह्नित किया गया है, से इनकार किया है । उसने इस सुझाव से भी इनकार किया है कि वह अभियुक्त को बचाने के लिए मिथ्या कथन दे रही है ।

अभि. सा. राकेश हंगलो, भारसाधक वैज्ञानिक अधिकारी, दस्तावेज न्यायालयिक प्रयोगशाला जम्मू ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि एस. डी. पी., सी. पी.-साऊथ, जम्मू में पुलिस थाना गंगयाल के प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 79/2005 के मामले के दस्तावेज तारीख 14 सितंबर, 2005 के पत्र के माध्यम से न्यायालयिक प्रयोगशाला को भेजे गए थे । दस्तावेजों की परीक्षा करने के पश्चात् उनकी यह राय

है कि व्यक्ति जिसने नीले रंग के लिखितों से लिखा है और उस पर मुहर लगाई गई है तथा लाल रंग की लिखित में भी इसी तरह जो कुछ लिखा गया है उसे एस.-1 से चिह्नित किया गया है और उस पर मुहर लगाई गई है तथा क्यू.-1, क्यू.-1/1, क्यू.-2, क्यू.-2/1, क्यू.-3, क्यू.-3/1, क्यू.-4, और क्यू.-4/1 के रूप में चिह्न डाले गए हैं । रिपोर्ट को प्रदर्श टी. पी.-आर. एच. से चिह्नित किया गया था । उसने दस्तावेज पेश किए जिनके आधार पर अपनी राय बनाई थी ।

इस साक्षी से प्रतिपरीक्षा करने पर उसने यह कथन किया है कि उसकी राय प्रश्नगत दस्तावेजों की फोटो प्रतियों के आधार पर थीं । उसने इस सुझाव से सहमति व्यक्त की है कि दस्तावेजों की तुलना करने पर उनकी मूल प्रतियां सही मानक की हैं ।

अभि. सा. मूलराज, वैज्ञानिक अधिकारी, न्यायालयिक प्रयोगशाला जम्मू ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि तारीख 5 सितंबर, 2005 को उसने कांस्टेबल जस्सा सिंह के मार्फत चार मुहरबंद पाकेट प्राप्त किए थे जो पुलिस थाना गंगयाल के प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 79/2005 से संबंधित है । अंतर्वस्तु की परीक्षा की गई थी और तारीख 14 सितंबर, 2005 को रिपोर्ट सं. 817 में राय अभिलिखित की गई । उसने रिपोर्ट जिसे प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-एम. आर. से चिह्नित किया गया है, उसे साबित किया गया है । प्रतिपरीक्षा करने पर उसने यह अभिकथन किया है कि केवल पांच मुहर से नमूने मुहर की तुलना की गई है । रिपोर्ट दुविधाजनक थी ।

अभि. सा. डा. संगीता चौधरी, जो फोरेंसिक मेडिसिन डिपार्टमेंट, जी. एम. सी. जम्मू में निदेशक था, ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि उसने 28 अगस्त, 2005 को नितिन शर्मा के शव की शवपरीक्षा की थी और क्षैतिज रूप से अटुवा ग्रंथि के नीचे गर्दन के ऊपर बंध का चिह्न मौजूद पाया गया था । बंध का चिह्न चौड़ाई में 0.5 सें. मी. था और रंग में गहरा भूरा था । कण्ठिका पर अस्थि भंग मौजूद था । चमड़े के नीचे ऊतक में बंध-चिह्न के तलहटी में बड़े रूप में गुमटा पाया गया था । संपूर्ण बंध-चिह्न के नीचे मौजूद मांसपेशियों पर भी गुमटा पाया गया था । शव के मध्य भाग में मौजूद अधोहनू अस्थिभंग पाया गया था । हाथ की कलाई पर 0.25 सें. मी. से 0.5 सें. मी. कई बंध-चिह्न पाए गए थे, नीले रंग का बिगाड़ना मौजूद था । विसरा को सुरक्षित रखकर मुहरबंद किया गया था और रासायनिक

विश्लेषण के लिए न्यायालयिक प्रयोगशाला भेजने हेतु भारसाधक अधिकारी को सौंपा गया था । न्यायालयिक प्रयोगशाला रिपोर्ट के अनुसार शवपरीक्षण से यह निष्कर्ष निकाले गए और उस पर यह राय व्यक्त की गई थी कि मृतक की मृत्यु श्वासावरोध के कारण हुई थी जो गला घोंटने के परिणामस्वरूप था । उसने रिपोर्ट पर प्रदर्श टी. पी.-एस. सी. चिह्न डाला था और उसे साबित किया था । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि तारीख 19 मई, 2005 को एस. डी. पी. ओ., सिटी साऊथ जम्मू ने बेस बाल बैट नाइलोन की रस्सी, जो लाल रंग की थी, और काले जूते, लेस (पांच टुकड़ों में) और उनकी राय में तीन गांठें लगी हुईं थीं । उसने उन प्रश्नों का उत्तर दिया । उसके उत्तर के अनुसार अधोहनू में अस्थिभंग की क्षति बेस बाल बैट से संभवतया हो सकती है । उसने यह भी राय व्यक्त की है कि बंध के चिह्न गर्दन के ऊपर मौजूद थे और हाथ की कलाई जूते के लेस बंधे हुए थे और गर्दन के चारों ओर और कलाई पर बंधे हुए थे । शवपरीक्षण रिपोर्ट को चिह्नित किया गया था । इस साक्षी ने रिपोर्ट पर प्रदर्श टी. पी.-एस. सी.-1 का चिह्न डाला गया था और उसे साबित किया था ।

इस साक्षी से प्रतिपरीक्षा करने पर उसने यह अभिकथन किया कि अधोहनू अस्थिभंग के सिवाय सभी क्षतियां गला घोंटने की क्षतियां थीं । अधोहनू का अस्थिभंग किसी कुंद आयुध से भी कारित किया जा सकता है । बंध का चिह्न चौड़ा और ऊंचा था और तब जूते के लेस इस साक्षी को दिखाए गए थे । अस्थिभंग अधोहनू का आकार त्वचा के क्षेत्र के चारों ओर का उल्लेख नहीं किया गया था । अस्थिभंग अधोहनू के ऊपर त्वचा पर कोई क्षति नहीं थी, क्योंकि शव अत्यधिक गला हुआ था ।

अभि. सा. अजीत सिंह, उपनिरीक्षक जो पी. पी. ग्रेटर कैलाश में भारसाधक अधिकारी के पद पर तैनात था ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि फाउंटेन चौक ग्रेटर कैलाश के नजदीक नहर से शव बरामद किया गया था और जिसे ज्ञापन प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-एल. आर. से अभिगृहीत किया गया था उसने रस्सी से संबंधित अभिग्रहण ज्ञापन और जूते के लेस घटनास्थल पर तैयार की गई मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट की अंतर्वस्तु का साक्ष्य लिया है और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 175 के अधीन अभिलिखित विजय मोहन के कथन जिन्हें प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-एल. आर./1, प्रदर्श टी. पी. ए. एस./1 प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-वी.

एम. और प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-वी. एम./1 से चिह्नित किया गया है ।

इस साक्ष्य से प्रतिपरीक्षा करने पर उसने यह अभिकथन दिया है कि शव की पहचान उसके बरामदगी के समय पर नहीं की गई थी । शवपरीक्षण से पूर्व मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तैयार की गई थी । अगले दिन शव की पहचान मृतक के भाई द्वारा की गई थी । अभि. सा.-सुनील कौल जो न्यायालयिक प्रयोगशाला जम्मू में वैज्ञानिक सहायक के पद पर था ने तारीख 13 सितंबर, 2005 की रिपोर्ट सं. 807 को साबित किया जो मृतक नितिन शर्मा के विसरा से संबंधित थी और उस रिपोर्ट पर उसके हस्ताक्षर भी थे । उस पर प्रदर्श टी. पी.-एस. के. का चिह्न डाला गया था । इस साक्षी से प्रतिपरीक्षा में कोई प्रश्न नहीं पूछा गया था ।

अभि. सा. देवराज शर्मा तत्कालीन कार्यपालक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) डिगिना, तहसील जम्मू ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि तारीख 13 सितंबर, 2005 को वह भारसाधक अधिकारी के साथ पुलिस क्वार्टर छाननी हिम्मत, जम्मू गया था और उसने अभियुक्त करनैल सिंह की पुत्री नीतू रानी का हस्तलिखित और हस्ताक्षर का नमूना प्राप्त किया । उसने उन्हें अभिप्रमाणित किया था । इनमें प्रदर्श टी. पी.- डी. आर., प्रदर्श टी. पी.-डी. आर. 1 और प्रदर्श टी. पी.-डी. आर. 2 से चिह्नित किया गया था । उससे प्रतिपरीक्षा करने पर यह साक्ष्य दिया कि उसे भारसाधक अधिकारी का नाम याद नहीं है । उसने भारसाधक अधिकारी से लिखित अनुरोध प्राप्त किया था परन्तु यह पत्र न्यायालय में उसे नहीं दिखाया गया था । वह अपने साथ कार्यालय की मुहर लाया है । उसने लड़की को नमूना लिखित के बारे में बताया था । करनैल सिंह उसे जानता था और इस बात से उसे समाधान है कि वह करनैल सिंह की पुत्री थी । करनैल सिंह की दूसरी पुत्री भी वहां पर थी ।

अभि. सा. मुनीष बिन्द्रा, नोडल अधिकारी, भारती एयरटेल ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि जुलाई/अगस्त, 2005 में श्री प्रशान्त त्रिपाठी भारती टेलीवेन्चर लिमिटेड एयरटेल के कार्यालय में नोडल अधिकारी के रूप में तैनात था । वह श्री त्रिपाठी के हस्ताक्षरों की पहचान कर सकता है । श्री त्रिपाठी ने ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, दक्षिणी जम्मू जो मोबाइल नं. 9960212436 और 9906277144 के अभिलेख दिए थे । इस साक्षी ने चालान के पृष्ठ सं. 165 से 179 पूर्ववर्ती भाग का

कम्प्यूटर में उत्पन्न डाटा अभिलेख की पहचान की थी । संलग्न पत्र पर प्रदर्श टी. पी. डब्ल्यू.-एम. बी. चिह्न डाला गया था । अगस्त, 2005 के अभिलेख के अनुसार मोबाइल नं. 9906212436 नरेश कुमार पुत्र हंसराज निवासी लंगर कालूचैक के नाम में है, जबकि मोबाइल नं. 9906277144 विक्की कुमार पुत्र बालकराम निवासी म. सं. 28 गुज्जर नगर, जम्मू के नाम में अभिलिखित था । कम्प्यूटर उत्पन्न अभिलेख मूल अभिलेखों के अनुसार सत्य हैं ।

इस साक्षी से प्रतिपरीक्षा करने पर उसने यह कथन किया है कि वह जनवरी, 2008 में जम्मू में तैनात था । श्री त्रिपाठी 2006 तक भारती एयरटेल, जम्मू में नोडल अधिकारी के पद पर कार्य कर रहा था परन्तु उसने इस साक्षी के वहां पर सम्मिलित होने के पूर्व उस स्थान को छोड़ दिया था । यह साक्षी सी. डी. आर. ब्यूरो पर प्रशान्त भारती के हस्ताक्षरों की पहचान नहीं कर सका क्योंकि उसने कभी भी उसको हस्ताक्षर करते हुए नहीं देखा था ।

अभि. सा. के. के. ठाकुर ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि वह तारीख 2 अगस्त, 2010 से मोबाइल प्रबंधक के पद पर तैनात था । एस. डी. पी. ओ. नगर - दक्षिण जम्मू , बी. एस. एन. एल. के तारीख 30 अगस्त, 2005 के पत्र के उत्तर में उसने तारीख 19 जुलाई, 2005 से तारीख 15 सितंबर, 2005 तक मोबाइल नं. 9419131835 के बारे में काल विवरण बताए थे । यह फोन संख्या अगस्त, 2005 में करनैल सिंह के नाम में जारी किया गया था जो क्वार्टर सं. 4, पुलिस कालोनी, छाननी हिम्मत, जम्मू पर निवास कर रहा था । इस साक्षी ने बाहर की जाने वाली काल्स के बारे में काल डाटा अभिलेख तकनीकी रूप से तैयार किए जाने वाली बात को साबित किया है जो मूल अभिलेख के अनुसार सही पाई गई थी ।

इस साक्षी से प्रतिपरीक्षा करने पर यह कथन किया कि उसके द्वारा न्यायालय के समक्ष पेश किया गया अभिलेख, अभिलेख की फोटो प्रतिलिपि थी क्योंकि उसके मूल अभिलेख एक वर्ष के पश्चात् विलोपित कर दिए गए थे ।

अभि. सा. संदीप सावरकर तारीख 30 अक्तूबर, 2009 से महाप्रबंधक, बी. एस. एन. एल. जम्मू में तैनात था उसने यह अभिसाक्ष्य दिया कि रवि कौल अगस्त, 2005 में महाप्रबंधक के पद

पर तैनात था । बी. एस. एन. एल. ने एस. डी. पी. ओ. नगर - दक्षिण जम्मू को उसके पत्र दिनांक 2 अगस्त, 2005 के उत्तर में तारीख 1 जून, 2005 से 29 जुलाई, 2005 की अवधि के फोन सं. 2465183 के बारे में बाहर की गई कालों के काल अभिलेख उपलब्ध कराए थे । यह फोन जून से अगस्त, 2005 के बीच करनैल सिंह के निवासस्थान पर जो स्थान पुलिस कालोनी छाननी हिम्मत, जम्मू है, पर लगाया गया था । यह अभिलेख मूल अभिलेख के अनुसार पूर्णतया सही था ।

इस साक्षी से प्रतिपरीक्षा करने पर उसने यह कथन किया कि उसने मूल काल अभिलेख की जांच पड़ताल नहीं की क्योंकि यह एक वर्ष के परे प्रतिकूल नहीं हो गया था ।

अभि. सा. बसन्ती भट्ट ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि अगस्त, 2005 में वह महिला सैल जम्मू में तैनात थी, उसे वर्तमान मामले में विशेष दल अन्वेषण में सम्मिलित किया गया था । तारीख 2 सितंबर, 2005 को विशेष दल 5 से 6 बजे अपराह्न के बीच करनैल सिंह के पुलिस क्वार्टर पर गया था और अभियुक्त की शासकीय एम्बेसडर कार जिसका रजिस्ट्रीकरण सं. जेके 02ई 4117 है, उसे अभिगृहीत किया गया । उसने अभिग्रहण ज्ञापन, जिसे प्रदर्श टी. पी. 51 से चिह्नित किया गया है, के बारे में साक्ष्य दिया है, जिसमें उसका नाम है, परन्तु वह कागज जिस पर उसके हस्ताक्षर करवाए गए थे, वह फटा हुआ था । कार पुलिस थाना गंगयाल पर लाई गई थी । उसने करनैल की पत्नी की वैयक्तिक तलाशी ली थी परन्तु उसने कुछ भी नहीं पाया । करनैल सिंह, उसकी पत्नी और ड्राइवर को पुलिस थाने लाया गया था । इसके पश्चात् उसकी पत्नी को महिला सैल पुलिस थाने भेजा गया था । तारीख 9 सितंबर, 2005 को उसने जामिया मस्जिद, दिल्ली के नजदीक गेस्ट हाउस की फोटो प्रति अभिगृहीत की, देखिए ज्ञापन, जिसे प्रदर्श टी. पी. 1/1 से चिह्नित किया गया है । करनैल सिंह उस होटल में रुका हुआ था ।

इस साक्षी से प्रतिपरीक्षा करने पर उसने यह कथन किया है कि चूंकि होटल के मालिक ने मूल रजिस्टर को अभिग्रहण करने के प्रयास में बाधा डाली, उसकी एक फोटो प्रति प्राप्त की और उसका अभिग्रहण किया । श्री चव्हाण विशेष दल का नेतृत्व कर रहा था जब वे रवानगी अभिलिखित करने के पश्चात् पुलिस क्वार्टर से चले थे ।

पुलिस ड्राइवर उस कार को पुलिस थाने लाया था ।

अभि. सा. शिव कुमार तत्कालीन एस. डी. पी. ओ. नगर दक्षिण जम्मू ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि उसने मामले में अन्वेषण किया था । तारीख 26 अगस्त, 2005 को भारसाधक अधिकारी पी. पी. ग्रेटर कैलाश ने उसे यह सूचना दी कि शव नहर में पड़ा हुआ था । वह घटनास्थल पर गया । थाना भारसाधक अधिकारी, पुलिस थाना गंगयाल और चौकी अधिकारी वहां पर मौजूद थे । नहर से शव को निकाला गया था और थाना भारसाधक अधिकारी द्वारा मृत्यु समीक्षा की कार्रवाई की गई थी । जी. एम. सी. अस्पताल, जम्मू के शव गृह में शव को ले जाया गया था जहां इसकी नितिन शर्मा के शव के रूप में पहचान की गई थी । मृतक का शवपरीक्षण करने के पश्चात् प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 79/2005 के अधीन मामले को रजिस्ट्रीकृत किया गया था । तारीख 28 अगस्त, 2005 को अन्वेषण उसे सौंपा गया था । वह शास्त्री नगर गया जहां डोगरा एकेडमी के नजदीक से मृतक का व्यपहरण किया गया था । उसने घटनास्थल पर कुछ साक्षियों की परीक्षा की । इस साक्षी ने घटनास्थल नक्शा, जिसमें प्रदर्श टी. पी. 53 का चिह्न डाला गया है, उसे और उसमें अपने हस्ताक्षरों को साबित किया है । तारीख 29 अगस्त, 2005 को बाबी शर्मा ने महिलाओं के वस्त्र और विवाह करार को पेश किया था उन्हें प्रदर्श पी. डब्ल्यू. बी. एस. 1 के माध्यम से अभिगृहीत किया गया था । तारीख 30 अगस्त, 2005 को उसने लंगर पर करनैल सिंह के मकान से नरेश कुमार की गिरफ्तारी की थी । उसकी वैयक्तिक तलाशी लेने पर 2,160/- रुपए पाए गए थे । इस साक्षी ने तलाशी ज्ञापन, जिसमें प्रदर्श पी. डब्ल्यू. एन. आर. का चिह्न डाला गया है, को भी साबित किया है । उसने नरेश कुमार के प्रकटीकरण कथन, जिसे प्रदर्श पी. डब्ल्यू. एन. के. से चिह्नित किया गया है, उसे भी साबित किया है । अभियुक्त नरेश कुमार पुलिस दल को मकान की प्रथम मंजिल पर ले गया था जहां अलमारी के कोने से ड्राइविंग लाइसेंस और मोबाइल बरामद किए गए थे । जंगली जूते मेज के नीचे से बिना फीते के बरामद किए गए थे । इस साक्षी ने बरामदगी ज्ञापन की अन्तर्वस्तु के बारे में भी साक्ष्य दिया है । उसने यह भी साक्ष्य दिया है कि बेस बाल बैट की बरामदगी के बारे में घटनास्थल नक्शा तारीख 1 सितंबर 2005 को तैयार किया गया था । इसमें प्रदर्श पी. टी. 53 चिह्न डाला गया था । लाल रंग

की स्पोर्ट कैप अभियुक्त सोहनलाल **उर्फ** खनीद के दिए गए प्रकटीकरण के आधार पर बाथरूम से बरामद की गई थी । बरामदगी ज्ञापन और घटनास्थल का नक्शा तैयार किया गया था । इस साक्षी ने अभियुक्त सोहनलाल के प्रकटीकरण कथन, कथन की अन्तर्वस्तु, जिसे प्रदर्श पी. डब्ल्यू. वी. एम. 7 से चिह्नित किया गया है, के बारे में भी साक्ष्य दिया है । उसने स्पोर्ट कैप, जिसकी बरामदगी और अभिग्रहण किए जाने के बारे में जिसे प्रदर्श पी. डब्ल्यू. वी. एम. 8 दिखाया गया है, को भी साबित किया है । इसके घटनास्थल नक्शे प्रदर्श पी. डब्ल्यू. पी. 3/4 से चिह्नित किया गया है । मोबाइल नम्बर 9906212436 का सिम कार्ड करनैल के मकान के पीछे की ओर से बरामद किया गया था । यह मृतक से संबंधित था । दलीप सिंह **उर्फ** लक्की द्वारा किए गए प्रकटीकरण कथन के अनुसरण में बरामदगी की गई थी । इस साक्षी ने अपना प्रकटीकरण कथन, जिसे प्रदर्श पी. डब्ल्यू. वी. एम. 9 से चिह्नित किया गया है और सिम का अभिग्रहण ज्ञापन, जिसे प्रदर्श पी. डब्ल्यू. वी. एम. 10 से चिह्नित किया गया है । इसके अतिरिक्त बरामदगी के स्थान का घटनास्थल नक्शा, जिसे प्रदर्श टी. पी. 53/3 के रूप में चिह्नित किया गया है, को भी साबित किया है । करनैल सिंह, रत्नो देवी और सुरेश कुमार छाननी हिम्मत पर गिरफ्तार किए गए थे । एम्बेसडर कार पर सही नम्बर जेके 01एफ 1117 रजिस्ट्रेशन के बजाय जेके 01ई 4117 गलत नम्बर दिखाया गया था जिसे प्रदर्श पी. डब्ल्यू. एम. के. 2 द्वारा अभिगृहीत किया गया था । उसने घटनास्थल का नक्शा प्रदर्श टी. पी. 53/1 साबित किया । नरेश कुमार को नहर की ओर ले जाया गया था जहां मृतक की हत्या की गई थी । लकड़ी के टुकड़े और रक्तरंजित पत्थर सहित कुछ वस्तुएं वहां से अभिगृहीत की गईं थीं । नरेश कुमार ने झाड़ियों से एक कमीज बरामद की जिसे उसने घटना के समय पर पहन रखा था । इसे प्रदर्श पी. डब्ल्यू. बी. एस. 3 के माध्यम से अभिगृहीत किया गया था । बरामद की गई वस्तुओं के अभिग्रहण ज्ञापन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. वी. एस. चिह्न डाला गया था । इस साक्षी ने घटना के स्थान का घटनास्थल नक्शा जिस पर प्रदर्श टी. पी. 52/2 चिह्न डाला गया था, को भी साबित किया है । तारीख 31 अगस्त, 2005 को जीत कुमार, सोहनलाल, जयमल और दलीप कुमार को नहर के नजदीक स्थान से गिरफ्तार किया गया था । तारीख 1

सितंबर, 2005 को जीत कुमार के प्रकटीकरण कथन के अनुसरण में करनैल सिंह के मकान की छत से बेस बाल बैट बरामद किया गया था । इस साक्षी ने प्रकटीकरण कथन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. वी. एम. 5 से चिह्नित किया गया है और बरामदगी ज्ञापन, जिसे प्रदर्श पी. डब्ल्यू. वी. एम. 6 से चिह्नित किया गया है, को भी साबित किया है । कार सं. 1117 जेके 01 एफ से संबंधित लागबुक छठी बटालियन, आई. आर. पी. के एम. टी. ओ. से अभिगृहीत की गई थी । उसने बी. एस. एन. एल. से अभिलेख प्राप्त किए और कार के दस्तावेजों से संबंधित अभिग्रहण ज्ञापन की अन्तर्वस्तुएं, जिनमें एस. पी. डब्ल्यू. जी. एम. का चिह्न डाला गया है, को भी सिद्ध किया है । चूंकि इस कार को कुछ दिन पहले वर्कशाप पर भेजा गया था, उसने पुलिस अधीक्षक भारसाधक, पुलिस परिवहन, जम्मू को पत्र भी लिखा था । इसमें प्रदर्श पी. टी. 53/6 चिह्न डाला गया था, कार के बारे में प्राप्त उत्तर के अनुसार उसे तारीख 30 अगस्त, 2005 को वर्कशाप पर छोड़ा गया था । तारीख 30 अगस्त, 2005 का पत्र पुलिस अधीक्षक, नगर साऊथ द्वारा मोबाइल नं. 9906212436 के बारे में महाप्रबंधक, एयरटेल को लिखा गया था । सुसंगत अभिलेख पुलिस अधीक्षक भारसाधक, पुलिस परिवहन से और बी. एस. एन. एल. से अभिगृहीत किए गए थे । उसने अन्वेषण का समापन किया था और अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र फाइल किया था । इस साक्षी से प्रतिपरीक्षा करने पर उसने यह कथन किया है कि निरीक्षक कमलेश शूर द्वारा प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई थी । अभि. सा. विजय शर्मा कोर्ट मैरिज के समय पर मौजूद नहीं था । उसने नोटरी के बारे में कुछ पूछताछ नहीं की थी जिसने विवाह करार को अभिप्रमाणित किया था । वह यह भी नहीं कह सकता है कि क्या यह बात नोटेरीयल रजिस्टर में परिलक्षित होती है । उसने नोटरी की भी परीक्षा नहीं की । सेना यानों का क्षेत्र से गुजरने के लिए पास के रूप में प्रयोग किए जाते थे और यान के रजिस्ट्रेशन संख्या को बदलने की कोई संभावना नहीं थी । रवि वर्मा, मृतक के व्यपहरण किए जाने का साक्षी था । सरला देवी, विजय लक्ष्मी और गोविन्द कौर उस घटना के भी साक्षी थे । मृतक का भाई अर्थात् विजय ने उसके समक्ष रवि वर्मा के नाम को प्रकट किया था । उसने विजय मोहन की भी परीक्षा नहीं की थी । विजय मोहन के कथन में रवि वर्मा का कोई उल्लेख नहीं है । उपरोक्त

नामित महिलाओं के कथन तारीख 28 अगस्त, 2003 को अभिलिखित किए गए थे । मृतक की हत्या कारित करने में अन्य अभियुक्तों के साथ षड्यंत्र में शामिल रत्नो देवी के तथ्य के बारे में कोई साक्षी उसके सामने होने के अभिसाक्ष्य देने के लिए उपलब्ध नहीं हुआ था । सह-अभियुक्त नरेश कुमार द्वारा ऐसा सुराग दिया गया था परन्तु इसे साक्ष्य के रूप में नहीं माना जा सकता । किसी साक्षी ने यह अभिकथन नहीं किया था कि करनैल सिंह ने अन्य अभियुक्तों के साथ षड्यंत्र रचा था । मृतक के पिता ने करनैल सिंह से मिलने वाली धमकियों के बारे में कथन किया था । इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि वह उर्दू जानता है लेकिन वह उर्दू पढ़ा नहीं था । चौकी अधिकारी अजीत सिंह द्वारा मृत्यु समीक्षा की गई थी और बाद में थाना भारसाधक अधिकारी पुलिस थाना गंगयाल को उसे सौंप दिया गया था । नरेश कुमार को करनैल सिंह के मकान से तारीख 30 अगस्त, 2005 को गिरफ्तार किया गया था । घटनास्थल पर वैयक्तिक तलाशी ज्ञापन तैयार किया गया था परन्तु गिरफ्तारी ज्ञापन पुलिस थाने पर तैयार किया गया था । वह मकान में अकेला था तथापि, नरेन्द्र कुमार शर्मा और विजेन्द्र शर्मा घटनास्थल पर पहुंचे थे । आस-पास रहने वाले लोगों को घटनास्थल पर बुलाया गया था । उपनिरीक्षक दुर्गा प्रसाद ने उसके बोलने पर प्रकटीकरण कथन और बरामदगी ज्ञापन तैयार किए थे । नरेश कुमार ने उर्दू में प्रकटीकरण कथन किया था । उसने रत्नो देवी के बारे में पूछताछ की थी परन्तु उसे यह पता चला कि वह जम्मू में नहीं है । वह रियासीपुर मंडल पर किसी जगह रहती थी । बसन्ती भट्ट को रत्नो देवी को ढूंढने के लिए तैनात किया गया था और इस बारे में मौखिक निदेश दिया गया । अभियुक्त सोहनलाल, दलीप सिंह और जीत कुमार ने तारीख 1 सितंबर, 2005 को पुलिस थाने पर प्रकटीकरण कथन किए थे । प्रकटीकरण कथन उसके साथ परिवादी और साक्षियों की मौजूदगी में किए गए थे । ये स्वयं वहां पर पहुंचे थे । अभियुक्त और साक्षी एक साथ यान पर चढ़े और उन्हें करनैल सिंह के मकान अर्थात् बरामदगी के स्थान पर ले जाया गया था । उस समय में मकान में कोई भी व्यक्ति नहीं था । मकान में ताला लगा था । नरेश कुमार के पिता करनैल सिंह के मकान के पड़ोसी थे और उनके पास उसके मकान की चाबियां रहती थीं । उससे चाबियां लेने के पश्चात् मकान को

खोला गया था । ताला और चाबियों को अभिगृहीत नहीं किया गया था । चाबियों की छाप भी नहीं ली गईं थीं । मकान में केवल एक दरवाजा था जिसमें निचली मंजिल पर तीन कमरे थे और प्रथम मंजिल में चार कमरे थे । ताले और दरवाजों से कोई अंगुली के चिह्न नहीं लिए गए थे । करनैल सिंह के पड़ोसियों को समन भेजे गए थे परन्तु वे उस बात से दूर रहे । इस तथ्य का मामले की डायरी में उल्लेख नहीं किया गया है । सहायक उपनिरीक्षक दुर्गा प्रसाद ने उसके अनुदेश पर ज्ञापनों को लिखा था । दुर्गा प्रसाद ने उसे रीडर के रूप में तैनात किया था क्योंकि वह उर्दू नहीं लिख सकता था । इस साक्षी ने इस बात से इनकार किया है कि वह दुर्गा प्रसाद था जिसने स्वयं कार्रवाइयां संचालित की थीं और इस साक्षी ने केवल उस पर हस्ताक्षर किए थे । उसने अभियुक्तों के प्रकटीकरण कथन अभिलिखित करने के पूर्व करनैल सिंह के मकान की तलाशी नहीं ली थी । मकान निर्माणाधीन था । करनैल सिंह उस समय राजौरी पर तैनात था । करनैल सिंह से तारीख 2 सितंबर, 2005 को पूछताछ की गई थी । उसने पुलिस को बताया कि उसने अपनी कोठी की पहरेदारी के लिए नरेश कुमार - पी. एस. ओ. को तैनात किया था । सुरेश कुमार, करनैल सिंह की कार को चलाता था । यद्यपि ये साक्षी अभियुक्त को नहीं जानते थे, कोई शनाख्त परेड नहीं की गई थी । इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने अधिकांश साक्षियों की परीक्षा करने के पश्चात् अन्वेषण कार्रवाई समाप्त की थी ।

अभि. सा. कमलेश शूर तत्कालीन भारसाधक अधिकारी, पुलिस थाना गंगयाल ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 79/2005 उसके हस्ताक्षरों से अभिलिखित की गई थी और मामले को रजिस्ट्रीकृत किया गया था और उस पर प्रदर्श टी. पी. के. एस. 52 चिह्न डाला गया था । उसने इत्तिला देने वाले विजय मोहन के कथन के एक भाग को अभिलिखित किया है । मृतक का शव तारीख 28 फरवरी, 2005 को शवपरीक्षा के लिए रखा गया था । उसने मृतक के शव पर पाए गए कपड़ों को अभिगृहीत किया था और शव-परीक्षण परीक्षा के दौरान (देखिए प्रदर्श पी. डब्ल्यू. वी. एम. 3) उन कपड़ों को हटाया गया था । इस साक्षी ने दो कापर की अंगूठियां, लोहे का एक छल्ला (गोलाकार रिंग) और स्टील की चैन, जिसे प्रदर्श पी. डब्ल्यू. वी. एम. 4 और शव की प्राप्ति रसीद, जिसे प्रदर्श पी.

डब्ल्यू. वी. एम. 2 से चिह्नित किया गया था, के अभिग्रहण को भी साबित किया है । इसके पश्चात् उप पुलिस अधीक्षक श्री चौहान द्वारा अन्वेषण का जिम्मा लिया गया था । तारीख 2 सितंबर, 2005 को श्री चौहान ने उस एम्बेसडर कार का अभिग्रहण किया था जिस पर कार रजिस्ट्रीकरण सं. 1117 जेके 01एफ के बजाय 4117 जेके 01ई की संख्या हेरफेर करके दर्शाई गई थी । उसने अभिग्रहण ज्ञापन जिस पर प्रदर्श टी. पी. चिह्न डाला गया था, पर अपने हस्ताक्षरों की पहचान की । उसने छाननी हिम्मत पर करनैल सिंह के शासकीय आवास पर ड्यूटी पर तैनात गार्डों की भी परीक्षा की थी अर्थात् सुदेश कुमार, राजकुमार, सुभाष चंद्र और विक्रमजीत ।

इस साक्षी से प्रतिपरीक्षा करने पर उसने यह कथन किया है कि इत्तिलाकर्ता उर्दू में अभिलिखित रिपोर्ट के साथ तारीख 27 अगस्त, 2005 को 9 बजे अपराह्न पुलिस थाने पर पहुंचा था और उसने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्टर करने के लिए मुंशी को मौखिक निदेश दिया था । रोजनामचे में रिपोर्ट अभिलिखित की गई थी जिस पर इत्तिलाकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किया गया था, जो 2/3 व्यक्तियों के साथ में था । इत्तिलाकर्ता का कथन तारीख 28 अगस्त, 2005 को अभिलिखित किया गया था । उसका कथन अभिलिखित करने में विलंब हुआ था क्योंकि जब उसने रिपोर्ट दर्ज की तब वह विचलित था । चौकी अधिकारी शव को शव गृह ले गया था । तारीख 28 अगस्त, 2005 को वह अस्पताल गया और तब मृतक के शव का शवपरीक्षण किया गया था । इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि उसने मामले को रजिस्टर किया था और उसने अन्वेषण नहीं किया था । तथापि, उसने थाना भारसाधक अधिकारी के रूप में प्रारंभ में कथन अभिलिखित किए थे । श्री चौहान द्वारा मामले में प्रारंभ से अन्वेषण किया जा रहा था । यह साक्षी इस बात पर कायम रहा कि वह श्री चौहान द्वारा जिस दल का नेतृत्व किया गया था, उस अन्वेषण अभिकरण का वह सदस्य था । रीडर द्वारा कथनों को अभिलिखित किया गया था । उसने पहली बार पुलिस अधीक्षक की एम्बेसडर कार देखी थी । अभियुक्त की कोठी से कोई अलग संख्या प्लेट बरामद नहीं हुई थी । अभिगृहीत अंगूठियों और चैन का सामान्य रूप से वर्णन किया गया था ।

5. अभियोजन पक्ष द्वारा विचारण पर दिए गए साक्ष्य का सारांश किए

जाने पर यह प्रकट है कि अभियुक्त की जब दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 342 के अधीन उसकी परीक्षा की गई और उसने अभियोजन साक्ष्य से प्रकट अपराध में फंसाने वाली परिस्थितियों के बारे में स्पष्टीकरण दिया और अभिकथित अपराध में अपनी सह-अपराधिता से इनकार करते हुए यह अभिवाक् किया है कि उन्हें मिथ्या रूप से फंसाया गया है और प्रतिरक्षा में कोई साक्ष्य उनके द्वारा नहीं दिया गया है ।

6. अभियोजन पक्ष द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष लाए गए अभिलेख पर प्रकट साक्ष्य का मूल्यांकन करने पर यह पाया गया कि प्रत्यर्थी दोषसिद्धि के निर्णय के निबंधनों में दोषी हैं और वर्तमान अपीलों में आक्षेपित दंडादेश के निबंधनों में उन्हें दंडादिष्ट किया गया है ।

7. दोषसिद्धि का निष्कर्ष और उस पर आधारित दंडादेशों को इस आधार पर आक्षेपित किया गया है कि मामले में कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध नहीं था जिसके आधार पर पारिस्थितिक साक्ष्य पर केवल मामले को आधारित किया जा सके । अपीलार्थियों की ओर से यह दलील दी गई कि विचारण न्यायालय पारिस्थितिक साक्ष्य का मूल्यांकन करने के लिए भिन्न-भिन्न न्यायिक निर्णयों के निगमित सिद्धांतों को लागू करने में विफल हुआ है । यह भी दलील दी गई कि वे परिस्थितियां, जिनका अभियोजन पक्ष द्वारा अवलंब लिया गया है, उन्हें किसी प्रकार भी साबित नहीं किया गया है और इसके अतिरिक्त एक परिस्थिति और दूसरी परिस्थितियों के बीच कोई कड़ी सिद्ध नहीं होती है जिससे कि परिस्थितियों की एक शृंखला बन सके । यह भी दलील दी गई कि अभिलेख पर विश्वसनीय ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे कि विवाह में बंधने के लिए नीतू देवी और मृतक के बीच प्रेम-प्रसंग सिद्ध होता हो । यह दलील दी गई कि दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है और मौखिक साक्ष्य किसी भी प्रकार से स्वीकार योग्य नहीं है । हस्तलिखित विशेषज्ञ की राय भी विश्वास के योग्य नहीं है क्योंकि यह मूल विवाह करार के साथ स्वीकृत लिखतों की तुलना पर आधारित नहीं है । अभि. सा. विजय मोहन, बाबी शर्मा, राजेश कुमार, सुरेन्द्र मोहन और बलदेव राज के परिसाक्ष्यों के संदर्भ में यह दलील दी गई कि नितिन शर्मा और उसके कुटुंब के सदस्यों की अभिकथित हत्या की धमकियों का साक्ष्य अस्पष्ट और उसमें विचलन और अनिश्चित है और यह साक्ष्य सुना-सुनाए पर आधारित है । यह भी दलील दी गई कि अभि. सा. विजय मोहन का परिसाक्ष्य अभियोजन वृत्तांत को विश्वास नहीं दिलाता है कि करनैल सिंह ने मृतक के भाई अर्थात् राजेश कुमार को बलात्संग के मामले में मिथ्या

फंसाने का प्रयास किया था जिससे कि मृतक के कुटुंब पर दबाव बनाया जा सके । यह भी दलील दी गई कि तारीख 24 अगस्त, 2005 को मृतक के व्यपहरण के कथन के बारे में मृतक के भाइयों और पिता का परिसाक्ष्य केवल सुना-सुनाया है जबकि रवि वर्मा ने अभियोजन वृत्तांत का समर्थन किया है, रुपेन्द्र शर्मा **उर्फ** टिंकू की विचारण पर परीक्षा नहीं की गई । यह दलील दी गई है कि यह परिस्थिति इस बारे में है कि अभियुक्त रत्नो देवी ने मृतक को मिटाने हेतु आपराधिक षड्यंत्र को आगे बढ़ाने के लिए अभियुक्त नरेश कुमार के पास दस हजार रुपए भेजे थे, अभि. सा. सुखचैन सिंह के परिसाक्ष्य से स्पष्टतया यह साबित होता है कि यह रकम नरेश कुमार को सौंपे जाने के लिए भेजी गई थी, नरेश कुमार, एस. पी. ओ. जिसे राजमिस्त्री को काम करने के लिए उस रकम का संदाय करने का अनुदेश दिया गया था । यह भी दलील दी गई थी कि इस परिस्थिति के बारे में कोई साक्ष्य नहीं है कि अभियुक्त ने रात्रि में इंतजारी की और तब मृतक को फाउंटेन चौक पर ले जाया गया था जहां मृतक की गला घोंटकर और बेस बाल बैट से हमला करके उसकी हत्या की गई थी । अभियुक्त नरेश कुमार, सोहनलाल, जीत कुमार और दलीप सिंह द्वारा दिए गए प्रकटीकरण कथन के बारे में और उसके अनुसरण में की गई बरामदगियों पर यह दलील दी गई थी कि ये अग्राह्य हैं और पश्चात्वर्ती बरामदगियां महत्वहीन हैं क्योंकि उस बारे में साक्ष्य अत्यधिक संदेहपूर्ण हैं । यह भी दलील दी गई कि काल ब्यौरे अभिलेख के बारे में मुनीष बिन्द्रा के परिसाक्ष्य से पूर्णतया यह सिद्ध होता है कि मोबाइल नं. 9906212436 अभियुक्त नरेश कुमार से संबंधित है, उस बात को दृष्टिगत करते हुए अन्तिम कुछ काल के बारे में अभियोजन का वृत्तांत डोगरा एकेडमी के नजदीक स्थित दो पी. सी. ओ. से डोगरा एकेडमी पर मृतक को की गई जिस पर वहां से व्यपहरण किया गया, यह बात सुस्थापित नहीं है । यह भी दलील दी गई कि अभिकथित घटना के पश्चात् अभियुक्त करनैल सिंह के गायब होने का कोई साक्ष्य नहीं है, जैसा कि अभियोजन पक्षकथन द्वारा कथन किया गया है और अभि. सा. सुलेमान साजिरया का परिसाक्ष्य जो उस समय भारसाधक डी. आई. जी. सशस्त्र बल जम्मू पर तैनात थे, उन्होंने इस अभिकथन से असहमति व्यक्त की । जहां तक अभियुक्त करनैल सिंह की शासकीय कार के रजिस्ट्रीकरण संख्या के बदलाव के बारे में अभिकथन किया गया है, घटना के पश्चात् इसे जेके 01 एफ 1117 से जेके 01 ई 4117 किया गया था । इस पर यह दलील दी गई कि अभि.

सा. राजकुमार का परिसाक्ष्य अभि. सा. सुदेश राज, सुभाष चन्द्र और विक्रमजीत सिंह के परिसाक्ष्य से प्रत्यक्ष विरोध प्रकट होता है । यह दलील दी गई कि अन्यथा उक्त परिस्थिति को दृष्टिगत करते हुए अपराध में फंसाने के लिए कुछ भी नहीं होता । अन्ततः यह दलील दी गई कि विचारण न्यायालय द्वारा दिया गया आक्षेपित निर्णय गलत व्याख्या, गलत मूल्यांकन और मिथ्या साक्ष्य पर आधारित है कि दोषिता का निष्कर्ष प्रतिकूल है और उसे कायम नहीं रखा जा सकता ।

8. इसके प्रतिकूल विद्वान् अपर महाधिवक्ता श्री एल. के. मौजा ने यह दलील दी है कि कुछ साक्षियों के होते हुए भी उन्हें त्याग दिया गया या विचारण पर उन्हें पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया । जबकि, अभियुक्त की दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त साक्ष्य था । यह दलील दी गई कि ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक करनैल सिंह और उसकी पत्नी ने मृतक को मिटाने के लिए करनैल सिंह के ड्राइवर और अंगरक्षक के साथ बड़ी सफाई से षड्यंत्र को अंजाम दिया गया था । यह दलील दी गई कि अभियोजन पक्ष ने सफलतापूर्वक यह सिद्ध किया है कि अभियुक्त करनैल सिंह ने मृतक से कई बार दूरभाष से सम्पर्क किया था । यह दलील दी गई कि अभिलेख पर लाए गए साक्ष्य से भी यह सिद्ध होता है कि मृतक के पिता और भाई को करनैल सिंह द्वारा बुलाया गया था और उन्हें इन परिस्थितियों के बारे में कि यदि मृतक ने उसकी पुत्री के साथ बराबर सम्पर्क बनाए रखा तो भयानक परिणाम भुगतने के लिए चेताया था । यह भी दलील दी गई कि मृतक के मोबाइल फोन पर संसूचना केवल एक रास्ता था अर्थात् ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक करनैल सिंह द्वारा किए गए काल जिनसे केवल यह प्रकट हुआ है कि करनैल सिंह से धमकी भरे काल आते थे । यह भी दलील दी गई कि अभि. सा. राजकुमारी - मृतक की मकान मालकिन के परिसाक्ष्य से पूर्णतया यह सिद्ध हुआ है कि मृतक को डोगरा एकेडमी के नजदीक बुलाया गया था जिसके पश्चात् उसे उसकी मृत्यु के बारे में पता चला । यह भी दलील दी गई कि अभि. सा. रवि वर्मा के परिसाक्ष्य से पूर्णतया यह सिद्ध होता है कि मृतक का उसकी दुकान के नजदीक से सफेद रंग की एम्बेसडर कार में व्यपहरण किया गया था और उसके परिसाक्ष्य को सुना-सुनाया परिसाक्ष्य नहीं माना जा सकता । यह भी दलील दी गई कि अभियुक्त नरेश कुमार, जीत कुमार और सोहनलाल द्वारा किए गए प्रकटीकरण कथन, जिनका अनुसरण करने पर अपराध में फंसाने वाली वस्तुओं की बरामदगी पर्याप्त हैं और अभियुक्त करनैल सिंह की सफेद रंग की एम्बेसडर कार की संख्या प्लेट में हेरफेर करने का भी सबूत है जिससे

मृतक को मिटाने के लिए सभी अभियुक्तों की सहभागिता सिद्ध होती है जिस काम को बड़ी बारीकी से अंजाम दिया गया । दस्तावेजी और फोरेंसिक साक्ष्य और अभियुक्त करनैल सिंह के प्रकट तथ्य को अपराध कारित किए जाने के पश्चात् विलुप्त कर दिया गया । इसके अतिरिक्त अभियुक्त रत्नो देवी द्वारा दस हजार रुपए नरेश कुमार को भेजने के बारे में साक्ष्य से परिस्थितियों की शृंखला प्रकट होना कहा गया है । एयरटेल कंपनी के अभि. सा. मुनीष बिन्द्रा के परिसाक्ष्य के बारे में कि मोबाइल नं. 9906212436 जिस पर अभियुक्त द्वारा उस सुसंगत अवधि के दौरान मृतक से सम्पर्क किया जाना कहा गया है और यह निर्णय किया गया कि उक्त नम्बर (सिम) नरेश कुमार द्वारा मृतक को दिया गया होगा ।

9. पक्षकारों के विद्वान् काउंसेलों को विस्तृत रूप से सुना गया और सुनवाई के दौरान मौखिक और लिखित निवेदनों पर विचार किया गया ।

10. यह भी अभिकथन किया गया है कि नीतू देवी और मृतक नितिन शर्मा के बीच प्रेम-प्रसंग ने कोर्ट मैरिज का रूप लिया जाना कहा गया है और यह बात नीतू देवी के माता-पिता की इच्छा के अत्यधिक विरुद्ध थी जिस वजह से मृतक नितिन शर्मा की विभत्स रूप से हत्या की गई । मृतक की मृत्यु का तथ्य अप्राकृतिक मृत्यु, लक्षण में मानव वध की प्रकृति का था । मृतक को पहुंची क्षतियों की प्रकृति और कारण को डा. संगीता चौधरी द्वारा सिद्ध किया गया है जिन्होंने तारीख 28 अगस्त, 2005 को नितिन के शव की शव परीक्षा की थी और अटवा ग्रंथि के नीचे क्षितिज रूप से गर्दन पर बंध का चिह्न पाया गया था । बंध का चिह्न चौड़ाई में 0.5 सेमी. था और रंग में गहरा भूरा था । कंठिकास्थि का अस्थिभंग मौजूद था । सबक्यूटेनियस उत्तक, मांसपेशी पर बंध चिह्न पर कई नीलें थीं और यह नील सम्पूर्ण बंध चिह्न पर मौजूद थीं । मध्य में अधोहनों का अस्थिभंग मौजूद था । हाथों की कलाई पर 0.25 सेमी. से 0.5 सेमी. के कई बंध चिह्न मौजूद थे । बिसरा को सुरक्षित रखा गया था और मोहरबंद करके न्यायालयिक प्रयोगशाला में रासायनिक विश्लेषण के लिए भारसाधक अधिकारी के सुपुर्द किया गया था । न्यायालयिक प्रयोगशाला रिपोर्ट और शवपरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार निष्कर्ष निकाले गए थे और यह राय व्यक्त की गई कि मृतक की मृत्यु गला घोंटने के परिणामस्वरूप श्वासावरोध के कारण हुई थी । उसने रिपोर्ट जिस पर प्रदर्श टी. पी. एस. सी. का चिह्न डाला गया था, उसे भी साबित किया है । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि तारीख 19 मई, 2005 को एस. डी. पी. ओ., नगर (दक्षिणी जम्मू) ने

बेसबाल बैट, लाल रंग की नायलोन की रस्सी और तीन गांठों सहित काले जूते के फीते (पांच टुकड़े) उसकी राय लेने हेतु भेजे गए थे । उसने इन प्रश्नों का उत्तर दिया । उसके उत्तर के अनुसार अधोहनों के अस्थिभंग की क्षति बेसबाल बैट द्वारा संभव हो सकती है । उसने आगे यह भी राय व्यक्त की कि गर्दन और कलाईयों पर मौजूद बंध के चिह्न जूते के लैस से संगत थीं यदि उनसे गर्दन और कलाईयों को चारों ओर से बांधा गया था । शव परीक्षण किया गया था । इस साक्षी ने रिपोर्ट जिस पर प्रदर्श टी. पी. एस. सी. 1 से चिह्नित किया है, को भी साबित किया गया है । चिकित्सा विशेषज्ञ का परिसाक्ष्य मृतक के शव की शव परीक्षा किए जाने के बारे में है जिसे अन्वेषक अधिकारी शिवकुमार द्वारा फाउंटेन चौक, ग्रेटर कैलाश नहर से ढूंढकर निकाले जाने को साबित किया गया है । जहां तक मृत्यु के कारण का संबंध है । यह निष्कर्ष निकाला गया कि मृतक की मृत्यु गला घोंटने के परिणामस्वरूप श्वासावरोध के कारण हुई थी और भीगे हुए शव की शव परीक्षा की गई थी और उस पर यह निष्कर्ष निकालना न्यायसंगत है कि यह मृतक की वीभत्स रूप से हत्या का मामला है और हत्या के पश्चात् शव को नहर में फेंक दिया गया था ।

अभियोजन वृत्तांत के अनुसार नीतू देवी के माता-पिता करनैल सिंह और रत्नो देवी द्वारा मृतक नितिन शर्मा और अपनी पुत्री नीतू देवी के बीच कामुक संबंध की बात को निभाना बड़ा मुश्किल था । नितिन शर्मा एक ब्राह्मण लड़का था और पेशे से ड्राइवर था । नीतू देवी द्वारा छल से शादी करने और अपने पति से मिलने के लिए अपने माता-पिता के घर से भागने के अनुक्रम में अपने मकान की ऊपरी छत से छलांग लगाई थी जिसके परिणामस्वरूप उसके पैरों में क्षतियां पहुंचीं थीं ; नीतू देवी के माता-पिता ने मृतक को मिटाने के लिए अन्य अभियुक्तों से मिलकर षड्यंत्र रचा था । अपराध की उत्पत्ति अन्तर्जातीय विवाह के होने से नफरत में प्रकट हुई है और अपनी पुत्री के लिए अपने पसंद के जीवन-साथी ढूंढने के लिए करनैल सिंह ने इस मामले को प्रतिष्ठित बना दिया था क्योंकि वह एक अच्छा पढ़ा-लिखा और ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक की जिम्मेदार स्थिति में था । अपने मानव विवेक से असंतुलित होकर, जैसा कि अभिकथन किया गया है उसने दुर्भावपूर्वक षड्यंत्र रचने में अपनी पत्नी रत्नो देवी और अधीनस्थ पदधारियों को अपने सामने आत्मसमर्पण करके उनको फंसाया । आपराधिक षड्यंत्र, जैसा कि अभिकथन किया गया है, अभियुक्त करनैल सिंह द्वारा अपनी पत्नी रत्नो देवी के साथ मिलकर और अन्य अभियुक्त जो उसके

ड्राइवर के रूप में और सुरक्षा स्टाफ सम्मिलित थे, उन्हें मृतक को मिटाने के लिए वीभत्स हेतु से हत्या की कार्रवाई में सम्मिलित किया । अभिकथित षड्यंत्र को सह-अभियुक्तों द्वारा प्रलोभन रकम पाने के अतिरिक्त सेवाओं में नियमित होने के आधार पर अंजाम दिया था । आपराधिक षड्यंत्र गोपनीय बातों पर पर्दा डालकर रचा गया था और कभी कभार षड्यंत्रकारी ऐसे षड्यंत्र के प्रकट हो जाने के बारे में साक्ष्य भी छोड़ देते हैं जिस बारे में केवल साबित तथ्यों से अनुमान निकालकर ऐसे षड्यंत्र को सिद्ध किया जा सकता है । जैसा कि उर्दू कवि द्वारा अपनी बात रखी गई है :–

> "करीब है यारों राजो-ए-महशर,
> छुपेगा कुशतूं का खून क्योंकर,
> जो चुप रहेगी जुबां-ए-खंजर,
> लहू पुकारेगा आस्तीन का"

अभियोजन पक्ष के अनुसार मृतक को मिटाने का षड्यंत्र नीतू देवी के माता-पिता का अपरिपक्व षड्यंत्र था जो मृतक को धक्का देना चाहते थे, जिन्हें नीतू देवी के साथ उसके संबंध नहीं बनाना देना चाहते थे । शायद प्रेम के क्रियाकलाप जो बनाम विवाह के बनते हैं और माता-पिता की सहमति के विरुद्ध जो बातें आगे प्रकट साबित हुई हैं, अभियुक्त करनैल सिंह और रत्नो देवी ने मृतक को अपमानित करने के लिए बदला लेने का निश्चय किया । स्वीकृततः, षड्यंत्र रचने के बारे में कोई मौखिक या दस्तावेजी सबूत अभियुक्तों का प्रकट नहीं हुआ है । अन्वेषक अधिकारी शिवकुमार चौहान के परिसाक्ष्य से यह प्रकट है कि अन्वेषण के दौरान कोई भी साक्षी यह कथन करने के लिए आगे नहीं आया कि रत्नो देवी और करनैल सिंह को मिटाने के लिए अन्य अभियुक्तों के साथ षड्यंत्र रचा था । अभियुक्त नरेश कुमार से केवल ऐसा प्रकट होता है और मृतक के पिता के प्रकट अभिकथनों से कि करनैल सिंह ने मृतक को धमकाया था । इन परिस्थितियों में इस तथ्य के होते हुए भी इस महत्व के बारे में उपधारणा करना कि हेतु के अभाव को अभियोजन पक्षकथन को बाहर किया जाना न्यायसंगत नहीं होगा बशर्ते कि अभियुक्तों की दोषिता का साक्ष्य हो । इस बारे में **विजय शंकर** बनाम **हरियाणा राज्य**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा जो विधि की प्रतिपादना निरूपित की गई है, उसका उल्लेख करना समुचित होगा :–

---

[1] 2015 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 5324.

"प्रत्येक मामले में अभियोजन के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह अपराध के हेतु को साबित करे । प्रायः हेतु अपराध की संभाव्यता को दर्शित करता है कि अभियुक्त का अपराध कारित करने के लिए हेतु के सबूत में केवल अभियोजन पक्ष द्वारा दिए गए साक्ष्य को जोड़ा जाता है यदि अभियोजन पक्ष हेतु पर अपना पक्षकथन साबित करने में सफल होता है तो यह साक्ष्य का संपुष्ट टुकड़ा होगा । परन्तु यदि अभियोजन पक्ष हेतु के प्रश्न पर अपने मामले को साबित करने में समर्थ नहीं है तो अभियोजन पक्ष के हेतु को हटाने का कोई आधार होगा और न अभियोजन पक्ष की विश्वसनीयता को क्षीण नहीं करता है । हेतु के सबूत का अभाव केवल अभियोजन पक्ष द्वारा दिए गए साक्ष्य की सावधानीपूर्वक समीक्षा की मांग करता है । वर्तमान मामले में हेतु के रूप में कोई विश्वासोत्पादक साक्ष्य के अभाव में न्यायालय को साक्ष्य का मूल्यांकन करने में सतर्कता बरतनी चाहिए और इस पहलू को उच्च न्यायालय और विचारण न्यायालय के दृष्टिकोण के अन्तर्गत नहीं रखा जाता ।"

11. अभियोजन पक्ष द्वारा अवलंब लिए गए सबूत का ढंग अभियुक्त की दोषिता को सिद्ध करने के लिए प्रकट किया जाना चाहिए जिसमें अपराध में फंसाने वाली स्थिति का सबूत हो । स्वीकृततः, अभिकथित घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है, यह मामला पूर्णतया पारिस्थितिक साक्ष्य पर निर्भर है । यह सुस्थापित है कि परिस्थितियां जिनसे दोषिता का निष्कर्ष निकलता है, उन्हें पूर्ण रूप से साबित होना चाहिए और ऐसी परिस्थितियां निश्चायक प्रकृति की होनी चाहिए । सभी परिस्थितियां पूरी होनी चाहिए और परिस्थितियों की शृंखला में कोई अन्तराल नहीं होना चाहिए । साबित की गई परिस्थितियां अभियुक्तों की दोषिता की परिकल्पना के संगत होनी चाहिए और उसकी निर्दोषिता के पूर्णतया असंगत होनी चाहिए । **चांद** बनाम **हिमाचल प्रदेश राज्य**[1] वाले मामले में पारिस्थितिक साक्ष्य पर विचार करते हुए उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्नलिखित कसौटियां तय की गईं :–

"पारिस्थितिक साक्ष्य के मामले में सभी परिस्थितियां जिनसे दोषिता का निष्कर्ष निकलता हो, उन्हें पूर्णतया और अकाट्य रूप से सिद्ध किया जाना चाहिए । सभी तथ्यों को इस तरह सिद्ध किया जाना चाहिए कि दोषिता की परिकल्पना के साथ ही संगत होनी

[1] ए. आई. आर. 1990 एस. सी. 2140.

चाहिए और साबित परिस्थितियां निश्चायक प्रकृति की होनी चाहिए और उनकी निश्चित प्रकृति ऐसी होनी चाहिए कि वे अभियुक्त की दोषिता को इंगित करे और उनसे प्रत्येक कल्पना को अपवर्जित करे और प्रस्तावित मामला साबित किया जाना चाहिए । परिस्थितियों को समाधानरूप से सिद्ध किया जाना चाहिए और साबित परिस्थितियों को सभी युक्तियुक्त संदेह के परे अभियुक्त के अपराधों को साबित किया जाना चाहिए । यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक परिस्थिति स्वतः निश्चायक और संचयी रूप से अभियुक्त की दोषिता को साबित करने के लिए घटनाओं की श्रृंखलाओं को जोड़ने वाली होनी चाहिए । ये परिस्थितियां और उनमें से कुछ परिस्थितियां युक्तियुक्त परिकल्पनाओं के बारे में स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए अन्यथा अभियुक्त को ऐसी परिकल्पनाओं का फायदा मिल जाएगा ।"

कृतिपाल बनाम **पश्चिमी बंगाल राज्य**[1] में इन सिद्धांतों को दोहराया गया है जो इस प्रकार हैं :–

"यह सुस्थापित है कि ऐसे मामलों में जहां साक्ष्य विशुद्ध रूप से पारिस्थितिक प्रकृति का हो, परिस्थितियां, जिनसे दोषिता के निष्कर्ष से यह प्रकट होने की ईप्सा की गई है कि उसे युक्तियुक्त संदेह से परे पूरी तरह साबित होना चाहिए और ऐसी परिस्थितियां संगत होनी चाहिए और अभियुक्त की दोषिता को अचूक रूप से इंगित करने की पूरी श्रृंखला एक रूप में होनी चाहिए और परिस्थितियों की श्रृंखला अभियोजन पक्ष द्वारा साबित की जानी चाहिए ।"

मुस्तकीम उर्फ **सिराजुद्दीन** बनाम **राजस्थान राज्य**[2] वाले मामले में पुनः यह अभिनिर्धारित किया गया जो इस प्रकार है :–

"**25.** विधि में यह भी सुस्थापित है कि जहां कोई मामला पारिस्थितिक साक्ष्य पर समान रूप से आधारित है तब दोषिता का अनुमान निकाला जाना केवल न्यायसंगत हो सकता है जब सभी अपराधों में फंसाने वाले तथ्य और परिस्थितियां अभियुक्त की निर्दोषिता से या किसी अन्य व्यक्ति की दोषिता से असंगत पाई जाती हैं । निस्संदेह यह सत्य है कि दोषसिद्धि एकमात्र परिसाक्ष्य पर आधारित हो सकती है परन्तु इसका पारिस्थितिक साक्ष्य से संबंधित विधि की

---

[1] 2015 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 3545.

[2] ए. आई. आर. 2011 एस. सी. 2769.

कसौटी पर विनिश्चय किया जाना चाहिए जिसे इस न्यायालय द्वारा विधि के आधार पर सुस्थापित किया गया हो ।

26. शरद बिरधीचन्द शारदा **बनाम** महाराष्ट्र राज्य (1984) 4 एस. सी. सी. 116 = ए. आई. आर. 1984 एस. सी. 1922 = 1984 क्रिमिनल ला जर्नल 1738 वाले मामले के पैरा 153 में इस न्यायालय ने अत्यधिक प्रसिद्ध मामले में पारिस्थितिक साक्ष्य के मूल्यांकन के संबंध में उत्कृष्ट सिद्धांतों को स्वीकृत किया है । जब कभी पारिस्थितिक साक्ष्य पर कोई मामला आधारित है तो उसमें निम्नलिखित लक्षणों का अनुपालन करना आवश्यक है । ऐसे मुख्य लक्षणों को एक बार पुनः दोहराना लाभदायक होगा जो ए. आई. आर., क्रिमिनल ला जर्नल 1738 के पैरा 152 में इस प्रकार है –

'(i) वे परिस्थितियां, जिनसे दोषिता का निष्कर्ष निकाला जाना है, पूरी तरह सिद्ध की जानी चाहिएं ;

(ii) इस प्रकार सिद्ध किए गए तथ्य केवल अभियुक्त की दोषिता की कल्पना के अनुरूप होने चाहिएं अर्थात् इस बात के सिवाय कि अभियुक्त दोषी है, किसी अन्य कल्पना के पोषक नहीं होने चाहिए ;

(iii) परिस्थितियां निश्चायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए ;

(iv) उन्हें साबित की जाने वाली हर उप-कल्पना के सिवाय हर संभावित उप-कल्पना अपवर्जित करनी चाहिए ; और

(v) साक्ष्य की शृंखला इतनी पूर्ण होनी चाहिए कि अभियुक्त की निर्दोषिता के अनुरूप निष्कर्ष निकालने के लिए कोई भी युक्तियुक्त आधार न बचे और उससे यह दर्शित हो कि संपूर्ण मानवीय संभावना से वह कार्य अभियुक्त द्वारा ही किया गया होगा ।'"

12. प्रथम परिस्थिति जिसका अभियोजन पक्ष द्वारा अवलंब लिया गया है वह मृतक और नीतू देवी के बीच प्रेम-प्रसंग है जिसकी परिणिति अत्यधिक प्रतिरोध के बावजूद अन्तर्जातीय प्रेम विवाह में घटी और जबकि नीतू देवी के माता-पिता द्वारा उसके आने-जाने में निर्बंधन आधिरोपित किए गए थे । अभियोजन पक्ष द्वारा विचारण के दौरान लाए गए साक्ष्य का उल्लेख करने पर यह प्रकट होता है कि क्या अपराध के हेतु के पहलू पर

अभियोजन पक्ष ने अभि. सा. बाबी शर्मा, बलदेव राज और नरेन्द्र कुमार के साक्ष्यों का अवलंब लिया । अभि. सा. बाबी शर्मा मृतक का भाई है । उसके परिसाक्ष्य से यह प्रकट हुआ है कि मृतक के विद्यालय में पढ़ने के दिनों से ही करनैल सिंह की पुत्री से प्रेम-प्रसंग चल रहे थे । उसने यह दावा किया कि उसने मृतक को संबंध न बनाने के लिए उसे राजी करने की कोशिश की परन्तु करनैल सिंह की पुत्री निरन्तर उनके मकान पर आया जाया करती थी । उसने यह भी दावा किया है कि उसने नीतू देवी को पकड़ा था जब वह उनके घर पर आई थी और उसे करनैल सिंह के समक्ष पेश किया था । तथापि, नीतू देवी ने मृतक से संबंध बनाना नहीं छोड़ा और उसे बराबर टेलीफोन करती रही । इसके परिसाक्ष्य में यह बात प्रकट हुई है कि करनैल सिंह ने एस. टी. डी. बूथ से उसके पिता को बुलाया था जहां उसके पिता की टेलीफोन से वार्तालाप हुई थी जिसमें करनैल सिंह के बारे में उसके पिता को धमकाया जाना कहा गया है । आगे उसके परिसाक्ष्य से यह भी प्रकट हुआ है कि करनैल सिंह और उसका कुटुंब जम्मू चला गया था और मृतक भी जम्मू चला गया था जहां उसने मेटाडोर के ड्राइवर के रूप में कार्य करना प्रारंभ कर दिया था । यद्यपि इस साक्षी ने यह दावा किया है कि मृतक ने तारीख 31 मार्च, 2005 को नीतू देवी के साथ संविदा विवाह किया था और पुलिस ने नीतू देवी के पहने गए कपड़े तथा नीतू देवी द्वारा मृतक को दिए गए पत्र अभिगृहीत किए थे जो जम्मू पर मृतक नितिन शर्मा के किराए के कमरे से बरामद किए गए थे । इसके अतिरिक्त विवाह करार प्रदर्श पी. डब्ल्यू. वी. एस. 1 से चिह्नित किया गया है, को भी अभिगृहीत किया गया है । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि इस प्रभाव का उसका कथन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन अभिलिखित उसके कथन में उल्लिखित नहीं है । उसने यह भी स्वीकार किया कि उसकी मौजूदगी में विवाह अनुष्ठापित नहीं हुआ था । इस साक्षी के परिसाक्ष्य का बारीकी से मूल्यांकन और न्यायोचित ठहराने के लिए यह निष्कर्ष निकाला गया कि मृतक नितिन शर्मा और नीतू देवी के बीच प्रेम-प्रसंग था । उन्हें समझाने के बावजूद उन दोनों में से कोई भी इन संबंधों को त्यागने के लिए तैयार नहीं हुआ और ऐसे संबंधों को स्वीकार करने में दोनों कुटुंबों की अनिच्छा होने के बावजूद भी उनके प्रेम-प्रसंग चलते रहे और अन्तर्जातीय विवाह पर उनकी सहमति हो गई । अभि. सा. नरेन्द्र कुमार नागरी का निवासी है । उसने मृतक नितिन शर्मा और नीतू देवी के बीच प्रेम-प्रसंग के बारे में अभिसाक्ष्य दिया था । उसने पुलिस को यह बात बताई जाने का भी दावा किया है कि मृतक ने नीतू देवी के साथ संविदा विवाह किया था । अभि. सा. बलदेव राज, जो ग्राम नागरी

पेरोले का निवासी है, उसने भी यह अभिसाक्ष्य दिया कि 4/5 वर्षों से मृतक और नीतू देवी के बीच प्रेम-प्रसंग चल रहा था और उन्होंने तारीख 31 मार्च, 2005 को करनैल सिंह के अत्यधिक नापसंद होने पर भी संविदा विवाह कर लिया था जिसने मृतक के पिता को धमकाया था और मृतक की हत्या करने के पश्चात् पुलिस से सांठ-गांठ कर ली थी । इस साक्षी ने अभिग्रहण ज्ञापन, जिसे प्रदर्श पी. डब्ल्यू. पी. एस. 1 से चिह्नित किया गया है जिस पर उसके हस्ताक्षर भी हैं, उसे भी सिद्ध किया है, जिसके फलस्वरूप नीतू देवी द्वारा मृतक को लिखे गए प्रेम पत्र इसके अतिरिक्त विवाह करार और नीतू देवी द्वारा पहने गए कपड़े, जिन्हें अभि. सा. बाबी शर्मा द्वारा पुलिस के समक्ष पेश किए गए जब पुलिस उन्हें अभिगृहीत करने पहुंची । उसने प्रेम पत्रों के बारे में सुपुर्दनामा, जिसे प्रदर्श पी. डब्ल्यू. बी. आर. से चिह्नित किया गया है, को भी साबित किया है । उसकी प्रतिपरीक्षा से यह प्रकट हुआ है कि इस साक्षी ने विवाह करार के आधार पर विवाह के बारे में अभिसाक्ष्य दिया है और वह वैयक्तिक रूप से विवाह में सम्मिलित नहीं हुआ था । उसके अभिसाक्ष्य से यह भी प्रकट हुआ है कि अभि. सा. बाबी शर्मा ने स्वयं मूल दस्तावेज रखे थे और जिनकी पुलिस के समक्ष फोटोस्टेट प्रतियां पेश की गईं । इस तथ्य की अभि. सा. बाबी शर्मा के परिसाक्ष्य से संपुष्टि हुई है जिसने विचारण न्यायालय के समक्ष मूल दस्तावेज प्रस्तुत किया जब उसका परिसाक्ष्य अभिलिखित किया जा रहा था । विवाह करार जिसे प्रदर्श एम. के. चिह्न डाला गया है, के बारे में प्रारंभिक साक्ष्य, दो शपथपत्र क्रमशः प्रदर्श एन. के. 1 और प्रदर्श एन. के. 2 के रूप में साबित किया गया है उन्हें अभि. सा. नरेन्द्र कौर, अधिवक्ता नोटरी पब्लिक द्वारा साबित किया गया है जिसने उन्हें साक्ष्यांकित किया था और हस्तलिखित विशेषज्ञ द्वारा पत्रों के बारे में नीतू देवी/नीतू रानी के हस्तलिखित होने की राय व्यक्त की थी जिन्हें विचारण के दौरान अभिलेख पर रखा गया था । मामले की इस पहलू पर दिया गया साक्ष्य अकाट्य और विश्वसनीय है और साक्षियों की प्रतिपरीक्षा करने पर ही इस बारे में कुछ भी प्रकट नहीं हुआ है कि मृतक और नीतू देवी के बीच प्रेम-प्रसंग की कहानी के बारे में जो उनके प्रेम विवाह में तब्दील हुआ है उस पर अभियोजन वृत्तांत को त्यक्त किया जाए जिसके परिणामस्वरूप उनका अन्तर्जातीय विवाह हुआ था तथा मृतक की अभियुक्त करनैल सिंह के समक्ष कोई सामाजिक प्रतिष्ठा का मिलान नहीं हुआ था और यह बात अपराध के हेतु को प्रकट करती है । पूर्वोक्त साक्षियों द्वारा दिया गया अभियोजन साक्ष्य, जिससे उनकी विश्वसनीयता सही नहीं होती है, और स्पष्टतया यह साबित किया गया कि मृतक और नीतू देवी के बीच प्रेम-प्रसंग को नीतू देवी के

माता-पिता द्वारा गंभीर नाराजगी देखी गई थी और उनके प्रेम को निष्फल करने के लिए निरन्तर मृतक और नीतू देवी के क्रियाकलापों को निर्बंधित करने का सही प्रयास किया गया और यह मृतक को मिटाने का हेतु हो सकता है । साक्ष्य का पुनःमूल्यांकन करने पर सुरक्षित रूप से यह अभिनिर्धारित किया जा सकता है कि अभियोजन पक्ष ने इस परिस्थिति को सफलतापूर्वक सिद्ध किया है ।

13. दूसरी परिस्थिति, मृतक को मिटाने के बारे में धमकियां देना है जो करनैल सिंह द्वारा मृतक और उसके कुटुंब को दिए जाने का अभिकथन किया गया है । बलदेव राज के अतिरिक्त मृतक के पिता और भाई ने इस पहलू पर अभिसाक्ष्य दिया है । अभि. सा. विजय मोहन मृतक का भाई है । उसने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि मृतक और उसके पिता को धमकी देने के बावजूद करनैल सिंह ने तीन या चार बार उन्हें धमकियां दी थीं कि उसके कुटुंब के सभी सदस्यों की गोली मारकर हत्या कर दी जाएगी । उसने यह दावा किया कि तारीख 24 अगस्त, 2005 को जब उसने मृतक से एक माह बीत जाने के बाद भी गांव नहीं आने के कारण की पूछताछ की तब मृतक भयभीत था तब उसने बताया कि करनैल सिंह ने उसे धमकी दी है । इस साक्षी ने मोबाइल नं. 9906212436 से मृतक से काल पर बातचीत करने का भी दावा किया है । मृतक के बारे में उससे यह बात कहे जाने के बारे में भी बताया गया है कि वह 8.30 बजे अपराह्न कठुआ पर पहुंचेगा और इस साक्षी ने वहां पर उसकी इंतजारी की । उसने आगे यह भी साक्ष्य दिया कि मृतक ने उसे यह बताया कि वह इसके पश्चात् जम्मू वापस नहीं जाएगा । उसने पुनः 2.30 बजे अपराह्न मृतक से सम्पर्क करने की कोशिश का दावा किया परन्तु उसे कोई उत्तर नहीं मिला था । यह बात मृतक के अभिकथित व्यपहरण के बाद घटित होना कहा गया है । इस साक्षी ने करनैल सिंह की ओर से तारीख 21 अगस्त, 2005 को पुलिस चौकी नागरी पर मामला दर्ज करने के बारे में भी अभिसाक्ष्य दिया है जिसमें राजेश कुमार को रणवीर दंड संहिता की धारा 376 के अधीन अपराध के मामले में मिथ्या फंसाया गया था । उसने यह दावा किया है कि पुलिस ने रणवीर दंड संहिता की धारा 354 के अधीन मामले को रजिस्ट्रीकृत किया था । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि सरवण कुमार और उसकी पत्नी नीलम ने यह कथन करते हुए मामला रजिस्टर किया था कि राजेश कुमार ने नीलम की लज्जा भंग की थी और मामले का अन्वेषण करने पर सक्षम न्यायालय के समक्ष राजेश कुमार के विरुद्ध आरोप पत्र फाइल किया गया था । चूंकि पुलिस चौकी नागरी पेरोल के ओ. आई. सी.

ने उसके अभिकथन को सिद्ध करवाने के लिए परीक्षा नहीं की कि अभियुक्त करनैल सिंह का राजेश कुमार के विरुद्ध पूर्वोक्त मामला दर्ज करने में कोई हाथ था । इस अभिकथन के बारे में साबित किया जाना नहीं कहा जा सकता है । इस साक्षी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन अभिलिखित अपने कथन से विरोध प्रकट किया था जिसमें करनैल सिंह से मिलने वाली किसी धमकी का कोई उल्लेख नहीं किया गया है । यह प्रतीत होता है कि इस साक्षी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन अन्वेषक अधिकारी के समक्ष प्रकट अपने वृत्तांत में सुधार किए हैं । इस तथ्य के अलावा कि तारीख 24 अगस्त, 2005 को मृतक के साथ उसकी वार्तालाप के बारे में इस साक्षी की विश्वसनीयता, जिसमें उसने मृतक से बातचीत किए जाने का दावा किया है कि करनैल सिंह ने मृतक द्वारा कब्जे में रखे गए मोबाइल नं. 9906212436 पर उसे धमकियां दीं थीं जैसा कि अभि. सा. मुनीष बिन्द्रा, नोडल अधिकारी के अनुसार जो भारती एयरटेल में था, उसने अगस्त, 2005 महीने में मोबाइल न. 9906212436 का नम्बर लंगर कालू चैक के निवासी हंसराज के नाम में रजिस्ट्रीकृत किया था, जो इस मामले में अभियुक्त है । यह तथ्य अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि पूर्व में मृतक से संसूचना के संबंध में सम्पूर्ण अभियोजन और मृतक के अभिकथित व्यपहरण के समय पर जब उसकी हत्या करने की ओर अग्रसर हुआ था तब मोबाइल नं. 9906212436 मृतक से संबंधित था । अभि. सा. बाबी शर्मा, मृतक का बड़ा भाई है । उसने यह अभिसाक्ष्य दिया कि अभियुक्त करनैल सिंह अपनी पुत्री नीतू देवी से मृतक को दूर करने के लिए मनाने हेतु उसके कुटुंब के सदस्यों को टेलीफोन किया करता था अन्यथा वह उसको मिटा देगा । उसने आगे यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि उसके पश्चात् अभियुक्त करनैल सिंह अपने कुटुंब को लेकर जम्मू चला गया था तब भी नीतू देवी ने अपने पिता के मकान में रखे गए लैंडलाइन फोन पर मृतक से सम्पर्क किया । उसके परिसाक्ष्य में यह प्रकट हुआ है कि लैंडलाइन फोन को विच्छेदित कर दिया गया जिससे कि मृतक से निरन्तर संबंध बनाने को प्रोत्साहन न मिले । परन्तु मृतक ने नीतू देवी से सम्पर्क बनाने के लिए मोबाइल फोन खरीद लिया था । इस साक्षी ने यह भी दावा किया कि मृतक से मोबाइल फोन छीन लिया गया था जिससे वह नीतू देवी से बातचीत किया करता था, नीतू देवी ने उसे यह बताया कि वह मृतक के बिना जीवित नहीं रहेगी और उसके साथ वह संविदा विवाह करेगी । इस साक्षी ने यह दावा किया है कि करनैल सिंह ने एस. टी. डी. बूथ से उसके भाई को अपने पिता को बुलाने के लिए भेजा था जहां फोन

पर करनैल सिंह ने मृतक को मिटाने की धमकी दी थी । इस साक्षी ने यह भी दावा किया है कि वह एस. टी. डी. बूथ पर अपने पिता के साथ गया । उसकी प्रतिपरीक्षा से यह भी प्रकट है कि इस साक्षी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन लिखित अपने अभिकथनों में सुधार किया है । उसने यह स्वीकार किया है कि अभियुक्त करनैल सिंह द्वारा उसके पिता को टेलीफोन से मिलने वाली धमकी के बारे में उसका कथन पुलिस के समक्ष उसके कथन में उल्लिखित नहीं है । अभि. सा. बलदेव राज ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि अभियुक्त करनैल सिंह ने मृतक के पिता को धमकाया था और उसने मृतक को मिटाने के पश्चात् पुलिस से भी सांठगांठ की थी । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि उसने घटना नहीं देखी थी जिसमें अभियुक्त करनैल सिंह द्वारा दंडित किया गया था । उसे यह बात मृतक से पता चली थी परन्तु उसने इस बारे में अपने कुटुंब को कुछ भी नहीं बताया । उसने यह अनुमान लगाया है कि करनैल सिंह ने मृतक को मिटाने के पश्चात् पुलिस से सांठगांठ की । इस साक्षी का परिसाक्ष्य करनैल सिंह द्वारा मृतक और उसके कुटुंब को मिलने वाली धमकी के अभिकथन को सिद्ध नहीं करता है । अभि. सा. सुरेन्द्र मोहन मृतक का पिता है । उसने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि उसने मृतक से नीतू देवी को संबंध न बनाने के लिए राजी करने का प्रयास किया था परन्तु वह मृतक के साथ अन्तर्जातीय विवाह करने के लिए दृढ़ थी । इस साक्षी ने उस घटना के बारे में भी बताया है कि जब करनैल सिंह ने एस. टी. डी. बूथ से उसके भाई के माध्यम से उसे बुलाया था जहां करनैल सिंह ने उसे टेलीफोन से धमकियां दीं थीं और मृतक को जम्मू छोड़ने के लिए राजी करने पर विफलता की दशा में उसे मिटा दिया जाएगा । उसके परिसाक्ष्य से यह भी प्रकट हुआ है कि यह घटना मृतक की हत्या के दो-तीन माह पूर्व घटित होना इस साक्षी ने बताया था । इस साक्षी ने यह भी दावा किया है कि करनैल सिंह ने उसके छोटे भाई के माध्यम से, जो नागरी पुलिस चौकी पर कांस्टेबल के पद पर तैनात था, उसके पास भेजा था और इस साक्षी को करनैल सिंह टेलीफोन पर बातचीत करने के लिए पुलिस चौकी नागरी पर बुलाया गया था परन्तु वह अपनी बीमारी के कारण वहां नहीं जा सका और इसके बजाय एस. टी. डी. बूथ से उसने करनैल सिंह से बातचीत की । उसकी प्रतिपरीक्षा में यह भी प्रकट हुआ है कि प्रारंभ में नागरी पुलिस चौकी के कांस्टेबल ने पुलिस चौकी नागरी पर उससे रिपोर्ट करने के लिए कहा था । इस साक्षी ने यह भी दावा किया है कि उसने मृतक को जम्मू नहीं जाने की सलाह दी जहां पर मेटाडोर

ड्राइवर के पद पर कार्य करता था परन्तु मृतक ने उसकी सलाहानुसार कार्य नहीं किया । इस साक्षी पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है क्योंकि वह मृतक का पिता है । इस तथ्य के होते हुए भी वह उसके कल्याण में हितबद्ध था कि उसने मृतक को संपत्ति से वंचित कर दिया था । करनैल सिंह से ऐसी धमकी मृतक की हत्या किए जाने के 2-3 मास पूर्व मिली थी जो चेतावनी के रूप में थी ताकि मृतक के पिता नीतू देवी से मृतक के संबंध को दूर करने के लिए और उसे जम्मू छोड़ने के लिए मनाए । क्या यह धमकी कार्रवाई को परिणिति देने के लिए आशयित थी और उन परिस्थितियों पर आधारित थी जो मृतक की हत्या की घटना के समय पर या उससे पूर्व तत्कालीन रूप से उसका प्रभाव रहा है । अभि. सा. राजेश कुमार, मृतक का भाई है । उसने यह कहा कि मृतका का नीतू देवी से प्रेम-प्रंसग रहा था और वह जम्मू चला गया था जहां वह संजय नगर में किराए पर रहा था और मेटाडोर के ड्राइवर के पद पर कार्य करता था । उसके साक्ष्य में यह भी प्रकट हुआ है कि तारीख 24 अगस्त, 2005 को उसने लखनपुर, कार्यालय से फोन काल की थी जिसे मृतक द्वारा मोबाइल न. 9906212436 पर प्राप्त किया गया था । उसने यह भी दावा किया है कि मृतक भयभीत था और उसने इस साक्षी को बताया कि उसने नीतू देवी के साथ संविदा कोर्ट मैरिज कर ली है और नीतू देवी ने उसे इस बात की भी सूचना दी थी कि उसके माता-पिता उसकी हत्या करने का षड्यंत्र रच रहे हैं । उसने उसे यह सलाह दी कि वह घर वापस लौट जाए । उसने यह दावा किया कि उसने मृतक को अपने घर वापस लौटने की सलाह दी और मृतक ने उसे बताया कि वह शाम को घर वापस लौट जाए । यह साक्षी की अपने पिता के परिसाक्ष्य से संपुष्टि हुई है कि मृतक की लगभग तीन मास पूर्व उसके पिता सुरेन्द्र मोहन को अभियुक्त करनैल सिंह द्वारा कुछ बातचीत करने के लिए पी. सी. ओ. पर बुलाया गया था । तथापि, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन उसके कथन में यह तथ्य परिलक्षित नहीं होता है । अभियोजन पक्ष द्वारा इस परिस्थिति के बारे में दिया गया साक्ष्य यद्यपि मृतक के पिता और भाइयों सहित निकट के नातेदारों से प्रकट हुई बातें दूषित होना प्रतीत नहीं होती हैं । मृतक के पिता अर्थात् सुरेन्द्र मोहन का परिसाक्ष्य इस परिस्थिति के बारे में संपुष्टि हुई है और इस बात को मात्र इस कारण से त्यक्त नहीं किया जा सकता । यह बात निकट के नातेदारों के मुंह से भी प्रकट हुई है जिनसे वास्तविक अपराधी को छोड़ दिए जाने और निर्दोष को फंसाने की आशा नहीं की जा सकती । तद्नुसार, इस परिस्थिति को अभियोजन पक्ष द्वारा साबित किया जाना

ठहराया गया है ।

14. तीसरी परिस्थिति, जिसका अभियोजन पक्ष द्वारा अवलंब लिया गया है, यह है कि तारीख 24 अगस्त, 2005 को अभियुक्त नरेश कुमार, एस. पी. ओ. करनैल सिंह की शासकीय कार सं. जेके 01 एफ 1117 का ड्राइवर अभियुक्त सुरेश कुमार के साथ तथा चार अन्य अभियुक्तों के साथ, उन्होंने डोगरा एकेडमी के नजदीक सार्वजनिक रूप से दोपहर में मृतक का व्यपहरण किया था और ग्राम लंगर पर अभियुक्त करनैल सिंह के निर्माणाधीन मकान से उसे उठा ले गए । यह भी अभिकथन किया गया है कि अभियुक्तों ने मृतक को मिटाने के लिए षड्यंत्र रचा था । अभियुक्त नरेश कुमार, जिसे करनैल सिंह, तत्कालीन ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, बार्डर द्वारा एस. पी. ओ. के पद पर उसे नियुक्त किया गया था और लंगर पर निर्माणाधीन मकान को देखने के लिए उसे तैनात किया गया था, उसने नितिन शर्मा की हत्या करने के लिए सुपारी के रूप में पांच लाख रुपए की मांग की थी, तथापि, यह कार्य एक लाख तीस हजार रुपए में तय हुआ था । यह भी अभिकथन किया गया है कि तारीख 24 अगस्त, 2005 को अभियुक्त नरेश कुमार ने अपने चाचा के मकान से मृतक को उसके हालचाल पूछने के बारे में टेलीफोन से काल की थी और उस बात को सुनिश्चित करने के पश्चात् उसने अभियुक्त रत्नो देवी से सम्पर्क किया जिसने लंगर पर रिपोर्ट देने के लिए शासकीय एम्बेसडर कार पर सुरेश कुमार को तैनात किया था और उस कार्य को निष्पादन करने के लिए भी तैनात किया गया था जो नरेश कुमार उसे सौंपेगा । यह भी अभिकथन किया गया है कि सुरेश कुमार को शासकीय कार में लंगर पर ले जाया गया और उसने एक हजार रुपए नरेश कुमार को दिए और जिसने उससे कहा कि वह संजय नगर उसके साथ चले जहां से मृतक नितिन को उठाना था । अन्य अभियुक्त लंगर की कोठी पर रुके हुए थे और उनके साथ उन्हें संजय नगर चलना था । अभियुक्त नरेश कुमार के बारे में यह अभिकथन किया गया है कि उसने अपने मोबाइल फोन से तथा लैंडलाइन सं. 2454299 से दो काल करके मृतक से सम्पर्क किया था और मृतक से डोगरा एकेडमी के नजदीक पहुंचने के लिए कहा । चूंकि मृतक वहां नहीं पहुंचा, अभियुक्त नरेश कुमार के बारे में यह भी अभिकथन किया गया है कि उसने शास्त्री नगर स्थित बाजवा एस. टी. डी. के लैंडलाइन सं. 2451564 से अन्य काल भी किया था । इन सभी कालों के बारे में मोबाइल नं. 9906212436 पर किया जाना कहा गया है और जिसके बारे में इस फोन का मृतक के हाथों में होना कहा गया है । अभियोजन पक्ष ने

चिब सेल्स कारपोरेशन के सुरेन्द्र कौर और बाजवा एस. टी. डी. के शिन्दा कुमार की इस परिस्थिति को साबित करने के लिए परीक्षा की गई । अभि. सा. सुरेन्द्र कौर चिब सेल्स कारपोरेशन, शास्त्री नगर में एस. टी. डी. दुकान पर कर्मचारी के रूप में कार्य करती थी और वहां पर उसने 5/6 एस. टी. डी. नम्बर लगा रखे थे और सुसंगत समय पर लैंडलाइन सं. 2454299 को संचालित करने के बारे में एस. टी. डी. दुकान के तथ्य को साबित किया है । यह साक्षी अभियुक्त नरेश कुमार की पहचान करने में विफल हुई है । उसे अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया । उसने पुलिस को यह बात बताने से इनकार किया है कि अभियुक्त नरेश कुमार ने उसके एस. टी. डी. बूथ से दो टेलीफोन मोबाइल नं. 9906212436 पर किए थे । उसने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन अपने द्वारा दिए गए कथन को मानने से भी इनकार कर दिया । अभि. सा. शिन्दा कुमार, बाजवा एस. टी. डी. चलाता था, उसने यह स्वीकार किया कि उसका एस. टी. डी. बूथ का फोन सं. 2451564 सहित भिन्न-भिन्न फोन नम्बरों से संबंधित था । उसने इस तथ्य से इनकार किया है कि पुलिस ने कुछ फोन काल्स के बारे में उससे पूछताछ की थी । इस साक्षी को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया था । इस साक्षी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन अपने दिए गए कथन को मानने से इनकार कर दिया और इस सुझाव से भी इनकार किया कि वह अभियुक्तों के प्रभाव से वशीभूत थी । जबकि, दोनों साक्षियों ने अपने-अपने एस. टी. डी. बूथों से प्रकट काल्स के बारे में इस महत्वपूर्ण पहलू पर अभियोजन पक्ष का समर्थन करने से इनकार किया, अभियोजन पक्ष यह साबित करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दे पाया है कि मोबाइल नं. 9906212436 अभियुक्त नरेश कुमार के नाम में दर्ज था और उसे मृतक को अन्तरित किया गया था तथा उसे मृतक द्वारा अपनी हत्या के तत्काल पूर्व प्रयोग किया जा रहा था । भारती एयरटेल के अभि. सा. मुनीष बिन्द्रा के परिसाक्ष्य में पहले ही यह उल्लेख किया गया है कि मोबाइल नं. 9906212436 अभियुक्त नरेश कुमार से संबंधित था । तारीख 24 अगस्त, 2005 के पूर्व अभियुक्त नरेश कुमार और मृतक के बीच पूर्वोक्त मोबाइल फोन संख्या को अन्तरित करने के बारे में किसी व्यवहार के सबूत के अभाव पर यह अभिनिर्धारित करना व्यर्थ होगा कि तारीख 24 अगस्त, 2005 को मोबाइल नं. 9906212436 से कोई काल की गई थी जिसे मृतक द्वारा प्राप्त किया गया था । मोबाइल नं. 9906212436 के वास्तविक संचालन के बारे में आरोप पत्र में कुछ भी सुगबुगाहट नहीं है । कैसे और

कब यह फोन नम्बर अभियुक्त नरेश कुमार के नाम में दर्ज होने के बावजूद भी प्रयोग करने के लिए मृतक को कैसे और कब परिदत्त किया गया, इस बात का आरोप पत्र में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है । मृतक और अभियुक्त नरेश कुमार के बीच ऐसी घनिष्टता की निकटता को सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया है कि अभियुक्त नरेश कुमार ने मृतक को उक्त मोबाइल फोन नम्बर को उपभोग करने के लिए अनुज्ञात किया होगा । यद्यपि बाबी शर्मा ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि मकान में लगाए गए लैंडलाइन के पश्चात्, उसे असंबंधित कर दिया गया था, मृतक ने मोबाइल फोन खरीदा था जिससे कि वह नीतू के सम्पर्क में रह सके । उसने उस स्रोत के बारे में नहीं बताया है जहां से उसने मोबाइल फोन खरीदा था । यह ऐसा क्षेत्र है जहां अन्वेषण डगमगा गया है । अभियुक्त नरेश कुमार के नाम में पूर्वोक्त मोबाइल संख्या के रजिस्ट्रेशन के तथ्य को सुनिश्चित करने के बावजूद भारती एयरटेल के काल डाटा रिकार्ड से अभियुक्त नरेश कुमार के नाम में पूर्वोक्त मोबाइल संख्या के रजिस्ट्रेशन के तथ्य को सुनिश्चित करने के बावजूद अन्वेषण अभिकरण ने पूर्वोक्त मोबाइल संख्या के वास्तविक उपभोक्ता के पहलू के सबूत को कम आंका गया है । अन्वेषक अधिकारी शिव कुमार के परिसाक्ष्य में यह प्रकट हुआ है कि मोबाइल नं. 9906212436 का सिम कार्ड करनैल सिंह की कोठी के बगल में खुली जगह से बरामद किया गया था । अभिलेख पर वशीभूत करने वाले साक्ष्य को दृष्टिगत करते हुए कि अभियुक्त नरेश कुमार उस कोठी पर रुका हुआ था और कोठी के निर्माण कार्य की देखरेख करता था । ऐसी बरामदगी के बारे में मृतक और मोबाइल नं. 9906212436 के बीच कोई निकटता का संबंध साबित नहीं किया गया और यह इस मामले में एक बड़ा अन्तराल छोड़ता है और इस विषय पर विरोधाभासों को संज्ञान में नहीं लेते हुए भी ऐसे अन्वेषण को घटिया ठहराया जा सकता है ।

मृतक द्वारा प्राप्त किए गए फोन काल के पहलू पर विचार करते हैं जिसके उत्तर में उससे डोगरा एकेडमी के नजदीक स्थान पर जाने के लिए कहा गया जहां से उसके व्यपहरण किए जाने का भी कथन किया गया था । यह भी देखने में आया है कि मृतक की मकान मालकिन का साक्ष्य अत्यधिक महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि वह काल करने वाले की पहचान नहीं करती है और मृतक द्वारा प्रयुक्त किए गए फोन के ब्यौरे का भी खुलासा नहीं किया है । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि मृतक दो मास और आठ दिन से उसका किराएदार था । मृतक ने फोन से काल प्राप्त की थी जिसके उत्तर में उसने काल करने वाले से मृतक की यह बातचीत सुनी

कि वह डोगरा एकेडमी पर उसका इन्तजार करे और वह वहां पहुंचेगा । यह साक्षी इस बारे में कुछ नहीं कह सकती है कि क्या मृतक वहां गया था क्योंकि वह मंदिर चली गई थी । दो-तीन दिन के पश्चात् ऐसा हुआ कि पुलिस वहां पहुंची और उसने उसे यह सूचित किया कि मृतक की मृत्यु हो चुकी है । पुलिस ने उसके कमरे का निरीक्षण किया परन्तु किसी वस्तु का कोई अभिग्रहण नहीं किया । इस साक्षी ने विनिर्दिष्ट समय और स्थान के बारे में नहीं बताया जब मृतक द्वारा काल प्राप्त की गई थी और काल करने वाले की पहचान नहीं बता पाई और उस फोन का वर्णन जिस पर फोन काल प्राप्त की गई थी, उसके बारे में भी कुछ नहीं बता पाई । उसका परिसाक्ष्य यह सिद्ध करने के लिए अभियोजन पक्ष की कोई मदद नहीं करता कि अभियुक्त नरेश कुमार के फोन काल पर कोई उत्तर मिला था कि मृतक मोबाइल नं. 9906212436 पर काल प्राप्त करने के पश्चात् डोगरा एकेडमी की ओर गया था । अतः इसे साबित किए गए तथ्य के रूप में नहीं ठहराया जा सकता कि मृतक ने उस सुसंगत समय पर मोबाइल नं. 9906212436 को संचालित किया था और अभियुक्त नरेश कुमार से आई हुई फोन काल को उसके द्वारा डोगरा एकेडमी से तत्काल व्यपहरण के पूर्व प्राप्त किया गया ।

मृतक के व्यपहरण की अभिकथित घटना का उल्लेख करते हुए, जैसा कि अभियुक्त नरेश कुमार, सुरेश कुमार और चार अन्य व्यक्ति अर्थात् सोहनलाल **उर्फ** सोनू **उर्फ** खनीद, जीत कुमार **उर्फ** जीता, जयमाल कुमार **उर्फ** जीबू और दलीप सिंह **उर्फ** लक्खी के अभिकथन से यह देखने में आया है कि अभियोजन पक्ष ने अभि. सा. विजय मोहन, बाबी शर्मा और राजेश कुमार (मृतक के भाई), सुरेन्द्र मोहन (मृतक का पिता) और रवि वर्मा, जो डोगरा एकेडमी, जम्मू के नजदीक मृतक की किराए की वास सुविधा के नजदीक दुकानदार के रूप में अपना कारबार चला रहा था, के परिसाक्ष्यों का अवलंब लिया । अभि. सा. विजय मोहन, बाबी शर्मा, राजेश कुमार और सुरेन्द्र मोहन ने यह स्वीकार किया है कि उन्होंने मृतक के व्यपहरण की घटना को नहीं देखा था । उन्होंने रूपेन्द्र शर्मा **उर्फ** रिंकू, जो ग्राम नागरी के नजदीक अपने पैतृक गांव में रहता था, से व्यपहरण के तथ्य के बारे में पता चला और उक्त व्यक्ति आई. आर. पी. जम्मू में कांस्टेबल के पद पर नौकरी करता था । अभि. सा. रूपेन्द्र शर्मा **उर्फ** रिंकू की अभियोजन पक्ष द्वारा विचारण पर परीक्षा नहीं की गई । वह मृतक के व्यपहरण को साबित करने के लिए एक तात्विक साक्षी था और व्यपहरण करने वालों की पहचान को साबित करता । दुर्भाग्यवश, उसे भी छोड़ दिया

गया । अभि. सा. विजय मोहन ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि तारीख 24 अगस्त, 2005 को लगभग 11.30 बजे पूर्वाह्न उसने मोबाइल नं. 9906212436 पर मृतक से टेलीफोन से बातचीत की और मृतक ने उसे बताया कि वह कठुआ पर 8.20 बजे अपराह्न पहुंचेगा और उसे वहां इन्तजार करना चाहिए । उसने यह भी दावा किया कि बाद में उस दिन वह मृतक से सम्पर्क स्थापित नहीं कर सका । उस वक्त 9.30 बजे अपराह्न का समय था कि उसने फोन काल प्राप्त की जिसमें उसे सूचना दी गई कि मृतक को एम्बेसडर कार, जिसका रजिस्ट्रेशन सं. 1117/जे. के. 01 एफ, जिसमें लाल बत्ती लगी हुई थी और पुलिस का चिह्न था, में 5/6 व्यक्ति द्वारा मृतक का व्यपहरण कर लिया गया है । वह अपने मकान में प्रविष्ट हुआ, उसने रविन्द्र **उर्फ** रिंकू पुत्र रमेश चंद, निवासी नागरी पेरोल को अपने माता-पिता से यह कहते हुए सुना कि मृतक का सफेद रंग की एम्बेसडर कार में 5/6 व्यक्तियों द्वारा व्यपहरण कर लिया गया है और उसे किसी अनजान स्थान पर ले जाया गया है । उसके दोनों भाई प्रातः जम्मू के लिए चले और सभी पुलिस थानों पर मृतक को ढूंढा परन्तु उसका कोई पता नहीं चला । तारीख 25 अगस्त, 2005 को यह साक्षी लखनपुर पर अपने कार्यालय पर गया और करनैल सिंह को फोन की घंटी लगाई जिन्होंने मृतक की हत्या के अभियोग के बारे में इनकार किया । तारीख 27 अगस्त, 2005 को उसे ग्रेटर कैलाश की नहर से अज्ञात शव की बरामदगी के बारे में पता चला जिसे सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय शव गृह पर ले जाया गया था । वह वहां गया और उसने मृतक के शव की पहचान की । इस साक्षी ने शनाख्ती ज्ञापन, जिसे प्रदर्श पी. वी. एन. से चिह्नित किया गया है, को भी साबित किया । उसने अपने द्वारा पुलिस थाने पर दर्ज की गई रिपोर्ट जिसे प्रदर्श पी. डब्ल्यू. वी. एम. से चिह्नित किया गया है, को भी साबित किया है । उसकी प्रतिपरीक्षा में यह भी प्रकट हुआ है कि अज्ञात व्यक्ति, जिन्होंने मृतक के व्यपहरण के बारे में उसे टेलीफोन से सूचना दी, उसने अपनी कोई पहचान नहीं बताई और यह बात दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन अभिलिखित उसके कथन में परिलक्षित नहीं होती । इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि अनजान व्यक्ति ने तारीख 24 अगस्त, 2005 की सायं को उसने टेलीफोन से उसे सूचना दी थी । तथापि, उसने इस बात को प्रकट नहीं किया या तारीख 27 अगस्त, 2005 तक पुलिस के समक्ष यह सूचना पड़ी रही । यद्यपि, ऐसे कथन में, जिसे प्रदर्श पी. डब्ल्यू. वी. एम. से चिह्नित किया गया, उसने कार के रजिस्ट्रेशन संख्या को विनिर्दिष्ट नहीं किया है । इस प्रकार इस बारे में न्यायालय में उसके वृत्तान्त में सुधार हुआ है और उसे संदेह के

साथ देखा जाना चाहिए । अभि. सा. बाबी शर्मा ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि तारीख 26 अगस्त, 2005 को रवीन्द्र शर्मा लगभग 9.30 बजे अपराह्न उसके मकान पर पहुंचा और उसने यह बताया कि मृतक को कार सं. 1117 जेके 01 एफ में उसका व्यपहरण किया गया है । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन उसके कथन में विरोधाभास प्रकट हुआ, इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि ऐसे कथन की रवीन्द्र शर्मा **उर्फ** रिंकू से प्रकट सूचना में उल्लेख नहीं किया गया है । अभि. सा. सुरेन्द्र मोहन मृतक का पिता है । उसने यह अभिसाक्ष्य दिया कि तारीख 24 अगस्त, 2005 को मृतक घर पर नहीं पहुंचा । लगभग 9 बजे अपराह्न रिंकू **उर्फ** रवीन्द्र कुमार उसके मकान पर पहुंचा और उसे बताया कि मृतक का व्यपहरण किया गया था और उसे पुलिस कार, जिस पर बीकन लाइट लगी हुई थी, उसमें उसे ले जाया गया था । उसकी प्रतिपरीक्षा में यह प्रकट हुआ है कि तारीख 27 अगस्त, 2005 तक मृतक के व्यपहरण के बारे में पुलिस के समक्ष कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई थी । यह बात पेचीदा प्रकट होती है कि तारीख 24 अगस्त, 2005 को मृतक के व्यपहरण के बारे में पता चलने के बावजूद मृतक के पिता और भाइयों द्वारा तारीख 27 अगस्त, 2005 तक पुलिस के समक्ष कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई । इससे साक्षी के दावे में यह परिलक्षित होता है कि व्यपहरण के बारे में सूचना तारीख 24 अगस्त, 2005 को रवीन्द्र कुमार **उर्फ** रिंकू नामक व्यक्ति द्वारा दी गई । अभि. सा. राजेश कुमार मृतक का भाई है । उसने भी यह कथन किया है कि तारीख 24 अगस्त, 2005 को रवीन्द्र कुमार **उर्फ** रिंकू आई. आर. टी. में कांस्टेबल के पद पर नौकरी कर रहा था, 8.30 बजे अपराह्न उसके मकान पर पहुंचा और उसने यह कथन किया कि एम्बेसडर कार, जिसका रजिस्ट्रेशन सं. जेके 1 एफ 1117 था, उस पर लाल रंग की लाइट लगी हुई थी और जिसका इस्तेमाल 5/6 व्यक्तियों द्वारा मृतक के व्यपहरण में किया गया था । इस साक्षी के अनुसार रिंकू वह पहला व्यक्ति था, जिसने मृतक के व्यपहरण के बारे में समाचार दिया था । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन अभिलिखित उसके कथन में विरोधाभास प्रकट हुआ है, इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसका पुलिस कथन, जो रवीन्द्र कुमार **उर्फ** रिंकू द्वारा तारीख 24 अगस्त, 2005 को दी गई सूचना के आधार पर थी, उसका उल्लेख नहीं किया गया जो मृतक के व्यपहरण के बारे में है । यह स्पष्ट है कि मृतक के पिता और भाइयों ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन अभिलिखित अपने कथनों में सुधार किए हैं । क्या उन्हें यह जानकारी थी कि करनैल सिंह की शासकीय कार तारीख 24 अगस्त, 2005 को मृतक के व्यपहरण के लिए

इस्तेमाल की गई थी, अभि. सा. विजय मोहन के लिए इस बात को रखे रखता और तारीख 27 अगस्त, 2005 को कथन करने का इंतजार करता । जिस कथन को प्रदर्श पी. डब्ल्यू. वी. एम. 1 से चिह्नित किया गया है । जहां तक रवीन्द्र कुमार **उर्फ** रिंकू का संबंध है, उसके पास सूचना का स्रोत रहा था, वह अतिरिक्त तात्विक साक्षी था और जिससे मृतक के पिता और भाइयों ने मृतक के व्यपहरण के बारे में जानकारी प्राप्त होने का दावा किया है और व्यपहरण के लिए अभियुक्त करनैल सिंह की शासकीय कार का इस्तेमाल हुआ था । विचारण न्यायालय के अभिलेख पर कार्रवाइयों के टिप्पण से यह ज्ञात हुआ है कि विद्वान् लोक अभियोजक ने अभि. सा. रवीन्द्र कुमार शर्मा **उर्फ** रिंकू को तारीख 6 जून, 2006 को अभिलिखित उसके कथन को ध्यान में रखते हुए त्याग दिया गया था जिसका आधार यह रहा कि उसे पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया । इस प्रकार, उत्तम साक्ष्य को रोक दिया गया जिस पर अभि. सा. रवि वर्मा ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि वह शास्त्री नगर में अपनी दुकान पर बैठा हुआ था और वह समय लगभग दो बजे अपराह्न का था । उसने सूर्य की रोशनी को रोकने के लिए अपनी दुकान पर लगाई गई छत से अपनी दुकान को ढका हुआ था । उसके बीच में उसने मृतक की आवाज की पहचान की, जो उसके हालचाल पूछ रहा था । लगभग 15 मिनट पश्चात् उसने डोगरा एकेडमी के समीपस्थ चंडी माता के नजदीक शोरगुल सुना था । उसका पड़ोसी दुकानदार जीतराज उसकी दुकान पर पहुंचा और उसने बताया कि किसी लड़के के साथ गुत्थमगुत्था हो रही है और वह उसके साथ वहां पर चला गया । इस साक्षी ने यह कथन किया कि जैसे ही वह दुकान से बाहर आया, उसने देखा कि लोग वहां पर एकत्रित हैं । उसे बताया गया कि मृतक को सफेद रंग की एम्बेसडर कार में ले जाया गया है । इस साक्षी ने यह दावा किया है कि रवीन्द्र शर्मा निवासी नागरी, जो घटना के समय पर कांस्टेबल के पद पर कार्य कर रहा था, को उसने इस बारे में बताया । इस साक्षी को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया था । उसने पुलिस के समक्ष किए गए कथन को अस्वीकार किया है कि उसने कार में मृतक को ले जाते हुए 5/6 व्यक्तियों को देखा था । उसने यह दावा किया कि उसने घटनास्थल पर सफेद रंग की एम्बेसडर कार नहीं देखी थी और वह उन व्यक्तियों के नाम भी नहीं जानता है जिन्होंने मृतक के व्यपहरण के बारे में उसे बताया था । अन्वेषक अधिकारी शिव कुमार, एस. डी. पी. ओ., साउथ ने अपने विचार के दौरान अपने साक्ष्य में यह साबित किया है कि अभि. सा. रवि वर्मा व्यपहरण का एकमात्र साक्षी है और इस साक्षी ने इस बात से मुंह फेर लिया, मृतक के व्यपहरण के पहलू पर अभियोजन

वृत्तान्त न साबित रहा क्योंकि अभि. सा. अमरजीत कौर को घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के रूप में उद्धृत किया गया है और उसने अभियोजन वृत्तान्त को समर्थन देने से इनकार किया है और इसलिए उसे अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया जबकि अन्य दो प्रत्यक्षदर्शी साक्षी सरला कुमारी और विजयलक्ष्मी को इस आधार पर तारीख 12 सितंबर, 2006 को अभिलिखित उनके कथनों के निबंधनों में विद्वान् लोक अभियोजक त्याग दिया गया कि उन्हें अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है । इस प्रकार, विचारण न्यायालय पर अभिलिखित अभियोजन साक्ष्य का पुनर्विलोकन करने पर यह स्थिति साबित होना नहीं पाई गई है ।

15. अभियोजन पक्ष द्वारा अवलंब ली गई चौथी परिस्थिति इस प्रकार है कि अभियुक्त रत्नो देवी ने अभियुक्त द्वारा मृतक को ग्राम लंगर स्थित करनैल सिंह के निर्माणाधीन मकान पर ले जाए जाने और उसे वहां निरुद्ध करने के पश्चात्, अभियुक्त मनीष कुमार को 10,000/- रुपए उसके मांगने पर भेजे थे । अभियोजन पक्ष ने अभियोजन साक्षी सुखचैन सिंह की इस संबंध में परीक्षा कराई है । इस साक्षी ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि अभियुक्त रत्नो देवी ने उसे 10,000/- रुपए इसलिए दिए थे कि वह उस रकम को अभियुक्त नरेश कुमार को इस निर्देश के अनुसार सौंप दे कि वह रकम राज मिस्त्री रशपाल सिंह को दे दे जो कि कोठी के निर्माण कार्य में लगा हुआ था । इस साक्षी को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित नहीं किया गया है । इस कथन से, जिसका खंडन नहीं किया गया है, अभियोजन पक्ष को कोई सहायता नहीं मिलती है । इस परिस्थिति में अपराध में फंसाने वाली ऐसी कोई भी सामग्री नहीं है जिससे अभियुक्त रत्नो देवी की सह-अपराधिता इस संबंध में साबित हो सके कि उसने षड्यंत्र रचने में किसी प्रकार का कोई भाग लिया था और उसने मृतक के अभिकथित हत्यारों को धन का संदाय किया था ।

16. अभियोजन पक्ष द्वारा अवलंब ली गई पांचवीं परिस्थिति यह है कि अभियुक्त ने रात भर प्रतीक्षा की और रात के ही समय वे मृतक को फाउंटेन चौक के निकट ग्रेटर कैलाश ले गए थे जहां मृतक नहर के निकट खाई में स्वयं को बचाने के आशय से कूद गया था किन्तु अभियुक्त ने उसको घूसा मारा, जूते के फीते से उसका गला घोंटा और बेस बाल के बल्ले से उस पर वार किया जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई और उसका शव नहर के निकट दबा दिया गया । अभियोजन पक्ष ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका है जिससे यह परिस्थिति साबित हो सके । अपीलार्थियों के विद्वान् काउंसेल ने दृढ़तापूर्वक यह तर्क दिया है कि यह

बात समझ से बाहर है कि मृतक जिसे अभिकथित रूप से दिनदहाड़े डोगरा एकेडमी के निकट लोगों के बीच से अपहरण कर लिया गया और उसे गुप्त रूप से अभियुक्त करनैल सिंह की लंगर स्थित निर्माणाधीन कोठी में लगभग आठ घंटों के लिए निरुद्ध कर दिया गया, जिसे पुनः ग्रेटर कैलाश जैसे सार्वजनिक स्थान पर ले जाया गया जो कि लंगर स्थित अभियुक्त करनैल सिंह के निर्माणाधीन की कोठी की तुलना में अधिक भीड़-भाड़ वाला क्षेत्र था जबकि अभियुक्त निर्माणाधीन कोठी पर ही मृतक की हत्या कर सकते थे । यह तर्क उस रीति और परिस्थिति के संबंध में अभियोजन वृत्तांत को असंभावी बनाने के लिए दिया गया है जिसमें मृतक की मृत्यु अभिकथित रूप से मानव हस्तक्षेप के कारण कारित हुई है । यद्यपि कोई तर्क कितना भी आकर्षक क्यों न हो उसको अधिक महत्व नहीं दिया जा सकता यदि मामले के पहलू के आधार पर कोई साक्ष्य उपलब्ध न हो और मृतक का शव नहर के निकट फाउंटेन चौक, ग्रेटर कैलाश से बरामद किया गया है । किस प्रकार और किन परिस्थितियों को मृतक को वहां ले जाया गया, इस संबंध में कोई साक्ष्य नहीं है । अतः, अभियोजन वृत्तांत मात्र इस कारण से असंभावी नहीं कहा जा सकता कि मृतक का अपहरण किए जाने के सबूत के आधार पर, अभियुक्त को लंगर स्थित अभियुक्त करनैल सिंह की निर्माणाधीन कोठी पर ही मृतक की हत्या कारित करने का अवसर प्राप्त था ।

17. अभियोजन पक्ष द्वारा अवलंब ली गई छठी परिस्थिति अभियुक्त नरेश कुमार, सोहन लाल, जीत कुमार और दलीप सिंह के अभिकथित प्रकटीकरण कथन हैं । जिसके पश्चात् जंगल में प्रयोग किए जाने वाले मृतक के एक जोड़ी जूते, मोबाइल फोन और ड्राइविंग लाइसेंस, लाल रंग की स्पोर्ट कैप, बेस बाल का बल्ला और एक सिम कार्ड लंगर स्थित अभियुक्त करनैल सिंह की निर्माणाधीन कोठी से बरामद किए गए । अपीलार्थियों के विद्वान् काउंसेल द्वारा यह दलील दी गई है कि अभिकथित प्रकटीकरण कथन साक्ष्य की दृष्टि से ग्राह्य नहीं है और पश्चात्वर्ती बरामदगी असंगत है ; ऐसे प्रकटीकरण कथन और बरामदगी से संबंधित साक्ष्य अत्यंत असंगत और विरोधाभासी है जिससे घोर संदेह होता है ; बरामद की गई वस्तुओं से कोई परिणाम नहीं निकलता है और अभियुक्त को अपराध में फंसाए जाने की दृष्टि से इनका कोई महत्व नहीं है । प्रदर्श पी. डब्ल्यू. एन. के.-1 अभियुक्त नरेश कुमार का प्रकटीकरण कथन है जिसमें उसने मृतक नितिन शर्मा के मोबाइल फोन, ड्राइविंग लाइसेंस और एक जोड़ी जूतों का उल्लेख किया है । अन्वेषण अधिकारी शिव कुमार के

परिसाक्ष्य से यह बात साबित हो गई है । अभियोजन साक्षी नरिन्दर कुमार और बजिन्दर कुमार ने प्रकटीकरण ज्ञापन की अन्तर्वस्तु का समर्थन किया है । अन्वेषण अधिकारी शिव कुमार के अनुसार लंगर स्थित करनैल सिंह की निर्माणाधीन कोठी के प्रथम तल पर स्थित अलमारी से एक मोबाइल फोन बरामद किया गया है और एक जोड़ी जूते बाथरूम से बरामद किए गए हैं और फीते उसी कमरे में रखी टेबल के नीचे से अभियुक्त नरेश कुमार द्वारा बताए जाने पर बरामद किए गए हैं । इस साक्षी ने प्रदर्श पी. डब्ल्यू. एन. के.-2 के रूप में चिह्नांकित बरामदगी ज्ञापन साबित किया है, जिसकी अन्तर्वस्तु का समर्थन अभियोजन साक्षी नरिन्दर कुमार और बजिन्दर कुमार द्वारा किया गया है । नरिन्दर कुमार के अनुसार उक्त कोठी के दरवाजों पर कोई भी ताला लगा नहीं हुआ था । प्रदर्श पी. डब्ल्यू. - वी. एम./5 अभियुक्त जीत कुमार **उर्फ** जीता द्वारा किया गया प्रकटीकरण कथन है जिसमें बेस बाल के बल्ले का उल्लेख किया गया है । अन्वेषण अधिकारी के अतिरिक्त अभियोजन साक्षी विजय मोहन और बाबी शर्मा ने इस प्रकटीकरण कथन की अन्तर्वस्तु का समर्थन किया है । प्रदर्श पी. डब्ल्यू. वी. एम./6 बरामदगी ज्ञापन है जिसमें अभियुक्त जीता द्वारा बताए जाने पर करनैल सिंह की कोठी के एक कमरे से बेस बाल के बल्ले के बरामद होने का उल्लेख किया गया है । प्रदर्श पी. डब्ल्यू. वी. एम./9 अभियुक्त दलीप सिंह **उर्फ** लकी द्वारा दिया गया प्रकटीकरण कथन है जिसमें अभियुक्त के मोबाइल फोन के सिम कार्ड का उल्लेख किया गया है और इस कथन को अन्वेषण अधिकारी द्वारा साबित किया गया है जिसका समर्थन अभियुक्त साक्षी विजय मोहन और बाबी शर्मा द्वारा किया गया है । प्रदर्श पी. डब्ल्यू. वी. एम./10 बरामदगी ज्ञापन है जिसमें अभियुक्त दलीप सिंह **उर्फ** लकी द्वारा बताए जाने पर सिम कार्ड की बरामदगी का उल्लेख किया गया है जो कि करनैल सिंह की कोठी के साथ लगी दिवार के पास से प्राप्त किया गया था । इस कथन के अन्तर्वस्तु का समर्थन अभियोजन साक्षी विजय मोहन और बाबी शर्मा द्वारा किया गया है । प्रदर्श पी. डब्ल्यू. वी. एम./7 अभियुक्त सोहन लाल **उर्फ** खनीद द्वारा दिया गया प्रकटीकरण कथन है जिसमें मृतक की लाल रंग की स्पोर्ट कैप का उल्लेख किया गया है जिसे अन्वेषण अधिकारी द्वारा साबित किया गया है और इसका समर्थन अभियोजन साक्षी विजय मोहन और बाबी शर्मा द्वारा किया गया है । स्पोर्ट कैप अभियुक्त सोहन लाल **उर्फ** खिनीद द्वारा बताई जाने पर अभियुक्त करनैल सिंह की कोठी के बाथरूम से प्रदर्श पी. डब्ल्यू. सी. एम./8 के निबंधनों में बरामद किया गया है और अभियोजन साक्षी

विजय मोहन तथा बाबी शर्मा ने इसका समर्थन किया है । यह सुस्थापित है कि पुलिस अभिरक्षा में चल रहे किसी अपराध के अभियुक्त से प्राप्त ऐसी सूचना साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन स्वीकार्य है जो एतद्द्वारा प्रकट होती है और उसे अभियुक्त के विरुद्ध साबित किया जा सकता है । तथापि, पुलिस अधिकारी के समक्ष दिया गया कोई भी कथन जो प्रकट किए गए तथ्य का संबंध आरोपित अपराध से बनाता है, स्वीकार्य नहीं है । तथ्य सुसंगत तथ्य होना चाहिए और अपराध के अभियुक्त से प्राप्त सूचना के अनुसरण में ही प्रकट होना चाहिए । यह ऐसी सूचना होनी चाहिए जिससे वास्तव में कोई तथ्य सामने होता है और जिसका अन्यथा प्राप्त होना कठिन हो । वर्तमान मामले में, बरामद की गई वस्तुएं लंगर स्थित अभियुक्त करनैल सिंह के निर्माणाधीन मकान के कमरों में से प्राप्त की गई हैं और उसके पीछे की ओर खुले स्थान से भी बरामद की गई हैं । लंगर स्थित अभियुक्त करनैल सिंह का निर्माणाधीन मकान पर ताला लगा हुआ नहीं था जब वहां से वस्तुएं बरामद की गईं थीं । इस प्रकार, उस मकान में प्रवेश करने में कोई रोक नहीं थी और उसमें यह सब वस्तुएं लाकर डाली जा सकती थीं । इसके अतिरिक्त, यह कथन किया गया है कि ये वस्तुएं या तो अलमारी में पड़ी हुई थीं, बाथरूम में, टेबल के नीचे या उस मकान के साथ दीवार के निकट खुले स्थान पर पड़ी हुई थीं जिन्हें प्राप्त करना अन्वेषण के दौरान बिना किसी प्रकटीकरण कथन के भी कठिन नहीं था । यह कोई ऐसा स्थान नहीं था जो छुपा हुआ हो और जिसकी एकमात्र जानकारी केवल अभियुक्त को ही हो । अपराध से संबंधित वस्तुओं की बरामदगी का स्थान ऐसा छुपा हुआ स्थान होना चाहिए जिसका पता लगाना पुलिस के लिए अभियुक्त की सहायता के बिना कठिन या असंभव हो । इस बात को दृष्टिगत करते हुए कि अभिगृहीत वस्तुओं की बरामदगी लंगर स्थित करनैल सिंह के बिना ताला लगे मकान से की गई बताई गई हैं, सुसंगत नहीं है और इसका कोई भी **प्रोबेटिव** महत्व नहीं है । इस प्रकार साक्ष्य की दृष्टि से इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता । ऐसे सबूत के आधार पर अभियुक्त को मृतक की हत्या के अपराध से संबद्ध नहीं किया जा सकता ।

18. अभियोजन पक्ष द्वारा अवलंब ली गई 17वीं परिस्थिति इस प्रकार है कि अभियुक्त करनैल सिंह के सरकारी वाहन के रजिस्ट्रेशन नम्बर को घटना के पश्चात् जे. के. 01 एफ - 1117 से बदलकर जे. के. 01 ई - 4117 किया गया है । अभियोजन साक्षी राजकुमार जो कि पुलिस कांस्टेबल है और अभियुक्त करनैल सिंह के सरकारी आवास पर गार्ड के

रूप में तैनात था, इस संबंध में साक्ष्य दिया है कि रत्नो देवी और नीतू देवी सरकारी एम्बेसडर कार रजिस्ट्रेशन नम्बर जेके 01 एफ - 1117 से राजौरी गए थे जिसे अभियुक्त सुरेश कुमार चला रहा था और जब वे अभियुक्त करनैल सिंह के साथ वापस आए तब उस वाहन का रजिस्ट्रेशन नम्बर जे. के. 01 ई 4117 किया हुआ था । इस वृत्तांत का समर्थन सुरेश राज (गार्ड कमांडर) और सुभाष चन्दर (कांस्टेबल) तथा विक्रमजीत सिंह (कांस्टेबल) द्वारा नहीं किया गया है । अन्यथा भी, इस साक्षी के परिसाक्ष्य से रत्नो देवी और नीतू देवी के विरुद्ध साक्ष्य प्रकट नहीं होता है जिनके संबंध में यह बताया गया है कि वे तारीख 27 अगस्त, 2005 को करनैल सिंह के सरकारी वाहन द्वारा राजौरी के लिए रवाना हुई थी और वे करनैल सिंह के साथ तारीख 2 सितम्बर, 2005 को वापस आई थी । प्रदर्श पी. ए. एस. के अनुसार मृतक का शव ग्रेटर कैलाश की नहर से तारीख 26 अगस्त, 2005 को बरामद किया गया था और इस शव की शनाख्त तारीख 27 अगस्त, 2005 को उसके भाई विजय मोहन द्वारा की गई थी । अन्वेषण अधिकारी शिव कुमार चौहान के परिसाक्ष्य से यह सिद्ध होता है कि एम्बेसडर कार जिसकी नम्बर प्लेट बदली गई थी, तारीख 2 सितम्बर, 2005 को मूल रजिस्ट्रेशन नम्बर जेके 01 एफ - 1117 के साथ प्रदर्श पी. 51 के अनुसार अभियुक्त करनैल सिंह के सरकारी आवास से अभिगृहीत की गई और इस कार्य के मूल रजिस्ट्रेशन नम्बर को काला टेप चिपकाकर जेके 01 ई - 4117 किया हुआ था । पुलिस उपनिरीक्षक बसंती भट्ट (अभियोजन साक्षी) और पुलिस निरीक्षक कामेश शूर ने उपरोक्त एम्बेसडर कार के संबंध में तैयार किए गए अभिग्रहण ज्ञापन का समर्थन किया है । अन्वेषण अधिकारी ने अपनी लॉग बुक तथा तारीख 5 सितम्बर, 2005 को अभिगृहीत किए गए पश्चात्वर्ती दस्तावेजों को भी साबित किया है । यह कार्यवाही संभवतः घटना के पश्चात् की गई है और जब तक कि मृतक के अपहरण किए जाने में इस कार का प्रयोग रजिस्ट्रेशन नम्बर बदलकर अभियुक्तों को बचाने के आशय से किया जाना साबित न हो जाए और रजिस्ट्रेशन नम्बर में की गई हेरफेर अभियुक्तों के विरुद्ध साबित न हो जाए तब तक ऐसे साक्ष्य को अपराध में फंसाने वाली परिस्थिति नहीं कहा जा सकता । दुर्भाग्यवश, इस संबंध में अभिलेख से ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है । अभियुक्त करनैल सिंह के सरकारी आवास से छेड़छाड़ की गई नम्बर प्लेट वाली एम्बेसडर कार की बरामदगी से, निस्संदेह अभियुक्त की सह-अपराधिता अभिकथित अपराध में साबित होती है । किन्तु ऐसे संदेह को विधिक सबूत नहीं माना जा सकता ।

19. अभियोजन पक्ष द्वारा अवलंब ली गई 18वीं परिस्थिति यह है कि तारीख 24 अगस्त, 2005 को घटित हुई घटना के पश्चात् अभियुक्त करनैल सिंह घटना के पश्चात् फरार हो गया था । तत्कालीन भारसाधक पुलिस उप महानिरीक्षक श्री सुलेमान सलारिया, सशस्त्र ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि तारीख 29 अगस्त, 2005 को करनैल सिंह ने उच्च अधिकारी को वायरलेस द्वारा संदेश भेजा था और यद्यपि उसने अपने कार्यालय को तारीख 29 अगस्त, 2005 को तथा 2 सितम्बर, 2005 के बीच रिपोर्ट नहीं भेजी थी किन्तु फिर भी वह उनके समक्ष प्रस्तुत हुआ था । यह अभिनिर्धारित करने के लिए कोई भी साक्ष्य नहीं है कि करनैल सिंह तारीख 28 अगस्त, 2005 तक अपने कार्यालय में ड्यूटी पर था । इस प्रकार यह परिस्थिति साबित नहीं की गई है । अभियोजन पक्ष द्वारा विचारण के दौरान प्रस्तुत किए गए साक्ष्य का मूल्यांकन करने पर हमारी सुविचारित राय है कि वे परिस्थितियां जिनसे दोषी होने का निष्कर्ष निकलता है अभियुक्त के विरुद्ध पूर्ण रूप से सिद्ध नहीं की गई है । प्रस्तुत किए गए पारिस्थिति साक्ष्य से जो तथ्य सामने आते हैं उनसे इस निष्कर्ष को न्यायोचित ठहराने के लिए साक्ष्य की शृंखला पूर्ण नहीं हो पाती है कि मृतक की हत्या मृतक से छुटकारा पाने के लिए अभियुक्त द्वारा आपराधिक षड्यंत्र के अनुसरण में की गई है । मृतक का अभिकथित अपहरण अभियुक्त नरेश कुमार, सोहन लाल, जीत कुमार, जमाइल कुमार, दलीप सिंह और सुरेश कुमार द्वारा किए जाने से संबंधित विधिक सबूतों का पूर्णतः अभाव है । विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध अभिलिखित दोषसिद्धि का निष्कर्ष अनुचित है और इसका समर्थन नहीं किया जा सकता । यह भी दुर्भाग्य की बात है कि अन्वेषण अधिकारियों ने अभिकथित अपराधियों और आहत के बीच हुई बातचीत से संबंधित महत्वपूर्ण पहलू को अनदेखा किया है । यदि अन्वेषण अधिकारियों ने इस तथ्य पर ध्यान दिया होता कि मोबाइल नं. 9906212436 अभियुक्त नरेश कुमार के नाम में रजिस्ट्रीकृत था और अभियुक्त नरेश कुमार से मृतक द्वारा खरीदे जाने से संबंधित साक्ष्य के अभाव में और सुसंगत समय पर अन्य किसी माध्यम से उसके पास यह मोबाइल सेट होने से मृतक का वृत्तांत इस संबंध में अवश्यंभावी नहीं होता कि उससे (मृतक) उक्त मोबाइल नम्बर पर बात की गई थी । यह एक ढीले अन्वेषण का मामला है और अभियुक्त अन्वेषण में कमियां किए जाने के कारण दांडिक कार्यवाहियों से बच गए हैं । अन्वेषण अभिक्रम ने त्रुटि की है और अन्वेषण में की गई इस त्रुटि से अन्याय हुआ है । अन्वेषण अधिकारियों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए । हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि विचारण के दौरान अभिलेख पर प्रस्तुत किया गया

साक्ष्य मृतक के हत्या के मामले में अभियुक्तों को अपराध से जोड़ने के लिए संदिग्ध हो जाता है । तथापि, संदेह कितना भी प्रबल क्यों न हो, विधिक सबूत का स्थान नहीं ले सकता ।

21. परिणाम यह है कि दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय और आदेश कायम नहीं रखे जा सकते । तद्नुसार इन्हें अपास्त किया जाता है और विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित की गई अभियुक्तों की दोषसिद्धि उलटी जाती है । अपीलें मंजूर की जाती हैं और इसके अनुक्रम में आजीवन कारावास के दंड की पुष्टि के लिए विचारण न्यायालय द्वारा फाइल किए गए निर्देश को खारिज किया जाता है । अभियुक्तों को, यदि वे अन्य किसी मामले में वांछित नहीं हैं, तत्काल छोड़ा जाए । इन अपीलों के परिणाम और दांडिक निर्देश के निष्कर्ष को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 425 के उपबंधों के निबंधनों में विचारण न्यायालय के समक्ष प्रमाणित किया जाए । केन्द्रीय कारागार, कोर्ट बलबल, जम्मू के अधीक्षक को इस निर्णय के बारे में सूचित किया जाए ।

अपीलें मंजूर की गईं ।

आर्य

गतांक से आगे.........

अध्याय 12

पुलिस को इत्तिला और उनकी अन्वेषण करने की शक्तियां

154. संज्ञेय मामलों में इत्तिला – (1) संज्ञेय अपराध के किए जाने से संबंधित प्रत्येक इत्तिला, यदि पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को मौखिक दी गई है तो उसके द्वारा या उसके निदेशाधीन लेखबद्ध कर ली जाएगी और इत्तिला देने वाले को पढ़कर सुनाई जाएगी और प्रत्येक ऐसी इत्तिला पर, चाहे वह लिखित रूप में दी गई हो या पूर्वोक्त रूप में लेखबद्ध की गई हो, उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे जो उसे दे और उसका सार ऐसी पुस्तक में, जो उस अधिकारी द्वारा ऐसे रूप में रखी जाएगी जिसे राज्य सरकार इस निमित्त विहित करे, प्रविष्ट किया जाएगा :

[1][परंतु यदि किसी स्त्री द्वारा, जिसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 354, धारा 354क, धारा 354ख, धारा 354ग, धारा 354घ, धारा 376, धारा 376क, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ, धारा 376ङ या धारा 509 के अधीन किसी अपराध के किए जाने या किए जाने का प्रयत्न किए जाने का अधिकथन किया गया है, कोई इत्तिला दी जाती है तो ऐसी इत्तिला किसी महिला पुलिस अधिकारी या किसी महिला अधिकारी द्वारा अभिलिखित की जाएगी :

परंतु यह और कि –

(क) यदि वह व्यक्ति, जिसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 354, धारा 354क, धारा 354ख, धारा 354ग, धारा 354घ, धारा 376, धारा 376क, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ, धारा 376ङ या धारा 509 के अधीन किसी अपराध के किए जाने का या किए जाने का प्रयत्न किए जाने का अभिकथन किया गया है, अस्थायी या स्थायी रूप से मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त है, तो ऐसी इत्तिला किसी पुलिस अधिकारी द्वारा उस व्यक्ति के, जो ऐसे अपराध की रिपोर्ट करने की ईप्सा करता है, निवास-स्थान पर या उस व्यक्ति के विकल्प के किसी सुगम स्थान पर, यथास्थिति, किसी

---

[1] 2013 के अधिनियम सं. 13 की धारा 13 द्वारा अंतःस्थापित ।

द्विभाषिए या किसी विशेष प्रबोधक की उपस्थिति में अभिलिखित की जाएगी ;

(ख) ऐसी इत्तिला के अभिलेखन की वीडियो फिल्म तैयार की जाएगी ;

(ग) पुलिस अधिकारी धारा 164 की उपधारा (5क) के खंड (क) के अधीन किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उस व्यक्ति का कथन यथासंभवशीघ्र अभिलिखित कराएगा ।]

(2) उपधारा (1) के अधीन अभिलिखित इत्तिला की प्रतिलिपि, इत्तिला देने वाले को तत्काल नि:शुल्क दी जाएगी ।

(3) कोई व्यक्ति जो किसी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के उपधारा (1) में निर्दिष्ट इत्तिला को अभिलिखित करने से इनकार करने से व्यथित है, ऐसी इत्तिला का सार लिखित रूप में और डाक द्वारा संबद्ध पुलिस अधीक्षक को भेज सकता है जो, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसी इत्तिला से किसी संज्ञेय अपराध का किया जाना प्रकट होता है तो, या तो स्वयं मामले का अन्वेषण करेगा या अपने अधीनस्थ किसी पुलिस अधिकारी द्वारा इस संहिता द्वारा उपबंधित रीति में अन्वेषण किए जाने का निदेश देगा और उस अधिकारी को उस अपराध के संबंध में पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी की सभी शक्तियां होंगी ।

155. असंज्ञेय मामलों के बारे में इत्तिला और ऐसे मामलों का अन्वेषण – (1) जब पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को उस थाने की सीमाओं के अंदर असंज्ञेय अपराध के किए जाने की इत्तिला दी जाती है तब वह ऐसी इत्तिला का सार, ऐसी पुस्तक में, जो ऐसे अधिकारी द्वारा ऐसे प्ररूप में रखी जाएगी जो राज्य सरकार इस निमित्त विहित करे, प्रविष्ट करेगा या प्रविष्ट कराएगा और इत्तिला देने वाले को मजिस्ट्रेट के पास जाने को निर्देशित करेगा ।

(2) कोई पुलिस अधिकारी किसी असंज्ञेय मामले का अन्वेषण ऐसे मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना नहीं करेगा जिसे ऐसे मामले का विचारण करने की या मामले को विचारणार्थ सुपुर्द करने की शक्ति है ।

(3) कोई पुलिस अधिकारी ऐसा आदेश मिलने पर (वारंट के बिना गिरफ्तारी करने की शक्ति के सिवाय) अन्वेषण के बारे में वैसी ही शक्तियों

का प्रयोग कर सकता है जैसी पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी संज्ञेय मामले में कर सकता है ।

(4) जहां मामले का संबंध ऐसे दो या अधिक अपराधों से है, जिनमें से कम से कम एक संज्ञेय है, वहां इस बात के होते हुए भी कि अन्य अपराध असंज्ञेय हैं, यह मामला संज्ञेय मामला समझा जाएगा ।

156. संज्ञेय मामलों का अन्वेषण करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति – (1) कोई पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी ऐसे संज्ञेय मामले का अन्वेषण कर सकता है, जिसकी जांच या विचारण करने की शक्ति उस थाने की सीमाओं के अंदर के स्थानीय क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले न्यायालय को अध्याय 13 के उपबंधों के अधीन है ।

(2) ऐसे किसी मामले में पुलिस अधिकारी की किसी कार्यवाही को किसी भी प्रक्रम में इस आधार पर प्रश्नगत न किया जाएगा कि वह मामला ऐसा था जिसमें ऐसा अधिकारी इस धारा के अधीन अन्वेषण करने के लिए सशक्त न था ।

(3) धारा 190 के अधीन सशक्त किया गया कोई मजिस्ट्रेट पूर्वोक्त प्रकार के अन्वेषण का आदेश कर सकता है ।

157. अन्वेषण के लिए प्रक्रिया – (1) यदि पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को, इत्तिला प्राप्त होने पर या अन्यथा, यह संदेह करने का कारण है कि ऐसा अपराध किया गया है जिसका अन्वेषण करने के लिए धारा 156 के अधीन वह सशक्त है तो वह उस अपराध की रिपोर्ट उस मजिस्ट्रेट को तत्काल भेजेगा जो ऐसे अपराध का पुलिस रिपोर्ट पर संज्ञान करने के लिए सशक्त है और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों का अन्वेषण करने के लिए, और यदि आवश्यक हो तो अपराधी का पता चलाने और उसकी गिरफ्तारी के उपाय करने के लिए, उस स्थान पर या तो स्वयं जाएगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों में से एक को भेजेगा जो ऐसी पंक्ति से निम्नतर पंक्ति का न होगा जिसे राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त विहित करे :

परंतु –

(क) जब ऐसे अपराध के किए जाने की कोई इत्तिला किसी

व्यक्ति के विरुद्ध उसका नाम देकर की गई है और मामला गंभीर प्रकार का नहीं है तब यह आवश्यक न होगा कि पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी उस स्थान पर अन्वेषण करने के लिए स्वयं जाए या अधीनस्थ अधिकारी को भेजे ;

(ख) यदि पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि अन्वेषण करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है तो वह उस मामले का अन्वेषण न करेगा ।

[1][परंतु यह और कि बलात्संग के अपराध के संबंध में, पीड़ित का कथन, पीड़ित के निवास पर या उसकी पसंद के स्थान पर और यथासाध्य, किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा उसके माता-पिता या संरक्षक या नजदीकी नातेदार या परिक्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता की उपस्थिति में अभिलिखित किया जाएगा ।]

(2) उपधारा (1) के परंतुक के खंड (क) और (ख) में वर्णित दशाओं में से प्रत्येक दशा में पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी अपनी रिपोर्ट में उस उपधारा की अपेक्षाओं का पूर्णतया अनुपालन न करने के अपने कारणों का कथन करेगा और उक्त परंतुक के खंड (ख) में वर्णित दशा में ऐसा अधिकारी इत्तिला देने वाले को, यदि कोई हो, ऐसी रीति से, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए तत्काल इस बात की सूचना दे देगा कि वह उस मामले में अन्वेषण न तो करेगा और न कराएगा ।

158. रिपोर्टें कैसे दी जाएंगी – (1) धारा 157 के अधीन मजिस्ट्रेट को भेजी जाने वाली प्रत्येक रिपोर्ट, यदि राज्य सरकार ऐसा निदेश देती है, तो पुलिस के ऐसे वरिष्ठ अधिकारी के माध्यम से दी जाएगी, जिसे राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त नियत करे ।

(2) ऐसा वरिष्ठ अधिकारी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को ऐसे अनुदेश दे सकता है जो वह ठीक समझे और उस रिपोर्ट पर उन अनुदेशों को अभिलिखित करने के पश्चात् उसे अविलंब मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा ।

159. अन्वेषण या प्रारंभिक जांच करने की शक्ति – ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने पर अन्वेषण के लिए आदेश दे सकता है, या यदि

---

[1] 2009 के अधिनियम सं. 5 की धारा 11 द्वारा अंतःस्थापित ।

वह ठीक समझे तो वह इस संहिता में उपबंधित रीति से मामले की प्रारंभिक जांच करने के लिए या उसको अन्यथा निपटाने के लिए तुरंत कार्यवाही कर सकता है, या अपने अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट को कार्यवाही करने के लिए प्रतिनियुक्त कर सकता है ।

160. साक्षियों की हाजिरी की अपेक्षा करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति – (1) कोई पुलिस अधिकारी, जो इस अध्याय के अधीन अन्वेषण कर रहा है, अपने थाने की या किसी पास के थाने की सीमाओं के अंदर विद्यमान किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसकी दी गई इत्तिला से या अन्यथा उस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित होना प्रतीत होता है, अपने समक्ष हाजिर होने की अपेक्षा लिखित आदेश द्वारा कर सकता है और वह व्यक्ति अपेक्षानुसार हाजिर होगा :

परंतु किसी पुरुष से [1][जो पंद्रह वर्ष से कम आयु का या पैंसठ वर्ष से अधिक आयु का है या किसी स्त्री से, या किसी मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त व्यक्ति से] ऐसे स्थान से जिसमें ऐसा पुरुष या स्त्री निवास करती है, भिन्न किसी स्थान पर हाजिर होने की अपेक्षा नहीं की जाएगी ।

(2) अपने निवास-स्थान से भिन्न किसी स्थान पर उपधारा (1) के अधीन हाजिर होने के लिए प्रत्येक व्यक्ति के उचित खर्चों का पुलिस अधिकारी द्वारा संदाय कराने के लिए राज्य सरकार इस निमित्त बनाए गए नियमों द्वारा उपबंध कर सकती है ।

161. पुलिस द्वारा साक्षियों की परीक्षा – (1) कोई पुलिस अधिकारी, जो इस अध्याय के अधीन अन्वेषण कर रहा है या ऐसे अधिकारी की अपेक्षा पर कार्य करने वाला पुलिस अधिकारी, जो ऐसी पंक्ति से निम्नतर पंक्ति का नहीं है जिसे राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त विहित करे, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित समझे जाने वाले किसी व्यक्ति की मौखिक परीक्षा कर सकता है ।

(2) ऐसा व्यक्ति उन प्रश्नों के सिवाय, जिनके उत्तरों की प्रवृत्ति उसे आपराधिक आरोप या शास्ति या समपहरण की आशंका में डालने की है, ऐसे मामले से संबंधित उन सब प्रश्नों का सही-सही उत्तर देने के लिए आबद्ध होगा जो ऐसा अधिकारी उससे पूछता है ।

---

[1] 2013 के अधिनियम सं. 13 की धारा 14 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(3) पुलिस अधिकारी इस धारा के अधीन परीक्षा के दौरान उसके समक्ष किए गए किसी भी कथन को लेखबद्ध कर सकता है और यदि वह ऐसा करता है, तो वह प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के कथन का पृथक् और सही अभिलेख बनाएगा, जिसका कथन वह अभिलिखित करता है ।

[1][परंतु इस उपधारा के अधीन किया गया कथन श्रव्य-दृश्य इलैक्ट्रानिक साधनों द्वारा भी अभिलिखित किया जा सकेगा ।]

[2][परंतु यह और कि किसी ऐसी स्त्री का कथन, जिसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 354, धारा 354क, धारा 354ख, धारा 354ग, धारा 354घ, धारा 376, धारा 376क, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ, धारा 376ङ या धारा 509 के अधीन किसी अपराध के किए जाने का या किए जाने का प्रयत्न किए जाने का अधिकथन किया गया है, किसी महिला पुलिस अधिकारी या किसी महिला अधिकारी द्वारा अभिलिखित किया जाएगा ।]

162. पुलिस से किए गए कथनों का हस्ताक्षरित न किया जाना ; कथनों का साक्ष्य में उपयोग – (1) किसी व्यक्ति द्वारा किसी पुलिस अधिकारी से इस अध्याय के अधीन अन्वेषण के दौरान किया गया कोई कथन, यदि लेखबद्ध किया जाता है तो कथन करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया जाएगा, और न ऐसा कोई कथन या उसका कोई अभिलेख चाहे वह पुलिस, डायरी में हो या न हो, और न ऐसे कथन या अभिलेख का कोई भाग ऐसे किसी अपराध की, जो ऐसा कथन किए जाने के समय अन्वेषणाधीन था, किसी जांच या विचारण में, इसमें इसके पश्चात् यथाउपबंधित के सिवाय, किसी भी प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जाएगा :

परंतु जब कोई ऐसा साक्षी, जिसका कथन उपर्युक्त रूप में लेखबद्ध कर लिया गया है, ऐसी जांच या विचारण में अभियोजन की ओर से बुलाया जाता है तब यदि उसके कथन का कोई भाग, सम्यक् रूप से साबित कर दिया गया है तो, अभियुक्त द्वारा और न्यायालय की अनुज्ञा से अभियोजन द्वारा उसका उपयोग ऐसे साक्षी का खंडन करने के लिए

---

[1] 2009 के अधिनियम सं. 5 की धारा 12 द्वारा अंतःस्थापित ।

[2] 2013 के अधिनियम सं. 13 की धारा 15 द्वारा अंतःस्थापित ।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) की धारा 145 द्वारा उपबंधित रीति से किया जा सकता है और जब ऐसे कथन का कोई भाग इस प्रकार उपयोग में लाया जाता है तब उसका कोई भाग ऐसे साक्षी की पुनःपरीक्षा में भी, किंतु उसकी प्रतिपरीक्षा में निर्दिष्ट किसी बात का स्पष्टीकरण करने के प्रयोजन से ही, उपयोग में लाया जा सकता है ।

(2) इस धारा की किसी बात के बारे में यह न समझा जाएगा कि वह भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) की धारा 32 के खंड (1) के उपबंधों के अंदर आने वाले किसी कथन को लागू होती है या उस अधिनियम की धारा 27 के उपबंधों पर प्रभाव डालती है ।

स्पष्टीकरण – उपधारा (1) में निर्दिष्ट कथन में किसी तथ्य या परिस्थिति के कथन का लोप या खंडन हो सकता है यदि वह उस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए, जिसमें ऐसा लोप किया गया है महत्वपूर्ण और अन्यथा संगत प्रतीत होता है और कोई लोप किसी विशिष्ट संदर्भ में खंडन है या नहीं यह तथ्य का प्रश्न होगा ।

163. कोई उत्प्रेरणा न दिया जाना – (1) कोई पुलिस अधिकारी या प्राधिकार वाला अन्य व्यक्ति भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) की धारा 24 में यथावर्णित कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन न तो देगा और न करेगा तथा न दिलवाएगा और न करवाएगा ।

(2) किंतु कोई पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति इस अध्याय के अधीन किसी अन्वेषण के दौरान किसी व्यक्ति को कोई कथन करने से, जो वह अपनी स्वतंत्र इच्छा से करना चाहे, किसी चेतावनी द्वारा या अन्यथा निवारित न करेगा :

परंतु इस धारा की कोई बात धारा 164 की उपधारा (4) के उपबंधों पर प्रभाव न डालेगी ।

164. संस्वीकृतियों और कथनों को अभिलिखित करना – (1) कोई महानगर मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट, चाहे उसे मामले में अधिकारिता हो या न हो, इस अध्याय के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी अन्वेषण के दौरान या तत्पश्चात् जांच या विचारण प्रारंभ होने के पूर्व किसी समय अपने से की गई किसी संस्वीकृति या कथन को अभिलिखित कर सकता है :

[1][परंतु इस उपधारा के अधीन की गई कोई संस्वीकृति या कथन अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के अधिवक्ता की उपस्थिति में श्रव्य-दृश्य इलैक्ट्रानिक साधनों द्वारा भी अभिलिखित किया जा सकेगा :

परंतु यह और कि किसी पुलिस अधिकारी द्वारा, जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन मजिस्ट्रेट की कोई शक्ति प्रदत्त की गई है, कोई संस्वीकृति अभिलिखित नहीं की जाएगी ।]

(2) मजिस्ट्रेट किसी ऐसी संस्वीकृति को अभिलिखित करने के पूर्व उस व्यक्ति को, जो संस्वीकृति कर रहा है, यह समझाएगा कि वह ऐसी संस्वीकृति करने के लिए आबद्ध नहीं है और यदि वह उसे करेगा तो वह उसके विरुद्ध साक्ष्य में उपयोग में लाई जा सकती है ; और मजिस्ट्रेट कोई ऐसी संस्वीकृति तब तक अभिलिखित न करेगा जब तक उसे करने वाले व्यक्ति से प्रश्न करने पर उसको यह विश्वास करने का कारण न हो कि वह स्वेच्छा से की जा रही है ।

(3) संस्वीकृति अभिलिखित किए जाने से पूर्व यदि मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होने वाला व्यक्ति यह कथन करता है कि वह संस्वीकृति करने के लिए इच्छुक नहीं है तो मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति के पुलिस की अभिरक्षा में निरोध को प्राधिकृत नहीं करेगा ।

(4) ऐसी संस्वीकृति किसी अभियुक्त व्यक्ति की परीक्षा को अभिलिखित करने के लिए धारा 281 में उपबंधित रीति से अभिलिखित की जाएगी और संस्वीकृति करने वाले व्यक्ति द्वारा उस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे ; और मजिस्ट्रेट ऐसे अभिलेख के नीचे निम्नलिखित भाव का एक ज्ञापन लिखेगा :–

"मैंने – **(नाम)** – को यह समझा दिया है कि वह संस्वीकृति करने के लिए आबद्ध नहीं है और यदि वह ऐसा करता है तो कोई संस्वीकृति, जो वह करेगा, उसके विरुद्ध साक्ष्य भी उपयोग में लाई जा सकती है और मुझे विश्वास है कि यह संस्वीकृति स्वेच्छा से की गई है । यह मेरी उपस्थिति में और मेरे सुनते हुए लिखी गई है और जिस व्यक्ति ने यह संस्वीकृति की है उसे यह पढ़कर सुना दी गई है और उसने उसका सही

---

[1] 2009 के अधिनियम सं. 5 की धारा 13 द्वारा परंतुक के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

होना स्वीकार किया है और उसके द्वारा किए गए कथन का पूरा और सही वृत्तांत इसमें है ।

(हस्ताक्षर क. ख.
मजिस्ट्रेट)"

(5) उपधारा (1) के अधीन किया गया (संस्वीकृति से भिन्न) कोई कथन साक्ष्य अभिलिखित करने के लिए इसमें इसके पश्चात् उपबंधित ऐसी रीति से अभिलिखित किया जाएगा जो मजिस्ट्रेट की राय में, मामले की परिस्थितियों में सर्वाधिक उपयुक्त हो ; तथा मजिस्ट्रेट को उस व्यक्ति को शपथ दिलाने की शक्ति होगी जिसका कथन इस प्रकार अभिलिखित किया जाता है ।

[1][(5क) (क) भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 354, धारा 354क, धारा 354ख, धारा 354ग, धारा 354घ, धारा 376 की उपधारा (1) या उपधारा (2), धारा 376क, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ, धारा 376ङ या धारा 509 के अधीन दंडनीय मामलों में न्यायिक मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति का, जिसके विरुद्ध उपधारा (5) में विहित रीति में ऐसा अपराध किया गया है, कथन जैसे ही अपराध का किया जाना पुलिस की जानकारी में लाया जाता है, अभिलिखित करेगा :

परंतु यदि कथन करने वाला व्यक्ति अस्थायी या स्थायी रूप से मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त है, तो मजिस्ट्रेट कथन अभिलिखित करने में किसी द्विभाषिए या विशेष प्रबोधक की सहायता लेगा :

परंतु यह है और कि यदि कथन करने वाला व्यक्ति अस्थायी रूप से मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त है, तो किसी द्विभाषिए या विशेष प्रबोधक की सहायता से उस व्यक्ति द्वारा किए गए कथन की वीडियो फिल्म तैयार की जाएगी ;

(ख) ऐसे किसी व्यक्ति के, जो अस्थायी या स्थायी रूप से मानसिक या शारीरिक रूप से निशःक्त है, खंड (क) के अधीन अभिलिखित कथन को भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) की धारा 137 में यथाविनिर्दिष्ट मुख्य परीक्षा के स्थान पर एक कथन समझा जाएगा और

---

[1] 2013 के अधिनियम सं. 13 की धारा 16 द्वारा अंतःस्थापित ।

ऐसा कथन करने वालों की, विचारण के समय उसको अभिलिखित करने की आवश्यकता के बिना, ऐसे कथन पर प्रतिपरीक्षा की जा सकेगी ।]

(6) इस धारा के अधीन किसी संस्वीकृति या कथन को अभिलिखित करने वाला मजिस्ट्रेट, उसे उस मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा जिसके द्वारा मामले की जांच या विचारण किया जाना है ।

[1][**164क. बलात्संग के पीड़ित व्यक्ति की चिकित्सीय परीक्षा** – (1) जहां, ऐसे प्रक्रम के दौरान जब बलात्संग या बलात्संग करने का प्रयत्न करने के अपराध का अन्वेषण किया जा रहा है उस स्त्री के शरीर की, जिसके साथ बलात्संग किया जाना या करने का प्रयत्न करना अभिकथित है, किसी चिकित्सा विशेषज्ञ से परीक्षा कराना प्रस्थापित है वहां ऐसी परीक्षा, सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा चलाए जा रहे किसी अस्पताल में नियोजित रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा-व्यवसायी द्वारा, और ऐसे व्यवसायी की अनुपस्थिति में किसी अन्य रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा-व्यवसायी द्वारा, ऐसी स्त्री की सहमति से या उसकी ओर से ऐसी सहमति देने के लिए सक्षम व्यक्ति की सहमति से की जाएगी और ऐसी स्त्री को, ऐसा अपराध किए जाने से संबंधित इत्तिला प्राप्त होने के समय से चौबीस घंटे के भीतर ऐसे रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा-व्यवसायी के पास भेजा जाएगा ।

(2) वह रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा-व्यवसायी, जिसके पास ऐसी स्त्री भेजी जाती है, बिना किसी विलंब के, उसके शरीर की परीक्षा करेगा और एक परीक्षा रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें निम्नलिखित ब्यौरे दिए जाएंगे, अर्थात् :–

(i) स्त्री का, और उस व्यक्ति का, जो उसे लाया है, नाम और पता ;

(ii) स्त्री की आयु ;

(iii) डी. एन. ए. प्रोफाइल करने के लिए स्त्री के शरीर से ली गई सामग्री का वर्णन ;

(iv) स्त्री के शरीर पर क्षति के, यदि कोई है, चिह्न ;

(v) स्त्री की साधारण मानसिक दशा ; और

---

[1] 2005 के अधिनियम सं. 25 की धारा 17 द्वारा अंतःस्थापित ।

(vi) उचित ब्यौरे सहित अन्य तात्विक विशिष्टियां ।

(3) रिपोर्ट में संक्षेप में वे कारण अभिलिखित किए जाएंगे जिनसे प्रत्येक निष्कर्ष निकाला गया है ।

(4) रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट रूप से यह अभिलिखित किया जाएगा कि ऐसी परीक्षा के लिए स्त्री की सहमति या उसकी ओर से ऐसी सहमति देने के लिए सक्षम व्यक्ति की सहमति, अभिप्राप्त कर ली गई है ।

(5) रिपोर्ट में परीक्षा प्रारंभ और समाप्त करने का सही समय भी अंकित किया जाएगा ।

(6) रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा-व्यवसायी, बिना विलंब के, रिपोर्ट अन्वेषण अधिकारी को भेजेगा जो उसे धारा 173 में निर्दिष्ट मजिस्ट्रेट को, उस धारा की उपधारा (5) के खंड (क) में निर्दिष्ट दस्तावेजों के भाग-रूप में भेजेगा ।

(7) इस धारा की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह स्त्री की सहमति के बिना या उसकी ओर से ऐसी सहमति देने के लिए सक्षम किसी व्यक्ति की सहमति के बिना किसी परीक्षा को विधिमान्य बनाती है ।

स्पष्टीकरण – इस धारा के प्रयोजनों के लिए "परीक्षा" और "रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा-व्यवसायी" के वही अर्थ हैं, जो उनके धारा 53 में हैं ।]

165. पुलिस अधिकारी द्वारा तलाशी – (1) जब कभी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी या अन्वेषण करने वाले पुलिस अधिकारी के पास यह विश्वास करने के उचित आधार हैं कि किसी ऐसे अपराध के अन्वेषण के प्रयोजनों के लिए, जिसका अन्वेषण करने के लिए वह प्राधिकृत है, आवश्यक कोई चीज उस पुलिस थाने की, जिसका वह भारसाधक है या जिससे वह संलग्न है, सीमाओं के अंदर किसी स्थान में पाई जा सकती है और उसकी राय में ऐसी चीज अनुचित विलंब के बिना तलाशी से अन्यथा अभिप्राप्त नहीं की जा सकती, तब ऐसा अधिकारी अपने विश्वास के आधारों को लेखबद्ध करने, और यथासंभव उस चीज को, जिसके लिए तलाशी ली जानी है, ऐसे लेख में विनिर्दिष्ट करने के पश्चात् उस थाने की सीमाओं के अंदर किसी स्थान में ऐसी चीज के लिए तलाशी ले सकता है या तलाशी लिवा सकता है ।

(2) उपधारा (1) के अधीन कार्यवाही करने वाला पुलिस अधिकारी, यदि साध्य है तो, तलाशी स्वयं लेगा ।

(3) यदि वह तलाशी स्वयं लेने में असमर्थ है और कोई अन्य ऐसा व्यक्ति, जो तलाशी लेने के लिए सक्षम है, उस समय उपस्थित नहीं है तो वह ऐसा करने के अपने कारणों को लेखबद्ध करने के पश्चात्, अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी से अपेक्षा कर सकता है कि वह तलाशी ले और ऐसे अधीनस्थ अधिकारी को ऐसा लिखित आदेश देगा जिसमें उस स्थान को जिसकी तलाशी ली जानी है, और यथासंभव उस चीज को, जिसके लिए तलाशी ली जानी है, विनिर्दिष्ट किया जाएगा और तब ऐसा अधीनस्थ अधिकारी उस चीज के लिए तलाशी उस स्थान में ले सकेगा ।

(4) तलाशी-वारंटों के बारे में इस संहिता के उपबंध और तलाशियों के बारे में धारा 100 के साधारण उपबंध इस धारा के अधीन ली जाने वाली तलाशी को, जहां तक हो सके, लागू होंगे ।

(5) उपधारा (1) या उपधारा (3) के अधीन बनाए गए किसी भी अभिलेख की प्रतियां तत्काल ऐसे निकटतम मजिस्ट्रेट के पास भेज दी जाएंगी जो उस अपराध का संज्ञान करने के लिए सशक्त है और जिस स्थान की तलाशी ली गई है, उसके स्वामी या अधिभोगी को, उसके आवेदन पर, उसकी एक प्रतिलिपि मजिस्ट्रेट द्वारा निःशुल्क दी जाएगी ।

166. पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी कब किसी अन्य अधिकारी से तलाशी-वारंट जारी करने की अपेक्षा कर सकता है – (1) पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी या उपनिरीक्षक से अनिम्न पंक्ति का पुलिस अधिकारी, जो अन्वेषण कर रहा है, किसी दूसरे पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी से, चाहे वह उस जिले में हो या दूसरे जिले में हो, किसी स्थान में ऐसे मामले में तलाशी लिवाने की अपेक्षा कर सकता है जिसमें पूर्वकथित अधिकारी स्वयं अपने थाने की सीमाओं के अंदर ऐसी तलाशी लिवा सकता है ।

(2) ऐसा अधिकारी ऐसी अपेक्षा किए जाने पर धारा 165 के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही करेगा और यदि कोई चीज मिले तो उसे उस अधिकारी के पास भेजेगा जिसकी अपेक्षा पर तलाशी ली गई है ।

(3) जब कभी यह विश्वास करने का कारण है कि दूसरे पुलिस थाने

के भारसाधक अधिकारी से उपधारा (1) के अधीन तलाशी लिवाने की अपेक्षा करने में जो विलंब होगा उसका परिणाम यह हो सकता है कि अपराध किए जाने का साक्ष्य छिपा दिया जाए या नष्ट कर दिया जाए, तब पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के लिए या उस अधिकारी के लिए जो इस अध्याय के अधीन अन्वेषण कर रहा है, यह विधिपूर्ण होगा कि वह दूसरे पुलिस थाने की स्थानीय सीमाओं के अंदर किसी स्थान की धारा 165 के उपबंधों के अनुसार ऐसी तलाशी ले या लिवाए मानो ऐसा स्थान उसके अपने थाने की सीमाओं के अंदर हो ।

(4) कोई अधिकारी, जो उपधारा (3) के अधीन तलाशी संचालित कर रहा है, पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को, जिसकी सीमाओं के अंदर ऐसा स्थान है, तलाशी की सूचना तत्काल भेजेगा और ऐसी सूचना के साथ धारा 100 के अधीन तैयार की गई सूची की (यदि कोई हो) प्रतिलिपि भी भेजेगा और उस अपराध का संज्ञान करने के लिए सशक्त निकटतम मजिस्ट्रेट को धारा 165 की उपधारा (1) और (3) में निर्दिष्ट अभिलेखों की प्रतिलिपियां भी भेजेगा ।

(5) जिस स्थान की तलाशी ली गई है, उसके स्वामी या अधिभोगी को, आवेदन करने पर उस अभिलेख की, जो मजिस्ट्रेट को उपधारा (4) के अधीन भेजा जाए, प्रतिलिपि निःशुल्क दी जाएगी ।

[1][**166क. भारत के बाहर किसी देश या स्थान में अन्वेषण के लिए सक्षम प्राधिकारी को अनुरोध-पत्र** – (1) इस संहिता में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी अपराध के अन्वेषण के अनुक्रम में अन्वेषण अधिकारी या अन्वेषण अधिकारी की पंक्ति से वरिष्ठ कोई अधिकारी यह आवेदन करता है कि भारत के बाहर किसी देश या स्थान में साक्ष्य उपलभ्य हो सकता है तो कोई दांडिक न्यायालय अनुरोध-पत्र भेजकर उस देश या स्थान के ऐसे न्यायालय या प्राधिकारी से, जो ऐसे अनुरोध-पत्र पर कार्रवाई करने के लिए सक्षम है, यह अनुरोध कर सकेगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति की मौखिक परीक्षा करे, जिसके बारे में यह अनुमान है कि वह मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से अवगत है, और ऐसी परीक्षा के अनुक्रम में किए गए उसके कथन को अभिलिखित करे और ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य

[1] 1990 के अधिनियम सं. 10 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित ।

व्यक्ति से उस मामले से संबंधित ऐसे दस्तावेज या चीज को पेश करने की अपेक्षा करे जो उसके कब्जे में है और इस प्रकार लिए गए या संगृहीत सभी साक्ष्य या उसकी अधिप्रमाणित प्रतिलिपि या इस प्रकार संगृहीत चीज को ऐसा पत्र भेजने वाले न्यायालय को अग्रेषित करे ।

(2) अनुरोध-पत्र ऐसी रीति में पारेषित किया जाएगा जो केंद्रीय सरकार इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे ।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन अभिलिखित प्रत्येक कथन या प्राप्त प्रत्येक दस्तावेज या चीज इस अध्याय के अधीन अन्वेषण के दौरान संगृहीत साक्ष्य समझा जाएगा ।

166ख. भारत के बाहर के किसी देश या स्थान से भारत में अन्वेषण के लिए किसी न्यायालय या प्राधिकारी को अनुरोध-पत्र – (1) भारत के बाहर के किसी देश या स्थान के ऐसे न्यायालय या प्राधिकारी से, जो उस देश या स्थान में अन्वेषणाधीन किसी अपराध के संबंध में किसी व्यक्ति की परीक्षा करने के लिए या किसी दस्तावेज या चीज को पेश कराने के लिए उस देश या स्थान में ऐसा पत्र भेजने के लिए सक्षम है, अनुरोध-पत्र की प्राप्ति पर, केंद्रीय सरकार यदि वह उचित समझे तो, –

(i) उसे मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या ऐसे महानगर मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट को, जिसे वह इस निमित्त नियुक्त करे, अग्रेषित कर सकेगी जो तब उस व्यक्ति को अपने समक्ष समन करेगा तथा उसके कथन को अभिलिखित करेगा या दस्तावेज या चीज को पेश करवाएगा ; या

(ii) उस पत्र को अन्वेषण के लिए किसी पुलिस अधिकारी को भेज सकेगा जो तब उसी रीति में अपराध का अन्वेषण करेगा,

मानो वह अपराध भारत के भीतर किया गया हो ।

(2) उपधारा (1) के अधीन लिए गए या संगृहीत सभी साक्ष्य, उसकी अधिप्रमाणित प्रतिलिपियां या इस प्रकार संगृहीत चीज, यथास्थिति-मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी द्वारा उस न्यायालय या प्राधिकारी को, जिसने अनुरोध-पत्र भेजा था, पारेषित करने के लिए केंद्रीय सरकार को ऐसी रीति में, जिसे केंद्रीय सरकार उचित समझे, अग्रेषित करेगा ।]

167. जब चौबीस घंटे के अंदर अन्वेषण पूरा न किया जा सके तब प्रक्रिया – (1) जब कभी कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है और अभिरक्षा में निरुद्ध है और यह प्रतीत हो कि अन्वेषण धारा 57 द्वारा नियत चौबीस घंटे की अवधि के अंदर पूरा नहीं किया जा सकता और यह विश्वास करने के लिए आधार है कि अभियोग या इत्तिला दृढ़ आधार पर है तब पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी या यदि अन्वेषण करने वाला पुलिस अधिकारी उपनिरीक्षक से निम्नतर पंक्ति का नहीं है तो वह, निकटतम न्यायिक मजिस्ट्रेट को इसमें इसके पश्चात् विहित डायरी की मामले में संबंधित प्रविष्टियों की एक प्रतिलिपि भेजेगा और साथ ही अभियुक्त व्यक्ति को भी उस मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा ।

(2) वह मजिस्ट्रेट, जिसके पास अभियुक्त व्यक्ति इस धारा के अधीन भेजा जाता है, चाहे उस मामले के विचारण की उसे अधिकारिता हो या न हो, अभियुक्त का ऐसी अभिरक्षा में, जैसी वह मजिस्ट्रेट ठीक समझे इतनी अवधि के लिए, जो कुल मिलाकर पंद्रह दिन से अधिक न होगी, निरुद्ध किया जाना समय-समय पर प्राधिकृत कर सकता है तथा यदि उसे मामले के विचारण की या विचारण के लिए सुपुर्द करने की अधिकारिता नहीं है और अधिक निरुद्ध रखना उसके विचार में अनावश्यक है तो वह अभियुक्त को ऐसे मजिस्ट्रेट के पास, जिसे ऐसी अधिकारिता है, भिजवाने के लिए आदेश दे सकता है :

परंतु –

[1][(क) मजिस्ट्रेट अभियुक्त व्यक्ति का पुलिस अभिरक्षा से अन्यथा निरोध पंद्रह दिन की अवधि से आगे के लिए उस दशा में प्राधिकृत कर सकता है जिसमें उसका समाधान हो जाता है कि ऐसा करने के लिए पर्याप्त आधार है, किंतु कोई भी मजिस्ट्रेट अभियुक्त व्यक्ति का इस पैरा के अधीन अभिरक्षा में निरोध, –

(i) कुल मिलाकर नब्बे दिन से अधिक की अवधि के लिए प्राधिकृत नहीं करेगा जहां अन्वेषण ऐसे अपराध के संबंध में है जो मृत्यु, आजीवन कारावास या दस वर्ष से अन्यून की अवधि के लिए कारावास से दंडनीय है ;

---

[1] 1978 के अधिनियम सं. 45 की धारा 13 द्वारा खंड (क) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(ii) कुल मिलाकर साठ दिन से अधिक की अवधि के लिए प्राधिकृत नहीं करेगा जहां अन्वेषण किसी अन्य अपराध के संबंध में है,

और, यथास्थिति, नब्बे दिन या साठ दिन की उक्त अवधि की समाप्ति पर यदि अभियुक्त व्यक्ति जमानत देने के लिए तैयार है और दे देता है तो उसे जमानत पर छोड़ दिया जाएगा और यह समझा जाएगा कि इस उपधारा के अधीन जमानत पर छोड़ा गया प्रत्येक व्यक्ति अध्याय 33 के प्रयोजनों के लिए उस अध्याय के उपबंधों के अधीन छोड़ा गया है ;]

[1][(ख) कोई मजिस्ट्रेट इस धारा के अधीन किसी अभियुक्त का पुलिस अभिरक्षा में निरोध तब तक प्राधिकृत नहीं करेगा जब तक कि अभियुक्त उसके समक्ष पहली बार और तत्पश्चात् हर बार, जब तक अभियुक्त पुलिस की अभिरक्षा में रहता है, व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं किया जाता है किंतु मजिस्ट्रेट अभियुक्त के या तो व्यक्तिगत रूप से या इलैक्ट्रानिक दृश्य संपर्क के माध्यम से पेश किए जाने पर न्यायिक अभिरक्षा में निरोध को और बढ़ा सकेगा ।]

(ग) कोई द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट, जो उच्च न्यायालय द्वारा इस निमित्त विशेषतया सशक्त नहीं किया गया है, पुलिस की अभिरक्षा में निरोध प्राधिकृत न करेगा ।

[2][**स्पष्टीकरण 1** – शंकाएं दूर करने के लिए इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि पैरा (क) में विनिर्दिष्ट अवधि समाप्त हो जाने पर भी अभियुक्त-व्यक्ति तब तक अभिरक्षा में निरुद्ध रखा जाएगा जब तक कि वह जमानत नहीं दे देता है ।]

[3][**स्पष्टीकरण 2** – यदि यह प्रश्न उठता है कि क्या कोई अभियुक्त व्यक्ति मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया था, जैसाकि पैरा (ख) के अधीन अपेक्षित है, तो अभियुक्त व्यक्ति की पेशी को, यथास्थिति, निरोध प्राधिकृत करने वाले आदेश पर उसके हस्ताक्षर से

---

[1] 2009 के अधिनियम सं. 5 की धारा 14 द्वारा खंड (ख) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] 1978 के अधिनियम सं. 45 की धारा 13 द्वारा अंतःस्थापित ।

[3] 2009 के अधिनियम सं. 5 की धारा 14 द्वारा स्पष्टीकरण 2 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

या मजिस्ट्रेट द्वारा अभियुक्त व्यक्ति की इलैक्ट्रानिक दृश्य संपर्क के माध्यम से पेशी के बारे में प्रमाणित आदेश द्वारा साबित किया जा सकता है ।]

[1][परंतु यह और कि अठारह वर्ष से कम आयु की स्त्री की दशा में, किसी प्रतिप्रेषण गृह या मान्यताप्राप्त सामाजिक संस्था की अभिरक्षा में निरोध किए जाने को प्राधिकृत किया जाएगा ।]

[2][(2क) उपधारा (1) या उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी या अन्वेषण करने वाला पुलिस अधिकारी, यदि उपनिरीक्षक से निम्नतर पंक्ति का नहीं है तो, जहां न्यायिक मजिस्ट्रेट न मिल सकता हो, वहां कार्यपालक मजिस्ट्रेट को जिसको न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान की गई हैं, इसमें इसके पश्चात् विहित डायरी की मामले से संबंधित प्रविष्टियों की एक प्रतिलिपि भेजेगा और साथ ही अभियुक्त व्यक्ति को भी उस कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा और तब ऐसा कार्यपालक मजिस्ट्रेट लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से किसी अभियुक्त-व्यक्ति का ऐसी अभिरक्षा में निरोध, जैसा वह ठीक समझे, ऐसी अवधि के लिए प्राधिकृत कर सकता है जो कुल मिलाकर सात दिन से अधिक नहीं हो और ऐसे प्राधिकृत निरोध की अवधि की समाप्ति पर उसे जमानत पर छोड़ दिया जाएगा, किंतु उस दशा में नहीं जिसमें अभियुक्त व्यक्ति के आगे और निरोध के लिए आदेश ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा किया गया है जो ऐसा आदेश करने के लिए सक्षम है और जहां ऐसे आगे और निरोध के लिए आदेश किया जाता है वहां वह अवधि, जिसके दौरान अभियुक्त-व्यक्ति इस उपधारा के अधीन किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के आदेशों के अधीन अभिरक्षा में निरुद्ध किया गया था, उपधारा (2) के परंतुक के पैरा (क) में विनिर्दिष्ट अवधि की संगणना करने में हिसाब में ली जाएगी :

परंतु उक्त अवधि की समाप्ति के पूर्व कार्यपालक मजिस्ट्रेट, मामले के अभिलेख, मामले से संबंधित डायरी की प्रविष्टियों के सहित जो, यथास्थिति, पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी या अन्वेषण करने वाले अधिकारी द्वारा उसे भेजी गई थी, निकटतम न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेजेगा ।]

---

[1] 2009 के अधिनियम सं. 5 की धारा 14 द्वारा अंतःस्थापित ।

[2] 1978 के अधिनियम सं. 45 की धारा 13 द्वारा अंतःस्थापित ।

(3) इस धारा के अधीन पुलिस अभिरक्षा में निरोध प्राधिकृत करने वाला मजिस्ट्रेट ऐसा करने के अपने कारण अभिलिखित करेगा ।

(4) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से भिन्न कोई मजिस्ट्रेट जो ऐसा आदेश दे अपने आदेश की एक प्रतिलिपि आदेश देने के अपने कारणों के सहित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेजेगा ।

(5) यदि समन मामले के रूप में मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय किसी मामले में अन्वेषण, अभियुक्त के गिरफ्तार किए जाने की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर समाप्त नहीं होता है तो मजिस्ट्रेट अपराध में आगे और अन्वेषण को रोकने के लिए आदेश करेगा जब तक अन्वेषण करने वाला अधिकारी मजिस्ट्रेट का समाधान नहीं कर देता है कि विशेष कारणों से और न्याय के हित में छह मास की अवधि के आगे अन्वेषण जारी रखना आवश्यक है ।

(6) जहां उपधारा (5) के अधीन किसी अपराध का आगे और अन्वेषण रोकने के लिए आदेश दिया गया है वहां यदि सेशन न्यायाधीश का उसे आवेदन दिए जाने पर या अन्यथा, समाधान हो जाता है कि उस अपराध का आगे और अन्वेषण किया जाना चाहिए तो वह उपधारा (5) के अधीन किए गए आदेश को रद्द कर सकता है और यह निदेश दे सकता है कि जमानत और अन्य मामलों के बारे में ऐसे निदेशों के अधीन रहते हुए जो वह विनिर्दिष्ट करे, अपराध का आगे और अन्वेषण किया जाए ।

168. अधीनस्थ पुलिस अधिकारी द्वारा अन्वेषण की रिपोर्ट – जब कोई अधीनस्थ पुलिस अधिकारी इस अध्याय के अधीन कोई अन्वेषण करता है तब वह उस अन्वेषण के परिणाम की रिपोर्ट पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को करेगा ।

169. जब साक्ष्य अपर्याप्त हो तब अभियुक्त का छोड़ा जाना – यदि इस अध्याय के अधीन अन्वेषण पर पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि ऐसा पर्याप्त साक्ष्य या संदेह का उचित आधार नहीं है जिससे अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के पास भेजना न्यायानुमत है तो ऐसा अधिकारी उस दशा में जिसमें वह व्यक्ति अभिरक्षा में है उसके द्वारा प्रतिभुओं के सहित या रहित, जैसा ऐसा अधिकारी निर्दिष्ट करे, यह बंधपत्र निष्पादित करने पर उसे छोड़ देगा कि यदि और जब अपेक्षा की जाए तो और तब वह ऐसे मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होगा जो पुलिस रिपोर्ट पर ऐसे

अपराध का संज्ञान करने के लिए, और अभियुक्त का विचारण करने या उसे विचारणार्थ सुपुर्द करने के लिए सशक्त है ।

170. जब साक्ष्य पर्याप्त है तब मामलों का मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया जाना – (1) यदि इस अध्याय के अधीन अन्वेषण करने पर पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि यथापूर्वोक्त पर्याप्त साक्ष्य या उचित आधार है, तो वह अधिकारी पुलिस रिपोर्ट पर उस अपराध का संज्ञान करने के लिए और अभियुक्त का विचारण करने या उसे विचारणार्थ सुपुर्द करने के लिए सशक्त मजिस्ट्रेट के पास अभियुक्त को अभिरक्षा में भेजेगा अथवा यदि अपराध जमानतीय है और अभियुक्त प्रतिभूति देने के लिए समर्थ है तो ऐसे मजिस्ट्रेट के समक्ष नियत दिन उसके हाजिर होने के लिए और ऐसे मजिस्ट्रेट के समक्ष, जब तक अन्यथा निदेश न दिया जाए तब तक, दिन-प्रतिदिन उसकी हाजिरी के लिए प्रतिभूति लेगा ।

(2) जब पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी अभियुक्त के इस धारा के अधीन मजिस्ट्रेट के पास भेजता है या ऐसे मजिस्ट्रेट के समक्ष उसके हाजिर होने के लिए प्रतिभूति लेता है तब उस मजिस्ट्रेट के पास वह ऐसा कोई आयुध या अन्य वस्तु जो उसके समक्ष पेश करना आवश्यक हो, भेजेगा और यदि कोई परिवादी हो, तो उससे और ऐसे अधिकारी को मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित प्रतीत होने वाले उतने व्यक्तियों से, जितने वह आवश्यक समझे मजिस्ट्रेट के समक्ष निर्दिष्ट प्रकार से हाजिर होने के लिए और (यथास्थिति) अभियोजन करने के लिए या अभियुक्त के विरुद्ध आरोप के विषय में साक्ष्य देने के लिए बंधपत्र निष्पादित करने की अपेक्षा करेगा ।

(3) यदि बंधपत्र में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय उल्लिखित है तो उस न्यायालय के अंतर्गत कोई ऐसा न्यायालय भी समझा जाएगा जिसे ऐसा मजिस्ट्रेट मामले की जांच या विचारण के लिए निर्देशित करता है, परंतु यह तब जब ऐसे निर्देश की उचित सूचना उस परिवादी या उन व्यक्तियों को दे दी गई है ।

(4) वह अधिकारी, जिसकी उपस्थिति में बंधपत्र निष्पादित किया जाता है, उस बंधपत्र की एक प्रतिलिपि उन व्यक्तियों में से एक को परिदत्त करेगा

जो उसे निष्पादित करता है और तब मूल बंधपत्र को अपनी रिपोर्ट के साथ मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा ।

171. परिवादी और साक्षियों से पुलिस अधिकारी के साथ जाने की अपेक्षा न किया जाना और उनका अवरुद्ध न किया जाना – किसी परिवादी या साक्षी से, जो किसी न्यायालय में जा रहा है, पुलिस अधिकारी के साथ जाने की अपेक्षा न की जाएगी, और न तो उसे अनावश्यक रूप से अवरुद्ध किया जाएगा या असुविधा पहुंचाई जाएगी और न उससे अपनी हाजिरी के लिए उसके अपने बंधपत्र से भिन्न कोई प्रतिभूति देने की अपेक्षा की जाएगी :

परंतु यदि कोई परिवादी या साक्षी हाजिर होने से, या धारा 170 में निर्दिष्ट प्रकार का बंधपत्र निष्पादित करने से, इनकार करता है तो पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी उसे मजिस्ट्रेट के पास अभिरक्षा में भेज सकता है, जो उसे तब तक अभिरक्षा में निरुद्ध रख सकता है जब तक वह ऐसा बंधपत्र निष्पादित नहीं कर देता है या जब तक मामले की सुनवाई समाप्त नहीं हो जाती है ।

172. अन्वेषण में कार्यवाहियों की डायरी – (1) प्रत्येक पुलिस अधिकारी, जो इस अध्याय के अधीन अन्वेषण करता है, अन्वेषण में की गई अपनी कार्यवाही को दिन-प्रतिदिन एक डायरी में लिखेगा, जिसमें वह समय जब उसे इत्तिला मिली, वह समय जब उसने अन्वेषण आरंभ किया और जब समाप्त किया, वह स्थान या वे स्थान जहां वह गया और अन्वेषण द्वारा अभिनिश्चित परिस्थितियों का विवरण होगा ।

[1][(1क) धारा 161 के अधीन अन्वेषण के दौरान अभिलिखित किए गए साक्षियों के कथन केस डायरी में अंतः स्थापित किए जाएंगे ।

(1ख) उपधारा (1) में निर्दिष्ट डायरी जिल्द रूप में होगी और उसके पृष्ठ सम्यक् रूप से संख्यांकित होंगे ।]

(2) कोई दंड न्यायालय ऐसे न्यायालय में जांच या विचारण के अधीन मामले की पुलिस डायरियों को मंगा सकता है और ऐसी डायरियों को मामले में साक्ष्य के रूप में तो नहीं किंतु ऐसी जांच या विचारण में अपनी

---

[1] 2009 के अधिनियम सं. 5 की धारा 15 द्वारा अंतःस्थापित ।

सहायता के लिए उपयोग में ला सकता है ।

(3) न तो अभियुक्त और न उसके अभिकर्ता ऐसी डायरियों को मंगाने के हकदार होंगे और न वह या वे केवल इस कारण उन्हें देखने के हकदार होंगे कि वे न्यायालय द्वारा देखी गई हैं, किंतु यदि वे उस पुलिस अधिकारी द्वारा, जिसने उन्हें लिखा है, अपनी स्मृति को ताजा करने के लिए उपयोग में लाई जाती है, या यदि न्यायालय उन्हें ऐसे पुलिस अधिकारी की बातों का खंडन करने के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाता है तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) की, यथास्थिति, धारा 161 या धारा 145 के उपबंध लागू होंगे ।

173. अन्वेषण के समाप्त हो जाने पर पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट – (1) इस अध्याय के अधीन किया जाने वाला प्रत्येक अन्वेषण अनावश्यक विलंब के बिना पूरा किया जाएगा ।

[1][(1क) बालिका के साथ बलात्संग के संबंध में अन्वेषण उस तारीख से, जिसको पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा इत्तिला अभिलिखित की गई थी, तीन मास के भीतर पूरा किया जा सकेगा ।]

(2) (i) जैसे ही वह पूरा होता है, वैसे ही पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी, पुलिस रिपोर्ट पर उस अपराध का संज्ञान करने के लिए सशक्त मजिस्ट्रेट को राज्य सरकार द्वारा विहित प्ररूप में एक रिपोर्ट भेजेगा, जिसमें निम्नलिखित बातें कथित होंगी :–

(क) पक्षकारों के नाम ;

(ख) इत्तिला का स्वरूप ;

(ग) मामले की परिस्थितियों से परिचित प्रतीत होने वाले व्यक्तियों के नाम ;

(घ) क्या कोई अपराध किया गया प्रतीत होता है और यदि किया गया प्रतीत होता है, तो किसके द्वारा ;

(ङ) क्या अभियुक्त गिरफ्तार कर लिया गया है ;

(च) क्या वह अपने बंधपत्र पर छोड़ दिया गया है और यदि छोड़

[1] 2009 के अधिनियम सं. 5 की धारा 16 द्वारा अंतःस्थापित ।

दिया गया है तो वह बंधपत्र प्रतिभुओं सहित है या प्रतिभुओं रहित ;

(छ) क्या वह धारा 170 के अधीन अभिरक्षा में भेजा जा चुका है ।

[1][(ज) जहां अन्वेषण भारतीय दंड संहिता, (1860 का 45) की धारा 376, 376क, धारा 376ख, धारा [2][376ग या धारा 376घ या धारा 376ङ] के अधीन किसी अपराध के संबंध में है, वहां क्या स्त्री की चिकित्सा परीक्षा की रिपोर्ट संलग्न की गई है ।]

(ii) वह अधिकारी अपने द्वारा की गई कार्यवाही की संसूचना, उस व्यक्ति को, यदि कोई हो, जिसने अपराध किए जाने के संबंध में सर्वप्रथम इत्तिला दी उस रीति से देगा, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए ।

(3) जहां धारा 158 के अधीन कोई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया है वहां ऐसे किसी मामले में, जिसमें राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा ऐसा निदेश देती है, वह रिपोर्ट उस अधिकारी के माध्यम से दी जाएगी और वह, मजिस्ट्रेट का आदेश होने तक के लिए, पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को यह निदेश दे सकता है कि वह आगे और अन्वेषण करे ।

(4) जब कभी इस धारा के अधीन भेजी गई रिपोर्ट से यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त को उसके बंधपत्र पर छोड़ दिया गया है तब मजिस्ट्रेट उस बंधपत्र के उन्मोचन के लिए या अन्यथा ऐसा आदेश करेगा जैसा वह ठीक समझे ।

(5) जब ऐसी रिपोर्ट का संबंध ऐसे मामले से है जिसको धारा 170 लागू होती है, तब पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट के साथ-साथ निम्नलिखित भी भेजेगा :—

(क) वे सब दस्तावेज या उनके सुसंगत उद्धरण, जिन पर निर्भर करने का अभियोजन का विचार है और जो उनसे भिन्न हैं जिन्हें अन्वेषण के दौरान मजिस्ट्रेट को पहले ही भेज दिया गया है ;

(ख) उन सब व्यक्तियों के, जिनकी साक्षियों के रूप में परीक्षा करने का अभियोजन का विचार है, धारा 161 के अधीन अभिलिखित कथन ।

---

[1] 2009 के अधिनियम सं. 5 की धारा 16 द्वारा अंतःस्थापित ।

[2] 2013 के अधिनियम सं. 13 की धारा 17 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(6) यदि पुलिस अधिकारी की यह राय है कि ऐसे किसी कथन का कोई भाग कार्यवाही की विषयवस्तु से सुसंगत नहीं है या उसे अभियुक्त को प्रकट करना न्याय के हित में आवश्यक नहीं है और लोक हित के लिए असमीचीन है तो वह कथन के उस भाग को उपदर्शित करेगा और अभियुक्त को दी जाने वाली प्रतिलिपि में से उस भाग को निकाल देने के लिए निवेदन करते हुए और ऐसा निवेदन करने के अपने कारणों का कथन करते हुए एक नोट मजिस्ट्रेट को भेजेगा ।

(7) जहां मामले का अन्वेषण करने वाला पुलिस अधिकारी ऐसा करना सुविधापूर्ण समझता है वहां वह उपधारा (5) में निर्दिष्ट सभी या किन्हीं दस्तावेजों की प्रतियां अभियुक्त को दे सकता है ।

(8) इस धारा की कोई बात किसी अपराध के बारे में उपधारा (2) के अधीन मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेज दी जाने के पश्चात् आगे और अन्वेषण को प्रवरित करने वाली नहीं समझी जाएगी तथा जहां ऐसे अन्वेषण पर पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को कोई अतिरिक्त मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य मिले वहां वह ऐसे साक्ष्य के संबंध में अतिरिक्त रिपोर्ट या रिपोर्टें मजिस्ट्रेट को विहित प्ररूप में भेजेगा, और उपधारा (2) से (6) तक के उपबंध ऐसी रिपोर्ट या रिपोर्टों के बारे में, जहां तक हो सके, ऐसे लागू होंगे, जैसे वे उपधारा (2) के अधीन भेजी गई रिपोर्ट के संबंध में लागू होते हैं ।

174. आत्महत्या, आदि पर पुलिस का जांच करना और रिपोर्ट देना – (1) जब पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी, या राज्य सरकार द्वारा उस निमित्त विशेषतया सशक्त किए गए किसी अन्य पुलिस अधिकारी को यह इत्तिला मिलती है कि किसी व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है अथवा कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या जीव-जंतु द्वारा या किसी यंत्र द्वारा या दुर्घटना द्वारा मारा गया है, अथवा कोई व्यक्ति ऐसी परिस्थितियों में मरा है जिनसे उचित रूप से यह संदेह होता है कि किसी अन्य व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो वह मृत्यु समीक्षाएं करने के लिए सशक्त निकटतम कार्यपालक मजिस्ट्रेट को तुरंत उसकी सूचना देगा और जब तक राज्य सरकार द्वारा विहित किसी नियम द्वारा या जिला या उपखंड मजिस्ट्रेट के किसी साधारण या विशेष आदेश द्वारा अन्यथा निदिष्ट न हो वह उस स्थान को जाएगा जहां ऐसे मृत व्यक्ति का शरीर है और वहां पड़ोस के दो या

अधिक प्रतिष्ठित निवासियों की उपस्थिति में अन्वेषण करेगा और मृत्यु के दृश्यमान कारण की रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें ऐसे घावों, अस्थिभंगों, नीलों और क्षति के अन्य चिह्नों का जो शरीर पर पाए जाएं, वर्णन होगा और यह कथन होगा कि ऐसे चिह्न किस प्रकार से और किस आयुध या उपकरण द्वारा (यदि कोई हो) किए गए प्रतीत होते हैं ।

(2) उस रिपोर्ट पर ऐसे पुलिस अधिकारी और अन्य व्यक्तियों द्वारा, या उनमें से इतनों द्वारा जो उससे सहमत हैं, हस्ताक्षर किए जाएंगे और वह जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट को तत्काल भेज दी जाएगी ।

(3) [1][जब –

(i) मामले में किसी स्त्री द्वारा उसके विवाह की तारीख से सात वर्ष के भीतर आत्महत्या अंतर्वलित है ; या

(ii) मामला किसी स्त्री की उसके विवाह के सात वर्ष के भीतर ऐसी परिस्थितियों में मृत्यु से संबंधित है जो यह युक्तियुक्त संदेह उत्पन्न करती है कि किसी अन्य व्यक्ति ने ऐसी स्त्री के संबंध में कोई अपराध किया है ; या

(iii) मामला किसी स्त्री की उसके विवाह के सात वर्ष के भीतर मृत्यु से संबंधित है और उस स्त्री के किसी नातेदार ने उस निमित्त निवेदन किया है ; या

(iv) मृत्यु के कारण की बाबत कोई संदेह है ; या

(v) किसी अन्य कारण पुलिस अधिकारी ऐसा करना समीचीन समझता है,

तब] ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए, जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विहित किए जाएं, वह अधिकारी यदि मौसम ऐसा है और दूरी इतनी है कि रास्ते में शरीर के ऐसे सड़ने की जोखिम के बिना, जिससे उसकी परीक्षा व्यर्थ हो जाए, उसे भिजवाया जा सकता है तो शरीर को उसकी परीक्षा की दृष्टि से, निकटतम सिविल सर्जन के पास या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त अन्य अर्हित चिकित्सक के पास भेजेगा ।

(4) निम्नलिखित मजिस्ट्रेट मृत्यु-समीक्षा करने के लिए सशक्त हैं, अर्थात् कोई जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट और राज्य सरकार द्वारा

---

[1] 1983 के अधिनियम सं. 46 की धारा 3 द्वारा कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त विशेषतया सशक्त किया गया कोई अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट ।

175. व्यक्तियों को समन करने की शक्ति – (1) धारा 174 के अधीन कार्यवाही करने वाला पुलिस अधिकारी यथापूर्वोक्त दो या अधिक व्यक्तियों को उक्त अन्वेषण के प्रयोजन से और किसी अन्य ऐसे व्यक्ति को, जो मामले के तथ्यों से परिचित प्रतीत होता है, लिखित आदेश द्वारा समन कर सकता है तथा ऐसे समन किया गया प्रत्येक व्यक्ति हाजिर होने के लिए और उन प्रश्नों के सिवाय, जिनके उत्तरों की प्रवृत्ति उसे आपराधिक आरोप या शास्ति या समपहरण की आशंका में डालने की है, सब प्रश्नों का सही-सही उत्तर देने के लिए आबद्ध होगा ।

(2) यदि तथ्यों से ऐसा कोई संज्ञेय अपराध, जिसे धारा 170 लागू है, प्रकट नहीं होता है तो पुलिस अधिकारी ऐसे व्यक्ति से मजिस्ट्रेट के न्यायालय में हाजिर होने की अपेक्षा न करेगा ।

176. मृत्यु के कारण की मजिस्ट्रेट द्वारा जांच – (1) [1][[2]**** जब मामला धारा 174 की उपधारा (3) के खंड (i) या खंड (ii) में निर्दिष्ट प्रकृति का है] तब मृत्यु के कारण की जांच, पुलिस अधिकारी द्वारा किए जाने वाले अन्वेषण के बजाय या उसके अतिरिक्त, वह निकटतम मजिस्ट्रेट करेगा जो मृत्यु-समीक्षा करने के लिए सशक्त है और धारा 174 की उपधारा (1) में वर्णित किसी अन्य दशा में इस प्रकार सशक्त किया गया कोई भी मजिस्ट्रेट कर सकेगा ; और यदि वह ऐसा करता है तो उसे ऐसी जांच करने में वे सब शक्तियां होंगी जो उसे किसी अपराध की जांच करने में होती ।

[3][(1क) जहां, –

(क) कोई व्यक्ति मर जाता है या गायब हो जाता है, या

(ख) किसी स्त्री के साथ बलात्संग किया गया अभिकथित है,

तो उस दशा में जब कि ऐसा व्यक्ति या स्त्री पुलिस अभिरक्षा या इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अभिरक्षा में है,

---

[1] 1983 के अधिनियम सं. 46 की धारा 4 द्वारा कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] 2005 के अधिनियम सं. 25 की धारा 18 द्वारा कतिपय शब्दों का लोप किया गया ।

[3] 2005 के अधिनियम सं. 25 की धारा 18 द्वारा अंतःस्थापित ।

वहां पुलिस द्वारा की गई जांच या किए गए अन्वेषण के अतिरिक्त, यथास्थिति, ऐसे न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा, जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर अपराध किया गया है, जांच की जाएगी ।]

(2) ऐसी जांच करने वाला मजिस्ट्रेट उसके संबंध में लिए गए साक्ष्य को इसमें इसके पश्चात् विहित किसी प्रकार से, मामले की परिस्थितियों के अनुसार अभिलिखित करेगा ।

(3) जब कभी ऐसे मजिस्ट्रेट के विचार में यह समीचीन है कि किसी व्यक्ति के, जो पहले ही गाड़ दिया गया है, मृत शरीर की इसलिए परीक्षा की जाए कि उसकी मृत्यु के कारण का पता चले तब मजिस्ट्रेट उस शरीर को निकलवा सकता है और उसकी परीक्षा करा सकता है ।

(4) जहां कोई जांच इस धारा के अधीन की जानी है, वहां मजिस्ट्रेट, जहां कहीं साध्य है, मृतक के उन नातेदारों को, जिनके नाम और पते ज्ञात हैं, इत्तिला देगा और उन्हें जांच के समय उपस्थित रहने की अनुज्ञा देगा ।

[1][(5) उपधारा (1क) के अधीन, यथास्थिति, जांच या अन्वेषण करने वाला न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट या कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी, किसी व्यक्ति की मृत्यु के चौबीस घंटे के भीतर उसकी परीक्षा किए जाने की दृष्टि से शरीर को निकटतम सिविल सर्जन या अन्य अर्हित चिकित्सा व्यक्ति को, जो इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया गया हो, भेजेगा जब तक कि लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से ऐसा करना संभव न हो ।]

स्पष्टीकरण – इस धारा में "नातेदार" पद से माता-पिता, संतान, भाई, बहिन और पति या पत्नी अभिप्रेत हैं ।

अध्याय 13

जांचों और विचारणों में दंड न्यायालयों की अधिकारिता

177. जांच और विचारण का मामूली स्थान – प्रत्येक अपराध की जांच और विचारण मामूली तौर पर ऐसे न्यायालय द्वारा किया जाएगा

---

[1] 2005 के अधिनियम सं. 25 द्वारा धारा 18 द्वारा अंतःस्थापित ।

जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर वह अपराध किया गया है ।

178. जांच या विचारण का स्थान – (क) जहां यह अनिश्चित है कि कई स्थानीय क्षेत्रों में से किसमें अपराध किया गया है, अथवा

(ख) जहां अपराध अंशत: एक स्थानीय क्षेत्र में और अंशतः किसी दूसरे में किया गया है, अथवा

(ग) जहां अपराध चालू रहने वाला है और उसका किया जाना एक से अधिक स्थानीय क्षेत्रों में चालू रहता है, अथवा

(घ) जहां वह विभिन्न स्थानीय क्षेत्रों में किए गए कई कार्यों से मिलकर बनता है, वहां उसकी जांच या विचारण ऐसे स्थानीय क्षेत्रों में से किसी पर अधिकारिता रखने वाले न्यायालय द्वारा किया जा सकता है ।

179. अपराध वहां विचारणीय होगा जहां कार्य किया गया या जहां परिणाम निकला – जब कोई कार्य किसी की गई बात के और किसी निकले हुए परिणाम के कारण अपराध है तब ऐसे अपराध की जांच या विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है, जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर ऐसी बात की गई या ऐसा परिणाम निकला ।

180. जहां कार्य अन्य अपराध से संबंधित होने के कारण अपराध है वहां विचारण का स्थान – जब कोई कार्य किसी ऐसे अन्य कार्य से संबंधित होने के कारण अपराध है, जो स्वयं भी अपराध है या अपराध होता यदि कर्ता अपराध करने के लिए समर्थ होता, तब प्रथम वर्णित अपराध की जांच या विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर उन दोनों में से कोई भी कार्य किया गया है ।

181. कुछ अपराधों की दशा में विचारण का स्थान – (1) ठग होने के, या ठग द्वारा हत्या के, डकैती के, हत्या सहित डकैती के, डकैतों की टोली का होने के, या अभिरक्षा से निकल भागने के किसी अपराध की जांच या विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर अपराध किया गया है या अभियुक्त व्यक्ति मिला है ।

(2) किसी व्यक्ति के व्यपहरण या अपहरण के किसी अपराध की जांच या विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर वह व्यक्ति व्यपहृत या अपहृत किया गया या ले जाया

गया या छिपाया गया या निरुद्ध किया गया है ।

(3) चोरी, उद्दीपन या लूट के किसी अपराध की जांच या विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर ऐसा अपराध किया गया है या चुराई हुई संपत्ति को जो कि अपराध का विषय है उसे करने वाले व्यक्ति द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा कब्जे में रखी गई है जिसने उस संपत्ति को चुराई हुई संपत्ति जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए प्राप्त किया या रखे रखा ।

(4) आपराधिक दुर्विनियोग या आपराधिक न्यासभंग के किसी अपराध की जांच या विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर अपराध किया गया है या उस संपत्ति का, जो अपराध का विषय है, कोई भाग अभियुक्त व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया गया या रखा गया है अथवा उसका लौटाया जाना या लेखा दिया जाना अपेक्षित है ।

(5) किसी ऐसे अपराध की, जिसमें चुराई हुई संपत्ति का कब्जा भी है, जांच या विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर ऐसा अपराध किया गया है या चुराई हुई संपत्ति किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा कब्जे में रखी गई है, जिसने उसे चुराई हुई जानते हुए या विश्वास करने का कारण होते हुए प्राप्त किया या रखे रखा ।

182. पत्रों, आदि द्वारा किए गए अपराध – (1) किसी ऐसे अपराध की, जिसमें छल करना भी है, जांच या उनका विचारण, उस दशा में जिसमें ऐसी प्रवंचना पत्रों या दूरसंचार संदेशों के माध्यम से की गई है ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर ऐसे पत्र या संदेश भेजे गए हैं या प्राप्त किए गए हैं तथा छल करने और बेईमानी से संपत्ति का परिदान उत्प्रेरित करने वाले किसी अपराध की जांच या उनका विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर संपत्ति, प्रवंचित व्यक्ति द्वारा परिदत्त की गई है या अभियुक्त व्यक्ति द्वारा प्राप्त की गई है ।

(2) भारतीय दंड संहिता, (1860 का 45) की धारा 494 या धारा 495 के अधीन दंडनीय किसी अपराध की जांच या उनका विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर अपराध किया गया है या अपराधी ने प्रथम विवाह की अपनी पत्नी या पति

के साथ अंतिम बार निवास किया है [1][या प्रथम विवाह की पत्नी अपराध के किए जाने के पश्चात् स्थायी रूप से निवास करती है] ।

183. यात्रा या जलयात्रा में किया गया अपराध – यदि कोई अपराध उस समय किया गया है जब वह व्यक्ति, जिसके द्वारा, या वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध, या वह चीज जिसके बारे में वह अपराध किया गया, किसी यात्रा या जलयात्रा पर है, तो उसकी जांच या विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है, जिसकी स्थानीय अधिकारिता में होकर या उसके अंदर वह व्यक्ति या चीज उस यात्रा या जलयात्रा के दौरान गई हैं ।

184. एक साथ विचारणीय अपराधों के लिए विचारण का स्थान – जहां, –

(क) किसी व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध ऐसे हैं कि प्रत्येक ऐसे अपराध के लिए धारा 219, धारा 220 या धारा 221 के उपबंधों के आधार पर एक ही विचारण में उस पर आरोप लगाया जा सकता है और उसका विचारण किया जा सकता है, अथवा

(ख) कई व्यक्तियों द्वारा किया गया अपराध या किए गए अपराध ऐसे हैं कि उनके लिए उन पर धारा 223 के उपबंधों के आधार पर एक साथ आरोप लगाया जा सकता है और विचारण किया जा सकता है,

वहां अपराध की जांच या विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जो उन अपराधों में से किसी की जांच या विचारण करने के लिए सक्षम है ।

185. विभिन्न सेशन खंडों में मामलों के विचारण का आदेश देने की शक्ति – इस अध्याय के पूर्ववर्ती उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार निदेश दे सकती है कि ऐसे किन्हीं मामलों का या किसी वर्ग के मामलों का विचारण, जो किसी जिले में विचारणार्थ सुपुर्द हो चुके हैं, किसी भी सेशन खंड में किया जा सकता है :

परंतु यह तब जब कि ऐसा निदेश उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान के अधीन या इस संहिता के या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन पहले ही जारी किए गए किसी निदेश के

---

[1] 1978 के अधिनियम सं. 45 की धारा 15 द्वारा अंतःस्थापित ।

विरुद्ध नहीं है ।

186. संदेह की दशा में उच्च न्यायालय का वह जिला विनिश्चित करना जिसमें जांच या विचारण होगा – जहां दो या अधिक न्यायालय एक ही अपराध का संज्ञान कर लेते हैं और यह प्रश्न उठता है कि उनमें से किसे उस अपराध की जांच या विचारण करना चाहिए, वहां वह प्रश्न –

(क) यदि वे न्यायालय एक ही उच्च न्यायालय के अधीनस्थ हैं तो उस उच्च न्यायालय द्वारा ;

(ख) यदि वे न्यायालय एक ही उच्च न्यायालय के अधीनस्थ नहीं हैं, तो उस उच्च न्यायालय द्वारा जिसकी अपीली दांडिक अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अंदर कार्यवाही पहले प्रारंभ की गई है,

विनिश्चित किया जाएगा, और तब उस अपराध के संबंध में अन्य सब कार्यवाहियां बंद कर दी जाएंगी ।

187. स्थानीय अधिकारिता के परे किए गए अपराध के लिए समन या वारंट जारी करने की शक्ति – (1) जब किसी प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को यह विश्वास करने का कारण दिखाई देता है कि उसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर के किसी व्यक्ति ने ऐसी अधिकारिता के बाहर, (चाहे भारत के अंदर या बाहर) ऐसा अपराध किया है जिसकी जांच या विचारण 177 से 185 तक की धाराओं के (जिनके अंतर्गत ये दोनों धाराएं भी हैं), उपबंधों के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन ऐसी अधिकारिता के अंदर नहीं किया जा सकता है किंतु जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन भारत में विचारणीय है तब ऐसा मजिस्ट्रेट उस अपराध की जांच ऐसे कर सकता है मानो वह ऐसी स्थानीय अधिकारिता के अंदर किया गया है और ऐसे व्यक्ति को अपने समक्ष हाजिर होने के लिए इसमें इसके पूर्व उपबंधित प्रकार से विवश कर सकता है और ऐसे व्यक्ति को ऐसे अपराध की जांच या विचारण करने की अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट के पास भेज सकता है या यदि ऐसा अपराध मृत्यु से या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है और ऐसा व्यक्ति इस धारा के अधीन कार्रवाई करने वाले मजिस्ट्रेट को समाधानप्रद रूप में जमानत देने के लिए तैयार और इच्छुक है तो ऐसी अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष उसकी

हाजिरी के लिए प्रतिभुओं सहित या रहित बंधपत्र ले सकता है ।

(2) जब ऐसी अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट एक से अधिक हैं और इस धारा के अधीन कार्य करने वाला मजिस्ट्रेट अपना समाधान नहीं कर पाता है कि किस मजिस्ट्रेट के पास या समक्ष ऐसा व्यक्ति भेजा जाए या हाजिर होने के लिए आबद्ध किया जाए, तो मामले की रिपोर्ट उच्च न्यायालय के आदेश के लिए की जाएगी ।

188. भारत से बाहर किया गया अपराध – जब कोई अपराध भारत से बाहर –

(क) भारत के किसी नागरिक द्वारा चाहे खुले समुद्र पर या अन्यत्र ; अथवा

(ख) किसी व्यक्ति द्वारा, जो भारत का नागरिक नहीं है, भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या विमान पर,

किया जाता है तब उस अपराध के बारे में उसके विरुद्ध ऐसी कार्यवाही की जा सकती है मानो वह अपराध भारत के अंदर उस स्थान में किया गया है जहां वह पाया गया है :

परंतु इस अध्याय की पूर्ववर्ती धाराओं में से किसी बात के होते हुए भी, ऐसे किसी अपराध की भारत में जांच या उसका विचारण केंद्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना नहीं किया जाएगा ।

189. भारत के बाहर किए गए अपराधों के बारे में साक्ष्य लेना – जब किसी ऐसे अपराध की, जिसका भारत से बाहर किसी क्षेत्र में किया जाना अभिकथित है, जांच या विचारण धारा 188 के उपबंधों के अधीन किया जा रहा है तब, यदि केंद्रीय सरकार उचित समझे तो यह निदेश दे सकती है कि उस क्षेत्र में या उस क्षेत्र के लिए न्यायिक अधिकारी के समक्ष या उस क्षेत्र में या उस क्षेत्र के लिए भारत के राजनयिक या कौंसलीय प्रतिनिधि के समक्ष दिए गए अभिसाक्ष्यों की या पेश किए गए प्रदर्शों की प्रतियों को ऐसी जांच या विचारण करने वाले न्यायालय द्वारा किसी ऐसे मामले में साक्ष्य के रूप में लिया जाएगा जिसमें ऐसा न्यायालय ऐसी किन्हीं बातों के बारे में, जिनसे ऐसे अभिसाक्ष्य या प्रदर्श संबंधित हैं साक्ष्य लेने के लिए कमीशन जारी कर सकता है ।

अध्याय 14

कार्यवाहियां शुरू करने के लिए अपेक्षित शर्तें

190. मजिस्ट्रेटों द्वारा अपराधों का संज्ञान – (1) इस अध्याय के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कोई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट और उपधारा (2) के अधीन विशेषतया सशक्त किया गया कोई द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट, किसी भी अपराध का संज्ञान निम्नलिखित दशाओं में कर सकता है :–

(क) उन तथ्यों का, जिनसे ऐसा अपराध बनता है परिवाद प्राप्त होने पर ;

(ख) ऐसे तथ्यों के बारे में पुलिस रिपोर्ट पर ;

(ग) पुलिस अधिकारी से भिन्न किसी व्यक्ति से प्राप्त इस इत्तिला पर या स्वयं अपनी इस जानकारी पर कि ऐसा अपराध किया गया है ।

(2) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट को ऐसे अपराधों का, जिनकी जांच या विचारण करना उसकी क्षमता के अंदर है, उपधारा (1) के अधीन संज्ञान करने के लिए सशक्त कर सकता है ।

191. अभियुक्त के आवेदन पर अंतरण – जब मजिस्ट्रेट किसी अपराध का संज्ञान धारा 190 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन करता है तब अभियुक्त को, कोई साक्ष्य लेने से पहले, इत्तिला दी जाएगी कि वह मामले की किसी अन्य मजिस्ट्रेट से जांच या विचारण कराने का हकदार है और यदि अभियुक्त, या यदि एक से अधिक अभियुक्त हैं तो उनमें से कोई, संज्ञान करने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष आगे कार्यवाही किए जाने पर आपत्ति करता है तो मामला उस अन्य मजिस्ट्रेट को अंतरित कर दिया जाएगा जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाएगा ।

192. मामले मजिस्ट्रेटों के हवाले करना – (1) कोई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अपराध का संज्ञान करने के पश्चात् मामले को जांच या विचारण के लिए अपने अधीनस्थ किसी सक्षम मजिस्ट्रेट के हवाले कर सकता है ।

(2) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त सशक्त किया गया

कोई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, अपराध का संज्ञान करने के पश्चात्, मामले को जांच या विचारण के लिए अपने अधीनस्थ किसी ऐसे सक्षम मजिस्ट्रेट के हवाले कर सकता है जिसे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट साधारण या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे, और तब ऐसा मजिस्ट्रेट जांच या विचारण कर सकता है ।

193. अपराधों का सेशन न्यायालयों द्वारा संज्ञान – इस संहिता द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा अभिव्यक्त रूप से जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, कोई सेशन न्यायालय आरंभिक अधिकारिता वाले न्यायालय के रूप में किसी अपराध का संज्ञान तब तक नहीं करेगा जब तक मामला इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा उसके सुपुर्द नहीं कर दिया गया है ।

194. अपर और सहायक सेशन न्यायाधीशों को हवाले किए गए मामलों पर उनके द्वारा विचारण – अपर सेशन न्यायाधीश या सहायक सेशन न्यायाधीश ऐसे मामलों का विचारण करेगा जिन्हें विचारण के लिए उस खंड का सेशन न्यायाधीश साधारण या विशेष आदेश द्वारा उसके हवाले करता है या जिनका विचारण करने के लिए उच्च न्यायालय विशेष आदेश द्वारा उसे निदेश देता है ।

195. लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के लिए और साक्ष्य में दिए गए दस्तावेजों से संबंधित अपराधों के लिए लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के लिए अभियोजन – (1) कोई न्यायालय,–

(क) (i) भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 172 से धारा 188 तक की धाराओं के (जिनके अंतर्गत ये दोनों धाराएं भी हैं) अधीन दंडनीय किसी अपराध का, अथवा

(ii) ऐसे अपराध के किसी दुष्प्रेरण या ऐसा अपराध करने के प्रयत्न का, अथवा

(iii) ऐसा अपराध करने के लिए किसी आपराधिक षड्यंत्र का,

[1][संज्ञान संबद्ध लोक सेवक के, या किसी अन्य ऐसे लोक सेवक के,

---

[1] 2006 के अधिनियम सं. 2 की धारा 3 द्वारा कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

जिसके वह प्रशासनिक तौर पर अधीनस्थ है, लिखित परिवाद पर ही करेगा, अन्यथा नहीं ;]

(ख) (i) भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की निम्नलिखित धाराओं अर्थात् 193 से 196 (जिनके अंतर्गत ये दोनों धाराएं भी हैं), 199, 200, 205 से 211 (जिनके अंतर्गत ये दोनों धाराएं भी हैं) और 228 में से किन्हीं के अधीन दंडनीय किसी अपराध का, जब ऐसे अपराध के बारे में यह अभिकथित है कि वह किसी न्यायालय में की कार्यवाही में या उसके संबंध में किया गया है ; अथवा

(ii) उसी संहिता की धारा 463 में वर्णित या धारा 471, धारा 475 या धारा 476 के अधीन दंडनीय अपराध का, जब ऐसे अपराध के बारे में यह अभिकथित है कि वह किसी न्यायालय में की कार्यवाही में पेश की गई साक्ष्य में दी गई किसी दस्तावेज के बारे में किया गया है ; अथवा

(iii) उपखंड (i) या उपखंड (ii) में विनिर्दिष्ट किसी अपराध को करने के लिए आपराधिक षड्यंत्र या उसे करने के प्रयत्न या उसके दुष्प्रेरण के अपराध का,

संज्ञान ऐसे न्यायालय के, या न्यायालय के ऐसे अधिकारी के, जिसे वह न्यायालय इस निमित्त लिखित रूप में प्राधिकृत करे या किसी अन्य न्यायालय के, जिसके वह न्यायालय अधीनस्थ है लिखित परिवाद पर ही करेगा, अन्यथा नहीं ।

(2) जहां किसी लोक सेवक द्वारा उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन कोई परिवाद किया गया है वहां ऐसा कोई प्राधिकारी, जिसके वह प्रशासनिक तौर पर अधीनस्थ है, उस परिवाद को वापस लेने का आदेश दे सकता है और ऐसे आदेश की प्रति न्यायालय को भेजेगा ; और न्यायालय द्वारा उसकी प्राप्ति पर उस परिवाद के संबंध में आगे कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी :

परंतु ऐसे वापस लेने का कोई आदेश उस दशा में नहीं दिया जाएगा जिसमें विचारण प्रथम बार के न्यायालय में समाप्त हो चुका है ।

(3) उपधारा (1) के खंड (ख) में "न्यायालय" शब्द से कोई सिविल, राजस्व या दंड न्यायालय अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत किसी केंद्रीय,

प्रांतीय या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन गठित कोई अधिकरण भी है यदि वह उस अधिनियम द्वारा इस धारा के प्रयोजनार्थ न्यायालय घोषित किया गया है ।

(4) उपधारा (1) के खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए कोई न्यायालय उस न्यायालय के जिसमें ऐसे पूर्वकथित न्यायालय की अपीलनीय डिक्रियों या दंडादेशों की साधारणतया अपील होती है, अधीनस्थ समझा जाएगा या ऐसा सिविल न्यायालय, जिसकी डिक्रियों की साधारणतया कोई अपील नहीं होती है, उस मामूली आरंभिक सिविल अधिकारिता वाले प्रधान न्यायालय के अधीनस्थ समझा जाएगा जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर ऐसा सिविल न्यायालय स्थित है :

परन्तु –

(क) जहां अपीलें एक से अधिक न्यायालय में होती हैं वहां अवर अधिकारिता वाला अपील न्यायालय वह न्यायालय होगा जिसके अधीनस्थ ऐसा न्यायालय समझा जाएगा ;

(ख) जहां अपीलें सिविल न्यायालय में और राजस्व न्यायालय में भी होती हैं वहां ऐसा न्यायालय उस मामले या कार्यवाही के स्वरूप के अनुसार, जिसके संबंध में उस अपराध का किया जाना अभिकथित है, सिविल या राजस्व न्यायालय के अधीनस्थ समझा जाएगा ।

[1][**195क. धमकी देने आदि की दशा में साक्षियों के लिए प्रक्रिया** – कोई साक्षी या कोई अन्य व्यक्ति भारतीय दंड संहिता, (1860 का 45) की धारा 195क के अधीन अपराध के संबंध में परिवाद फाइल कर सकेगा ।]

196. राज्य के विरुद्ध अपराधों के लिए और ऐसे अपराध करने के लिए आपराधिक षड्यंत्र के लिए अभियोजन – (1) कोई न्यायालय, –

(क) भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) के अध्याय 6 के अधीन या धारा 153क, [2][धारा 295क या धारा 505 की उपधारा (1)] के अधीन दंडनीय किसी अपराध का ; अथवा

---

[1] 2009 के अधिनियम सं. 5 की धारा 17 द्वारा अंतःस्थापित ।

[2] 1980 के अधिनियम सं. 63 की धारा 3 द्वारा "धारा 153ख, धारा 295क या धारा 505" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(ख) ऐसा अपराध करने के लिए आपराधिक षड्यंत्र का ; अथवा

(ग) भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 108क में यथावर्णित किसी दुष्प्रेरण का,

संज्ञान केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से ही करेगा, अन्यथा नहीं ।

[1][(1क) कोई न्यायालय, –

(क) भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 153ख या धारा 505 की उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन दंडनीय किसी अपराध का, अथवा

(ख) ऐसा अपराध करने के लिए आपराधिक षड्यंत्र का,

संज्ञान केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व मंजूरी से ही करेगा, अन्यथा नहीं ।]

(2) कोई न्यायालय भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 120ख के अधीन दंडनीय किसी आपराधिक षड्यंत्र के किसी ऐसे अपराध का, जो मृत्यु, आजीवन कारावास या दो वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कठिन कारावास से दंडनीय [2][अपराध] करने के आपराधिक षड्यंत्र से भिन्न है, संज्ञान तब तक नहीं करेगा जब तक राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट ने कार्यवाही शुरू करने के लिए लिखित सम्मति नहीं दे दी है :

परंतु जहां आपराधिक षड्यंत्र ऐसा है जिसे धारा 195 के उपबंध लागू हैं वहां ऐसी कोई सम्मति आवश्यक न होगी ।

(3) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार, [3][उपधारा (1) या उपधारा (1क) के अधीन मंजूरी देने के पूर्व और जिला मजिस्ट्रेट, उपधारा (1क) के अधीन मंजूरी देने से पूर्व,] और राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट, उपधारा (2) के अधीन सम्मति देने के पूर्व, ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा जो निरीक्षक

---

[1] 1980 के अधिनियम सं. 63 की धारा 3 द्वारा अंतःस्थापित ।

[2] 1978 के अधिनियम सं. 45 की धारा 16 द्वारा "संज्ञेय अपराध" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[3] 1980 के अधिनियम सं. 63 की धारा 3 द्वारा "उपधारा (1) के अधीन मंजूरी देने के पूर्व" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

की पंक्ति से नीचे का नहीं है, प्रारंभिक अन्वेषण किए जाने का आदेश दे सकता है और उस दशा में ऐसे पुलिस अधिकारी की वे शक्तियां होंगी जो धारा 155 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट हैं ।

197. न्यायाधीशों और लोक सेवकों का अभियोजन – (1) जब किसी व्यक्ति पर, जो न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट या ऐसा लोक सेवक है या था जिसे सरकार द्वारा या उसकी मंजूरी से ही उसके पद से हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं, किसी ऐसे अपराध का अभियोग है जिसके बारे में यह अभिकथित है कि वह उसके द्वारा तब किया गया था जब वह अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में कार्य कर रहा था जब उसका ऐसे कार्य करना तात्पर्यित था, तब कोई भी न्यायालय ऐसे अपराध का संज्ञान, जैसा [1][लोक पाल और लोकायुक्त] –

(क) ऐसे व्यक्ति की दशा में, जो संघ के कार्यकलाप के संबंध में, यथास्थिति, नियोजित है या अभिकथित अपराध के किए जाने के समय नियोजित या केंद्रीय सरकार की ;

(ख) ऐसे व्यक्ति की दशा में, जो किसी राज्य के कार्यकलाप के संबंध में, यथास्थिति, नियोजित है या अभिकथित अपराध के किए जाने के समय नियोजित था, उस राज्य सरकार की, पूर्व मंजूरी से ही करेगा, अन्यथा नहीं :

[2][परंतु जहां अभिकथित अपराध खंड (ख) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति द्वारा उस अवधि के दौरान किया गया था जब राज्य में संविधान के अनुच्छेद 356 के खंड (1) के अधीन की गई उद्‌घोषणा प्रवृत्त थी, वहां खंड (ख) इस प्रकार लागू होगा मानो उसमें आने वाले "राज्य सरकार" पद के स्थान पर "केंद्रीय सरकार" पद रख दिया गया है ।]

[3][**स्पष्टीकरण** – शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि ऐसे किसी लोक सेवक की दशा में, जिसके बारे में यह अभिकथन किया गया है कि उसने भारतीय दंड संहिता (1860 का 45)

---

[1] 2014 के अधिनियम सं. 1 की धारा 58 और अनुसूची द्वारा अंतःस्थापित ।

[2] 1991 के अधिनियम सं. 43 की धारा 2 द्वारा परंतुक जोड़ा गया ।

[3] 2013 के अधिनियम सं. 13 की धारा 18 द्वारा अंतःस्थापित ।

की धारा 166क, धारा 166ख, धारा 354, धारा 354क, धारा 354ख, धारा 354ग, धारा 354घ, धारा 370, धारा 375, धारा 376, धारा 376क, धारा 376ग, धारा 376घ या धारा 509 के अधीन कोई अपराध किया है, कोई पूर्व मंजूरी अपेक्षित नहीं होगी ।]

(2) कोई भी न्यायालय संघ के सशस्त्र बल के किसी सदस्य द्वारा किए गए किसी अपराध का संज्ञान, जिसके बारे में यह अभिकथित है कि वह उसके द्वारा तब किया गया था, जब वह अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में कार्य कर रहा था या जब उसका ऐसे कार्य करना तात्पर्यित था, केंद्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से ही करेगा, अन्यथा नहीं ।

(3) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकती है कि उसमें यथाविनिर्दिष्ट बल के ऐसे वर्ग या प्रवर्ग के सदस्यों को जिन्हें लोक व्यवस्था बनाए रखने का कार्य-भार सौंपा गया है, जहां कहीं भी वे सेवा कर रहे हों, उपधारा (2) के उपबंध लागू होंगे और तब उस उपधारा के उपबंध इस प्रकार लागू होंगे मानों उसमें आने वाले "केंद्रीय सरकार" पद के स्थान पर "राज्य सरकार" पद रख दिया गया है ।

[1][(3क) उपधारा (3) में किसी बात के होते हुए भी कोई भी न्यायालय ऐसे बलों के किसी सदस्य द्वारा, जिसे राज्य में लोक व्यवस्था बनाए रखने का कार्य-भार सौंपा गया है, किए गए किसी ऐसे अपराध का संज्ञान, जिसके बारे में यह अभिकथित है कि वह उसके द्वारा तब किया गया था जब वह, उस राज्य में संविधान के अनुच्छेद 356 के खंड (1) के अधीन की गई उद्घोषणा के प्रवृत्त रहने के दौरान, अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में कार्य कर रहा था या जब उसका ऐसे कार्य करना तात्पर्यित था, केंद्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से ही करेगा, अन्यथा नहीं ।

(3ख) इस संहिता में या किसी अन्य विधि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, यह घोषित किया जाता है कि 20 अगस्त, 1991 को प्रारंभ होने वाली और दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1991 (1991 का 43), पर राष्ट्रपति जिस तारीख को अनुमति देते हैं उस तारीख की ठीक पूर्ववर्ती तारीख को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान ऐसे किसी अपराध के संबंध में जिसका उस अवधि के दौरान किया जाना अभिकथित

[1] 1991 के अधिनियम सं. 43 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित ।

है जब संविधान के अनुच्छेद 356 के खंड (1) के अधीन की गई उद्घोषणा राज्य में प्रवृत्त थी, राज्य सरकार द्वारा दी गई कोई मंजूरी या ऐसी मंजूरी पर किसी न्यायालय द्वारा किया गया कोई संज्ञान अविधिमान्य होगा और ऐसे विषय में केंद्रीय सरकार मंजूरी प्रदान करने के लिए सक्षम होगी तथा न्यायालय उसका संज्ञान करने के लिए सक्षम होगा ।]

(4) यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार उस व्यक्ति का जिसके द्वारा और उस रीति का जिससे वह अपराध या वे अपराध, जिसके या जिनके लिए ऐसे न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट या लोक सेवक का अभियोजन किया जाना है, अवधारण कर सकती है और वह न्यायालय विनिर्दिष्ट कर सकती है जिसके समक्ष विचारण किया जाना है ।

198. विवाह के विरुद्ध अपराधों के लिए अभियोजन – (1) कोई न्यायालय भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) के अध्याय 20 के अधीन दंडनीय अपराध का संज्ञान ऐसे अपराध से व्यथित किसी व्यक्ति द्वारा किए गए परिवाद पर ही करेगा, अन्यथा नहीं :

परंतु –

(क) जहां ऐसा व्यक्ति अठारह वर्ष से कम आयु का है अथवा जड़ या पागल है अथवा रोग या अंग-शैथिल्य के कारण परिवाद करने के लिए असमर्थ है, या ऐसी स्त्री है जो स्थानीय रूढ़ियों और रीतियों के अनुसार लोगों के सामने आने के लिए विवश नहीं की जानी चाहिए वहां उसकी ओर से कोई अन्य व्यक्ति न्यायालय की इजाजत से परिवाद कर सकता है ;

(ख) जहां ऐसा व्यक्ति पति है, और संघ के सशस्त्र बलों में से किसी में से ऐसी परिस्थितियों में सेवा कर रहा है जिनके बारे में उसके कमान आफिसर ने यह प्रमाणित किया है कि उनके कारण उसे परिवाद कर सकने के लिए अनुपस्थिति छुट्टी प्राप्त नहीं हो सकती, वहां उपधारा (4) के उपबंधों के अनुसार पति द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति उसकी ओर से परिवाद कर सकता है ;

(ग) जहां भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की [1][धारा 494

---

[1] 1978 के अधिनियम सं. 45 की धारा 17 द्वारा "धारा 494" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

या धारा 495] के अधीन दंडनीय अपराध से व्यथित व्यक्ति पत्नी है वहां उसकी ओर से उसके पिता, माता, भाई, बहिन, पुत्र या पुत्री या उसके पिता या माता के भाई या बहिन द्वारा [1][या न्यायालय की इजाजत से, किसी ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा, जो उससे रक्त, विवाह या दत्तक द्वारा संबंधित है,] परिवाद किया जा सकता है ।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, स्त्री के पति से भिन्न कोई व्यक्ति उक्त संहिता की धारा 497 या धारा 498 के अधीन दंडनीय अपराध से व्यथित नहीं समझा जाएगा :

परंतु पति की अनुपस्थिति में, कोई ऐसा व्यक्ति, जो उस समय जब ऐसा अपराध किया गया था ऐसी स्त्री के पति की ओर से उसकी देख-रेख कर रहा था उसकी ओर से न्यायालय की इजाजत से परिवाद कर सकता है ।

(3) जब उपधारा (1) के परंतुक के खंड (क) के अधीन आने वाले किसी मामले में अठारह वर्ष से कम आयु के व्यक्ति या पागल व्यक्ति की ओर से किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा परिवाद किया जाना है, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवयस्क या पागल के शरीर का संरक्षक नियुक्त या घोषित नहीं किया गया है, और न्यायालय का समाधान हो जाता है कि ऐसा कोई संरक्षक जो ऐसे नियुक्त या घोषित किया गया है तब न्यायालय इजाजत के लिए आवेदन मंजूर करने के पूर्व, ऐसे संरक्षक को सूचना दिलवाएगा और सुनवाई का उचित अवसर देगा ।

(4) उपधारा (1) के परंतुक के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्राधिकार लिखित रूप में दिया जाएगा और, वह पति द्वारा हस्ताक्षरित या अन्यथा अनुप्रमाणित होगा, उसमें इस भाव का कथन होगा कि उसे उन अभिकथनों की जानकारी दे दी गई है जिनके आधार पर परिवाद किया जाना है और वह उसके कमान आफिसर द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होगा, तथा उसके साथ उस आफिसर द्वारा हस्ताक्षरित इस भाव का प्रमाणपत्र होगा कि पति को स्वयं परिवाद करने के प्रयोजन के लिए अनुपस्थिति छुट्टी उस समय नहीं दी जा सकती है ।

---

[1] 1983 के अधिनियम सं. 46 की धारा 17 द्वारा अंतःस्थापित ।

(5) किसी दस्तावेज के बारे में, जिसका ऐसा प्राधिकार होना तात्पर्यित है और जिससे उपधारा (4) के उपबंधों की पूर्ति होती है और किसी दस्तावेज के बारे में, जिसका उस उपधारा द्वारा अपेक्षित प्रमाणपत्र होना तात्पर्यित है, जब तक प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए, यह उपधारणा की जाएगी कि वह असली है और उसे साक्ष्य में ग्रहण किया जाएगा ।

(6) कोई न्यायालय भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 376 के अधीन अपराध का संज्ञान, जहां ऐसा अपराध किसी पुरुष द्वारा [1][अठारह वर्ष से कम आयु की] अपनी ही पत्नी के साथ मैथुन करता है, उस दशा में न करेगा जब उस अपराध के किए जाने की तारीख से एक वर्ष से अधिक व्यतीत हो चुका है ।

(7) इस धारा के उपबंध किसी अपराध के दुष्प्रेरण या अपराध करने के प्रयत्न को ऐसे लागू होंगे, जैसे वे अपराध को लागू होते हैं ।

[2][**198क. भारतीय दंड संहिता की धारा 498क के अधीन अपराधों का अभियोजन** – कोई न्यायालय भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 498क के अधीन दंडनीय अपराध का संज्ञान ऐसे अपराध को गठित करने वाले तथ्यों की पुलिस रिपोर्ट पर अथवा अपराध से व्यथित व्यक्ति द्वारा या उसके पिता, माता, भाई, बहिन द्वारा या उसके पिता अथवा माता के भाई या बहिन द्वारा किए गए परिवाद पर या रक्त, विवाह या दत्तक ग्रहण द्वारा उससे संबंधित किसी अन्य व्यक्ति द्वारा न्यायालय की इजाजत से किए गए परिवाद पर ही करेगा अन्यथा नहीं ।]

[3][**198ख. अपराध का संज्ञान** – कोई भी न्यायालय भारतीय दंड संहिता की धारा 376ख के अधीन दंडनीय किसी अपराध का, जहां व्यक्तियों में वैवाहिक संबंध है, उन तथ्यों का, जिनसे पत्नी द्वारा पति के विरुद्ध परिवाद फाइल किए जाने का अपराध गठित होता है, प्रथमदृष्ट्या समाधान होने के सिवाय संज्ञान नहीं करेगा ।]

---

[1] 2009 के अधिनियम सं. 5 की धारा 18 द्वारा "पंद्रह वर्ष से कम आयु की" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] 1983 के अधिनियम सं. 46 की धारा 5 द्वारा अंतःस्थापित ।

[3] 2013 के अधिनियम सं. 13 की धारा 19 द्वारा अंतःस्थापित ।

199. मानहानि के लिए अभियोजन – (1) कोई न्यायालय भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) के अध्याय 21 के अधीन दंडनीय अपराध का संज्ञान ऐसे अपराध से व्यथित किसी व्यक्ति द्वारा किए गए परिवाद पर ही करेगा, अन्यथा नहीं :

परंतु जहां ऐसा व्यक्ति अठारह वर्ष से कम आयु का है अथवा जड़ या पागल है अथवा रोग या अंग-शैथिल्य के कारण परिवाद करने के लिए असमर्थ है, या ऐसी स्त्री है, जो स्थानीय रूढ़ियों और रीतियों के अनुसार लोगों के सामने आने के लिए विवश नहीं की जानी चाहिए, वहां उसकी ओर से कोई अन्य व्यक्ति न्यायालय की इजाजत से परिवाद कर सकता है ।

(2) इस संहिता में किसी बात के होते हुए भी, जब भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) के अध्याय 21 के अधीन आने वाले किसी अपराध के बारे में यह अभिकथित है कि वह ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो ऐसा अपराध किए जाने के समय भारत का राष्ट्रपति, या भारत का उपराष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल या किसी संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासक या संघ या किसी राज्य का या किसी संघ राज्यक्षेत्र का मंत्री अथवा संघ या किसी राज्य के कार्यकलापों के संबंध में नियोजित अन्य लोक सेवक था, उसके लोक कृत्यों के निर्वहन को उसके आचरण के संबंध में किया गया है तब सेशन न्यायालय, ऐसे अपराध का संज्ञान, उसको मामला सुपुर्द हुए बिना, लोक अभियोजक द्वारा किए गए लिखित परिवाद पर कर सकता है ।

(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट ऐसे प्रत्येक परिवाद में वे तथ्य, जिनसे अभिकथित अपराध बनता है, ऐसे अपराध का स्वरूप और ऐसी अन्य विशिष्टियां वर्णित होंगी जो अभियुक्त को उसके द्वारा किए गए अभिकथित अपराध की सूचना देने के लिए उचित रूप से पर्याप्त है ।

(4) उपधारा (2) के अधीन लोक अभियोजक द्वारा कोई परिवाद –

(क) किसी ऐसे व्यक्ति की दशा में जो किसी राज्य का राज्यपाल है या रहा है या किसी राज्य की सरकार का मंत्री है या रहा है, उस राज्य सरकार की ;

(ख) किसी राज्य के कार्यकलापों के संबंध में नियोजित किसी अन्य लोक सेवक की दशा में, उस राज्य सरकार की ;

(ग) किसी अन्य दशा में, केंद्रीय सरकार की,

पूर्व मंजूरी से ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं ।

(5) कोई सेशन न्यायालय उपधारा (2) के अधीन किसी अपराध का संज्ञान तभी करेगा जब परिवाद उस तारीख से छह मास के अंदर कर दिया जाता है जिसको उस अपराध का किया जाना अभिकथित है ।

(6) इस धारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति के, जिसके विरुद्ध अपराध का किया जाना अभिकथित है, उस अपराध की बाबत अधिकारिता वाले किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद करने के अधिकार पर या ऐसे परिवाद पर अपराध का संज्ञान करने की ऐसे मजिस्ट्रेट की शक्ति पर प्रभाव डालेगी ।

अध्याय 15

मजिस्ट्रेटों से परिवाद

200. परिवादी की परीक्षा – परिवाद पर किसी अपराध का संज्ञान करने वाला मजिस्ट्रेट, परिवादी की और यदि कोई साक्षी उपस्थित है तो उनकी शपथ पर परीक्षा करेगा और ऐसी परीक्षा का सारांश लेखबद्ध किया जाएगा और परिवादी और साक्षियों द्वारा तथा मजिस्ट्रेट द्वारा भी हस्ताक्षरित किया जाएगा :

परंतु जब परिवाद लिख कर किया जाता है तब मजिस्ट्रेट के लिए परिवादी या साक्षियों की परीक्षा करना आवश्यक न होगा –

(क) यदि परिवाद अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में कार्य करने वाले या कार्य करने का तात्पर्य रखने वाले लोक सेवक द्वारा या न्यायालय द्वारा किया गया है, अथवा

(ख) यदि मजिस्ट्रेट जांच या विचारण के लिए मामले को धारा 192 के अधीन किसी अन्य मजिस्ट्रेट के हवाले कर देता है :

परंतु यह और कि यदि मजिस्ट्रेट परिवादी या साक्षियों की परीक्षा करने के पश्चात् मामले को धारा 192 के अधीन किसी अन्य मजिस्ट्रेट के हवाले करता है तो बाद वाले मजिस्ट्रेट के लिए उनकी फिर से परीक्षा करना आवश्यक न होगा ।

201. ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा प्रक्रिया जो मामले का संज्ञान करने के लिए सक्षम नहीं है – यदि परिवाद ऐसे मजिस्ट्रेट को किया जाता है जो उस अपराध का संज्ञान करने के लिए सक्षम नहीं है, तो –

(क) यदि परिवाद लिखित है तो वह उसको समुचित न्यायालय में पेश करने के लिए, उस भाव के पृष्ठांकन सहित, लौटा देगा ;

(ख) यदि परिवाद लिखित नहीं है तो वह परिवादी को उचित न्यायालय में जाने का निदेश देगा ।

202. आदेशिका के जारी किए जाने को मुल्तवी करना – (1) यदि कोई मजिस्ट्रेट ऐसे अपराध का परिवाद प्राप्त करने पर, जिसका संज्ञान करने के लिए वह प्राधिकृत है या जो धारा 192 के अधीन उसके हवाले किया गया है, ठीक समझता है तो [1][और ऐसे मामले में जहां अभियुक्त ऐसे किसी स्थान में निवास कर रहा है जो उस क्षेत्र से परे है जिसमें वह अपनी अधिकारिता का प्रयोग करता है] अभियुक्त के विरुद्ध आदेशिका का जारी किया जाना मुल्तवी कर सकता है और यह विनिश्चित करने के प्रयोजन से कि कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है अथवा नहीं, या तो स्वयं ही मामले की जांच कर सकता है या किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या अन्य ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिसको वह ठीक समझे अन्वेषण किए जाने के लिए निदेश दे सकता है :

परंतु अन्वेषण के लिए ऐसा कोई निदेश वहां नहीं दिया जाएगा –

(क) जहां मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि वह अपराध जिसका परिवाद किया गया है अनन्यतः सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है ; अन्यथा

(ख) जहां परिवाद किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया गया है जब तक कि परिवादी की या उपस्थित साक्षियों की (यदि कोई हो) धारा 200 के अधीन शपथ पर परीक्षा नहीं कर ली जाती है ।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी जांच में यदि मजिस्ट्रेट ठीक समझता है तो साक्षियों का शपथ पर साक्ष्य ले सकता है :

परंतु यदि मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि वह अपराध जिसका

---

[1] 2005 के अधिनियम सं. 25 की धारा 19 द्वारा अंतःस्थापित ।

परिवाद किया गया है अनन्यतः सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है तो यह परिवादी से अपने सब साक्षियों को पेश करने की अपेक्षा करेगा और उनकी शपथ पर परीक्षा करेगा ।

(3) यदि उपधारा (1) के अधीन अन्वेषण किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो पुलिस अधिकारी नहीं है तो उस अन्वेषण के लिए उसे वारंट के बिना गिरफ्तार करने की शक्ति के सिवाय पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को इस संहिता द्वारा प्रदत्त सभी शक्तियां होंगी ।

203. परिवाद का खारिज किया जाना – यदि परिवादी के और साक्षियों के शपथ पर किए गए कथन पर (यदि कोई हो), और धारा 202 के अधीन जांच या अन्वेषण के (यदि कोई हो) परिणाम पर विचार करने के पश्चात्, मजिस्ट्रेट की यह राय है कि कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है तो वह परिवाद को खारिज कर देगा और ऐसे प्रत्येक मामले में वह ऐसा करने के अपने कारणों को संक्षेप में अभिलिखित करेगा ।

क्रमशः...... (आगामी अंक देखें)